



# राजरथान मे रवतंत्रता संघर्ष

सम्पादक  
जहूरखा मेहर

जगदीशसिंह गहलोत शोध संस्थान  
जगदीशसिंह गहलोत मार्ग, मेढती दरवाजा, जौयपुर

प्रमुख वितरक

हिन्दी साहित्य मंदिर

जगदीशसिंह गहलोत माग,

मेडती दरवाजा, जोधपुर-342 002

© जगदीशसिंह गहलोत शोध सस्थान, जोधपुर

प्रकाशन वर्ष 1991

मूल्य 60 00 रुपये (साठ रुपये)

मुद्रक

भारत प्रिण्टर्स (प्रेस)

जालोरी गेट वारी, जोधपुर



(1896 ई०—1958 ई०)

राजस्थान के इतिहास, साहित्य  
एव सस्कृति को उजागर करने के  
लिए आजीवन सघर्षशील रहने वाले  
श्री जगदीशसिंह गहलोत  
की पावन स्मृति में सादर समर्पित—

जहूरसां मेहर  
रीडर, इतिहास विभाग,  
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर



## सम्पादकीय

बनल जेम्स टाड तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित शोध और वृत्तिदान की प्रशंसा कर आगे आने वाले लेखकों को एक विशेष माग की ओर अग्रसर कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि टाड जैसे पाश्चात्य विद्वानों के पदचिह्नों का अनुसरण कर हमने राजस्थान के इतिहास को केवल मध्य युगीय वीरता और युद्धों के घरे की उहापोह तक ही सीमित कर दिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इतिहास लेखन की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है किन्तु स्वतंत्र्योत्तर तीन दशकों तक अग्रज विरोधी भावनाओं का केन्द्र बिन्दु मान कर स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के उल्लेखनीय प्रयास नगण्य ही हुए। हाँ, जायपुर, जयपुर व मवाड़ जस वडे राज्या में घटित घटनाओं का उजागर करने के प्रयास यदा कदा होत रहे, किन्तु समूचे वर्तमान राजस्थान को एक इकाई मान कर इस क्षेत्र में हुए स्वतंत्रता सघर्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस दृष्टि से दो प्रयत्नों को अपवाद माना जा सकता है—एक नाथूराम खडगावत की पुस्तक 'राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ 1857' तथा दूसरा सुमनेश जोशी लिखित 'राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के सनानी। गत कुछ वर्षों से, विशेषतः 1985 में काँग्रेस शाताब्दी समारोह की आयोजना तथा सरकारी सरकारी संस्थानों की ओर से विशेष आग्रह के पश्चात् विद्वानों ने इस दिशा में बढम उठाने आरम्भ किये हैं।

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा डाले गये मुलावे के साथ साथ राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सम्बन्ध में अनेक अन्य कठिनाइयाँ भी रही। विषम भौगोलिक दशाओं के कारण तुर्क, मुगल तथा अग्रज भारत के अन्य भू भागों की तुलना में कई वर्षों पश्चात् राजस्थान में पहुँच सके तो साथ ही स्वतंत्रता संग्राम जसी महत्ती घटनाओं का सूत्रपात भी अपेक्षाकृत देरी से हुआ। अनेक कारणों में यह क्षेत्र अज्ञेय विद्वानों आन्दोलनकारियों के लिये उपयुक्त क्षेत्र था भी नहीं।

के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान न भी अन्य भारतीय प्रदेशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठांस तथा कारगर कदम अवश्य ही उठाये ।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में देश के प्रभावशाली जन नेताओं का राजस्थान में आगमन भी यदा कदा ही होता जिससे उनके व्यक्तित्व तथा विचार राजस्थान के जनमानस को भक्भोर कर वाछनीय प्रेरणा और बल प्रदान नहीं कर सके । नताजी सुभाषचंद्र बोस वायुयान से जाते हुए एक बार जोधपुर हवाई अड्डे पर केवल कुछ समय के लिये रुके किंतु उनका इस आगमन के सम्बन्ध में गणक विवदतिया इस क्षेत्र में आज तक प्रचलित है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिंध जाने हुए लूणी रेलवे स्टेशन से गुजरे तब ग्रामीण अचला तक के लोग हजारों की संख्या में गांधी बाबा के दशनाथ लूणी की ओर उमड़ पड़े । जनता में असीम उत्साह विद्यमान था किंतु राष्ट्रीय आंदोलन में उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका ।

पश्चिम में पनरे हुए मरुस्थल तथा दक्षिण पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में विखरे हुए ग्रामीण अचला में निवास के कारण राजस्थान की अधिकांश जनता रूढ़िवादी, अशिक्षित और अनेक सामाजिक कुप्रथाओं से जकड़ी हुई थी । इस प्रकार के परम्परावादी लोग में स्वायत्त शासन की इच्छा जागृत करना अथवा उसे विदेशी दासता की जड़ों में ताड़न हेतु प्रेरित प्रोत्साहित करना निःसंदेह अत्यंत ही दुष्कर काय था । रेल, डाक तार व्यवस्था का समुचित विकास न होना, गांवों का सड़का द्वारा नगरो में जुड़ाना होना समाचार पत्रों का अधिक प्रभावी न होना आदि कारणों से जोधपुर जयपुर व उदयपुर जैसे नगरों में यदा-कदा स्वायत्तता व स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य में घटित होने वाली घटनाओं का व्यापक जन आधार न बनने दिया । सामंती यातनाओं अथवा जागीरों जुल्मों में भी अन्य प्रांतों की तुलना में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के लिये कई गुना अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न की

उपरोक्त परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बहुधा यह प्रश्न उठाया जाता है कि अंग्रेजों के मरवाडा को छोड़ कर शेष राजस्थान ब्रिटिश शासन के अधीन था ही नहीं तब यहाँ क्या स्वतंत्रता आंदोलन ? ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सम्पन्न संधियों के पश्चात् कहीं मात्र के लिये दक्षी राजा अंग्रेजों के मित्र थे । वास्तव में अंग्रेज न केवल राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे बल्कि दक्षी राजाओं की स्थिति अधीनस्थ से अधिक नहीं थी । रियासतों पर पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित था । इस प्रकार राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कठिनाइयाँ अन्य क्षेत्रों में अपने समकालीनों की तुलना में अधिक थी । राजाओं की सरसक ब्रिटिश हुकूमत निरंकुश राजाओं तथा दमनकारी सामंतों का एक साथ ललकारने की सामर्थ्य रखने वाले ही यहाँ स्वतंत्रता हेतु जद्दाहुद का शतनाद कर सकते थे । लागू बाग, बठ वेगार आदि के कारण हुए संधियों, सामंती प्रथाय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के प्रयत्न, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की मांग और अंग्रेज विरोधी प्रयासों की ही व्यापक दृष्टि रख कर स्वतंत्रता हेतु सघन स्वीकार करना अनुपयुक्त नहीं होगा ।

राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की भांति इस आंदोलन के इतिहास लेखकों का कार्य भी अपेक्षाकृत अधिक उलझा हुआ है । देशी रियासतों में आजादी के आगीबानों के द्वारा किसानों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिपियद्ध करों की इच्छा का नितांत

अभाव था। अतः स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिये विश्वसनीय साधना का अभाव स्वभाविक ही है। इस सचप के अन्तिम छोर के अनेक सेनानी अब तक विद्यमान हैं किन्तु उनके द्वारा बताये गये सस्मरणों में यदा कदा भिन्नता नई जटिलताएँ उत्पन्न कर देती हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के चार अध्यायों में 1857 से 1947 तक राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु की गई जद्दाजहद का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम अध्याय राजस्थान में 1857 की क्रांति में सम्बन्धित है। श्री नाथूराम खडगावत तथा डॉ० प्रकाश व्यास ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को नई तरह से बताने का यत्न किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्रांति में डिगल कवियां न अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

द्वितीय अध्याय में मजे हुए इतिहास लेखक श्री सुखवीरसिंह गहलोत ने 'राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन' में अपने बरणन का केवल प्रजा मण्डल तथा राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखा। कांग्रेस की स्थापना, गोलमेज सम्मेलन, बटलर कमिशन, साइमन कमिशन, नग्रेड्र मण्डल के निर्माण राजपूताना मध्य भारत सभा जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ राजस्थान की घटनाओं का तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। अपने विवरण के समथन में श्री गहलोत ने जगह जगह प्रमाणिक साधना के हवाले भी दिये हैं।

तीसरा अध्याय विमान आंदोलन से सम्बन्धित है। आरम्भ से ही राजस्थान ग्रामीण अंचलों में विखरा हुआ है इसलिये प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या भी गाँवों में निवास करती है। केवल छोटे छोटे शहरों में व्यस्त कुछ लोगों को छोड़ कर शेष सभी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। डॉ० रामसिंह सोलंकी ने गहरी सूझ से किसानों की वास्तविक दशा का चित्रण किया है। आजादी पूर्व के किसानों की समस्याओं में ही विजोलिया, शेलावाटी, अलवर, बीकानेर तथा मारवाड़ में हुए किसान आंदोलनों के बीज निहित थे। विद्वान लेखक ने विश्वसनीय साधनों के बल पर कृषक आंदोलना का प्रमाणिक बरणन प्रस्तुत किया है।

दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों के श्रमिकों की कठिनाइयाँ, उनके जीवन से जुड़ी कुरीतियों तथा इन समस्याओं के निराकरण के प्रयत्नों का लेखा जोखा श्रीमती मजु जन ने अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से किया है। गोविंदगुरु तथा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुए भील आंदोलनों के सम्बन्ध में अभी तक अधिक नहीं लिखा गया है अतः मजु जन द्वारा किया गया भील आंदोलनों का यह विश्वसनीय विवरण निश्चय ही महत्वपूर्ण है।

वास्तविक मूल्य तो पाठक ही निर्धारित करेंगे किन्तु मैं आशा रखता हूँ कि इस पुस्तक की सामग्री जिनामु पाठकों तथा गम्भीर शोधकर्ताओं के लिये एक समान रुचिकर सारगर्भित तथा उपयोगी मिद्ध होगी।

सिवाजी गेट के भीतर  
सिधियों का बास, जोधपुर

जहूरखान मेहर



## अनुक्रमणिका

- 1 जहूरला मेहर 1- 24 प्रथम स्वतंत्रता सप्राम  
रोडर इतिहास विभाग  
जोधपुर विश्वविद्यालय,  
जाधपुर
- 2 मुखवीरसिंह गहलोत 25-103 राजस्थान मे स्वतंत्रता आंदोलन  
मखिब जगदीशसिंह गहलोत  
शाप सस्थान मेहती दरवाजा  
जोधपुर
- 3 डॉ० रामसिंह सोलकी 104-128 किसान आन्दोलन  
सप्यग राजनीति विज्ञान,  
राजकीय बागड (पी जी )  
बनिरा पासो
- 4 श्रीमती मजु जैन 129-156 राजस्थान मे भीत आंदोलन  
प्रबन्ध, इतिहास विभाग,  
राजकीय बागड (पी जी )  
बनिरा पासो

## प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857

मध्यकाल में राजस्थान आन-वान वाला क्षेत्र रहा। यहां के सूरमाओं ने शौर्य और बलिदान के नये नये कीर्तिमान स्थापित किए। आक्रमणकारी राजस्थान की ओर आने से कतराते थे। इसलिये यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बलिदानी प्रकृति वाले राजस्थान ने पेरामाउण्ट पावर का आश्रय क्यों लिया? इस प्रश्न का हल ढूँढने के लिये तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर कई तथ्य उजागर होते हैं। अठारवीं शताब्दी के अन्तिम छोर तथा उन्नीसवीं के प्रारम्भिक वर्षों में राजस्थान में ऐसी उठक-पटक मची कि यहां के राजा-राणा हडबडा कर अंग्रेजों की गोद में जा बैठे। औरंगजेब के पश्चात् मुगल शासक निरन्तर निर्बल होते गये। राजस्थान पर भी मुगलों की निजलता का प्रभाव पडा। मगर यदुनाथ सरकार ने लिखा "समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायबघर बन गया जिसके पिंजरो के न तो कहीं दरवाजे ही थे और न ही पहरेदार।<sup>1</sup> मराठों के निरन्तर आक्रमण और जुलम बढ़ने लगे। उस समय यहाँ उत्तराधिकार के युद्ध भी बहुत अधिक हुए।<sup>2</sup> कभी एक पक्ष मराठों को अपने समर्थन में बुला लाया<sup>3</sup> तो कभी दूसरे पक्ष ने पिण्डारियों का आश्रय लिया।<sup>4</sup> मराठों की लगातार लूट से अधिकांश रजवाडों के कोष रिक्त हो गए। राज्य कोष की रिक्तता ने सैनिक निबलता को जन्म दिया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर सामन्त भी स्वेच्छाचारी होने लगे। इस प्रकार की विपदाओं से घिरे राजाओं ने अंग्रेजों के आश्रय को धन्य भाग्य माना। 1818 ई० तक अधिकांश रजवाडों के अंग्रेजों के साथ करारनामे हो गये।

अंग्रेजों से संधियों होने पर विश्रुतलित राजस्थान में एक बार तो व्यवस्था स्थापित हो गई। अगले चालीस वर्षों में लगभग सभी विपत्तियां दूर हो गईं। कुछ तो 1761 के पानीपत युद्ध में अहमदशाह अब्दाली ने मराठा

शक्ति को कुचल दिया और कुछ रही सही कसर अंग्रेजों न निकाल दी। उस प्रकार कुचले जाने पर मराठे राजस्थान पर आक्रमण करने योग्य नहीं रह गये। उत्तराधिकार के लिये युद्ध भी समाप्त हो गए। अंग्रेज जिसके पक्षधर बनते उसका शासन निश्चित। अंग्रेजों से सन्धियों से पूर्व रजवाड़ों के बीच छाटी छोटी बातों को लेकर होने वाले युद्ध भी रुक गये। संधियों के अनुसार अंग्रेजों के मित्रों के बीच सौहार्द बना रहना आवश्यक था। सामन्ता का प्रभाव भी धीमा पड़ गया। इस प्रकार संधियों से पूर्व की लगभग सभी ममम्यात्रा का समाधान हो गया।

प्रारम्भ में दिल्ली के रेजिडेंट को राजस्थान के रजवाड़ों की देख-रेख का काय सौंपा गया। 1832 ई० में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेन्सी की स्थापना कर एजेंट टू गवर्नर जनरल (ए० जी० जी०) को काय भार सभलाया गया।<sup>5</sup> 1857 में राजस्थान में 18 देशी रजवाड़े, अजमेर का ब्रिटिश जिला तथा नीमच की छावनी सम्मिलित थे। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा पांच स्थानों पर पालिटिकल एजेंट नियुक्त थे। नसीराबाद, नीमच, दवली और ऐरतपुरा में फौजी मुकाम थे। इन फौजी मुकामों में देशी सिपाही नियुक्त थे। ब्रिटिश अफसरों के आधीन छाटी छोटी फौजी टुकड़ियाँ न्यावर तथा खेरवाड़ा में नियुक्त थी जिनमें भील और मेर सैनिक थे। राजपूताना में कुल पांच हजार के लगभग फौजी थे किन्तु केवल कुछ गिने चुने गोरों के अतिरिक्त सभी देशी सिपाही थे।<sup>6</sup>

1857 की आतति के समय मारवाड़ में मेकमेसन, मेवाड़ में मेजर सावस और जयपुर में कनल ईडन पालिटिकल एजेंट थे तथा अजमेर में जाज पेट्रिक लारेस कार्यवाहक ए० जी० जी० के रूप में काय कर रहे थे।<sup>7</sup>

भारत में 1857 की आतति का तात्कालिक कारण एफील्ड राइफल थी जो सब प्रथम नीनिया युद्ध में परखी गई थी।<sup>8</sup> इस राइफल में एक विशेष प्रकार का कारतूस प्रयोग में लिया जाता, जिस पर एक कागज चिपका रहता। कारतूस को राइफल में डालने से पूर्व सिपाही को अपने दातों से यह कागज हटाना पड़ता। कहा जाता है कि इस कागज को चिकना रखने के उद्देश्य से इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती। भारतीय सैनिकों के मन में यह बात घर कर गई कि जान बूझ कर उनका धम भ्रष्ट करने के लिये अंग्रेज यह राइफल लाए हैं। 26 फरवरी 1857 को वहरामपुर में 19 वीं रेजिमेन्ट

ने बखेडा कर दिया। 29 मार्च को 34 वीं रेजिमेंट के मगल पाण्डे नामक एक ब्राह्मण सिपाही ने वारकपुर छावनी में कुछ अंग्रेज अफसरों पर हमला कर उन्हें जान से मार दिया। 10 मई को क्रान्ति की ज्वालाएँ मेरठ में भी पहुँच गईं। मेरठ के क्रान्तिकारी सैनिक छावनी लूटने के पश्चात् दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। देखते देखते समस्त उत्तरी भारत क्रान्ति की चपेट में आ गया।<sup>9</sup>

19 मई 1857 को राजस्थान के ए० जी० जी० पेट्रिक लारेंस के पास मेरठ की क्रान्ति के समाचार पहुँचे। उस समय वह राजपूताना के सभी पार्लिमेंटल एजेंटों से आवृत्ति में विचार विमर्श कर रहा था।<sup>10</sup> शिघ्रातिशीघ्र बचाव के उपाय में उसने राजपूताना के राजाओं के पास फरमान भेजे।<sup>11</sup> अब प्रश्न यह सामने आता है कि अंग्रेजों से करारनामे होने के कारण राजस्थान में शान्ति स्थापित हुई, मराठों व पिण्डारियों की लूट और अत्याचारों से छुटकारा मिला तथा आपसी युद्ध भी समाप्त हो गए। बेचारे लारेंस साहब ने समय रहते आवश्यक कदम भी उठा लिये। तब भी राजस्थान में क्रान्ति की अग्नि क्यो प्रज्वलित हो गई। सभी तथ्यों का विवेचन विश्लेषण करने पर राजस्थान में क्रान्ति के निम्न कारण दिखलाई पड़ते हैं—

(1) भूगोल के विद्वानों ने राजस्थान को भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है।<sup>12</sup> कुल 63 प्रतिशत भूमि रेतीली।<sup>13</sup> अरावली से पूर्वी क्षेत्र में स्वयं अरावली श्रृंखलाएँ दिल्ली से गुजरात तक फैली हुईं।<sup>14</sup> विपन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही राजस्थान आक्रमणकारियों से सुरक्षित रह सका।<sup>15</sup> दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, मुगल और अंग्रेज पहले भारत के अधिकांश क्षेत्रों को जीतने के पश्चात् ही राजस्थान की ओर मुँह करने का साहस बटोर सके। अनेक वर्षों तक आक्रमणों से बचे रहने व जीवन यापन की कठिन परिस्थितियों के कारण यहाँ के नागरिकों में स्वतंत्रता प्रेम और स्वाभिमान का विकास हुआ। इसलिये जब कभी आक्रमण होता यहाँ के लोग अधिक उत्साह से उसका सामना करते। अंग्रेजी सत्ता को किसी ने भी हृदय से स्वीकार नहीं किया था। स्वतंत्रता के लिये सहज सब कुछ न्यौछावर करने वाले राजस्थानी वीर अंग्रेजी अकुश कब तक सहन करते। विरोध तो होना ही था। यह तो अन्य स्थानों की क्रान्ति ने तुरन्त कार्यवाही के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न करदी अन्वयथा भी राजस्थान तो अपनी स्वतन्त्र प्रकृति के अनुरूप अंग्रेजों का विरोध करता ही। इस प्रकार यहाँ के भूगोल ने लोगों में

जिस स्वच्छन्द स्वतन्त्र प्रकृति का विकास किया उसके कारण अग्नेजो का विरोध तो निश्चित रूप से होना ही था ।

(2) प्रारम्भ से ही राजस्थान में कवियों का यह दायित्व था कि वे राजाओं को युद्ध करने व आक्रमणों का सामना करने के लिये प्रेरित करें । दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय राजस्थान के साहित्यकारों ने सदैव राजाओं को मरने-भारने के लिये प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया । वीर रस सदैव ही यहाँ के कवियों का प्रिय विषय रहा । इस प्रकार प्रेरित प्रोत्साहित करते करते यहाँ के साहित्य का एक विशिष्ट स्वरूप बन गया । पुरानी राजस्थानी कविताओं का गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कवि और उसकी कविता जैसे युद्ध के घेरे में बंधे हुए थे । फौजों पलटनों के समुद्र उमड़ पड़े, मतवाले हाथियों का चिंघाडना, तलवारों के प्रहारों से हाथियों की सूँडों का चटाक चटाक कटना, तोप-बन्दूक व घोड़ों की खुरतालों के प्रहारों से आँसू में गूँज, झण्डों का फरफराना, तलवारों के टकराने से अग्नि की बिन्गारिया उछलना, बाले नागों के समान योद्धाओं की फुफकार, भालो-तलवारों के वार से शरीर के टुकड़े-टुकड़े होना, शरीर से रक्त के फव्वारे छूटना, फेफड़ा के टुकड़े बिखरना, रक्तसनी आंतों का पैंरो तक लटकना, खून की नदियाँ बह जाना, वादलों की गडगडाहट के समान तोपों की गजना, कुँवारी सेना से ब्याह रचाना, सिंधु राग के समुद्र का लहराना, युद्ध क्षेत्र की धूलि से सूर्य का ढक जाना अथवा उसका तेज क्षीण होना, युद्ध के वेग से कच्छप की पीठ का चर्मराना, डाढाले की डाढ का बडकना, शेषनाग के फनों का टकराना, हडहडाहट से नारद मुनि का अट्टहास, रक्त से भरी जिह्वाओं वाली यागिनियों का तालियाँ पीट पीट कर उधगड करना, युद्ध के नगारों पर किलवारिया करती कालिका का नृत्य, यमदूतों का कब्रड़ी खेलना, युद्ध का दृश्य देखने हेतु सूर्य का रथ रुकना, महेश द्वारा मुँडों की माला पहनना, योद्धाओं के साथ शिव द्वारा ताडव नृत्य,<sup>16</sup> योगिनियों के खप्पर रक्त से भर जाना, अप्सराओं द्वारा वर मालाएँ लेकर योद्धाओं का स्वागत करना, योद्धाओं के ढिग लग जाना, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर तलवारों से चिपक जाना आदि आदि ।

युद्ध के वर्णन तथा योद्धाओं का प्रेरणा देने की कला पर राजस्थानी साहित्यकारों का परम्परागत अधिकार । यहाँ साहित्यकारों के मान-सम्मान की भी पुष्ट परम्परा । साहित्य सृजन करो और लाख पसाव, थोड़ पसाव तथा जागीरों के पट्टे प्राप्त करो । अग्नेजो से संधिया के कारण साहित्यकार जुच्च

हो गये। अंग्रेजों को विदेशी बता कर विरोध करने पर स्वयं राजाजी के कोप का भाजक बनना पड़े। सामन्तों की प्रशंसा करना भी व्यर्थ हो गया। सन्धियों से सामन्तों की दशा भी बिगड़ने लगी थी। अंग्रेजों के मित्र रजवाड़ों में युद्ध पर सन्धि द्वारा प्रतिबन्ध लग गया। मुगल-पठान अथवा मराठे-पिड़ारी निर्बल हो गये तथा उनके राजस्थान पर आक्रमण पूरी तरह रुक गये। युद्धों के वर्णन में परम्परागत पारंगतता निठल्ली होने लगी। कलमों पर काट चढ़ने लगा तथा पोथी-पानडों के उदई का भख बनने की नौबत आ पहुँची। साहित्यकारों की दशा बिगड़ने लगी। मन में उहापोह मच गई। अनेक विचारवान साहित्यकारों को अपने वर्ग की इस हीन दशा का आभास हुआ। उन्होंने अपने वर्ग को चेताया। इस स्थिति से छुटकारे का एक मात्र उपाय अंग्रेजी शासन की समाप्ति दिखलाई पड़ा। अन्ततः अंग्रेजों के विरोध का अन्दर ही अन्दर खदबदता ज्वालमुखी फूटा। बाकीदास और सूरजमल मीसरा जैसे बुद्धिमानों को अंग्रेज मातृभूमि का शोषण करते हुए भी दिखलाई पड़े। राजस्थानी कलम सदैव ही तलवार से अधिक घातक धाव लगाने वाली रही है। साहित्यकारों ने एक बार अंग्रेजों का विरोध करने की ठान ली तब उन्हें रोकना किसके बश में था। जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बाकीदास द्वारा कहा गया गीत—

आयो इगरेज मुलक रे ऊपर, आहूँ लीधा खेचि उरा ।  
 धरिया मरै न दीधी धरती, धरिया ऊभा गई धरा ॥  
 फौजा देख न कीधी फौजा, दोयरा किया न खला-डला ।  
 खवा साच चूडै खावद रै, उरा हीज चूडै गई यळा ॥  
 छत्रपतिया लागी नह छाणत, गढपतिया धर परी गुमी ।  
 बल नह कियो धापडा दोता, जोता जोता गई जमी ॥  
 दुय चत्रमास बादियो दिखणी, भोम गई जो लिखत भवेस ।  
 पूगो नही चाकरी पकडी, दीधो नही मरैठा देस ॥  
 वजियाँ भली भरतपुर वाली गाजे गजर धजर नभ गोम ।  
 पहिला सिर साहब री पडियो, भड ऊभा नह दीधी भोम ॥  
 महि जाता चीचाता महिला, अरे दुयमरण तरा अवसाण ।  
 राखी रे बिहिव रजपूती, मरद हिंदू ~~के मुसलमाना~~  
 पुर जोधाण, उदपुर जंपुर, पह धारा, ~~खटी परियाण~~ ।  
 आकै गई आवसी आकै, बाके असल कियो न्बन्वाण ॥

ठीक बाकीदास के समान 1857 से पूव अंग्रेजों का विरोध करने वाले ब्रू दी के सूरजमल भीसरा ने राजस्थानियों की नींद उठाने के उद्देश्य से वीर सतसई की रचना की। उन्होंने देशी राजाओं को अंग्रेजों के विरोध हेतु कवित्त रच कर प्रेरित करने के प्रयत्न भी किये।<sup>17</sup> गीत-कवित्त लिखने के साथ ही सूरजमल भीसरा ने राजाओं को अनेक पत्र भेजकर अंग्रेजों से मातृभूमि को आजाद करने का आह्वान भी किया।<sup>18</sup> जीवनपयन्त अंग्रेजों का विरोध करने वाले जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने अपनी लेखनी के द्वारा भी अंग्रेजों का विरोध किया।<sup>19</sup> आढा जवानजी,<sup>20</sup> वारहठ दुर्गादत्तजी<sup>21</sup> आढा जादूरामजी,<sup>22</sup> आसिया बुधजी,<sup>23</sup> तिलोवदानजी<sup>24</sup> आढा चिमनजी,<sup>25</sup> गोपानदानजी दधवाडिया<sup>26</sup> लाळस नवलजी<sup>27</sup> शकरदान सामीर इत्यादि कितने ही साहित्यकारों का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने 1857 की क्रान्ति का अलख जगाने में अपनी कलम की करामात दिखलाई।

फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के समय रूसो, वाल्टयर, माटेस्क्यू, दिदरो और कोलीन जैसे विद्वानों तथा रूस की बोल्शेविक क्रान्ति से पूव माकम, टालस्टाय, गोर्की व दत्तोव्हेस्की आदि विद्वानों ने जो काय किया ठीक वही काय राजस्थान में 1857 की क्रान्ति से पूव यहां के साहित्यकारों ने सम्पन्न किया। राजा से रक्त के हृदय में अंग्रेजों के लिये विरोध के बीज बो कर 1857 की क्रान्ति के लिये वातावरण तैयार करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का श्रेय इन साहित्य मनीषियों को ही प्राप्त है। दुर्भाग्य से फ्रांस व रूस के विद्वानों की प्रशंसा में लगे इतिहासकारों ने राजस्थान के इन साहित्यविदों की उपलब्धियों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है।

(3) क्रान्ति जैसा महत्वपूर्ण कार्य साधारण जन के सहयोग के अभाव में कभी सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकता। राजस्थान में 1857 की क्रान्ति से पूव यहां के लोगों के मन टटोलने से ज्ञात होता है कि आम आदमी ने अंग्रेज सत्ता का विरोध करने के लिये कर्मर कस रखी थी। लोक गीत आम आदमी के मन का दफन माने जाते हैं। लोगों के मन पर अंग्रेजी शासन की कैसी क्लुपित छवि अंकित थी इसका साक्ष्य उस समय प्रचलित यह लोक गीत प्रस्तुत करता है —

मोडकी मगरी रो पाणी ढाळी ढाळ ढळियो रे  
आबू थारं पा'डा में अंगरेज बढियो रे

क काळी टोपी रो वा वा काळी टोपी रो  
 देस मे छावणिया न्हाखी रे क काळी टोपी रो  
 देस मे अगरेज आयो काई काई लायो रे  
 फूट न्हाखी भाया मे बेगर लायो रे  
 क काळी टोपी रो वा वा काळी टोपी रो  
 घोडा रोवै घास ने टावरिया रोवै दाणै नै  
 वुरजा मे ठकराणिया रोवै जामण जाया नै  
 क रोळी वापरियो वा वा रोळी वापरियो

इस लोक गीत से ज्ञात होता है कि राजस्थान अपने आप मे मगन मस्त था। अग्रेज न यहा बलपूर्वक घुसपैठ की और प्रसन्न-सन्तुष्ट गाव-ढाणियो को भभकती छावनिया बना डाला। यह अग्रेज रूपी 'कातरा' (कीडा) यहा के काचरो को कुतरने लगा। यहा की समृद्धि मे संघ लगा कर विलायत को समृद्ध करने मे जुट गया। भाईयो को एक दूसरे के विरुद्ध भडकाने - लडाने लगा। यहा के बच्चे भूख से विल-विलाने लगे। जानवरो के लिये घास-चारा तक नही बचा। सामन्त भी निर्बल हो गये। चारो तरफ अव्यवस्था फैल गई। निरन्तर युद्धो से मरने वालो की सरया प्रति दिन बढने लगी। घर घर मे मातम छा गया।<sup>28</sup>

जयपुर के राजा पर लोक गीतो मे व्यग-व्याणो की वर्षा इसलिये की गई कि उसने साभर अग्रेजो को दे दिया।

म्हारी राजा भोळी साभर तौ दै दीनी अगरेज नै  
 म्हारा टावर भूखा रोटी तौ मागै तीखँ लूण री।<sup>29</sup>

जयपुर मे कप्तान ब्लैक की हत्या का कारण भी यही था कि अग्रेजो ने साभर हडप लिया।<sup>30</sup> लोग अग्रेजो से इतनी अधिक घृणा करते थे कि उन्होने डू गजी जवाहरजी जैसे डाकूओ की लोक-गीतो में केवल इसलिये प्रशंसा की कि उन्होने अग्रेजो की छावनी को लूट लिया।<sup>31</sup> बीकानेर के महाराजा रतनसिंह की गीतो मे इसलिये सराहना की गई कि उन्होने जवाहरसिंह को अग्रेजो को सौपने से इडतापूवन मना कर दिया। जोधपुर के तखतसिंह की आलोचना का कारण केवल यह था कि उसने डू गजी को अग्रेजो को सौप दिया।<sup>32</sup>

इस प्रकार लोक गीतो से पता चलता है कि लोगो के हृदय मे अग्रेजो के प्रति घृणा के समुद्र हिलोरे ले रहे थे।



राजस्थानी लोग परम्परावादी-रूढ़ीवादी थे। धर्म को खतरे का आभास होने पर वे सवस्व न्यौछावर करने के लिये तत्पर हो जाते। 1857 से पूर्व अंग्रेज, डच, और फ्रांसीसियों ने राजस्थान व समस्त भारत में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये। अंग्रेजी स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों की स्थापना होने लगी थी। अकाल की चपेट में धिरे लोगों की सहायताार्थ अन्न-वस्त्र व आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर पादरियों ने धर्म परिवर्तन का जाल फैलाना आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार ईसाइयत के प्रचार से ग्राम आदमी रूढ़ हो गया।<sup>35</sup> सती प्रथा को समाप्त करने के अंग्रेजी प्रयत्नों का भी उल्टा असर पड़ा। परम्परागत रीति रिवाजों पर प्रहार से रूढ़ीवादी लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गये।<sup>36</sup>

इस प्रकार 1857 से पूर्व राजस्थान का ग्राम आदमी अंग्रेजों से घृणा करता था। जनमत ने स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को आवश्यक प्रेरणा और बल प्रदान किया।

(4) राजस्थान में अधिकांश रजवाडों के संस्थापन काल से ही सामंतों की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी और राजाओं को उनकी शक्ति पर अकुश लगाने के लिये अनेक प्रयत्न करने पड़ते थे।<sup>35</sup> मारवाड़ में तो यह कहावत प्रचलित थी 'रिडमला थाप्या तिकै राजा'। राज्य का वास्तविक फौज-बल सामन्त ही थे। अंग्रेजों से राजाओं की संधियों के कारण सामंतों की शक्ति-प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। राजाओं के तख्त के पायों ने सामंतों के कंधे छोड़कर अंग्रेजों का आश्रय ले लिया। न तो बाह्य आक्रमणों का भय रहा और न ही रही सामंतों की खुश रखने की आवश्यकता। राजाओं के सभी कष्टों की एक मात्र रामबाण दवा अंग्रेज सरकार बन गई। स्वयं राजाओं और सामन्तों के बीच झगड़ों का निवारण भी अंग्रेज सरकार ही करती। सामन्त अपने कष्टों का कारण अंग्रेजी सरकार को समझने लगे। बातों-गीतों में प्रशंसित अउवा ठाकुर खुशालसिंह अंग्रेजों का महा वीरों। उसकी मान्यता थी कि अंग्रेजी सरकार उसके विरुद्ध महाराजा तखतसिंह के कान भरती है।<sup>36</sup> उदयपुर का ताजिमी सरदार अजीतसिंह कनल जेम्स टाड और महाराणा दोनों का ही विरोधी था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने अपने सामंतों की बुरी दशा बना दी तथा अनेकों को विष के प्याले पीने के लिये विवश कर दिया।<sup>37</sup> सलूवर ठाकुर बेसरीसिंह भी अपने कष्टों का कारण अंग्रेजों को मानता था।<sup>38</sup>

सामन्तो की शक्ति कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने अनेक प्रचलित प्रथाओं को समाप्त करने के प्रयत्न किये। मेवाड में सलूवर रावत की सहमति से नये महाराणा का अभियेक होता।<sup>39</sup> यदि मेवाड के महाराणा किसी को गोद लेते तब भी अन्य खास सरदारों के साथ सलूवर रावत की स्वीकृति आवश्यक थी। अंग्रेजी सरकार ने सलूवर रावत के यह अधिकार समाप्त कर दिये। ठाकुरों को शरणागत की रक्षा का अधिकार प्राप्त था।<sup>40</sup> अंग्रेज सरकार ने 'शरण' का अधिकार भी समाप्त कर दिया। सामन्तों के न्याय सम्बन्धी अधिकार भी समाप्त हो गये। बीकानेर में तो साधारण न्यायालयों को सामन्तों के मुकदमों की सुनवाई और उनके विरुद्ध कुडकी के फौसले के अधिकार तक मिल गये। ब्रिटिस हुकूमत ने लोगों पर से सामन्तों का प्रभाव समाप्त करने के लिये और भी अनेक कदम उठाये। पहले जागीर के निवासी अपने ठाकुर की आज्ञा बिना किसी अन्य स्थान पर जाकर नहीं बस सकते थे। राजपूताना के ए० जी० जी० आर्सेस की इच्छानुसार ठाकुरों का यह अधिकार भी छीन लिया गया। पहले व्यापारी वर्ग पर सामन्तों का दबदबा था। राहदारी और दानापानी जैसे कर सामन्तों द्वारा वसूल किये जाते थे। सामन्तों के नाम से आने वाला माल चुगी मुक्त होता था। अंग्रेज सरकार ने सामन्तों के इन आर्थिक अधिकारों का खातमा कर दिया।<sup>41</sup>

इस प्रकार अंग्रेजों के कारण सामन्तगण भी आम आदमी की पगल में आ पहुँचे। सभी वर्गों के सामन्त अंग्रेजों पर खार खा रहे थे तथा किसी ऐसे अवसर की ताव में थे जबकि वे अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंकें।

(5) राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संधियाँ की तब उनके मन में मराठों, पिण्डागियों और सामन्तों का डर बँठा हुआ था। अंग्रेजों ने भी इन राजाओं को सात्वना देकर समझा बुझा कर संधियाँ की थी। किन्तु धीरे-धीरे अंग्रेज स्वामी बन गये। अनेक राजाओं को आधीनता खटवने लगी। जिस राज्य की नींव को उनके पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा उस पर शासन करने में अंग्रेजों का बँसा हस्तक्षेप? दैनिक कार्यों में अंग्रेजों का बढता हुआ हस्तक्षेप राजाओं के लिये असह्य हो गया। जोधपुर के महाराजा मानसिंह जैसे कई राजा अंग्रेजों से घृणा करने लगे। मानसिंह का शासन समस्त उत्तरी भारत के अंग्रेज विरोधियों का शरण स्थल बन गया। सिंधी शाहजादे और नागपुर के आप्पा साहब भोसले जैसे अंग्रेजों के शत्रुओं की मानसिंह ने अपने दरबार में आश्रय दिया।<sup>42</sup> गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिन्ग ने राजपूताना के राजा

को अजमेर में आयोजित दरवार में बुलाया किन्तु मानसिंह के वहिष्कार करने से ब्रिटिश हकूमत ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया ।

भरतपुर, कोटा, अलवर इत्यादि में उत्तराधिकारी भगडों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी उनके प्रति घृणा का कारण बना । अनेक राज्यों के परम्परागत क्षेत्रों पर अंग्रेजों के अधिकार के कारण वे अंग्रेज विरोधी बन गये । अनेक योग्य शासकों को अंग्रेज शोषण करते हुए दिखलाई पड़े । अपनी जनता तथा सामन्तों के अंग्रेज विरोधी व्यवहार से भी अनेक शासक प्रेरित प्रोत्साहित हुए होंगे । बुद्धिमान लोगों ने उलाहने भी दिये । सूर्यमल मिश्रण ने वि० स० 1914 में पीपल्या ठाकुर फूलसिंह को लिखे पत्र में राजाआ को इस प्रकार लताड़ा "ये राजा लोग देसपति जमी का ठाकर छँ जे सारा ही हिमालय का गळ्या ई नीसरया सो चाळीस से लैर साठ सत्तर बरस ताई पाछा पटक्या छँ तो भी गुलामी करँ छँ । पर यो म्हारो बचन राज याद रावोगा व जे अक्क अंगरेज रह्यो तो ईको ही पूरी करसी । जमी को ठाकर कोई भी न रहती । सब ईसाई हो जाती, तीसो दूरन्देसी विचारें तो फायदो कोई कँ भी नही, परन्तु आपणो आछो दिन होय तो विचारें और राज जिसो सुइत म्हारें होय तो बडाई तरीकें लिखी जावै, तीसू थोडी में बहून जाण लेसी ।"<sup>43</sup>

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का श्री गणेश हुआ तब राजागण या तो एक दम दुबक गए अथवा अंग्रेजों के विशेष हिमायती सिद्ध होने के प्रयत्न में जुट गये । जो राजा अंग्रेजों पर खार खा रहे थे वे अबसर आते ही बयो दूर हट गये । इस प्रश्न की गम्भीरता से छानबीन करने पर दो बातें स्पष्टतः सामने आती हैं । प्रथम तो यह कि देशी राजाओं पर अंग्रेजों की जबरदस्त धाँस जमी हुई थी और दूसरी यह कि वे क्रांति की व्यापकता का अनुमान नहीं लगा सके । उन्हें इस बात का तनिक आभास भी न होगा कि समूचे देश में क्रांति की आग लग चुकी है । अंग्रेज उन्हें क्रांति सम्बन्धी सूचनाएँ देते नहीं थे । स्वयं राजाओं ने अपनी सड़ी गली गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से इस दिशा में कुछ भी जानने का कभी प्रयत्न तक नहीं किया । क्रांति के नेताओं ने भी राजाओं से सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं किये । कारण कुछ भी रहे हो यह निश्चित है कि राजाओं की निस्फीयता देश के लिये हानिकारक सिद्ध हुई । यदि सभी राजा अपने सम्मान में छोड़ी जाने वाली तोपों की गिनती बढ़ाने की आशा छोड़ अपने समस्त सैनिक बल सहित

आजादी के इस सघर्ष में सम्मिलित हो जाते तो अंगरेजों की ऐसी दुर्गति होती कि उनके समाचार लन्दन पहुँचाने वाला भी न बच पाता ।

(6) ऐसा नहीं है कि राजस्थान में 1857 में होने वाली क्रान्ति का देश के अन्य भागों में होने वाली क्रान्ति से कोई सम्बन्ध ही न हो । ब्रिटिश फौज के देशी सिपाहियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता उससे राजस्थान की छावनियों में स्थित देशी सैनिकों के हृदय में भी आग लगी हुई थी । साधू तथा फकीर वेप में दिल्ली के असन्तुष्ट सैनिक राजस्थान पहुँचे और गाय-सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की सूचना यहाँ के फौजियों के बीच छोड़ दी ।<sup>44</sup> राजस्थान की छावनियों में एक यह बात भी बहुत रग लाई कि फौज को जो आटा सप्लाई होता है उसमें मनुष्य की हड्डियाँ पीस कर मिलाई जाती हैं ।<sup>45</sup> मेवाड़ के अजु नरसिंह को तो सिपाहियों के सम्मुख बैठ कर इस आटे से बनी रोनिया खाने के लिये बाध्य होना पड़ा ।<sup>46</sup> चर्बी के कारतूसों और आटे में मिली हड्डियों ने देशी सिपाहियों के हृदय में घाव कर दिये । उन्होंने इसे अपना धर्म भ्रष्ट कर इसाई बनाने का कुचक्र समझा । 1857 के अमर शहीद रिसलदार मेहरावखा,<sup>47</sup> हरिसिंह<sup>48</sup> और वन्दूकची गुल मोहम्मद<sup>49</sup> जैसे आजादी के परवानों के हृदय में देश को अंग्रेजी आधिपत्य से मुक्त कराने की लालसा हिलोरे ले रही थी ।

इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रान्ति की जड़ें कुरेदने पर दिखलाई पड़ता है कि आम जनता, साहित्यकार सामन्त, राजा और देशी सैनिक सभी ने शोषण करने वाली भूरी जीक से मुक्ति की ठान रखी थी । राजस्थान में क्रान्ति आक्स्मिक रूप से नहीं हुई । अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश का पहाड़ तो बहुत पहले ही सड़ा था, अन्य स्थानों पर क्रान्ति के समाचारों ने तो बारूद के उस ढेर में अग्नि लगाने का काय ही किया । एक बार अग्नि प्रज्वलित होने पर तो नसीराबाद, कोटा, उदयपुर, अलवर, देवली, अजमेर, जोधपुर (अजवा), भरतपुर टोंक आदि स्थानों पर ऐसी घमचक मची कि अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल गईं और वह पूरी तरह अव्यवस्थित दिखलाई देने लगा ।

आबू में आराम करते ए० जी० जी० लारेस के पास 19 मई 1857 को मेरठ की क्रान्ति के समाचार पहुँचे तो एक बार तो वह सकपका गया । इस तथ्य से तो वह पहले ही अवगत होगा कि राजस्थान के लोग अंग्रेजी शासन से तग आ चुके हैं और किसी सुअवसर की तलाश में हैं । आने वाली कठिनाईयों के अनेक दृश्य स्वतः ही उसे दिखलाई पड़ने लगे । अपनी ओर से सुरक्षा के

उपाय करने का विचार कर उसने राजाओं को पत्र लिखे कि वे अपने अपने रजवाड़े में सुरक्षा के उपाय कर लें और वागियों को अपनी सीमा में प्रवेश न करने दें।<sup>50</sup>

घवराहट में ए० जी० जी० साहब अजमेर की स्थिति पर विचार कर लगे। राज्य का सारा कोप और शस्त्र अजमेर में ही थे।<sup>51</sup> राजस्थान में अंग्रेज सत्ता का केन्द्र अजमेर ही था अतः यदि अजमेर में ही बखेडा हो गया तो कुछ भी उपाय न हो सकेगा। साहब की बोखलाहट का विशेष कारण यह था कि अजमेर की सुरक्षा के लिये पन्द्रहवीं नेटिव इन्फैंट्री की जो दो टुकड़ियाँ नियुक्त थीं वे हाल ही में मेरठ से स्थानांतरित होकर अजमेर पहुँची थीं। इस प्रकार एक तो राजस्थान में पहले ही अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना विद्यमान थी और फिर मेरठ में क्रान्ति के समाचार मिल गये तब बेचारे साहब का घवराना स्वभाविक ही था। हडबडाहट में साहब ने अजमेर की सुरक्षा के प्रथम उपाय के रूप में 15 वीं नेटिव इन्फैंट्री की दोनों टुकड़ियों को अजमेर से हटा कर नसीरावाद भेज दी जहाँ इस इन्फैंट्री के शेष सैनिक तैनात थे।<sup>52</sup> इससे भी घवराहट दूर नहीं हुई तो छानवी में तोपें लगवाकर अन्य पलटनों के वफादार सैनिकों को मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। साहब की अजमेर की सुरक्षा की गई व्यवस्था ने ब्रिटिश राज्य को आपत में डाल दिया। 15 वीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिक कोषित हो गये। बन्तावरसिंह नामक सैनिक ने अंग्रेज अफसर प्रिचार्ड के पास जाकर पूछा कि "क्या यह सत्य है कि यहाँ यूरोपियनों की एक फौज बुलाई गई है।" 28 मई 1857 को मुंशी भीर बाबर अली ने प्रिचार्ड को बताया कि सभी फौजी इस बात से क्रोधित हैं कि उन्हें जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियाँ मिला दी जाती हैं। प्रिचार्ड कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका किन्तु उसने ब्रिगेडियर के पास रिपोर्ट भेज कर आवश्यक कायवाही का आश्वासन दिया। दुपहर दो बजे प्रिचार्ड भोजन करने के पश्चात् हाथ साफ कर रहा था कि तोपें छूटने की तेज आवाज से उसके कानों के पर्दे झूटा उठे। घर से बाहर देखने पर उसे जबरदस्त भगदड़ मची हुई दिखाई दी। पन्द्रहवीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। पहले घुड़सेना और बाद में अन्य सैनिकों को तोपखाने की ओर बढ़ने के आदेश दिये गये किन्तु किसी ने इन आदेशों की अनुपालना नहीं की। तोपखाने से लगातर गोले दागे जा रहे थे। स्पोडिसवुड नामक एक मेजर तोपखाने की ओर बढ़ा किन्तु चार कदम बढ़ाते ही एक दमदमाती गोली ने

उसका भेजा विखेर दिया। कर्नल न्यूवरी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिये गये। छावनी के कनल सहित अनेक अंग्रेज अफसर घायल हुए। घबराये हुए अंग्रेज अफसर अत्यन्त ही कठिनाई से स्त्रिया व बच्चों को साथ लेकर छावनी से निकल सके। यह अदेश था कि छावनी के विद्रोही सैनिक अजमेर की ओर बढ़ेंगे। अतः छावनी से भगोड़े अंग्रेजों ने ब्यावर की राह पकड़ी। छावनी के विद्रोही इच्छानुसार क्रोध प्रकट करने लगे। चर्च और अंग्रेज अफसरों के वगलों को आग लगा दी। माल-असबाब कब्जे किया और कपड़ों व अन्य सामान को मैदान में एकत्रित कर दिया। छावनी को तहस नहस कर यह सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए।<sup>53</sup> यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह केवल असन्तुष्ट सैनिकों का बखेड़ा अथवा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि पूर्व नियोजित विचार विमर्श के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से की गई क्रान्ति थी। सब प्रथम तो इस क्रान्ति में सभी धर्म-सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित थे। फिर यदि छावनी लूटने के पश्चात् यह सैनिक लूट के माल सहित अपने अपने घर की ओर चले जाते तब तो बात अलग होती। किन्तु सब ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में लडते-भिडते दिल्ली पहुँच गये।<sup>54</sup> वहाँ पहुँच कर दिल्ली का घेरा डाली हुई एक अंग्रेज पलटन पर टूट पड़े।<sup>55</sup> इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह क्रान्तिकारी भारत भूमि को अंग्रेजी दासता से मुक्त करना चाहते थे। यह लोग दिल्ली के अंग्रेज विरोधी बादशाह बहादुरशाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली पहुँचे थे। एक बहुत खटकने वाली बात यह है कि अंग्रेज तो अजमेर की सुरक्षा के लिये बहुत ही चिंतित थे और नसीराबाद के क्रान्तिकारी सैनिकों ने अजमेर की ओर देखा तक नहीं। जाते समय यदि अजमेर पर धावा बोल देते तो राजस्थान में अंग्रेजी शासन की कमर ही टूट जाती। उदयपुर में पालिटिकल एजेंट सावस ने लिखा कि दिल्ली के विद्रोहियों ने इन्हें दिल्ली पहुँचने का निमन्त्रण दिया था।<sup>56</sup> यही कारण है कि नसीराबाद के सैनिक शिघ्रातिशिघ्र दिल्ली पहुँचने के लिये आतुर थे। इनके दिल्ली पहुँचने की आतुरता की जानकारी इस तथ्य से भी होती है कि शीघ्र दिल्ली पहुँचने की धुन में अनेकों ने लूटे हुए माल को मार्ग में ही फेंक दिया। भार कम कर जल्दी पहुँचने के उद्देश्य से ही लूट का माल फेंका गया था।

नसीराबाद के पश्चात् नीमच में क्रान्ति की ज्वाला ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाई। नीमच की छावनी नसीराबाद से 120 मील की दूरी पर

स्थित थी। वहा मेरठ के समाचार पहुंचने से पहले ही भयभीत कनल अ्रेवाट को नसीरावाद में क्रान्ति की सूचना मिलने पर वह श्रातफिन हो गया। देशी सिपाहियों को एकत्र कर अनुनय विनय करने लगा। उसने घाईबल पर हाथ रख कर सौगन्ध खाई कि वह देशी सैनिकों पर पूर्ण विश्वास करता रहेगा।<sup>67</sup> फिर कुरान तथा गगाजल की शपथ दिलवाकर देशी सैनिकों में आशवासन लिया कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहेंगे। 2 जून को घुडसवार मोहम्मद अली बेग ने कनल अ्रेवाट के सम्मुख जाकर कहा "अग्नेजों ने सौगन्ध कब निभाई। क्या अवध में आप जवरदस्ती नहीं घुसे। फिर बेजग हिन्दुस्तानी ही सौगन्ध पर क्या अडे रहें ?"<sup>68</sup> उस समय तो अ्रेवाट ने जैसे-तैसे लल्लु-चप्पु कर मोहम्मद अली को शान्त कर दिया। किन्तु अगले दिन प्रात ही नसीरावाद की क्रान्ति के समाचार नीमच पहुंच गये। दिन के ग्यारह बजते-पजते छावनी में भचाभच मच गई। सैनिकों ने तोपखाने पर अधिवार जमाया और छावनी को आग लगा दी। क्रोधित सैनिकों ने एक अग्नेज साजेंट के वच्चों को आग में फेंक दिया। छावनी के लगभग चालीस अग्नेज जान बचा कर मेवाड की ओर भागे। छावनी के वन्दियों को मुक्त कर, खजाना लूटा और छावनी को आग लगाने के पश्चात् इन देशी सैनिकों ने भगोड़े अग्नेजों का पीछा किया। डूगला नामक गांव पहुंचने पर इन भागते हुए अग्नेजों को कप्तान सावर्स और वन्तावर सिंह के नेतृत्व में मेवाडी फौज का संरक्षण मिला तब इनकी जान बची।<sup>69</sup>

नीमच के फौजी सूबेदार गुरेसराम को कमाण्डर, सूबेदार सूदेरीसिंह को ब्रिगेडियर और जमादार दोस्त मोहम्मद को मेजर नियुक्त कर बण्ड-बाजों के साथ रवाना हुए। चित्तौडगढ़, हमीरगढ़ और वनेडा के सरकारी बगलों को लूट कर आग लगाते हुए साहपुरा, निम्बाहेडा होते हुए देवली पहुंचे। देवली में भी छावनी थी जहां के अग्नेज तो पहले ही भाग गये और देशी सैनिक नीमच के इन सैनिकों के साथ मिल गये। यहां से यह लोग टोंक पहुंचे जहां जनता ने इनका स्वागत किया। यही कोटा से आए हुए अनेक सैनिक भी इनके साथ हो लिये। टोंक के नबाब के अनेक प्रयत्न करने पर भी वह असफल रहा और उसकी फौज के अनेक सैनिक भी नीमच के इन क्रान्तिकारियों के साथ मिल गये। टोंक से यह सम्मिलित सेना दिल्ली पहुंची और वहा अग्नेजों से युद्ध करने वाली एक बड़ी सेना की सहायता में जुट गई।<sup>60</sup>

1836 ई में अग्नेजों ने जोधपुर लीजियन, नामक एक फौज बनाई। मारवाड में 1857 की क्रान्ति का इस फौज से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 18 अगस्त

को जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी रोवा ठाकुर के बखेडे के समाधान हेतु आबू की जडो मे बसे हुए गाव अनादरा पहुची। 21 अगस्त की रात्रि को लगभग पचास फौजी अनादरा से माउण्ट आबू चडे। प्रात लगभग सवा तीन बजे कोहरे से छाई हुई धुन्द के बीच यूरोपियन सोल्जरो की बँरेको तथा जोधपुर लीजियन के कप्तान हाल साहब के बगले पर गोलिया बरसने लगी। हाल साहब के बगले मे ए जी जी का पुत्र ए लारेन्स भी घायल हुआ।<sup>61</sup>

यद्यपि आबू मे छुट-पुट वारदात ही हुई किन्तु इसकी सूचना जोधपुर लीजियन के प्रमुख केन्द्र ऐरनपुरा पहुँचने पर तो गजब हो गया। 22 अगस्त को ऐरनपुरा मे भी क्रान्ति का विगुल बज गया और उसी दिन आबू मे गोलियाँ बरसाने वाले सैनिक भी ऐरनपुरा आ पहुँचे। क्रोधित सैनिको ने छावनी और स्टेशन को लूट लिया तथा मेहरबानसिंह को अपना जनरल नियुक्त कर अजमेर की तरफ रवाना हो गये। थोडी दूर जाने पर इन्ह समाचार मिला कि किलेदार अनाडसिंह के नेतृत्व मे आई हुई जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह की एक फौज पाली मे डेरा डाले हुए है। इस सूचना पर ऐरनपुरा के सैनिको ने खेरवा का मार्ग पकड़ा और अउवा के पास एक गाव मे पहुँच कर डेरा डाला।<sup>62</sup>

अउवा ठाकुर खुशालसिंह चापावत के महाराजा तख्तसिंह से अनबन। ठाकुर अग्नेजो को भगडे का कारण मानकर उनसे घृणा करता था। यह बात गाव की चौपालो मे आज तक प्रसिद्ध है कि खुशालसिंह दस सिर और चौपन हाथो वाली अपनी कुल-देवी सुगाली माता की मूर्ति के सम्मुख पूजा हेतु बैठा था तब उसे ऐरनपुर के सैनिको के आगमन की सूचना मिली। तुरन्त सामने जाकर ठाकुर इन सैनिको को गड मे ले आया। ठाकुर के चाकरो ने समझा कि देवी मा का आदेश होने पर ही ठाकुर क्रान्तिकारियो का स्वागत कर रहा है। आगे से आगे खुसर-पुसर होते-होते यह बात चौपालो तक पहुच गई। आसोप के ठा० शिवनार्थसिंह, गूलर ठा० विशनसिंह और आलशियावास ठा० अजीतसिंह भी अपनी-अपनी सेनाओ सहित अउवा आ पहुचे।<sup>63</sup> इनके अतिरिक्त लाम्बिया, बाटा, भीवालिया, राडावास तथा बाजावास के ठाकुर भी खुशालसिंह के समर्थक थे। खेजडला तथा मेवाड के सलूम्बर, स्पनगर, लासाणी तथा आसीद के ठिकानो की फौजें भी अउवा पहुच गईं।<sup>64</sup> एक हजार सैनिक तथा छ सौ घुडसवार ऐरनपुरा से आए ही थे। सब मिलाकर छ हजार के लगभग सैनिक सख्या हो गई।



किलेदार अनाडसिंह के नेतृत्व में आई हुई जोधपुर महाराजा की सेना के साथ ए जी जी का खास मर्जीदान ले हीथकोट भी था। आरम्भ में छोटी-छोटी मुठभेड़ों के पश्चात् विथौरा नामक गांव के निकट बड़ी लड़ाई हुई। अउवा ठाकुर तथा ऐरनपुरा के क्रांतिकारियों ने इतना भयकर युद्ध किया कि जोधपुर की सेना पस्त होने लगी। कुशलराज सिंघवी तथा मेहता विजयसिंह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। कठिनाई से हीथकोट अपनी जान बचा सका। अनाडसिंह तथा उसके साथ दरवार की फौज के छीयत्तर सैनिक मारे गये। शेष फौज के पैर उखड़ गए तथा युद्ध क्षेत्र से भाग गई। दरवार की फौज का सामान खुशालसिंह तथा उसके सहयोगियों ने लूट लिया।<sup>65</sup>

अनाडसिंह की मृत्यु और अपनी सेना की पराजय के समाचार से महाराजा तखतसिंह बहुत दुःखी हुए। सुबह तथा साय दो वार दुग में प्रतिदिन वजने वाली नौपत को केवल एक वार वजवा कर महाराजा ने अपना दुःख प्रकट किया।<sup>66</sup> ए जी जी लारेंस तो क्रांतिकारियों की सैनिक सफलता की सूचना से वावला हो उठा। उसने तुरन्त ब्यावर से सेना साथ लेकर अउवा की ओर प्रस्थान कर दिया। जोधपुर से पालिटिकल एजेंट कैप्टिन मैक मैसन भी ए जी जी की सहायताार्थ पहुंचा। 18 सितम्बर, 1857 को पुनः भयकर युद्ध छिड़ा। ए जी जी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अंग्रेजी सरकार पर जोरदार क्लक यह लगा कि मैक मैसन क्रांतिकारियों के हाथ पड़ गया। बेचारे मैक मैसन को मारकर उसकी लाश को अउवा गढ़ के मुख्य द्वार के सामने एक वृक्ष पर लटका दी। हताश ए जी जी को अजमेर लौटना पड़ा। बेचारे मैक मैसन ने व्यथ ही जान गवाई। जनता के भय से महाराजा उसकी मृत्यु के शोक में नौपत वजवाना भी बंद न करा सके।

अउवा के आजादी के आगीवानों का सम्पर्क दिल्ली से था और मारवाड़ की जनता की सद्भावना उनके साथ थी।<sup>67</sup> गत दो वर्षों से खुशालसिंह का सहयोगी सिमरथसिंह मारवाड़-मेवाड़ के जमींदारों में एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। एकजुट होकर मारवाड़-मेवाड़ से अंग्रेजों का सफाया करने की ठान रखी थी।<sup>68</sup>

10 अक्टूबर को जोधपुर लीजियन के फौजी और खुशालसिंह के कई सहयोगी ठाकुरों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का कारण यह था कि यह लोग बहादुरशाह जफर का फरमान प्राप्त कर उसकी सैनिक सहायता से मारवाड़ तथा मेवाड़ को अंग्रेजों की आधिपत्य से मुक्त

वरवाना चाहते थे।<sup>69</sup> दिल्ली की ओर कूच करने वाली इस क्रान्तिकारी सेना में मरने मारने के लिए तत्पर लगभग चार हजार सैनिक थे। रेवाड़ी पर विजय के पश्चात् दिल्ली में अंग्रेजों की विजय से खिन्न चित्त इस सेना की 16 नवम्बर को नारनोल में ब्रिगेडियर गेराड के नेतृत्व वाली एक विशाल अंग्रेजी फौज से भिडन्त हुई। जोधपुर लीजियन की पराजय से मारवाड़-मेवाड़ से अंग्रेजी प्रभाव ममाप्त करने की लालसा की इति थी हो गई।

सब स्थानों की ओर से पूणतया आस्वस्थ हो जाने पर जब जनवरी 1858 में बम्बई में नई कुमक भी आ गई तब अंग्रेजों ने पुन अउवा की तरफ मुह करने का माहस किया। कर्नल होम्स की कमान में बम्बई की पलटन और 12वीं नेटिव इन्फेन्ट्री ने अउवा की घेराबन्दी की। जोधपुर महाराजा की फौज भी डम ब्रिटिस सेना की सहायता कर रही थी। 20 जनवरी को घमासान युद्ध हुआ। चार दिन तक दोनों पक्षों की तोपें आग उगलती रही। उस समय अउवा की रक्षा के लिये दुर्ग में बहुत कम सैनिक ही थे। 23 जनवरी की रात्रि को आकाश बादलों से ढक गया। निरंतर वर्षा होने लगी। कामदार तथा सहयोगियों के अधिक आग्रह करने पर आजादी का यह दीवाना खुशालसिंह गोला-बारी के बीच से निकल कर, सैनिक सहायता की आशा से मेवाड़ पहुच गया।<sup>70</sup> शेष लोगों ने दुर्ग की रक्षाथ जबरदस्त युद्ध किया किन्तु अंग्रेजों की कई गुना विशाल सेना और जगो तोपखाना निर्णायक सिद्ध हुए। 24 जनवरी को दुर्ग पर ब्रिटिस सेना का अधिकार हो गया। फिर तो अंग्रेजों ने वहा यातनाओं का ताडव ही कर दिया।<sup>71</sup>

बाद में अंग्रेजों ने खुशालसिंह पर मुकदमा चलाने का दिखावा भी किया किन्तु सजा देने का साहस न जुटा सकने पर अन्त में छोड़ कर दिया। 25 जुलाई, 1864 को आजादी के लिये अलख जगाने वाले इस धूरमा का उदयपुर में स्वगवास हुआ। युगो-युगो के लिये इस स्वतन्त्रता सेनानी के वृत्तित्व की छाप राजस्थानी जन मानस में अंकित रहेगी।

कोटा में 1857 की क्रान्ति का महत्त्व अपेक्षाकृत इसलिये अधिक माना जाता है कि लगभग छ महीनों तक कोटा पर क्रान्तिकारियों का अधिकार रहा। सारी जनता क्रान्ति समर्थक बन गई। मारवाड़ भी अधिन दृष्ट। मितम्बर में बादशाह जफर कैद हो गया और लाल किर्ते पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया तब भी कोटा के क्रान्तिकारी केवल अग्रन ही बन पर अंग्रेजों में लोहा लेते रहे। 1838 ई में कोटा मठराज के गर्ग म निर्मित को

कॉन्जेंट नामक ब्रिटिश सेना के देशी सिपाही मेरठ, नसीराबाद, नीमच इत्यादि में क्रान्ति के समाचारा से व्याकुल हो गए। ऐसे में 'पायगा पलटन' के रिवाल्वरदार मेहरावखा के हस्ताक्षरों वाली एक अपील फौजिया के पास पहुंची। इसमें चरबी वाले कारतूसों तथा आटे में मिली हुई हड्डियों के उल्लेख के पश्चात् देश से अंग्रेज आधिपत्य को समाप्त करने में सहयोगी बनने का निवेदन किया गया था। 15 अक्टूबर को प्रातः फौज ने बगावत कर दी। दो तोपों तथा दो घोमलों (ऊट पर लादी जान वाली छोटी तोप) सहित लगभग तीन हजार सैनिकों ने मेहरावखा के नतृत्व में एजेसी हाऊस को घेर लिया। बगले को आग लगा कर कुछ सैनिक लकड़ों की सीटी लगाकर ऊपर के कमरे में पहुंचे जहां कोटा का पार्लियामेंट एजेन्ट मेजर बर्टन और उसके दो युवा पुत्र छुपे हुए थे। मोहित सैनिकों ने तीनों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये।<sup>72</sup> एजेसी हाऊस पर इस हमले के समय दो अंग्रेज डॉक्टर भी मौत के घाट उतार दिये गए। मेजर बर्टन का सिर काट कर समस्त कोटा शहर में घुमाया गया। छ माह तक मेहरावखा और जयदयाल के नेतृत्व में फौज ने इच्छानुसार शासन चलाया। अंग्रेजों के अनेक पिट्टियों को तोपों के मुह पर बाध कर उड़ा दिया गया।<sup>73</sup>

अंग्रेजों के विरुद्ध कायवाही के पश्चात् क्रान्तिकारी असमजस में पड़ गये। ग्वालियर में सम्भलगढ़ के शासक गोविंदराव विठ्ठल को सहायता के लिये जो पत्र भेजा उसने वह पत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।<sup>74</sup> कोटा महाराज किले के भीतर दुबके हुए थे। इस कठिन परिस्थिति में कौन सहायता करे? मार्च 1858 में बम्बई से आई हुई विशाल ब्रिटिश सेना के साथ कनल रॉबर्ट कोटा पहुंचा। महाराज की स्वामी भक्त सेना, करौली के शासक की फौज तथा गोटपुर शासक की फौज भी इस ब्रिटिश सेना के साथ मिल गई। जगह-जगह घमासान युद्ध हुए। अनेक लोग मारे गये। कई दिनों तक सामना करने के पश्चात् क्रान्तिकारी सेना पराजित हुई। नेताओं पर अंग्रेजों ने जबरदस्त अत्याचार किए। मेहरावखा और जयदयाल पर मुकदमों के दिखावे के पश्चात् भारत के गवर्नर जनरल की इच्छानुसार उन्हें उसी एजेन्सी हाऊस में फासी पर लटकाया गया जहां उन्होंने मेजर बर्टन और उसके पुत्रों को मारा था। एक बार क्रान्ति पर नियंत्रण हो जाने पर तो अंग्रेजों ने अत्याचारों की सारी सीमाएं पार कर लीं।<sup>75</sup>

नवाब के मामू आलमखा के नेतृत्व में टोंक की फौज ने भी बगावत कर दी। नवाब की स्वामी-भक्त सेना से लड़ता हुआ आलमखा तो मारा गया किन्तु टोंक के लगभग छ सौ क्रान्तिकारी मैनिक लड़ते-भिड़ते बहादुरशाह जफर की सहायतायें दिल्ली जा पहुँचे। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, मेवाड़ तथा जयपुर सभी म्थानों पर 1857 में कुछ न कुछ क्रान्तिकारी घटनाएँ अवश्य ही हुईं। उस समय अंग्रेजों के एक प्रबल विरोधी के रूप में राजस्थान की प्रसिद्धी समस्त भारत में फैल गई। तात्या टोपे जैसा अंग्रेजों का शत्रु राजस्थान को अपने लिये उपयुक्त शरण-स्थल मानकर अलीपुर में चार्ल्स नेपियर में पराजित होने के पश्चात् राजस्थान आ पहुँचा।

इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कौने-कौने में ज्वालाएँ धमकने लगीं। जैसे-तैसे अंग्रेजों ने इस आग को बुझा तो दिया किन्तु फिर भी इससे वह धुनी चेतन हो गई जिसकी राख मल कर अर्जुनताल सेठी, गोपालसिंह खरवा, विजयसिंह पथिक और जोरावरसिंह बारहठ जैसे क्रांतिकारियों ने पुनः आजादी का अलख जगाया। असफल होकर भी प्रथम स्वाधीनता संग्राम आगे आने वाले आजादी के मतवालों के लिए एक प्रेरणा पुञ्ज बन गया।

### टिप्पणियाँ—

- 1 (अ) शमा एव व्यास, राजस्थान का इतिहास, 342  
(ब) यदुनाथ मरकार मुगल साम्राज्य का पतन, 1, 127
- 2 (अ) सूयमल मिश्रण, बग भास्कर, 3096 3100  
(ब) जायपुर में बलतसिंह— रामसिंह सघप
- 3 मलीमन, द इण्डियन म्यूटिनी आफ 1857, 294
- 4 टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनी, 149
- 5 फारन पार्लियामेंटल वॉचमैन, 16 अप्रैल 1832, न 22
- 6 आदश शर्मा, 1857 और राजस्थान, कथा क्रांति की, 1
- 7 शर्मा एव व्यास राजस्थान का इतिहास, 397 8
- 8 टर्की की समस्या के कारण 1855-6 में यूरोप में भयंकर युद्ध हुआ। एक पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस तथा इटली की सम्मिलित सेनाएँ थीं व दूसरी ओर अलेक्जेंडर स्म। युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ।
- 9 डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 71
- 10 (अ) एजेसी रिकाड, लेटर बुक न 13, पृ 43  
(ब) सावस, ए मिस्सिंग चैप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 8

- 11 (अ) फारेन पालिटिकल कंसल्टन्स, 26 जून, 1857, न 113 116  
(ब) वहीं, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146 7
- 12 (अ) अमल कुमार सेन, ज्योग्राफिकल रीज म आफ राजस्थान, ट्राजेक्शन आफ द इण्डिया कांसिल आफ ज्योग्राफिस, स्पेशल आई जी यू वोल्यूम, 99 104  
(ब) धमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राजस्थान, 1 7  
(स) वी सी मिश्र, ज्योग्राफिकल रीजस आफ राजस्थान, दी इण्डियन नरनल आफ ज्योग्राफी I I, 1966, पृ 35 48  
(द) इरफान मेहर, राजस्थान का भूगोल, 5
- 13 वी सी मिश्र, राजस्थान का भूगोल, 23
- 14 (अ) जहूरखा मेहर राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 92  
(ब) धमपाल, इण्डिया लण्ड एण्ड द पीपल, राजस्थान, 1
- 15 (अ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 96  
(ग) फरिस्ता, 228
- 16 डॉ नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गारा हट जा, 37 38
- 17 जिण वन भूल न जावता, गैद गवय गिडराज ।  
तिण वन जदुक ताखड उधम माट आज ॥
- 18 डा नारायणसिंह भाटी परम्परा गोरा हट जा 141 42
- 19 राणिया तलेटिया उतर राजा भुगत रस ।  
गढ ऊपर गारा फिर सरग गया संगतस ॥
- 20 हुव फल घरण हवप हुव  
चढ तुरा राख कुण खाग चाळी ।  
गढपति आज दूसरा नमिया घगा  
मेव रह्यो अनम गुमान वाळी ॥
- 21 यह जोधपुर के लोळावास गाव के निवासी तथा सूयमल मिश्रण के निकट मित्र व ।
- 22 डाकर वर फिरग फेर गिर दाळा  
ज खग ठाकर केम भल ।  
ऊभा भागर वलू अभनमो  
भागर दाणी केम भळ ॥
- 23 यह बविराजा बाकीदास क चार भादया म सबसे छोट भाई थ ।
- 24 महाराजा मानसिंह के समकालीन प्रसिद्ध कवि ।
- 25 पाचेटिया के निवासी । मानसिंह क समय क प्रसिद्ध कवि ।

- 26 फिरं फिरगी के हका काज सुधार हुकार फौजा  
धूवळी उवार रका मार बका धीग ।  
सबादी भभीत होय नगारा घुरावै मारै  
माभी धार भरोस नचीता मानसीग ॥
- 27 आया लाट रा खलीता बाचता धक लाय ऊभो  
घर हाय मूछा आय ऊभो ब्रोव धीग ।  
आपर भरास राग जागडा दिराय ऊभो  
साय ऊभो जनबा खागडी भानसीग ॥
- 28 जहूरखा महर घर मजला घर कामा, 105-6
- 29 डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 67
- 30 जगदीशसिंह महलोत, राजस्थान का इतिहास, 3, 149 50
- 31 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की आर, 117  
(ब) अजमेर के सुपरिस्टेडेंट सी जी डिक्सन का ए जी जी मदरलण्ड का पत्र,  
दि 1 मई, 1848, एन्क्लोजर न 2, करस्पोंडन्स 26 अगस्त, 1848,  
न 101, एफ एण्ड पी  
(स) परम्परा, डूगजी जवाहरजी री पड लोक काव्य परम्परा, 125 35
- 32 (अ) नाथूराम खडगावत, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 123  
(ब) राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, VII, 118
- 33 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की आर, 179  
(ब) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 61  
(स) वि स 1814 मे सूर्यमल मिश्रण ने पीपल्या ठा फूलसिंह को यह पत्र लिखा  
"य राजा लोग देसपति जमी का ठाकर छ जे सारा ही हिमालय का गळ्या  
ई नीसरया, सा चालीस स ले'र साठ सत्तर बरस ताई पाछा पटकिया छ  
तोई गुलामी कर छ । पर यो म्हारौ वचन राज याद राखागा क जे अबक  
अगरेज रह्यो ता इका गायो ही पूरो करसी । जमी का ठाकर काई भी न  
रहसो । मब ईसाई हो जासी ।" परम्परा, गोरा हट जा, 141
- 34 मु श्री ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 278 80
- 35 (अ) टाट, एनल्स एण्ड एंटीक्वीटीज आफ राजस्थान, 1, 560  
(ब) श्यामलदास, बीर विनोद, 806  
(स) तवारीख जोधपुर, बडल 40, ग्रथ 7 (पुरातोखागार, बीकानेर)  
(द) तबकात ए नासीरी, 465  
(घ) जी एन शर्मा, सोसियल लाइफ इन मेडाईवल राजस्थान, 512  
(ई) जहूरया मेहर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 97

- 11 (अ) फारेन पातिटिकल क-मल्टिस'स, 26 जून, 1857, न 113 116  
(ब) बही, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146 7
- 12 (अ) ग्रमल कुमार सेन, ज्याग्राफिकल रीज'म आफ राजस्थान, ट्राजेक्शन आफ द इण्डिया कौंसिल आफ ज्योग्राफिस, स्पेशल आई जी यू वोल्यूम, 99 104  
(ब) घमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राजस्थान, 1 7  
(स) वी सी मिश्र, ज्याग्राफिकल रीज'स आफ राजस्थान, दी इण्डियन नेशनल आफ ज्याग्राफी, 1, 1 1966, पृ 35 48  
(द) इरफान महर, राजस्थान का भूगोल 5
- 13 वी सी मिश्र राजस्थान का भूगोल, 23
- 14 (अ) जहूरखा महर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 92  
(ब) घमपाल, इण्डिया लण्ड एण्ड द पीपल, राजस्थान, 1
- 15 (अ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम 96  
(ब) परिश्रता, 228
- 16 डा नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गारा हट जा, 37 38
- 17 जिण बन भूल न जावता गैद गवय गिडराज ।  
तिण बन जनुक ताखड, उधम माउ आज ॥
- 18 डा नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गोरा हट जा 141 42
- 19 राणिया तलेटिया उत्तर, राजा भुगत रेस ।  
गढ ऊपर गारा फिर सरग गया सगतम ॥
- 20 हुव फल घरण हकप हुव  
चड तुरा राखै कुरण लाग चाळी ।  
गडपति आज दूसरा नमिया घणा  
श्रेक रह्यो अनम गुमान बाळी ॥
- 21 यह जाधपुर के लोळावास गाव के निवासी तथा सुयमल मिश्रण के निकट मित्र थे ।
- 22 डाकर कर फिरग फेर गिर दाळा  
ज खग ठाकर केम भल ।  
ऊभा भाखर 'बलू अभनमौ  
भापर डाणौ केम भळ ॥
- 23 यह नविराजा वाकीदास के चार भाइया म सबसे छोट भाई थे ।
- 24 महाराजा भानसिंह के समकालीन प्रसिद्ध कवि ।
- 25 पाचटिया क निवासी । भानसिंह के समय के प्रसिद्ध कवि ।

- 26 फिर फिरगी ने हका काज सुधार हकार फौजा  
धूकळी उबार रवा मारै बका धीग ।  
सबादी भंभीत होय नगरा घुराव सार  
माभी धार भरोसै नचीता मानसीग ॥ ३
- 27 प्राया लाट रा खलीता बाचता धक लाय ऊभौ  
घरै हाय मूछा आय ऊभौ श्रोध धीग ।  
आपर भरास राग जागडा दिराय ऊभौ  
साथ ऊभौ जनेबा खागडौ मानसीग ॥ ३
- 28 जहूरखा महर, घर मजला घर कामा, 105-6
- 29 डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 67
- 30 जगदीशसिंह महलोत, राजस्थान का इतिहास, 3, 149 50
- 31 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की ओर, 117  
(ब) अजमेर के सुपरिटेंडेंट सी जी डिकसन का ए जी जी मदरताण्ट को पत्र  
दि 1 मई, 1848, एन्क्लोजर न 2, करस्पोंडेंस 26 अगस्त, 1848,  
न 101, एफ एण्ड पी  
(स) परम्परा, डूगजी जवाहरजी री पड, लाक काव्य परम्परा, 125 35
- 32 (अ) नाथूराम खडगावत, राजस्थास राल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 123  
(ब) राजस्थान हिस्ट्री काप्रेस प्रासीडिंग्स, VII, 118
- 33 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की ओर, 179  
(ब) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 61  
(स) वि स 1814 मे सूमल मिश्रण ने पीपल्या ठा फूलसिंह को यह पत्र लिखा  
“य राजा लोग देसपति जमी का ठाकर छ जे सारा ही हिमाळय का गळ्या  
ई नीसर्या, सा चालीस से ले’र साठ सत्तर बरस ताई पाछा पटकिया छ  
ताई गुलामी कर छ । पर यो भ्हारौ वचन राज याद राखोगा क ज अबक  
अगरेज रह्यौ तो इको गाया ही पूरा करसी । जमी को ठाकर काई भी न  
रह्यौ । अब ईसाई हो जासी ।” परम्परा, गारा हट जा, 141
- 34 मु शी जवाला सहाय, लायल राजपूताना, 278 80
- 35 (अ) टाड, एनल्स एण्ड एंटीक्वीटीज आफ राजस्थान, 1, 560  
(ब) श्यामलदास, वीर विनोद, 806  
(स) तबारील जाघपुर, बडल 40, ग्रंथ 7 (पुरालेखापार, बीकानेर)  
(द) तबकात ए नासीरी, 465  
(घ) जी एन शर्मा, सोसियल लाइफ इन मेडाईवल राजस्थान, 512  
(ई) जहूरखा महर, राजस्थानी संस्कृति रा चितराम, 97



- 11 (अ) फारेन पालिटिकल कन्सल्टन्स, 26 जू  
(ब) वही, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146
- 12 (अ) शमल कुमार सेन, ज्योग्राफिकल रीजन्स  
इण्डिया कौन्सिल थाप ज्योग्राफिस, स्पेश  
(ब) धमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राज  
(स) बी सी मिश्र, ज्योग्राफिकल रीजन्स  
थाप ज्योग्राफी 1, 1, 1966, पृ 3  
(द) इरफान मेहर, राजस्थान का भूगोल,
- 13 बी सी मिश्र राजस्थान का भूगोल, 23
- 14 (अ) जहूरखा मेहर राजस्थानी संस्कृति का  
(ब) धमपाल, इण्डिया लण्ड एण्ड द पीपल
- 15 (अ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी संस्कृति का  
(ब) फरिश्ता, 228
- 16 श्री नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गारा ह
- 17 जिरा उन भूत र जावता गैद गवय सिट्टरा  
तिरा वन जवुक तातड उधम माड म
- 18 डा नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गोरा
- 19 राणिया तलेटिया उत्तर, राजा भुगत रस  
गड ऊपर गारा फिर सरग गया सगतम
- 20 हुव फैल घरण हकप हुव  
चड तुरा राव कुण खाग चाळी ।  
गडपति आज दूसरा नमिया घणा  
शेव रह्यो अनम मुमान चाळी ॥
- 21 यह जोधपुर के लोळावास गाव क निवा
- 22 डाकर कर फिरग फेरे गिर दाळा  
ज खग टाकर केम भल ।  
ऊभा भावर 'बलू' अभनमी  
भावर टाणी केम भळ ॥
- 23 यह बविराजा बाकीदास के चार भाइया
- 24 महाराजा मानसिंह के समकालीन प्रसिद्ध
- 25 पाचटिया क निवासी । मानसिंह के समय

- 51 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेंप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनीज, 3-4  
 (ब) टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनीज, 3 4
- 52 (अ) नाथुराम खडगावत, राजस्थान्म रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 17  
 (ब) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 39
- 53 फारस्ट, हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनी, 3, 450
- 54 (अ) टी आर हाम्म, ए हिस्ट्री आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 151  
 (ब) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 89-90  
 (स) फारेन पार्लिटिकल कन्सल्टमन, 27 जुलाई, 1858, न 3146 7
- 55 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेंप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 5  
 (ब) मुशी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 200 1
- 56 एजेसी रकाड, मेवाड, 1857, न 88, कप्तान सावस का ए जी जी के नाम पत्र, 25 मार्च, 1858
- 57 (अ) प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 121 128  
 (ब) नीमच के चेंप्टन लायड की ए जी जी को रिपोर्ट, 16 जून, 1857
- 58 मी एन मावस ए मिंसिंग चेंप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 27  
 59 वही, 27-29
- 60 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम
- 61 डा जबरसिंह, द ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड, 120
- 62 हकीकत वही, 18, 384
- 63 (अ) डोलिया रा कोठार, न 59 तथा 63  
 (ब) जोधपुर राज्य रेकाडम, सनद वही 126 पृ 546  
 (स) डा जबरसिंह द ईस्ट इण्डिया क एण्ड मारवाड, 126
- 64 मारवाड म सन् सत्तावन की चिगारी, 2
- 65 हीथकोटस रिपोर्ट आफ दी प्रासीडिंग्स अगेस्ट द म्यूटिनीय आफ जाधपुर लिजियन, 13 सितम्बर, 1857
- 66 (अ) हकीकत वही, 18, 284  
 (ब) खडगावत राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857 180
- 67 (अ) फारन पार्लिटिकल कन्सल्टेशन, 27 दिसम्बर, 1857  
 (ब) खडगावत, राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 152  
 (स) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 107
- 68 नाथुराम खडगावत, वही, 153 54

- 36 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की प्रौर, 176  
(ब) श्यामलदास, बीर विनाद, 2, 1815
- 37 टाड, एनल्स एण्ड एंटीक्वीटीज आफ राजस्थान, 2, 121
- 38 श्यामलदास, बीरविनाद 2 प्रकरण 18
- 39 (अ) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 54-55  
(ब) मेहता सगामसिंह कलेक्शन हवालान न 28
- 40 (अ) डा व्यास, राज का स्वा स, 54  
(ब) फा पो क-सल्टेशन, 31 अक्टूबर, 1833, न 37 44  
(स) मेहता सगामसिंह कलेक्शन, हवालान न 787  
(द) एजे मी रेकाड, हिस्टोरीकल रेकाड 215 जोधपुर फार्मल न 5 नड 1, मय 1834, पृ 19
- 41 डा व्यास, राज का स्वा स, 56
- 42 (अ) 1857 प्रौर राजस्थान, क्या क्रांति की, 3  
(ब) डा भाटी, परम्परा, गौरा हट जा, 145
- 43 डा भाटी, परम्परा, गौरा हट जा, 141
- 44 (अ) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 19 20, 29 30 व 99  
(ब) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ इण्डियन म्यूटिनी 4
- 45 (अ) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 29 अर 99  
(ब) सावस, 48 85
- 46 सावस, ए मिंसिंग चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनीज, 48 85
- 47 कोटा मे 1857 की क्रांति के नेता मेहराबखा का जन्म करौली मे हुआ । कोटा के एजेन्सी हाऊस मे मजर बटन व उसने दो पुत्रो को मारने वाले मेहराबखा को 1860 मे फासी हुइ ।
- 48 मेहराबखा के सहयोगी हरिसिंह का जन्म कोटा के नाता गाव मे हुआ । एजेन्सी हाऊस पर हमल मे विशेष योगदान । नवम्बर 1857 मे कोटा मे अंग्रेजी सेना से लडते हुए मारा गया ।
- 49 बडूबची गुलमाहम्मद क्रांतिकारी मना क माघ लडते हुए दिल्ली तक जा पहुचा । बहा अंग्रेजा क विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया ।
- 50 (अ) राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 72 87  
(ब) फा पो क-सल्टेशन (गुप्त), 26 जून 1857, न 113-116  
(ग) वही, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146 7

- 51 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनीज, 3-4  
 (ब) टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनीज, 3-4
- 52 (अ) नाथूराम लडगावत, राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 17  
 (ब) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 39
- 53 फारेस्ट, हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनी, 3, 450
- 54 (अ) टी आर होम्म, ए हिस्ट्री आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 151  
 (ब) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 89 90  
 (स) फारेन पालिटिकल कन्सल्टेसन, 27 जुलाई, 1858, न 3146 7
- 55 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 5  
 (ब) मुशी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 200 I
- 56 एजेसी रेकाड, मेवाड, 1857, न 88, कप्तान सावस का ए जी जी क नाम पत्र, 25 मार्च, 1858
- 57 (अ) प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 121-128  
 (ब) नीमच क कॅप्टन लायड की ए जी जी को रिपोर्ट, 16 जून, 1857
- 58 सी एल सावस, ए मिंसिंग चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 27
- 59 वही, 27 29
- 60 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम
- 61 डा जबरमिह, द ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड, 120
- 62 हकीकत वही, 18, 384
- 63 (अ) डोलिया रा कोठार, न 59 तथा 63  
 (ब) जाधपुर राज्य रेकाडस, मनद वही 126, पृ 546  
 (स) डा जबरमिह द ईस्ट इण्डिया क एण्ड मारवाड, 126
- 64 मारवाड म सन् मत्तावन की चिगारी, 2
- 65 हीथकोटग रिपाट आफ दी प्रासीडिंग मॅनेज्मेन्ट द म्यूटिनीय आफ जाधपुर लिजियन, 13 सितम्बर 1857
- 66 (अ) हकीकत वही, 18, 284  
 (ब) लडगावत राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 180
- 67 (अ) फारेन पालिटिकल कन्सल्टेसन, 27 दिसम्बर, 1857  
 (ब) लडगावत, राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 152  
 (स) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 107
- 68 नाथूराम लडगावत, वही, 153 54

- 69 दिल्ली की ओर बूच करने वाला म शिवनाथसिंह ग्रामोप, विश्वनाथसिंह गूलर, अजीत सिंह आलशियावाम, जोषसिंह बाजावास, चादसिंह मिनाली इत्याद टाबुर तथा अउवा की तरफ म पहाडसिंह व सलूवर की ओर म मगतसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय ह ।
- 70 डा आर पी व्यास, रात आफ नोबिलिटी इन मारवाड, 138
- 71 वही, 139
- 72 फारेस्ट, हिस्ट्री आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 3, 555 6
- 73 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 12  
(ब) खडगावत राजस्थानस रोड इन द स्ट्रगल आफ 1857, 67
- 74 (अ) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 131  
(ब) पी पी कन्टेसन, (मीक्रेट) 28 मई, 1858, न 136, 39  
(स) गवनर जनरल का सीक्रेट कमटी को डिस्पेच, 1858, न 14
- 75 (अ) नाथूराम खडगावत, राजस्थानस रात इन द स्ट्रगल आफ 1857, 66 8  
(ब) वीर सतसई (सहल), 77 78  
(स) कोटा महाराज की सलामी की तोषा की सख्या घटा दी, खिराज की रकम बहुत बढा दी तथा कोटा पलटन म सनिका की सख्या बहुत कम कर दी ।

## राजस्थान मे स्वतंत्रता आन्दोलन

सन् 1857 का विद्रोह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी। यह विद्रोह अंग्रेजों पर पहला मर्मन्तक प्रहार था जिससे उन्हें काफी पीडा हुई। भारतीय नरेशों के कारण ही वे बच सके। अंग्रेजी जनता समझ गयी कि अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के विजित प्रदेशों पर अच्छी प्रकार नियन्त्रण नहीं रख सकती है अतः अंग्रेजी पार्लियामेंट ने कम्पनी के प्रदेशों को अपने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में लेना उचित समझा।<sup>1</sup> सन् 1858 के अधिनियम द्वारा भारत की सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्रिटिश ताज को हस्तान्तरित कर दी गयी। ई० सन 1858 की पहली नवम्बर को इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था—

“हिन्दुस्तान पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से इंग्लैण्ड की महारानी अपने हाथ में लेती है। कम्पनी की रियासतों से जो सन्धिया हुई थी उनका पूरी तरह से पालन किया जावेगा। महारानी का राज्य विस्तार करने की कोई इच्छा नहीं है। वह राजाओं के अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाये रख कर देश में शांति और स्वराज्य स्थापित करने में राजाओं से सहायता की इच्छुक है। प्रत्येक प्रजाजन से, चाहे वह ब्रिटिश भारत का हो अथवा देशी रियासत का, समान व्यवहार किया जावेगा। सभी धर्मों के अनुयायियों को कानून की दृष्टि से समान व निष्पक्ष रूप से मरक्षण प्राप्त होगा। सरकारी नौकरियों के लिये धर्म का आधार नहीं माना जावेगा। शिक्षा, योग्यता और चारित्रिक निष्ठा के आधार पर ही उत्तरदाई पदों पर नियुक्तियाँ की जावेगी। हिन्दुस्तानियों की पूर्व परम्पराओं, रीतियाँ तथा प्राचीन रूढ़ियाँ की पूरी रक्षा की जावेगी। देश में शांति स्थापित होते ही उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहित किया जावेगा। सावजनिक उपयोग के काम आरम्भ किये जायेंगे। शासन का उद्देश्य प्रजा का हित ही माना जावेगा।”<sup>2</sup>

शिक्षित भारतीयों ने इस ऐतिहासिक घोषणा को अपने अधिकारों का महत्वपूर्ण चिह्न माना।<sup>3</sup> यह घोषणा-पत्र अत्यन्त आदर्शवादी एवं उच्च विचारों से परिपूर्ण तथा दूरदर्शी मालूम होता है लेकिन वास्तव में यह घोषणा ब्रिटिश सरकार की एक चाल मात्र थी। इसके पीछे न तो ईमानदारी थी और न इसमें दिये गये आश्वासनों को पूरा करने की इच्छा थी। एक दूसरी रानी अवध की वेगम हजरत महल में इस घोषणा की सच्चाई में तब ही मद्देह प्रकट कर दिया था। वेगम ने प्रश्न किया कि कम्पनी और रानी के शासन में अन्तर ही क्या रहा, जबकि कम्पनी का प्रबन्ध पहले की तरह कायम है और कम्पनी के नौकर, गवर्नर जनरल और कम्पनी का न्यायिक प्रशासन सब कुछ अपरिवर्तित रूप में बना हुआ है।

इस घोषणा के बाद इंग्लैण्ड की महारानी के नाम से वहाँ का मन्त्रिमण्डल भारत पर शासन करने लगा। भारत स्थित गवर्नर जनरल "वायसराय" (महारानी का प्रतिनिधि) भी कहलाने लगा। इंग्लैण्ड की महारानी और देशी राजाओं के बीच के सम्बन्धों में कोई कानूनी तथा वैधानिक परिवर्तन नहीं आया, लेकिन राजनैतिक व्यवहार आदि में अवश्य ही काफी परिवर्तन आया। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन अर्द्ध-स्वतंत्र राज्यों को पूर्णतया अपने आधिपत्य में ले लिया। या ये राज्य पहले भी मुगला के आधीन रह चुके थे अतः इनको अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार कर लेने में कोई हिचक नहीं हुई। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने के कारण राजाओं को पुरस्कृत भी किया गया। जयपुर नरेश को कोट-वासीम का परगना दिया गया।<sup>4</sup> अन्य कुछ नरेशों को प्रशंसा के प्रमाणपत्र दिये गये।

अंग्रेजों ने ई० सन् 1857 के विद्रोह से दो महत्वपूर्ण बातें सीखी थी—

(1) रियासतों की भावना के विरुद्ध जाना, समझदारी नहीं है चाहे भले ही वे वर्तमान प्रगति में कितनी ही पिछड़ी प्रतीत होती हों। (2) उनकी शक्ति को देखते यह आवश्यक था कि उन रियासतों को एक दूसरे से सगठित होकर शक्तिशाली होने से बचाने के लिये राजनैतिक, सैनिक तथा अन्य उपाय काम में लिये जायें। अतः एक और उन्होंने उदारता की भावना दिग्गई तो दूसरी ओर उनको शनैः शनैः शक्तिहीन भी किया गया। वास्तव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ताज के हाथों में प्रभुसत्ता जाते ही देशी रियासतों की वैधानिक स्थिति बदल गयी। वे अब स्वतंत्र मित्रों के स्थान पर ताज के सरक्षित सामन्त बन गयीं। रियासतें अब अलग इकाइयाँ नहीं रही तथा उनके शासन

ताज के सामन्तो के समान हो गये । वे भारतीय साम्राज्य के भाग बन गये ।<sup>5</sup>

राजाओं को प्रमत्त करने के लिये महारानी का घोषणापत्र काफी था । जिसके अनुसार राजाओं को विश्वास दिलाया गया कि उनके राज्यों के साथ की गई सन्धियों का आदर किया जायेगा । उनके वशानुगत विशेषाधिकारों को भी चालू रखे जाने का विश्वास दिलाया गया । दूसरी ओर राजाओं को बतना दिया गया कि वे अंग्रेजी साम्राज्य की एक राजनीतिक इकाई मात्र है । भारत की सर्वोच्च सत्ता इंग्लैण्ड के राजमुकुट में निहित है । भारतीय नरेश उनके सामन्त ही हैं । ई० सन् 1862 में यहाँ के राजाओं को गोद लेने की सनद दी गई जिनके अनुसार राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों के निस्मन्तान होने पर गोद लेने का अधिकार मान लिया लेकिन साथ में यह शर्त भी रखी गई कि उन राजघरानों को इंग्लैण्ड के बादशाह का राजभक्त रहना तथा भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रति सधि, समझौते आदि के अनुसार अपना कर्तव्य पूरी तरह निबाहना होगा । ई० सन् 1884 में अंग्रेज सरकार ने यह आदेश भी जारी किया कि किसी देशी राज्य का उत्तराधिकार अवैध होगा जब तक वह अंग्रेज सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में स्वीकृत न हो जाये । उस आदेश का जब राज्यों ने विरोध किया तो ई० सन् 1891 में स्पष्ट निणय दिया गया कि भारत सरकार का यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि देशी राज्यों का उत्तराधिकार तय करे । इस प्रकार गोद की सनद के नाम पर अंग्रेजों ने राजाओं को पूर्णतया अपने अधीन कर लिया । वे अब भारत के किसी राष्ट्रीय साम्राज्य के अंग या स्तम्भ बन कर नहीं रह सके । यह रियासतें भारत भर में फैली हुई थी अतः अंग्रेजों ने यह फैलाव अपने हित में अच्छा माना एक प्रकार से यह उनके मित्रों के दुर्ग थे जो किसी भी सकट में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के समय में उनकी सुरक्षा के काम आ सकते थे ।<sup>6</sup> अतः सन् 1860 में लार्ड कैनिंग ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अंग्रेजी शासन को बनाये रखने के लिये इन रियासतों को राजनैतिक शक्ति के बिना ही बने रहने दिया जावे ।<sup>7</sup>

ई० सन् 1876 में राज्यों व राजघरानों की महत्ता के अनुसार राजाओं की तोपों की सलामी तय की गई । अंग्रेज सरकार की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के अनुसार तोपों की सख्या घटती बढ़ती रहती थी । कोटा के महाराव रामसिंह, जोधपुर के महाराजा तर्खासिंह व टोक के नबाव इब्राहीम अलीखा की तोपों की सलामी अप्रसन्न होने पर घटा दी गई । राजाओं की बैठकों का क्रम भी निश्चित



किया गया। इसमें विभिन्न नरेशों में काफी प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गई। ई० सन् 1870 में अजमेर दरवार में जोधपुर नरेश तरतमिह ने उदयपुर के महाराणा शम्भूसिंह के वाद बैठना अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने तरतमिह की तोषों की सलाहों 19 से 17 कर दी थी। ई० सन् 1875 में बम्बई में उदयपुर के महाराणा सज्जनमिह द्वारा हैदराबाद निजाम के वाद उठाने में मना कर देना पारस्परिक स्पर्धा का एक उदाहरण है। वे राजा जा अठारवी शताब्दी तक मूलतः सय सत्ताधारी थे लेकिन विधित आश्रित थे व अय वास्तव में आश्रित हो गये जबकि उनके माय की गई मधिया के अनुसार उन्हें विधित सय सत्ताधारी मान्यता प्राप्त थी।<sup>8</sup>

ई० सन् 1861 से राजाओं को प्रमत्त करने व उनकी राजभक्ति को आँकने के लिये उनको गिताव भी दिये जाने लगे। इनमें मुख्य "स्टार ऑफ इण्डिया" (सितारे हिन्द) था। उल्लेखनीय यह है कि "हिंदुआ मूरज" महाराणा उदयपुर को भी "सितारे हिन्द" की पदवी दी गई। व 'मूरज' से केवल मात्र "सितारे" रह गये। इस प्रकार रियासतों में की गई मधियों, उनके माय किये गये इकरारनामा तथा उनको दी गई मनदा के आधार पर, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्णय तथा भारत सचिव द्वारा किये जाने वाले व्यवहारों से अब अंग्रेजी ताज की सर्वोच्च शक्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी।<sup>9</sup> सर्वोच्च शक्ति होने के कारण रियासतों के विदेशी तथा आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा। विदेशी मामले भारतीय रियासतों तथा उनकी जनता अंग्रेजी भारत के प्रान्तों तथा वहाँ की जनता की भाँति ही मानी जाने लगी।<sup>10</sup> भारतीय रियासतों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं था। भारत सरकार ने 21 अगस्त 1891 को ही एक विज्ञप्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि "अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत सभ्राज्ठी की प्रतिनिधि भारत सरकार तथा महारानी के अधीनस्थ भारतीय रियासतों के बीच के सम्बन्धों पर लागू नहीं होते हैं। पूर्ववर्ती का परमोच्च अधिपत्य पश्चात्तवर्ती पर भी लागू होता है तथा माना जाता है।<sup>11</sup> इस कारण परमोच्च शक्ति की अन्तर्राष्ट्रीय आश्वासनों को लागू करने की जिम्मेवारी थी और राजाओं को परमोच्च शक्ति द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय करारों का पालन करने को बाध्य होना पडा।

अंग्रेज सरकार अब राज्यों के आन्तरिक मामलों में ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगी। कुप्रशासन व अव्यवस्था के नाम पर जब तक राजाओं के हाथ से प्रशासन लिया जाने लगा। ई० सन् 1870 में लाड मेयो ने अजमेर में

एक दरबार किया तब उसने उपस्थित नरेशों को कहा था—“हम आपको आपके द्वारा लाई गई भेटों से नहीं आकते हैं और न आपके ठाठवाट से बल्कि आपके द्वारा अपनी प्रजा से किये गये वर्ताव से। यदि हम आपके अधिकारों और विशेषाधिकारों को स्वीकार करते हैं तो आपके लिये यह अत्यावश्यक हो जाता है कि आप भी अपने अधीन प्रजा के अधिकारों व विशेषाधिकारों का पूरी तरह पालन करें। यदि हम आपकी सत्ता की सहायता करते हैं तो उसके बदले में हम आपके शासन को मुख्यवस्थित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण राजस्थान में शांति बनी रहे और वहाँ सबत्र न्याय-पूर्ण शासन हो। आप विश्वास रखें कि और किसी के नहीं बल्कि आपके भले के लिये ही यह सब कुछ करने के लिये आग्रहपूर्वक आपसे यह अनुरोध किया जा रहा है।<sup>12</sup> इसके बाद ई० सन् 1874 में जो कुछ बड़ौदा राज्य के मामले में कहा गया वह राजस्थान के राज्यों के लिये भी लागू होता है—“यदि शासकीय कर्तव्य नहीं निभाये जाते हैं, यदि कुशासन चलने दिया जाता है, यदि प्रजा को न्याय प्राप्त नहीं होता है, यदि जनता के जान व माल का बचाव नहीं किया जाता है, और यदि जनता के कल्याण का ध्यान नहीं दिया जाता है तो अंग्रेज सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी।”<sup>13</sup> सर्वोच्च सत्ता ने इस प्रकार कुशासित राज्यों के लिये स्पष्ट नीति बतला दी। बड़ौदा नरेश को राजगद्दी से उतार दिया गया। इस प्रकार राजगद्दी पर में उतारा जाना स्पष्ट बतलाता है कि अंग्रेजी सरकार भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर तुली हुई थी और कोई रियासत सुरक्षित नहीं थी।<sup>14</sup> राजाओं को यह बहुत बुरा लगा और उनमें असंतोष फैल गया। इसी समय दिल्ली में एक दरबार ई० सन् 1877 में किया गया जिसमें राजाओं की उपस्थिति में महारानी को “केसरे-हिन्द “भारत की साम्राज्ञी” घोषित किया गया। राजाओं के हृदयों में अब यह बात जम गई कि मुगल बादशाहों की भाँति ही अब अंग्रेज बादशाहत चलेगी। इसके बाद अंग्रेज सरकार न स्पष्ट रूप से राजाओं की अबाध सत्ता और अधिकार छीन लिये और उनके विरुद्ध जब भी आवश्यक समझा गया हस्तक्षेप किया गया। राज्या की वैदेशिक नीति अंग्रेजों के हाथ में आ गई और परिस्थितियों के अनुसार उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया जाने लगा। अंग्रेज सरकार उनके गोद के मामलों में रोड़े अटकाने लगी। राजा के अव्यस्क होने पर उसका नियन्त्रण रहने लगा, और कुशासन होने पर वह राजा को राजगद्दी से हटाने तक लग गई। साम्राज्य व देश की सुरक्षा के लिये राजाओं से सैनिक सहायता ली जाने लगी। आर्थिक मामलों में भी मनमानी की जाने

लगी। इस प्रकार राज्य के वास्तविक अधिकार नरेशों से छीने जाकर अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले लिये। अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधि राज्यों में रहता था। उसकी इच्छा के अनुसार ही शासक राजगद्दी से उतारे जाने लगे या यश पाने लगे। अंग्रेज रेजिडेंट या अंग्रेज राजनैतिक एजेण्ट रियासत का वस्तुतः शासक बन गया राजाओं को आदेश देने लगा और राजाओं को उह मानना आवश्यक हो गया।

हस्तक्षेप की ऐसी ही नीति के कारण ई० सन् 1867 में टोंक के नवाब को राजगद्दी से हटाया गया। उसने अपने अधीन लाजा ठिकाने के राजपूत जागीरदार के काका की हत्या करवा दी।<sup>15</sup> ई० सन् 1868 में जब जोधपुर नरेश तरलमिह तथा उसके जागीरदारों के बीच ज्यादा विवाद बढ़ गया तथा गृह-युद्ध की आशंका हो गई तो अंग्रेजों ने उसे बाध्य किया कि वह शासन काय मन्त्रियों की एक परिषद् को सौंप देवे। महाराजा के अधिकार भी सीमित कर दिये गये।<sup>16</sup> ई० सन् 1870 में अनवर नरेश शिवदानसिंह के शासन काल में अव्यवस्था फैल गई तथा वहां मुसलमान मन्त्रियों के विरुद्ध तीव्र विरोध उठ खड़ा हुआ तब अंग्रेज अधिकारियों को हस्तक्षेप कर शिवदानसिंह के प्रशासनिक अधिकार लेकर एक मन्त्री परिषद् नियुक्त करनी पड़ी।<sup>17</sup> तब लार्ड मेयो ने बतलाया—“यदि किसी देशी रियासत में आतंक, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची अधिक बढ़ गई हो तो सर्वोच्च सत्ता के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह हस्तक्षेप करे। दूसरी ओर यदि शासक अपने राज्य का प्रशासन ठीक करना चाहता हो लेकिन उसके जागीरदार, सैनिक या राजद्रोही विरोध करे तो हमारा वक्तव्य हो जाता है कि हम उस सत्ता और शक्ति का समर्थन करें। हम किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में गृह युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं।”<sup>18</sup> इन तीन मुख्य आधारों पर ही अंग्रेजों ने अपनी नीति रियासतों के प्रति बनाये रखी।

ई० सन् 1903 में जोधपुर नरेश सगदारसिंह के भी अधिकार उसकी फिजूलखर्ची के कारण अस्थायी रूप से ले लिये गये तथा उसे पंचमढी भेज दिया गया और शासन एक मन्त्री परिषद् के अधीन कर दिया गया। ई० सन् 1905 में उसे वापस राज्य में आने दिया गया लेकिन उसको सीमित अधिकार दिये गये। उसे पूण अधिकार वाद में 1908 में ही कुछ शर्तों के अधीन दिये गये।<sup>19</sup>

राजाओं की स्थिति और भी ज्यादा तब बिगड़ी जब वायसराय लॉर्ड वर्जन 1898-1905 के समय में साम्राज्यवादी सिद्धान्त अपनी चरम सीमा पर

पहुँच गये। वह राजाओं को ताज का केवल एजेण्ट मानता था जिनका काम अपने क्षेत्रों पर केवल शासन करना था और उनके स्वयं के कोई मूल अधिकार नहीं थे। उसके विचार से ताज की प्रभुसत्ता मदन बिना विवाद स्पष्ट है। उसने स्वयं अपने परमाधिकार की सीमा बाध रखी थी।<sup>20</sup> अतः राजा लोग वंश परम्परागत अधिकारी मान रह गये। उन्हें सौंपे गये अधिकारों का दुरुपयोग न कर अपनी उपयुक्तता प्रमाणित करना अत्यावश्यक हो गया। उसके मसय में राजा लोग बिना अनुमति लिये अपना राज्य तक नहीं छोड़ सकते थे। राजनैतिक अधिकारी तथा रेजीडेण्ट मनचाहे जब हस्तक्षेप करने लग। रियासतों में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार चलाना नग्न रूप से दिखाई देने लगा।<sup>21</sup> इसके परिणाम स्वरूप राजाओं में असंतोष फैल गया। फिर भी वे राजाओं पर सुधारों के लिये पूर्ण दबाव न डाल सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज लार्ड डलहोजी द्वारा अपनाई सुधारों की नीति के परिणाम नहीं भूले थे। अतः उन्होंने आर्थिक कारणों व सुरक्षा के लिये आवश्यक सुधारों को करके ही सन्तोष कर लिया। यो जनता में भी इतनी जागृति नहीं आई थी कि वे अपने राजा को सुधारों के लिये विवश करते।

अंग्रेजों ने अपना रीढ़ जमाने व राजभक्ति का प्रदर्शन कराने के लिये ई० सन् 1903 में सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में दरबार किया जिसमें राजस्थान के समस्त नरेशों को आमन्त्रित किया गया। उदयपुर नरेश महाराणा फतहसिंह भी इस समय दिल्ली पहुँचा। लेकिन महाराणा ने दरबार की बैठक में हैदराबाद, बड़ौदा और मंसूर के बाद चौथा स्थान रखने के कारण दिल्ली पहुँच कर भी दरबार में भाग नहीं लिया। लार्ड कर्जन जैसा कठोर प्रशासक यह सब कुछ देख कर भी महाराणा को कुछ न कह सका।<sup>22</sup> इसकी प्रतिक्रिया अन्य नरेशों में भी हुई और जनसाधारण में भी साहस का संचार हुआ। भारत में अब राष्ट्रीय भावना तेजी से पनप रही थी अतः अंग्रेज सरकार ने यही उचित समझा कि राजाओं से सहयोग लेना ही उचित है। जिस प्रकार भारतीय सैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को रियासतों के प्रति नीति बदलने के लिये बाध्य किया उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें पुनः नीति बदलने को विवश कर दिया। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भारत में राष्ट्रीय आन्दोलनों के बढ़ते क्रम को रोकने के लिये राजाओं को मुहूर्त दीवार के रूप में देखा। अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी के रूप में देशी नरेश बहुत ही अच्छे लगे। अतः लार्ड कर्जन वाली नीति को आगे चलकर

नरम कर दिया गया जिसके कारण नरेशों में अंग्रेज विरोधी भावना जागृत न हो सकी, लेकिन जनसाधारण में जो राष्ट्रीय भावना उदय हुई वह वगार वढती ही गयी ।

सर्वोच्च सत्ता की नीति का विवास किसी भीमा तब राज्यों के लिये हितकर सिद्ध हुआ । यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों पर गौर करें तो यह प्रतीत होगा कि उस समय राजस्थान के राज्यों का प्रशासन काफी भीमा तब अव्यवस्थित हो गया था । जोधपुर व उदयपुर जैसे बड़े राज्या में भी जागीरदारों के भगडों व उत्तराधिगार के मामला का नेकर काफी अव्यवस्था फैल गई थी । ऐसी दशा में अंग्रेज सरकार जैमी सत्ता ही यही शांति व सुव्यवस्था स्थापित कर सकती थी । ऐसी ही सत्ता अंग्रेजी-प्राता व देशी राज्यों के बीच की खाई को पाट कर भारत में एकता ला सकती थी । अतः अंग्रेज सरकार ने राज्यों में शांति व सुव्यवस्था स्थापित कर भारत के प्रशासनिक जीवन में एकता लाने का प्रयत्न किया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अंग्रेजी प्राता व देशी राज्यों के बीच भेद-भाव भी लाने का प्रयत्न किया गया ताकि दोनों एक दूसरे के मामलों में अलग रहें ।

### सुधारों की ओर—

नये राजनैतिक परिवर्तनों के कारण रियायतों को भी सुधारों के विषय में सोचना पडा । चालू प्रशासनिक पद्धति को यदि परिवर्तित नहीं किया जाता तो परिवर्तित आधुनिक युग के साथ चला नहीं जा सकता था और न वे रह ही सकती थी । अंग्रेजी भारत के परिवर्तनों को नरेशों तथा उनकी जनता ने पहले तो पसन्द नहीं किया तथा उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखा लेकिन अब जब अंग्रेज भारत के सर्वेसर्वा हो गये तब उनके पाश्चात्य विचार तथा उनकी सस्कृति पूर्वी विचारों तथा सस्कृति को धीरे-धीरे प्रभावित करने लगी । अतः नई प्रशासनिक पद्धति तथा राजनैतिक सस्थाये, जो पाश्चात्य विचारों पर आधारित थी, अपनाई जाने लगी । सभी रियायतें अब अंग्रेजी सरकार की सलाह तथा निर्देशन पर प्रशासनिक तथा राजनैतिक सुधार करने लगी । अंग्रेजी भारतीय प्रातों में जो भी कायवाही की गयी उसी को आवश्यक परिवर्तना के साथ यहा भी अपनाया गया । परमोच्च शक्ति की नीति के अनुसरण में अंग्रेज सरकार ने भी देशी राज्यों में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा व कुशल प्रशासन लाने के लिये सुधारों की ओर कुछ ध्यान दिया । इस काल में भारत के मुख्य केन्द्र रेल द्वारा जोडे गये और इस कारण यहा के

राज्यों में होकर भी 'रेल की लाइनें' निकलीं। ई० सन् 1884 के बाद के वर्षों में अहमदाबाद को आगरा से मिलाने के लिये मारवाड जकशन, अजमेर व जयपुर होकर रेल की पटरी विद्यार्ई गई। जयपुर राज्य के वादीकुई से एक और पटरी विद्यार् कर अहमदाबाद को अलवर व दिल्ली से भी जोड दिया गया। एक दूसरी रेल पटरी को नीमच से चित्तौड व आगे अजमेर तक पहुँचा दिया गया। जोधपुर व बीकानेर राज्यों ने मिलकर ई० सन् 1889 में अपनी ही रेल लाइनें चलाई। इसके फलस्वरूप मारवाड जकशन से जोधपुर, मेडता, बीकानेर, भटिण्डा (पजाव) तक रेल लाइनें बनाई गई। एक लाइन मेडता से कुचामण रोड व फुलेरा तक तथा दूसरी लाइन लूणी से हैदराबाद (सिन्ध) तक खोली गई। इन लाइनों के बनने में लगभग 14 वर्ष लगे लेकिन इससे दोनों राज्यों के व्यापार को काफी बढ़ावा मिला व अच्छी आमदनी होने लगी। ई० सन् 1895 में उदयपुर राज्य ने चित्तौड तक तथा जयपुर राज्य ने ई० सन् 1906 में सागानेर से मवाई माधोपुर तक रेल की लाइन बनवाई। इन रेलों के इजन, पटरिया, डिब्बे आदि इंग्लैण्ड से ही आये और इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैण्ड को काफी आर्थिक लाभ हुआ। आरम्भ में यह रेलें, यहां के निवासियों के धन, उनके कई धन्धों और उनके स्वास्थ्य के लिये विनाशकारी और अनेकों गावों को उजाड देने वाली सिद्ध हुईं। लेकिन इनसे आगे चलकर लाभ कम नहीं हुए।

रेल पटरियों के अलावा आगरा से जयपुर, अजमेर व डीसा (पालनपुर राज्य) तक तथा नसीराबाद से चित्तौड होकर नीमच तक मडके बनीं। इससे यातायात व व्यापार की बड़ी सुविधा हो गई तथा अकाल के समय अन्न व चारा लाने ले जाने में भी सुविधा हो गई। यहाँ के लोगों के धार्मिक आचार विचार पर भी रेलों का महत्वपूर्ण प्रभाव पडा और राजस्थानी समाज के सांस्कृतिक ढांचे में आतिवारी परिवर्तन आ गया।

इस काल में विभिन्न राज्यों की डाक पद्धति का भी एकीकरण किया गया और प्रत्येक राज्य में डाकघर व तारघर खुले जो केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहे। यो, जयपुर, उदयपुर आदि राज्यों में उनके डाकघर चलते रहे। ई० सन् 1880 तक सम्पूर्ण राजस्थान में अंग्रेज सरकार के डाकघर स्थापित हो गये। राजस्थान में तार की सर्वप्रथम लाईन ई० सन् 1864 में आगरा से अजमेर तक चालू की गई।

राजस्थान में अनेक तरह के सिक्कों का प्रचलन था। प्रत्येक राज्य के, सिवाय सिरोही राज्य के, अपने पृथक सिक्के थे। ई० सन् 1859 से ही यहाँ के सिक्को पर मुगल बादशाह का नाम लिखा जाना बंद हो गया था। इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया के सिक्के चलने लग गये थे। ई० सन् 1873 के बाद चांदी के रुपये की कीमत घटने लगी तब ई० सन् 1893 में अंग्रेज सरकार ने अपनी टकसालों में रुपया डालना बंद कर दिया जिससे अंग्रेजी रुपये की दर कुछ बढ़ गई। अब इस दर को स्थायी रखने के लिये उन्होंने राजाओं को फूसलाकर उनकी टकसालों को बंद कर दी और उनकी टकसालों के सिक्के चांदी के भाव खरीद लिये। केवल मात्र राज्यों—जयपुर, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर आदि ने फिर भी अपनी टकसालें चालू रखीं। इनके सिक्कों का प्रचलन उन राज्यों की सीमा तक ही रह गया।

अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी कि यहाँ के राज्यों की सैनिक शक्ति बढ़े अतः यहाँ की सेना का पुनः संगठन किया गया। ई० सन् 1870 में लार्ड मेयो ने लिखा—“देशी राजाओं के पास काफी सेनाएँ हैं। वे राजा अपने मित्र हो सकते हैं, लेकिन इनके सैनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।” वे अभी तक यह नहीं भूले थे कि तात्या टोप को देशी राज्यों के विद्रोही सैनिकों से ही सहायता मिली थी अतः उन्होंने ई० सन् 1889 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व अलवर राज्यों में नई सेनाएँ संगठित कराईं जो “इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स” कहलाईं। ये सेनाएँ रियासतों के निवासियों का भर्ती कर बनाईं गयीं और इनके अधिकारी भी भारतीय थे लेकिन इनका प्रशिक्षण व नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इन सेनाओं के कारण अंग्रेज सरकार को भरोसा हो गया कि इन राज्यों की सेना से अब कोई खतरा नहीं है तथा भारत की एकता के लिये यह कहा जाना लगा कि भारत की सुरक्षा के लिये इनका होना आवश्यक है।

अंग्रेजी प्रान्तों में राजस्थान के नमक का निर्यात रोकने के लिए प्रारम्भ में अंग्रेज सरकार ने काफी चौकियाँ स्थापित कीं लेकिन इसमें उनको काफी धन खर्च करना पड़ता था इससे समस्या सुलभ नहीं थी अतः अब साम्भ भील, पंचपदरा भील आदि के नमक का एकाधिकार अंग्रेजों ने ई० सन् 1869-70 में जयपुर व जोधपुर राज्य से सौंप कर ले लिया।<sup>22</sup> अब अंग्रेज सरकार ही नमक का निर्यात करने लगी तथा बेचने लगी। ई० सन् 1879 तथा 1882 के बीच नमक न बनाने तथा नमक पर कोई चुंगी या राहदारी वसूल न करने

के लिए अन्य राज्यों से भी सन्धिया की गई।<sup>24</sup> ई० सन् 1900 में किशनगढ़ राज्य को बाध्य किया गया कि वह साम्भर झील से लगे रूपनगर तहसील के इलाके में सिंचाई के लिए कोई बाध न बाधे तथा कुएँ न खोदे।<sup>25</sup> इन राज्यों को नमक की आमदनी के बदले मुआवजा दिया जाने लगा। इससे यहाँ के राज्यों की आमदनी को ठेस तो लगी ही यहाँ के काफी लोग बेकार भी हो गये। केन्द्रीय सरकार के नमक विभाग को खरी आमदनी ई० मन 1903 के अन्त तक एक करोड़ ग्यारह लाख हो गई,<sup>26</sup> जिसका अर्थ हुआ कि राज्यों की इतनी ही आमदनी समाप्त हो गई। दूसरी ओर नमक तीन गुणा अधिक महंगा हो गया जिसका भार जनता पर पड़ा।

### निरकुश व विलासी नरेश

कुछ राज्यों में सुधार किये जाने से यह नहीं ममझा जाना चाहिये कि राजस्थान की गियासतो के प्रशासन में सामान्यतः सुधार कर दिये गये थे। उनमें अभी तक पुराने ढंग की मध्यकालीन व्यवस्था चली आ रही थी। राजा पूर्णतया स्वेच्छारी थे और उनकी दमनकारी शक्तियों पर कोई रोक नहीं थी। कानून से शासन करने का काम ही विचार किया जाता था। निरकुश राजा मनचाहे ढंग में शासन चलाते थे। मेयो कालेज में शिक्षा प्राप्त राजा केवल दिखावे के लिये आधुनिक ढंग के नरेश बन गये। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के राजनैतिक विभाग द्वारा चयन किये गये दीवाना व मंत्रियों को नियुक्त किया। इन्होंने अंग्रेजी प्रान्तों के सुधारों की नकल करना आरम्भ किया, लेकिन वे सुधार केवल नाम के थे। अब तक अंग्रेजी प्रान्तों में विधान सभाओं के निर्माण के लिये कानून बन गये थे। अतः यहाँ भी जनतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के लिये प्रयत्न किये गये लेकिन वास्तव में यहाँ के राजा निरकुश ही रहे। उनके अपनी प्रजा को दबाये रखने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं थी। अंग्रेजी प्रान्तों में प्रत्येक व्यक्ति की जान व माल की रक्षा के लिये कानून या प्रथा द्वारा कई रोकें लगी हुई थी, और यदा कदा इनके विरुद्ध विभिन्न लोगों को अपमानित करने व नुकसान पहुँचाने तथा यहाँ तक कि हत्या करवा देने की शिकायतें सुनी जाती रहती थी। कई बार स्त्रियाँ भी इज्जत ले लिये जाने की भी शिकायतें हुईं। कई राजा अपने विनासी जीवन के लिये बदनाम थे। उनके रनिवासों में अनेक स्त्रियाँ भरी पड़ी थी। कई राजाओं ने तो वैश्याओं के पीछे राज्य के लासों रुपये उड़ा दिये। जोधपुर नरेश द्वितीय जसवन्तसिंह या एक वश्या नन्ही जान से इतना लगाव था कि स्वामी दयानन्द सरस्वती को



इसके लिये महाराजा की काफी भत्सना करनी पड़ी, लेकिन महाराजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। इसके विपरीत उस वैश्या ने स्वामीजी के रसोइये को अपने पक्ष में कर जहर दिलवा दिया जिसके कारण उनकी ई० सन् 1883 में मृत्यु हो गई। जोधपुर के ही एक दूसरे नरेश सरदारसिंह अपनी शान शौकत बनाये रखने के इतने डचठुक थे कि ई० सन् 1901 को 17 अक्टूबर को जोधपुर नगर में ढिढोरा पिटवाया कि महाराजा जिस दिन इगनण्ड से लौटे तब दीपावली की जाये वरना 100) रुपये जुर्माना किया जायेगा। इन्ही महाराजा से ई० सन् 1903 में फिजूल खर्च के कारण अधिकार छीन लिये गये और पचमढी भेजा गया। ई० सन् 1905 में पचमढी से लौटने पर सीमित अधिकार भी दिये गये। ई० सन् 1908 में इन्हें शासन के पूर्ण अधिकार कुछ शर्तों के अधीन ही दिये गये।<sup>27</sup>

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्यादातर नरेश अंग्रेजों के कुचक्र में फस गये थे और उनके इशारों पर ही शासन चलाने लगे थे लेकिन कुछ नरेश फिर भी स्वतन्त्रता पूर्वक शासन चलाने का प्रयत्न करते थे। ऐसे राजाओं के लिये भी अंग्रेज अधिकारियों का विरोध करना आसान नहीं था। भालावाड नरेश द्वितीय जालिमसिंह ने जब विरोध करने का साहस किया तो उसे ई० सन् 1896 में राजगद्दी से उतार दिया गया।<sup>28</sup> वाद में उसके उत्तराधिकारी न होने से भालावाड राज्य के दो टुकड़े कर दिये गये। केवल मात्र चौमहला और भालरापाटन छावनी के परगनों को मिलाकर भालावाड राज्य की पुनर्स्थापना की गई तथा शेष भाग को पुनः कोटा राज्य में मिला दिया गया और प्रथम जालिमसिंह भाला के ही सम्बन्धी के वंशज को नये भालावाड राज्य का शासक बना दिया गया।<sup>29</sup> इस काल में जब कभी कोई अल्पवयस्क राजा राजगद्दी पर बैठा अंग्रेजों ने अपनी रीजेसी परिपद् उस राज्य में स्थापित कर दी। धोबानेर कोटा, अलवर आदि राज्यों में ऐसा ही किया गया।

### दयानन्द सरस्वती का जागृति सन्देश

अब तक न केवल राजस्थान बल्कि भारत में भी एक राष्ट्र का स्पष्ट रूप नहीं था। अपना प्रांत या राज्य ही जनता के लिये सब कुछ था। हिंदू मुसलमान, मराठा, जाट, राजपूत आदि भेद, इनके एक राष्ट्रीय हाने में रोक लगाये हुए थे। अब नई शिक्षा के प्रभाव से लोग एक राष्ट्र के विषय में सोचने लगे। जब विदेशी विद्वानों ने यहाँ के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारम्भ किया तथा यहाँ के प्राचीन गौरव के विषय में लिखने लगे तब यहाँ के शिक्षितों

ने भी इस ओर ध्यान दिया। इससे उनमें राष्ट्रीय चेतना तथा आत्म-विश्वास जगा तथा अपने राष्ट्रीय रूप को पहचानने का प्रयत्न किया। इस समय भारतीय जनता और विशेषकर राजस्थान की जनता को जागृत करने वालों में स्वामी दयानन्द प्रमुख थे। वह भारत को उन्नत, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी तथा शक्तिशाली बनाना तथा स्वतन्त्र देखना चाहते थे। इसके लिये उसने धर्म और समाज सुधार को प्राथमिकता दी। उसने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी अपने ग्रन्थों में काफी लिखा। स्वयं गुजराती होते हुए भी हिन्दी को सामान्य जनता की भाषा के रूप में अपनाया और इस कारण न केवल हिन्दी में ग्रन्थ लिखे बल्कि भाषण भी दिये। धौलपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, आदि राज्यों में रहकर उसने न केवल राजघरानों बल्कि सामान्य जनता में जागृति उत्पन्न की। स्वामी दयानन्द ही पहला व्यक्ति था जिसने यह भावना जागृति की—“कोई कितना भी करे परन्तु स्वदेशी राज्य सर्वश्रेष्ठ होता है। माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया रखते हुए भी विदेशियों का राज्य सुखदाई नहीं हो सकता है।”<sup>७७</sup> अपने इन अनुभवों का प्रचार उसने राजस्थान के विभिन्न राज्यों में किया। ये विचार शीघ्र ही भारतीय भाषा के समाचार पत्रों द्वारा भारत भर में फैल गये। अंग्रेज सरकार ने प्रेस के काले कानून बनाकर ऐसे विचारों को रोकने का प्रयत्न भी किया लेकिन विफल रही। स्वामी दयानन्द ने अछूतोंद्वारा, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा आदि पर काफी जोर दिया जिसका प्रभाव न केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रान्तों पर भी पड़ा। स्वामी दयानन्द के ही शिष्यों—श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरीसिंह वारहट आदि ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये सशस्त्र क्रान्ति के बीज बोये। स्वामी दयानन्द के अलावा स्वामी विवेकानन्द ने भी राजस्थान में रहकर लोगों में जागृति पैदा की। उसने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता बतला कर लोगों में आत्म विश्वास जगाया।

### राष्ट्रीयता का उदय

पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण सबसे बड़ा लाभ भारतीयों को राजनैतिक जागृति का मिला। इस शिक्षा को प्राप्त कर भारतीयों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, राजनैतिक अधिकार प्राप्ति के लिये चेतना आई। इसके कारण देश के विभिन्न प्रान्तों में राजनैतिक संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें 'इण्डियन एसोसियेशन' मुख्य है। ब्राह्मसमाज तथा आर्य समाज ने तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व समाज में समानता की भावना भरने में कोई कसर नहीं रखी। आर्य समाज ने सम्पूर्ण भारत के लिये एक ही धर्म तथा संस्कृति स्थापित करने

का उद्देश्य बनाया। स्वामी दयानन्द ने ही सबसे पहले 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ही सबसे पहले हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा बतलाया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीयता की लहर तेजी से फैलने लगी।

उन्नीसवीं शदी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेजों को मुसलमानों पर पूरा भरोसा नहीं था। वे मुसलमानों का रक्त 1857 के महान् विद्रोह में देख चुके थे। अतः उन्होंने हिन्दुओं पर भरोसा करने की ठानी ताकि आपत्तिकाल में वे काम आ सकें लेकिन साधारण लोग अज्ञानता व गरीबी के कारण खुद ही परेशान थे। शिक्षित मध्यम वर्ग राजनैतिक रूप से सक्रिय था लेकिन उस पर निश्चित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनमें सामाजिक व आर्थिक कारणों से काफी असंतोष था। यह देखकर उन्हें यहाँ के राजाओं, बड़े जमींदारों, जागीरदारों आदि की महायत्ना लेना का सोचना पड़ा।

राजाओं के साथ की गई सन्धियों की शर्तों की व्याख्या इस प्रकार अंग्रेजी सरकार करती रही कि वे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आते ही गये। इसी से उनकी मर्यादा भी घटती चली गयी। जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठता था तब उसे मायता देना या न देना इंग्लैण्ड के बाहुशाह या उसके प्रतिनिधि वायसरॉय पर निर्भर था। यदि किसी नावालिग को राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता तो ब्रिटिश सरकार नावालिगी के दौरान उस राज्य का शासन भार अपने ऊपर ले लेती थी। सामान्यतः किसी राज्य में अव्यवस्था फैलने पर राजा को गद्दी से हटा देती थी। इस अधिकार को ब्रिटिश प्रभुसत्ता का नाम दिया गया।<sup>1</sup> प्रभुसत्ता को आपत्तिकाल में रियासतों के सारे साधनों पर असिमित अधिकार प्राप्त थे। रियासतों की सेना पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के निर्देशन में ही काम करती थी। इसी प्रकार संचार के सारे साधन—रेल, तार, डाक आदि भी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते थे।

अब तक अंग्रेजी शासन के प्रति जनता में असंतोष काफी फैल गया था। सरकार द्वारा गोरों व कालों के बीच भेद-भाव न केवल सरकारी नौकरियों वलिक्रम वाय करने में भी रखना, आर्थिक नीति में इंग्लैण्ड के हितों को भारत के विरुद्ध प्राथमिकता देना, आदि के कारण जनता समझने लग गई थी कि इन

बुराईयो का अत अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त कर पूण स्वाधीनता प्राप्ति पर ही हो सकता है। अंग्रेज भी यह समझने लगे कि इस असन्तोष के कारण कहीं यहा विप्लव न हो जाये, जिससे सरकार के अस्तित्व को ही खतरा हो जाये। अत ऐसी कोई सस्था का होना आवश्यक है जो सरकार की कमियो तथा उनको सुधारने के विषय मे सुभाव दे सके तथा जनता को भी यह बता सके कि सरकार उनके लिये क्या काम कर रही है। यो इस समय भारत मे “इण्डियन एसोसियेशन”, नामक सस्था सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता मे राजनैतिक कार्य कर रही थी लेकिन अंग्रेजो को उसके विचार ज्यादा प्रगतिशील तथा उग्र लगे। अत एक नई सस्था की स्थापना की और उनका ध्यान गया।<sup>32</sup>

### कांग्रेस की स्थापना

अंग्रेजी साम्राज्य की छत्र-छाया मे भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने ‘इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ की स्थापना ई० सन् 1885 मे की।<sup>33</sup> इसकी स्थापना पर तत्कालीन वायसराय लाड डफरीन ने आशीर्वाद दिया तथा कई अधिकारियो ने इसके सम्मेलन मे भाग लिया। इसका प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू० सी० बनर्जी को बनाया गया जो अंग्रेजी सभ्यता मे पूर्णतया रगा हुआ था तथा राजनैतिक आंदोलनो से दूर रहने मे ही कांग्रेस का हित समझता था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन मे भारत के विभिन्न प्रान्तो के 72 प्रतिनिधियो ने भाग लिया जिनमे दो मुसलमान थे। इस अधिवेशन मे भाषण बादशाह के प्रति आदर दिखाने दिये गये लेकिन फिर भी इंग्लैण्ड की जनता ने कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजी सरकार के लिए एक बडा खतरा बतलाया।<sup>34</sup> भारत मे कांग्रेस की स्थापना से जनता मे राजनैतिक चेतना और भी ज्यादा बढ़ी। उस समय की चालू राजनैतिक सस्थाएं इसके सामने बौने जैसी लगने लगी। अब कांग्रेस ही भारत की मुख्य राजनैतिक सस्था बन गई जिसके इद-गिद रहते अ्य सस्थाओ और व्यक्तियो ने राजनैतिक प्रगति मे योग दिया जिसके फलस्वरुप आगे चलकर भारत स्वतन्त्र हुआ। प्रारम्भ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशी रियासतो के मामलो मे कोई दिलचस्पी नही लेती थी। अपने प्रारम्भिक तीस वर्षो मे केवल एक बार ही कांग्रेस ने देशी राज्यों के मामले मे दिलचस्पी ली। ई० सन् 1896 मे जब भालावाड नरेश जालिमसिंह को पदच्युत किया गया तत्र कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेज सरकार को न्यायिक जाच किये बिना किसी भी

नरेश को राजगद्दी से नहीं हटाना चाहिये। इस प्रस्ताव की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।<sup>35</sup>

अंग्रेजों की ही प्रेरणा से स्थापित कांग्रेस वाद के तीस वर्षों तक अंग्रेजों की आँखों में खटकती रही। सरकार द्वारा कांग्रेस के द्वारा पारित प्रस्तावों की कोई परवाह नहीं की जाती थी। ई० सन् 1897 तक कांग्रेस भी केवल प्रस्ताव पास करना ही अपना मुख्य धर्म समझती रही। ई० सन् 1898 में बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस में प्रवेश हुआ। उसी वर्ष लार्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। तिलक के हृदय में देश के लिए कुछ करने की लालसा थी और लार्ड कर्जन के हृदय में भारत को पूर्णतया दबा रखने की इच्छा थी। तिलक ने अपना नारा दिया—“स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और वह हम अवश्य प्राप्त कर रहूँगा।”<sup>36</sup> लार्ड कर्जन के विचार थे—“भारत एक पिछड़ा देश है। वह किसी भी दशा में पश्चिमी राष्ट्रों की बराबरी नहीं कर सकता है। अतः यहाँ की नई राजनैतिक चेतना को समाप्त कर रहूँगा।”<sup>37</sup>

तिलक ने देखा कि कांग्रेस ने केवल प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजने का उद्देश्य बना रखा है, जो ठीक नहीं है। केवल पत्र भेजने से भारत का कोई भला नहीं होने का है। भारत का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना है और उसकी प्राप्ति के लिये शिवाजी जैसे वीरा के पथ का अनुगमन करना पड़ेगा। अत्याचार के सामने झुकना अपनी निबलता है। अत्याचार का सामना शक्ति से ही करना पड़ेगा। तिलक के ऐसे ही विचारों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर भाइयों ने पूना के क्लब-रूम को मार डाला क्योंकि उसमें अंग्रेज सैनिकों ने पूना की जनता को काफी परेशान कर रखा था। सरकार ने इसका अप्रत्यक्ष अपराधी तिलक को माना और उसे राजद्रोह के अपराध में 18 माह की सख्त सजा दे दी। तिलक को इस प्रकार सजा दिये जाने के कारण भारत में राष्ट्रीयता की लहर और तेजी से फैली। अब लेख लिखने व भाषण देने से ज्यादा त्याग व कष्ट सहने को सराहा जाने लगा। अब तब कांग्रेसी यही मोचते थे कि भारत में अंग्रेजी राज ईश्वर की देन है और हमें आशा है कि उनके संरक्षण में संवैधानिक ढंग से भारत एक दिन स्वराज्य पा लेगा। तिलक जैसे नये राष्ट्रवादी कहने लगे कि “यदि इस प्रकार आशा किये बैठ रहे तो स्वराज्य कभी प्राप्त नहीं होगा। विदेशी तो और ज्यादा जमा रहने या प्रयत्न करेगा। अतः संवैधानिक ढंग से आन्दोलन करना

व्यर्थ है क्योंकि भारत में कोई मविधान है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है वह प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से हो रहा है। अतः हमारे लिये उनके आदेशों की पालना करना आवश्यक नहीं है।" कांग्रेस के कई नेताओं ने इन राष्ट्रवादियों के विचारों को बेकार व भयानक बतलाया।<sup>8</sup> ई० सन् 1905 से नये राष्ट्रवादियों के विचारों व कार्य-प्रणाली से उनका काफी मनमुटाव हो गया। अतः महत्त्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्नों व समस्याओं में भी यह बातें देखी जाने लगी।

### हिन्दू मुस्लिम भेद-भाव

लगभग 700 वर्षों तक हिन्दुओं व मुसलमानों के साथ-साथ रहने के कारण उनके आपसी भेदभाव काफी कम हो गये थे। अंग्रेजों द्वारा भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिये जाने के कारण मुसलमान अंग्रेजों के ज्यादा विरुद्ध थे जबकि हिन्दू मुसलमानों के अत्याचारों से छूट जाने के कारण अंग्रेजों के प्रति शत्रुता नहीं रखते थे बल्कि उन्हें अपना हितैषी समझते थे। इसी कारण हिन्दुओं ने अंग्रेजी शिक्षा को शीघ्र अपनाया लेकिन मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। हिन्दू अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर राजनैतिक दृष्टि से जागृत हो गये और अब स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। अंग्रेजों ने इसमें खतरा समझा और अब इस कारण वे हिन्दुओं के प्रति सशक्त रहने लगे तथा मुसलमानों को, जो अब तक पूर्णतया जागृत नहीं हुए थे, हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काने लगे कि यहाँ स्वराज्य हो गया तो बहुसंख्यक हिन्दू अल्प-संख्यक मुसलमानों को गुलाम बना देंगे। उनके नेता सैयद अहमद ने ई० सन् 1888 में एक भाषण में कहा था कि "हिन्दुओं तथा मुसलमानों के दो राष्ट्र होने चाहिये क्योंकि यदि कभी अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये तो दोनों एक समान राजनैतिक जीवन नहीं बिता सकेंगे। दोनों में से कोई एक विजयी होकर दूसरे को दबा कर ही रह सकेगा।" उसने यहाँ तक कहा कि "यदि बहुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार बन गई तो अल्प-संख्यक मुसलमान तलवार के जोर से अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे।"<sup>9</sup> इस प्रकार प्रारम्भ से ही मुसलमानों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया।

अंग्रेजों ने हिन्दुओं व मुसलमानों के अलगाव को और ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने हितों के लिये इस अलगाव का प्रयोग किया और उसी के फलस्वरूप आगे चलकर पाकिस्तान की मांग ई० सन् 1930 से की जाने लगी कि "हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, रीति-रिवाज, साहित्य, आर्थिक पद्धति,

उत्तराधिकार, विवाह आदि के नियम हिन्दुओं से पूर्णतया भिन्न हैं। मोटे रूप से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से भी भिन्न है। हिन्दुओं व मुसलमानों में खान-पान व विवाह का भी सम्बन्ध नहीं है।”

लाड कजन ने यही देख कर राजनैतिक दृष्टि से सर्वाधिक जागृत बंगाल प्रान्त को विभाजित कर दिया ताकि एक भाग में मुसलमान बहुसंख्यक हो जावे और दूसरे भाग में हिन्दू बहुसंख्यक। इस प्रकार भारत के प्रमुख धर्मावलम्बियों को विभाजित कर एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने की पहली बार चेष्टा की गई। बंग भंग की यह योजना 16 अक्टूबर, 1905 के दिन लागू की गई। इस योजना को देश-घाती समझकर तब सम्पूर्ण भारत ने इसका विरोध किया। उस दिन हड़ताल हुई तथा लोगों ने व्रत रखे। महात्मा गांधी ने इस विषय में लिखा था—“भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के पश्चात् हुआ और वह दिन अंग्रेजी साम्राज्य के विभाजन का दिन माना जा सकता है। बंगाल में जो जागृति आई वह शीघ्र ही उत्तर में और दक्षिण में केप कमोरीन तक फैल गयी।”<sup>40</sup>

### बंग भंग के बाद

बंग भंग के बाद भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गया। जनता को यह पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेजों के भारत में रहते उनकी स्थिति सुधरने की नहीं है। अतः जनता में अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी माल को अपनाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा लेने की भावना जागृत हुई। अपनी आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति सुधारने के लिये इससे अच्छा और कोई तरीका था भी नहीं। कांग्रेस ने इस आन्दोलन की स्वीकृति दे दी यद्यपि फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नम्र दलीय नेता इसके विरुद्ध थे। उनके विचार से ऐसे अग्रगामी तरीकों से कांग्रेस के नष्ट होने का खतरा था लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ न हुआ। इसी समय जापान ने रूस पर विजय प्राप्त कर सत्कार को बतला दिया कि पश्चिमी राष्ट्र अंग्रेज नहीं हैं। अतः भारतीय भी अंग्रेजों को शक्ति का प्रयोग कर देश से बाहर कर सकते हैं। राष्ट्रवादी यह सोचकर सशस्त्र क्रान्ति का सोचने लगे।<sup>41</sup>

### राजस्थान में आतङ्कवादी गतिविधियाँ (1905-1914)

राजस्थान में स्वामी दयानन्द व स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों का नययुवकों पर काफी प्रभाव पड़ा था। उनके हृदयों में जातीय आत्माभिमान

पुन जागृत हो चुका था। श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रान्तिकारियों ने यहाँ रहकर उनको स्वतन्त्रता प्राप्त के लिये प्रयास करने को उकसाया। वाद में भारत के स्वदेशी आन्दोलन का भी राजस्थान पर प्रभाव पड़ा। यहाँ भी स्वदेशी माल व राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार हुआ। सिरोही राज्य में तब ही "सम्प सभा" स्थापित हुई। जनता ने इस सभा के कार्यक्रमों में बड़ी रुचि बतलाई। पिछड़े वर्गों में इससे बड़ी चेतना आई। इसकी प्रगति देखकर अंग्रेजी सरकार चौंकी और ई० सन् 1908 में सैनिक कारवाई कर इस सभा को ही समाप्त कर दिया।

व्यावर में दामोदर दास राठी क्रान्तिकारी विचारों का व्यक्ति था। वह सशस्त्र क्रान्ति में विश्वास करता था। अतः उसने क्रान्तिकारियों को सहायता देना प्रारम्भ किया। कई क्रान्तिकारी उसके घर में शरण लेने लगे। अंग्रेज सरकार ने जब गर्म दल वालों तथा क्रान्तिकारियों का दमन आरम्भ किया तब कई क्रान्तिकारी राजस्थान में विशेषकर व्यावर व अजमेर नगर में आ छिपे। इसी कारण दामोदर दास राठी के घर की तलाशी भी ली गई। ई० सन् 1907 में जयपुर में अजु नलाल सेठी द्वारा जैन वर्द्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त कर यहाँ के छात्रों में देश-भक्ति व बलिदान की भावना जागृत हुई। कई क्रान्तिकारी यहाँ बराबर आया जाया करते थे। अतः यहाँ क्रान्ति के लिये एक अच्छा दल बन गया जिसमें शाहपुरा का फेसरीसिंह वारहठ, खर्वा का गोपालसिंह, व्यावर का दामोदरदास राठी व जयपुर का अजु नलाल सेठी मुख्य थे।

क्रान्तिकारियों के लिये यह आवश्यक था कि वे शस्त्रों को इकट्ठा करें या बनायें। अस्त्र-शस्त्र राजस्थान के राज्यों में ही प्राप्त हो सकते थे क्योंकि यहाँ तब तक शस्त्र कानून लागू नहीं हुआ था। अतः क्रान्तिकारियों ने शस्त्रों का संग्रह करने के लिये एक गूजर नवयुवक भूपसिंह को ई० सन् 1912 में अजमेर भेजा। यहाँ रहते भूपसिंह ने न केवल शस्त्रों का संग्रह किया बल्कि बंदूकों की मरम्मत करना, बारतूस बनाना व भरना भी सीख लिया। उसने ई० सन् 1913 में "वीर भारत समाज" नामक संस्था क्रान्ति का प्रशिक्षण देने के लिये स्थापित की। ऐसी ही संस्थाएँ भारत के अन्य प्रान्तों में भी स्थापित हुई थीं। यथा बम्बई प्रांत में "अभिनव भारत", मध्य भारत में "आय बाँधव समाज", बंगाल में "अनुशीलन समाज" आदि। राजस्थान के कुछ नरेश-बीबानेर के गंगासिंह, उदयपुर के फतहसिंह व कोटा के उम्मेदसिंह,



इस गुप्त सैनिक संगठन से छिपे तौर पर सहानुभूति रखते थे तथा सहायता देते रहते थे।<sup>42</sup> उनके विचार से यह सशस्त्रक्रान्ति सफल होने को थी। अतः वे आशा लगाये बैठे थे कि अंग्रेजों के जाते ही वे पुनः स्वतन्त्र हो जायेंगे तथा प्रान्त की वागडोर उनके हाथों में आ जायेगी।

क्रान्तिकारियों को अपना कार्यक्रम चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती तो कई वार वे डकैनी करके अपना काम चलाते थे। ई० सन् 1913 में अजु नलाल सेठी के चार छात्रों—मोतीचन्द्र, माणकचन्द्र, जयचन्द तथा जोरावरसिंह (केसरीसिंह का भाई) ने बिहार प्रान्त के आरा जिले के निमेज गाव के एक महन्त की हत्या कर दी। इसके पूर्व सन् 1912 में जोधपुर के प्यारैराम साधु की हत्या कोटा में कर दी गयी। हत्या करने वालों में लक्ष्मीलाल, हीरालाल, केसरीसिंह, नारायणसिंह, जोरावरसिंह और त्रिवेणी दास उपनाम 'लहेरी' थे। इस साधु को फुसला कर कोटा ले गये और वहाँ लहेरी ने कटार भोक कर हत्या कर दी। वहाँ राजपूत बौद्धिग में मारकर लाश गाड़ दी गयी। लगभग 6 माह बाद लाश निकाल कर जला दी गई। जोरावरसिंह की आरा (बिहार) वाले मुकदमे में भी जस्ूरत थी।<sup>43</sup> आरा निमेज के साधु की हत्या (20 मार्च, 1913) का मुकदमा चला उसमें भी यहीं अभियुक्त था। जोरावरसिंह के भाई केसरीसिंह को कोटा केस में आजम कारावास की सजा हुई। इन्हें हजारों वाग जेल भेज दिया गया। बाद में यह सजा 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दी गयी। और सन् 1919 में उसे 5 वर्ष की सजा भुगतने के बाद कारावास से मुक्त कर दिया गया। जोरावरसिंह बिहार के आरा केस में आजन्म फरार रहे। इनके मझले भाई किशोरसिंह के बड़े पुत्र प्रतापसिंह को बनारस पडयत्र केस में 5 वर्ष का कारावास दिया गया। वह 22 वर्ष की अल्पायु में वरेली जेल में शहीद हो गया। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक ने उसके लिये लिखा था कि "मैंने आज तक प्रतापसिंह जैसा वीर तथा विलक्षण बुद्धि का युवक नहीं देखा। उसे सताने में हमने कोई कसर नहीं रखी परन्तु वह टस से मस नहीं हुआ।" अंग्रेज सरकार को राजस्थान के कुछ लोगों पर सदेह था अतः क्रान्तिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखती थी लेकिन फिर भी इनकी कारवाइया चलती रही। भूपसिंह खर्वा के गोपालसिंह का कामदार बन गया। एक क्रान्तिकारी बालमुकुन्द जोधपुर के महाराजा सुमेरसिंह का शिक्षक नियुक्त हो गया तथा एक अन्य क्रान्तिकारी बीवानेर राज्य को सेवा में नियुक्त हो गया।

इनकी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ और ज्यादा चलती लेकिन ई० सन् 1913 के लाहौर बमकाण्ड के सिलसिले में जब अर्जुनलाल सेठी का एक छात्र शिवनारायण पकड़ा गया तो उसने सब भेद खोल दिया। तत्काल केसरीसिंह, हीरालाल जालोरी, लहेरी व रामनारायण पकड़े गये और उन्हें 20 वर्ष की सख्त कैद की सजा दे दी गई। उनकी कुल सम्पत्ति जब्त कर ली गई। जयपुर राज्य द्वारा तग किये जाने व आर्थिक अभाव के कारण अर्जुनलाल सेठी ने अपनी जैन पाठशाला इन्दौर स्थानांतरित कर दी। वहाँ वह 1914 में कैद कर लिया गया और उसके विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित न होने पर भी उसे पाँच वर्ष तक नजरबन्द ही रखा गया। अंत में वह 1920 के आरम्भ में जेल से छोड़ा गया। इस कारण 1914 के बाद के वर्षों में राजस्थान में क्रान्तिकारियों का संगठन टूट गया।

### प्रथम विश्व युद्ध

ई० सन् 1914 की 4 अगस्त को यूरोप में इंग्लैण्ड का जर्मनी से युद्ध छिड़ गया। भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का ही एक भाग होने के कारण इस युद्ध में भाग लेना पड़ा। जर्मनी को ऐसा विश्वास था कि जब इंग्लैण्ड विपदा में पड़ेगा तब भारत में उसके विरुद्ध विद्रोह हो जायेगा लेकिन इसके विपरीत भारत के सभी वर्गों के लोगो ने अंग्रेजों के प्रति स्वामी-भक्ति बतलाई। स्वयं अंग्रेजों को भारत से इतनी सहायता की आशा नहीं थी। महात्मा गाँधी जैसे राष्ट्रवादी नेता ने सैनिक सेवा में जाने का विचार प्रकट किया। ई० सन् 1914 के कांग्रेस अधिवेशन में बड़े धमक से अध्यक्ष ने कहा—“अपनी इज्जत, स्वतन्त्रता व न्याय के लिये भारतीय अंग्रेजों के साथ अपना खून बहा रहे हैं।” अगले वर्ष 1915 में कांग्रेस अधिवेशन में पुनः कहा गया कि—“विश्व की इन सकटमय घड़ियों में, भारत को अंग्रेजी राष्ट्र को यह बतलाना है कि पिछले 150 वर्षों में उनके शासन के अन्तर्गत उन्हें जो शांति तथा समृद्धि मिली है उसके उपलक्ष में हम यह बलिदान कर रहे हैं।” इस युद्ध में हजारों भारतीय जवानों ने भाग लिया व अपना खून दिया। उस समय सभी भारतीय युद्ध की परिस्थितियों को भारत की राजनैतिक प्रगति हेतु मोड़ना चाहते थे। गांधीजी ने युद्ध के बाद वायसरॉय को लिखा था—“यह सत्य है कि हमारा सहयोग देने का कारण यह था कि हम आशा करते थे कि हम अपने उद्देश्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। इसी विश्वास से ज्यादातर सदस्यों ने सरकार को खुले हृदय से सहयोग दिया।” राजस्थान का भी इस युद्ध में कोई कम योगदान

नहीं रहा। यहाँ के राजाओं को पता था कि यदि अंग्रेज हार गये तो उनकी काफी दुर्गति होगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष खुले हृदय से व उदारता से लिया।<sup>45</sup> सभी नरेशों ने युद्ध में स्वयं जाने के लिये अंग्रेज सरकार को लिखा। उन्होंने अपने राज्य की सेनाएँ धन आदि देने की इच्छा प्रकट की। इनमें वीकानेर नरेश अग्रगामी था। जोधपुर के प्रतापसिंह, जो उस समय लगभग 70 वर्ष का था, ने भी युद्ध में भाग लिया। वायसराय ने जोधपुर, वीकानेर व किशनगढ़ के नरेशों को युद्ध में भाग लेने के लिये चुना। भारत की इन सैनिक सेवाओं को देखकर ई० सन् 1915 में इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री ने भारत की सेवाओं की सराहना की और इसके फलस्वरूप भारत के भावी राजनैतिक प्रश्नों को सहानुभूति-पूवक निपटाने का आश्वासन दिया।

युद्ध के अंत तक वीकानेर के 2592, किशनगढ़ के 38, जयपुर के 1181, डूंगरपुर के 100 व करौली के 400 सैनिक भर्ती किये गये। राज्यों ने काफी धन भी दिया। जोधपुर ने 35,96,095 रुपये, वीकानेर ने 42,08,865 रुपये, जयपुर ने 1,65,000 रुपये, धौलपुर ने 1,21,000 रुपये, भालावाड ने 3,25,375 रुपये, किशनगढ़ ने 27,000 रुपये, कोटा ने 1,40,572 रुपये तथा बूंदी ने 1,82,700 रुपये दिये। कई प्रकार के युद्ध-ऋण भी विभिन्न राज्यों ने दिये। इस प्रकार राजस्थान ने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा बतलाई। विभिन्न नरेशों से सहायता प्राप्त कर अंग्रेज जमनी पर 1918 में विजय प्राप्त कर सके। राजस्थान के कई जवान युद्ध में मारे गये तथा लाखों रुपये अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिये खर्च किये। इनका भार राजस्थानी जनता पर ही पड़ा। इस युद्ध में भाग लेने के कारण राजस्थान को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी प्राप्त हुआ। राजस्थानी सैनिकों के अन्य भारतीय सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लेने तथा युद्ध काल में प्रशासन को ठीक ढर्र रखने के लिये एक समान प्रशासनिक कार्यवाहियों ने अंग्रेजी जनता की जनता को काफी निवृत्त ला दिया। विदेशों से लौटे सैनिक की भावना को देख चुके थे। अतः वेसी ही वे भी यहाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति की सो

बड़ी रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध कर दिया जायेगा। राजाओं के शासन में कोई गड़बड़ी होने पर इसकी जांच एक कमीशन द्वारा कराई जायेगी।”<sup>46</sup> इस प्रकार के आश्वासन पाकर राजा लोग फूले न समाये। वे और ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य के भक्त बन गये।

अत तक राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों के लिये कोई मांग नहीं कर पाती थी। यों उनका ग्याल कर भारत सरकार ने राजाओं को आदेश दिया कि वे अपना निजी खर्चा राज्य की आमदनी का दस प्रतिशत तक रखे। उनके अन्य अधिकारों को भी कम किया गया। यह सब कुछ करते भी राज्यों की प्रजा के अधिकारों व स्वतन्त्रता के लिये कुछ नहीं किया गया। अत यहाँ की प्रजा में असन्तोष बना ही रहा। यह भी सत्य है कि यहाँ के राजाओं को यह भान नहीं था कि भारत में राजनैतिक जागृति तेजी से आ रही है और अब राज्यों के लिये आवश्यक हो गया है कि वे अपने शासन को जनहित के लिये सुधारे लेकिन फिर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की।

### जन आन्दोलन

लार्ड कर्जन की उग्र नीति के कारण अंग्रेजी प्रान्तों में जो राजनैतिक हलचल तथा तीव्र विरोध की भावना फैली उससे घबरा कर अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों को अपने पक्ष में करने के लिये उन्हें शासन के मामलों में काफी छूट दे दी। अब राज्यों के आन्तरिक मामलों में कम ही हस्तक्षेप किया जाने लगा तथा उन पर अनुचित दबाव डाला जाना भी बन्द कर दिया गया। उनके प्रति विश्वास और सहयोग की नीति बरती जाने लगी। ई० सन् 1911 में वादशाह पंचम जाज ने दिल्ली में राजदरबार किया तब भारतीय नरेशों ने भी अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन किया। उदयपुर के महाराणा फतहसिंह भी वादशाह से मिले लेकिन वह न तो शाही जुलूस में सम्मिलित हुए और न दरबार में ही उपस्थित हुए।

कई नरेश अब यह समझने लगे कि जनता अब उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना की मांग करेगी। अंग्रेजी प्रान्तों में चल रही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लहर से यहाँ की जनता खूब प्रभावित होने लगी। अत वीकानेर नरेश गंगासिंह ने अपने शासन काल की रजत जयन्ती के अवसर पर ई० सन् 1912 में वीकानेर राज्य में “प्रतिनिधि सभा” स्थापित करने की घोषणा कर दी। इस सभा में 27 नामजद सदस्य (19 कमचारी, 8 गैर सरकारी), 5 ताजीमी सरदार और जागीरदार व 3 अन्य सदस्य, 18 निर्वाचित

सदस्य (11 नगरपालिकाओं से, 3 सरदारों से व 4 जमींदारों से) रखे गए।<sup>47</sup> नगरपालिकाओं, सरदारों व जमींदारों की ये सस्थाएँ राज्य के द्वारा निर्मित सस्थाएँ थीं। अतः इस सभा को जनता की प्रतिनिधि सस्था कहना केवल धोखा देना मात्र था, फिर भी उस समय को देखते हुए यह एक प्रगतिशील कदम था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति की लातसा अब धीरे-धीरे गावों में भी फैल रही थी। नवजागरण की यह किरण ई० सन् 1916 में उदयपुर राज्य के जागीरी ठिकाने विजोलिया में दिखाई दी, जहाँ के काश्तकारों ने ठिकाने की अनुचित लागवागी तथा अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। उन्होंने उस वष में ठिकाने का लगान देना बन्द कर दिया और काश्त करना छोड़ दिया। उनके इस आन्दोलन का मुख्य नेता साधु सीताराम था।

प्रथम महायुद्ध के आरम्भ के कुछ समय बाद ही भारत के कुछ क्रांतिकारी—हरदयाल, महेन्द्रप्रताप आदि जमन सम्राट से मिले और भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। उस समय भारत में बहुत कम अंग्रेजी सेना थी तथा जो सैनिक थे वे पूर्णतया प्रशिक्षित नहीं थे अतः उनसे आसानी से निपटा जा सकता था। यह सोचा गया कि यदि क्रांतिकारी एक वर्ष तक जम सकें तो अंग्रेजों के शत्रु उनकी सहायता कर देंगे और यहाँ युद्ध में लगे रहने के कारण भारत की आसानी से स्वतन्त्रता मिल जावेगी। अतः क्रांति आरम्भ करने की तिथि सन् 1915 की फरवरी 21 निश्चित की गई जबकि भारत के सबसे बड़े शस्त्रागार फिरोजपुर पर कब्जा किया जाना था। उसके बाद अन्य स्थानों पर क्रांति होनी थी। राजस्थान में गोपालसिंह तथा दामोदरदास राठी को ब्यावर तथा भूपसिंह को नसीराबाद पर कब्जा करने का भार साँपा गया। सब प्रकार से तैयारियाँ हो गईं लेकिन निर्धारित तिथि के पूर्व ही एक भेदिये ने सब बातें सरकार को बतला दी। अतः इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के इन क्रांतिकारियों को मेवाड़ व मेरवाड़े की सीमा पर स्थित टाडगढ़ में नजरबन्द कर दिया गया। लगभग एक पखवाड़े तक नजरबन्द रहने के बाद ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए।<sup>48</sup> भूपसिंह अब विजयसिंह पथिक के नाम से विजोलिया में जाकर रहने लगा। उसने किसानों के आन्दोलन को और बढ़ावा दिया। ई० सन् 1917 में राज्य की पुलिस की सहायता से लगान के अलावा युद्धकोष के लिए धन वसूल किया जाने लगा। पथिक का नेतृत्व पाकर उन्होंने कुछ भी देने से इन्कार कर दिया।

उदयपुर के अग्रेज रेजीडेंट को जब यह पता चला तो उन्होंने पथिक की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया लेकिन पथिक भेप बदलकर वहा से बूढ़ी होकर चोटा चले गये। अब किसानो का नेतृत्व एक दूसरे नेता माणकलाल वर्मा ने सम्भाल लिया। उसके सहायका मे जयसिंह धाकड, भवरलाल सुनार, प्रेमचन्द भील व घनश्याम जोशी थे। ई० सन् 1916 मे वहा वर्पा के अभाव से फमलें कम हुई लेकिन फिर भी वाश्तकारो को लगान के लिए तग किया जाने लगा। उदयपुर के महाराणा ने वाश्तकारो को राहत देना उचित समझा लेकिन अग्रेज अधिकारिया ने, इसमे वाश्तकारो को बढावा मिलेगा की आशका बताकर मना कर दिया और दमन करने के लिए पुलिस भेज दी। ग्रामीणो पर गोलिया चलाई गई तथा गावो को लूटा व जलाया तक गया लेकिन किसानो ने सब यातनाएँ सह ली। उन्होने अपने क्षेत्र मे पचायती राज्य स्थापित कर लिया और चर्चों व तर्कों का घर-घर प्रचार कर गृह उद्योगो को बढावा दिया।<sup>49</sup> उनकी आत्म-निभरता व सगठन क्षमता के कारण राज्य को भुजना पडा। ई० सन् 1922 मे ठिकाने से किसानो का राजपूताना के ए०जी०जी० की मध्यस्थता से 1922 मे समझौता हुआ। इसके अनुसार अधिनाश कर माफ कर दिये गये, बेगार उठा दी गयी और लगान घटा दिया गया। किसानो की पचायत को मायता दे दी गयी।<sup>50</sup> विजोलिया किसान आन्दोलन की भांति ही उदयपुर राज्य के एक और ठिकाने वेगू मे भी किसान आन्दोलन हुआ।<sup>51</sup> आन्दोलनो की यह लहर और भी जागीरी गावो मे फैलने लगी। आन्दोलनकारी नेताओ का तंत्र खूब महत्त्व बढ गया। जनता को यह विश्वास हो गया कि यदि वे मगठित हो जावेंगे तो वे अपनी मांगों को मनवा भी सकते ह।

### प्रथम महायुद्ध के पश्चात्

सन् 1917 की 20 अगस्त को भारत सचिव माट्यू ने घोषणा की कि भारत मे उत्तरदायी सरकार बना दी जावेगी और इसके लिये यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। भारतीय नेता बहुत ही प्रसन्न हुए लेकिन शीघ्र ही उहे निराश होना पडा। महायुद्ध के समाप्ति के बाद ही प्रधानमंत्री लायड जार्ज ने 22 नवम्बर 1918 को स्पष्ट कर दिया कि अग्रेजी सरकार की यह नीति है कि "धीरे-धीरे भारत मे उत्तरदायी सरकार स्थापित की जावे इसके लिये हम कायवाही कर रहे है।" अत अग्रेजी सरकार की मशा अब स्पष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध मे अग्रेजो की हार्दिक सहायता करो

के बाद भी भारत के संविधान में नाम-मात्र के सुधार किये गये। कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त तथा व्यर्थ माना। कांग्रेस ने अब पुनः अपना उद्देश्य "शान्तिपूर्ण ढंग से स्वराज्य की प्राप्ति" दोहराया।<sup>52</sup> इसकी प्राप्ति के लिये कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाया। भारत सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के लिये नये कानून बनाये जिनमें रोलेट एक्ट सबसे ज्यादा दमनकारी कानून था। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व मोहनदास कमचन्द गांधी कर रहे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए 6 अप्रैल 1919 को गाम हड़ताल करने की घोषणा की। इस कारण उस दिन भारत भर में हड़ताले, सामूहिक प्रदर्शन व साथ में कई स्थानों पर दंगे भी हुए। सरकार ने इस आन्दोलन को और ज्यादा सख्ती से दबाया। गांधी 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार अमृतसर में किया जहाँ 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग में एक शान्तिपूर्ण सभा पर गोलिया चलाकर सैकड़ स्त्री, पुरुषों व बच्चों की मात के घाट उतार दिया। पंजाब में सैनिक कानून लागू कर दिया। भारतीय जनता में ऐसे अमानुषिक अत्याचारों के कारण अंग्रेजी सरकार के प्रति तीव्र घृणा फैल गई तथा गांधीजी का अहिंसात्मक आन्दोलन लोकप्रिय हो गया।<sup>53</sup> राजस्थान की जनता पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। यहाँ भी राजनैतिक विभाग द्वारा नियंत्रित राजाओं के शासन के प्रति असन्तोष फैलने लगा तथा उसका विरोध किया जाने लगा।

### राजपूताना मध्यभारत सभा

ई० सन् 1918 के दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। इससे यहाँ के नेताओं का अंग्रेजी भारत तथा अन्य राज्यों के नेताओं से सम्पर्क हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजयसिंह पंडित, जमनालाल बजाज, चादकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंहदेव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से 'राजपूताना मध्यभारत सभा' नामक एक राजनैतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चादनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई।<sup>54</sup> इस सभा का मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना तथा रियासत के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। इस संस्था का मुख्य कार्यालय वानपुर रखा गया जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूजापतिघोष व मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से गणेश शंकर विद्यार्थी, के सम्पादकत्व में 'प्रताप' नामक साप्ताहिक भी प्रकाशित होता था। यह पत्र इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्रीय पत्र था। राजस्थान के राजनैतिक जीवन

के निर्माण में इस पत्र ने अभूतपूर्व कार्य किया। सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी सस्था बनाने की पहले कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (सन् 1920) के समय यह कांग्रेस की सहयोगी सस्था मान ली गयी।<sup>65</sup>

सन् 1920 में कांग्रेस का 35वा अधिवेशन नागपुर में हुआ तब राजपूताना मध्य भारत सभा का भी अधिवेशन 29 दिसम्बर को हुआ। यह अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणी केलकर चुने गये थे लेकिन कुछ कारणवश वह नहीं आ सके। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्व सम्मति से सभापति चुना गया।<sup>66</sup> इस सम्मेलन में रियासतों के प्रतिनिधि काफी संख्या में थे। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि रियासतों के शासकों को अपनी-अपनी रियासत में शीघ्र उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया जावे। यह भी माग की गयी कि कांग्रेस के संगठन में ऐसा परिवर्तन किया जावे कि जिससे देशी रियासतों की जनता को भी उससे प्रतिनिधित्व मिले।<sup>67</sup>

फरवरी सन् 1920 में सरकार ने महात्मा गांधी के चलाये आन्दोलन से तग आकर देश के राजनैतिक वातावरण को शांत करने के लिये काफी राजबंदियों को छोड़ दिया। भूपसिंह, जो नाम बदलकर विजयसिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे, का गिरफ्तारी वारण्ट रद्द कर दिया गया। राजस्थान के अग्र्य आन्तिकारी—अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह वारहठ, गोपालसिंह आदि छोड़ दिये गये। इन लोगों ने अजमेर में मार्च सन् 1920 में 'राजपूताना मध्य भारत सभा' का अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किया। बजाज वर्धा में व्यापार करते थे तथा वहाँ एक राष्ट्रीय पाठशाला चलाते थे। अतः वहाँ से राजस्थान में राजनैतिक प्रचार के लिए 'राजस्थान केसरी' नामक पत्र ई० सन् 1920 की अक्टूबर 22 से निकाला जाने लगा। इसका सम्पादक विजयसिंह पथिक तथा प्रकाशक एक दूसरा राष्ट्रीय कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी बनाये गये। इस पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने की। 'राजस्थान केसरी' ने प्रारम्भ से ही किसानों व मजदूरों के समर्थन की नीति अपनाई। इसको मारवाडी पूँजीपतियों ने पसन्द नहीं किया। राजस्थान के जन आन्दोलन के नेतृत्व पर भी जमनालाल बजाज आदि पूँजीपतियों से पथिक की नहीं बनी। अतः वह ई० सन् 1921 में राजस्थान लौट आये और अजमेर से उसने 'नवीन राजस्थान' नामक पत्र निकालना प्रारम्भ



किया। बाद में इस पत्र का नाम 'तरण राजस्थान' रख दिया गया।<sup>58</sup> राजपूताना मध्यभारत सभा 1920 के पश्चात् सन्निव नही रह सकी।

ई० सन् 1920 में सेवर की सधि के कारण तुर्की का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। इस सधि में अंग्रेजों का मुख्य हाथ था। भारत के मुमलमान तुर्की साम्राज्य की समाप्ति का मुख्य दोष अंग्रेजों पर डालकर अंग्रेजों के विरोधी हो गये और यहाँ इनके विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन चलाया। सितम्बर 1920 में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में, खिलाफत व पञ्जाब के मामला में अंग्रेजों द्वारा कोई पश्चात्ताप न किए जाने के कारण राष्ट्रीय इज्जत को बनाये रखने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करना आवश्यक मानकर, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाने का कार्यक्रम अपनाया। कांग्रेस व खिलाफत समिति ने संयुक्त रूप से तय किया कि माटंगू चेम्नफाड मुद्धारों के अन्तर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जावे तथा अंग्रेजों द्वारा दी गई पदवियाँ को लोटाया जावे, सरकार तथा उसकी मस्याओं का, उसके कर्मचारियों, छात्रों, वकीलों आदि द्वारा बहिष्कार किया जावे। इस प्रकार हिन्दुओं व मुसलमानों ने पहली बार एक हाकर ई० सन् 1921 के इस महान आन्दोलन में भाग लिया। इसके कारण अंग्रेजों को भय हो गया कि वही उनका भारत से साम्राज्य ही समाप्त न हो जावे। अंग्रेजों ने उस आन्दोलन को दुरी तरह से दबाया। 'राजद्रोह वैठक अधिनियम' लागू कर हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें सख्त सजाएँ दी गईं।<sup>59</sup>

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् रियासतों के राजनैतिक वातावरण में परिवर्तन आया। अब अप्राकृतिक सीमाबन्दी समाप्त होने लगी। जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। अब वे सैवधानिक मुद्धारों की माग करने लगे तथा नागरिक अधिकारों की भी माग करने लगे। कम से कम अंग्रेजी भारत में जनता द्वारा उपभोग किये जाने वाले अधिकारों को तो चाहने ही लगे।<sup>60</sup> अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ देशी रियासतों की प्रजा के भी सम्मेलन होने लगे। सन् 1924 में भारतीय रियासतों की प्रजा के सम्मेलन में, जो बेलगाव में एन०सी० केलकर की अध्यक्षता में हुआ अध्यक्ष ने कांग्रेस को देशी रियासतों के मामलों में पूर्ण रुचि लेने की अपील की।<sup>61</sup> सन 1927 में देशी रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों ने दम्बई में इकट्ठे होकर अखिल भारतीय प्रजा परिषद का अधिवेशन 17 दिसम्बर 1927 को किया। लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।<sup>62</sup> इस अधिवेशन की अध्यक्षता रामचन्द्र राव ने की।

अंग्रेजी भारत के जन आन्दोलनो से भारतीय नरेश धवरा गये । वे यह कहने लग कि यह असहयोग आन्दोलन आगे चलकर हिंसात्मक आन्दोलन हो जायेगे । जनता के हाथों में सत्याग्रह रूपी हथियार धातक सिद्ध होगा ।<sup>63</sup> तब ही मोतीलाल नेहरू ने राजपूताना मध्यभारत तथा अजमेर मेरवाडा के राजनैतिक सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुये राजाओं से कहा था कि “वे असहयोग आन्दोलन से धवराये नहीं क्योंकि यह उनके विरुद्ध न होकर केवल अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चलाये जा रहे हैं । देशी रियासतों की प्रजा व राजाओं के बीच आपसी सहयोग बना ही रहना चाहिये और इसी में दोनों का भला है । यदि असहयोग आन्दोलन रियासतों में चलाया जायेगा तो इसे जनता का ही अनिष्ट होगा ।”<sup>64</sup> यह सब क्रुद्ध होते हुये भी रियासती जनता पर इन आन्दोलनों का प्रभाव पडा और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागृक हो गयी ।

राजस्थान भी इस आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहा । जोधपुर में एक सत्याग्रही भवरलाल सराफ हाथ में तिरगा भण्डा लेकर फिरा जिसके एक ओर ‘महात्मा गांधी’ तथा दूसरी ओर ‘स्वराज्य’ लिखा था । उसने बाजार में व्याख्यान भी दिया जिसे जनता ने बड़े प्रेम व उत्साह से सुना ।<sup>65</sup> टोक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस से पूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित की और असहयोग आन्दोलन का अनुमोदन किया । वहाँ के अंग्रेज पुलिस अध्याक्ष ने उनके नेताओं—मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुवेर मिया, सैयद इस्माइल मिया, काजी महमूद अय्यूब आदि को गिरफ्तार कर लिया । लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिये गये ।<sup>66</sup> जयपुर राज्य के जमनालाल वजाज ने अपनी ‘रायवहादुर’ की पदवी लौटा दी तथा एक लाख रुपये ‘तिलक स्वराज्य फण्ड’ में दिये और उसी समय मुस्लिम लोग को 11,000 रु० तथा खिलाफत समिति को 10,000 रु० भी दिये । वजाज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 15 सदस्यों वाली कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बनाये गये ।<sup>67</sup> उसके बाद तो वह गांधीजी के बहुत ही निकट आ गये । वजाज की देखादेखी राजस्थान के दूसरे मारवाडी व्यापारियों ने भी इस आन्दोलन में कांग्रेस का साथ दिया । इसमें कांग्रेस को काफी आर्थिक सहयोग मिला ।

वीकानेर में राजनैतिक जागृति का आरम्भ सन् 1920 के लगभग हुआ । इस रियासत में जनता को अपने विचार प्रकट करने की कम ही स्वतंत्रता थी । अपने मौलिक अधिकारों की मांग करना यहाँ अपराध माना

जाता था। धीरे धीरे जब यहाँ भी अंग्रेजी प्रांतों से असहयोग आंदोलनों की हवा आने लगी और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरम्भ हुआ तो महाराजा ने वीकानेर सावजनिक सुरक्षा अधिनियम 4 जुलाई 1932 से लागू कर दिया जो मार्शल लॉ की भाँति ही कठोर था। यों उस समय वीकानेर में कोई सोचता ही नहीं था कि यहाँ कोई हिंसात्मक आंदोलन होगा। यहाँ का प्रेस एक्ट बड़ा कठोर था जो समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन पर काफी प्रतिबंध लगाता था। यहाँ की मस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के अधिनियम के अनुसार अनायालयों, विधवाश्रमों आदि का भी पंजीयन होना अनिवार्य था। राजनैतिक मस्थाओं के पंजीयन का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। जनता में यह ग्राम धारणा थी कि उन्हें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है और वे एक जेल में रहते हैं।<sup>68</sup>

सन् 1921 में वीकानेर में मुक्ताप्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा शुद्ध खादी पहनने का व्रत लिया। वीकानेर में खादी भण्डार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये ताकि जनता कुछ जागृत हो। चुरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ आदि में सब हितकारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के लक्ष्य को सामने रखकर मस्थायें स्थापित की गयीं। इन मस्थाओं की ओर से राजनैतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रचारित किये गये।<sup>69</sup>

वीकानेर के महाराजा गंगासिंह अपने को ज्यादा ही प्रगतिशील समझते थे। उन्होंने शिवमूर्तिसिंह, सम्पूर्णानन्द व शानन्द वर्मा को सरकारी नौकरी से हटा दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र धारण करते थे और उन्होंने राष्ट्रीय सप्ताह में कुछ चन्दा 'तिलक स्वराज्य फण्ड' के लिये जमा कराया था। जोधपुर में महाराजा के सरक्षक प्रतापसिंह इस आंदोलन के कारण इतने बीखला उठे कि उन्होंने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर दिया जब कि इससे पूर्व वह दयानन्द के उपदेश मान कर हिंदी भाषा व स्वदेशी माल के प्रचार के लिये काफी प्रयत्न करते रहे थे। अजमेर में भी अजु नलाल सेठी, चादकरण शारदा आदि ने असहयोग आंदोलन में खूब भाग लिया व विदेशी माल को नष्ट किया।

उदयपुर के महाराणा फनहंसिंह इस आंदोलन के प्रति छिपे छिपे सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार के राजनैतिक विभाग को महाराणा के प्रति पहले ही से शका बनी हुई थी। इस समय सरकार ने उन्हें आदेश

दिया कि वह या तो उनके कहे अनुसार मन्त्रीमण्डल का पुनर्गठन करे या युवराज को शासन के अधिकार सौंप कर स्वयं राजकाज से अलग हो जावे।<sup>70</sup> महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपालसिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिये। युवराज ने नया मन्त्रीमण्डल अंग्रेज सरकार की मर्जी के अनुसार बना लिया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी ट्रैच की सौंप दिया गया। स्पष्ट रूप से अब ऐसा कोई राजा नहीं था जो अंग्रेजों की हा में हा नहीं मिलाने वाला हो।

अंग्रेजी सरकार की भारत के प्रति ऐसी दमनकारी नीति को देख कर पहली फरवरी 1922 में "सरकारी अव्यवस्था तथा अत्याचार" के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चलाने की सूचना गांधी ने सरकार को दी।<sup>71</sup> अब गांधी केवल जनता का नेता ही नहीं रहे बल्कि वह महात्मा बन गये थे। अतः जागरूक भारतीय जनता गांधी के इस प्रस्तावित आन्दोलन में पूर्ण जोश के साथ भाग लेने को तैयार हो गई। अंग्रेज यह देखकर घबरा गये और वे यह सोचने लगे कि भारत उनके हाथ से जाने वाला है। वे कहने लगे कि "हिन्दुओं में माता के स्थान पर गांधी की पूजा होने लग गयी है।"<sup>72</sup> आन्दोलन की तैयारी जोर पकड़ ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी-चोरा स्थान पर 5 फरवरी को एक हिंसात्मक घटना हो गई जिसमें आन्दोलनकारियों की एक क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर आक्रमण कर 21 पुलिसमैन व एक थानेदार को जला दिया। अतः महात्मा गांधी ने जनता को अहिंसात्मक आन्दोलन के लिये तैयार न मानकर इस आन्दोलन को बन्द करा दिया। जनता में इससे गांधीजी के प्रति काफी रोष फैल गया और कई नेता गांधी के विरुद्ध हो गये। यह देख कर सरकार ने मार्च 13 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें छः वर्ष की सजा दे दी। बाद में अस्वस्थता के कारण उन्हें फरवरी 1924 में छोड़ दिया गया।<sup>73</sup>

इस आन्दोलन ने जनता को राजनैतिक संघर्ष का एक नया तरीका बतलाया और लोगों को अहिंसात्मक क्रान्ति के लिये तैयार कर दिया। लोगों में आत्मविश्वास जगा। अब उनके हृदय से अंग्रेजी सरकार की अपार शक्ति का भय जाता रहा। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा। खादी राष्ट्रीय देशभक्तों का पहनावा हो गया। कांग्रेस जनता की संस्था बन गई। इसके साथ ही इस आन्दोलन के समाप्त होते होते हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य भी ज्यादा बढ़ गया। तुर्की के जिस खलीफा के लिये मुसलमान अंग्रेजों के

आंदोलन कर रहे थे, वही तुर्की के कमानपाशा द्वारा अपने देश में भगा दिया गया और उमने अंग्रेजों की शरण ले ली। अतः मुसलमानों के सरकारपरस्त नेता राष्ट्रवादी मुसलमानों व कांग्रेसियों के विरुद्ध प्रचार करने लगे कि ये आन्दोलन हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिये किये जा रहे हैं। अंग्रेजी सरकार हिन्दू-मुस्लिम विरोधी भावना भड़काने में ही अपना हित समझती थी। अतः अनेकों स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम दंग हुए जिससे आपसी मौहदा भाव विलकुल समाप्त हो गया। अजमेर में 1923 में भीषण हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ जिसमें कई हिन्दू मारे गये। ग्वाजा माहून की दरगाह पर भी सेना को गोली चलानी पड़ी। अजुनलाल सेठी घायल हो गये और चाँदरगण शारदा को अजमेर छोड़ना पड़ा।<sup>74</sup>

### राजस्थान सेवा सघ

फरवरी 1921 में राजस्थानिया में सगठन एवं राष्ट्रीयता के भावों की वृद्धि करने तथा राजनैतिक कार्यकलापों को और बढ़ावा देने के लिये राजस्थान में विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हृदिभाई किकर के प्रयत्नों से "राजस्थान सेवा सघ" की स्थापना की गई। पथिक इसके अध्यक्ष तथा चौधरी मंत्री बने। इस सघ के सदस्य वही हो सकते थे जो अपने कुल समय तथा शक्ति से राजस्थान की सेवा करने का व्रत लेते थे। प्रत्येक सदस्य अपने तथा अपने आश्रितों के लिये एक-सी रुपये मासिक से ज्यादा खर्चा नहीं ले सकता था। विजयसिंह पथिक ने तो अपना खर्चा काफी समय तक आठ रुपये मासिक तक ही सीमित रखा था।<sup>75</sup> इसके मुख्य कार्यकर्ता श्रीमती अञ्जनादेवी, मारणकलाल वर्मा, नानूराम व्यास, शोभाराम गुप्त, लाहूराम जोशी आदि थे जो सामान्यतः तीस रुपये मासिक खर्चा लेते थे। सघ की शाखाएँ—जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, कोटा, खेतडो आदि स्थानों पर स्थापित हुईं। जोधपुर में 'मारवाड सेवा सघ' के अलावा 'मारवाड हितकारिणी सभा' ई० सन् 1915 से काम कर रही थी। इसका सगठन चांदमल सुराणा ने मारवाड के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक हितों के रक्षार्थ किया था। ई० सन् 1920 से इसका संचालन जयनारायण व्यास के हाथों में आया। उनके समय में इसकी सदस्य संख्या 10,000 तक पहुँच गई। राजनैतिक क्षेत्र में तब से ही वह प्रसिद्धी पा गये और 'लोकनायक' कहलाने लगे।<sup>76</sup>

### भील आंदोलन

इसी समय उदयपुर राज्य के भोमट क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत ने भील लोगों में सेवा कर उनकी जागृत किया। सन् 1922 में उसके नेतृत्व में वडे

लगान को कम करने, बेगार न लिये जाने, महाजन, रोहरो आदि द्वारा अनुचित व्याज न लिये जाने के विरुद्ध जो आन्दोलन चला वह 'शीघ्र जोधपुर, सिरोही, दांता, पालनपुर व ईडर तक फैल गया। सरकार ने इसको दवाने में कोई काम प्रयत्न नहीं किये। जोधपुर राज्य के सुमेरपुर के आसपास के गाँवों में भीलों व गिरासियों को दवाने के लिये 7 फरवरी 1922 को जोधपुर में मरदार रिसाले के दो दल भेजे गये। भीलों व गिरासियों ने सेना के डर से लगान देने का इकरार लिख कर दे दिया। उदयपुर राज्य के अग्रेज सेना अधिकारी मेजर सटन ने भोमट व कोटडा में भीलों पर गालियाँ चलवाईं जिसे लगभग 200 व्यक्ति मारे गये। भीलों के दो गाँव—भूला व वानोलिया (सिरोही राज्य) जला दिये गये। मोतीलाल तेजावत को अज्ञातवास में जाना पड़ा और 7 वर्ष बाद जब वह देशी राज्य तोक परिषद् की बम्बई में होने वाली बैठक में उपस्थित हुए तब अपने साथियों की सलाह से उन्होंने उदयपुर राज्य को आत्ममर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें 7 वर्ष जेल में तथा 1947 तक नजरबन्द के रूप में रहना पड़ा।<sup>7</sup>

किसानों का आन्दोलन उदयपुर राज्य के बेगू ठिकाने में तथा बून्दी राज्य के कुछ गाँवों में भी उग्र रूप से फैला। बेगू में तो माल अधिकारी ट्रेच स्वयं गाँव जनाने के लिये मिट्टी के तेल के पीपे, पुलिस आदि को लेकर गया और गाँवों में आग लगवा दी। पुरपो के साथ स्त्रियों को भी नगा कर पीटा गया। लगभग 500 व्यक्तियाँ, जिनमें लगभग 100 बच्चे थे, बुरी तरह सताये गये। जनता से तग आकर 4 जुलाई 1923 को ठिकाने को समझौता करना पड़ा। किसान आंदोलन के फलस्वरूप बेगू राव को लगभग 3 वर्ष तक उदयपुर में नजरबन्द रहना पड़ा। 1 मई 1926 में उसे पुनः अधिकार मिले तब वह 2 मई को बेगू गये।<sup>78</sup>

मेवाड़ के किसान आंदोलन के कारण पथिक व वर्मा के अलावा हरिभाई दिनकर को जेल जाना पड़ा। रामनारायण चौधरी, सीताराम दास साधु, प्रेमचंद भील पर मुकदमे चले। पथिक, चौधरी, हरिभाई दिनकर व हरिभाऊ उपाध्याय मेवाड़ से निर्वासित किये गये। इससे उदयपुर राज्य के अलावा बून्दी, कोटा, सिरोही आदि राज्यों के किसानों में काफी असंतोष फैल गया। राजस्थान के बाहर के समाचारपत्रों ने इस असंतोष व अमानुषिकता का खूब प्रचार किया। यह देखकर सरकार ने राज्यों में ऐसे प्रचार को रोकने के लिये सितम्बर 1922 में 'भारतीय राज्यों में असंतोष विरोधी अधिनियम' लागू

कर दिया। इस अधिनियम को लागू करने का अंग्रेज मन्त्रिमण्डल का मुख्य उद्देश्य राजाओं के हाथ मजबूत करना था तथा उनकी टुटत बनाये रखना था। इस अधिनियम से राजाओं के विरुद्ध कुछ भी छापना या प्रकाशित करना अपराध माना गया। जिसकी सजा 5 वर्षों तक की कैद थी थी। इस अधिनियम के बारे में अंग्रेजी पार्लियामेंट में भी काफी विरोध हुआ। भारतीय नेताओं व समाचार पत्रों ने भी इसका विरोध किया।<sup>89</sup> इसी वर्ष विजोलिया के किसानों के संगठित सत्याग्रह की सफलता तथा उसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों में बढता देखकर, भारत सरकार के राजनैतिक विभाग के इशारे से उदयपुर राज्य के किसानों व ठिकानों के बीच पट कर समझौता करा दिया। किसानों की अधिकतर मांगें मान ली गईं। किसान आन्दोलन के कारण राजस्थान में वा सघ के ज्यादातर कार्यकर्ता दिसम्बर 1923 तक गिरफ्तार कर लिये गये। ज्यादातर गिरफ्तारियाँ उदयपुर राज्य में की गईं। मुकदमा चलान के बाद मेवाड़ प्रवेश निषेधाज्ञा लगाकर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। विजयसिंह पथिक पर बेगू आन्दोलन के सिलसिले में राजद्रोह का अपराध लगाया गया और उसका मुकदमा साठे तीन वर्षों तक चलता रहा। इस कारण लगभग साठे तीन वर्षों तक नजरबन्द रहने के बाद वह ई० मन् 1927 में छोड़ा गया।<sup>90</sup>

ई० मन् 1924 में यहाँ के राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। राजाओं के निजी खर्च तथा शासन प्रबंधन के खर्च काफी बढ गये थे। व्यापार में मन्दी चल रही थी। अतः विभिन्न राज्यों में भूमि कर लगान बढाया जाने लगा। पशुधन बाहर भेजे जाने लगा। इससे किसानों व जनता में असंतोष बढ गया और आन्दोलन किये जाने लगे। इस वर्ष जून मारवाड़ में मादा जानवरों (गाय, भेड़ व बकरी) की निकासी ज्यादा ही होने लगी तथा वहाँ की जनता ने निकासी रोकने के लिये 15 की और गाड़ियों के सामने धरना दिया। इस 15 अगस्त 1924 से मादा पशुओं की निकासी की आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी साथ 1925 में इंग्लैण्ड सरकार ने इस आन्दोलन से व्यास, चादमल सुराणा जयनारायण व्यास तथा

सम्पादक बन गये जिसके माध्यम से राज्य प्रशासन के विरुद्ध प्रचारा अभियान चलाया। बाद में दिसम्बर 1925 में सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को माफी दे दी गई।<sup>81</sup>

ई० सन् 1925 की 14 मई को अलवर राज्य के निरकुश शासन के विरुद्ध उमके एन गाव नीमूचाणा के किमानो ने विराट प्रदर्शन किया। अलवर नरेश जयसिंह अग्नेजो का बड़ा भक्त बना हुआ था। उसने अग्नेज सरकार से दशारा पाकर वहा के ग्रामीणों को गोलियों से भुन दिया। पचास स्त्री-पुरुष मारे गये व सैकड़ों भोपड़े जला दिये गये। राज्य की ओर से पीड़ितों की कोई सहायता नहीं दी गई। महात्मा गांधी ने इस काण्ड को जलियावाला बाग काण्ड से भी अधिक बीभत्स बतलाया। सभी भारतीय ममाचार पत्रों ने इस काण्ड की घोर निन्दा की।<sup>82</sup>

जयपुर राज्य के शेखावटी व खेतड़ी के जागीरी क्षेत्रों में भी किसानों ने जागीरदारों में तग आकर ई० सन् 1925 में प्रदर्शन किये लेकिन उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। किसानों को घोड़ों की पूछों से बाध कर दौड़ाया गया। किसान नेताओं को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। बेगार व ऊँची उगान देने व लागू जागे ली जाती रही।<sup>83</sup>

अप्रैल 1926 में जोधपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुखदेवप्रसाद के स्वेच्छाचार तथा चरित्रहीनता से तग आकर जोधपुर की जनता ने जयनारायण व्यास तथा भेंवरलाल सराफ के नेतृत्व में एक आन्दोलन किया। यह मांग की गई कि प्रधानमंत्री को हटाया जावे तथा शासन में सुधार किये जावे। इस आन्दोलन के कारण भेंवरलाल जेल में डाल दिया गया लेकिन अन्त में राज्य ने प्रधानमंत्री को हटा दिया और प्रशासन में सुधार किये।<sup>84</sup>

जयपुर राज्य में भी असंतोष काफी फैला हुआ था। यह असंतोष तब फूट पड़ा जब वहा के एक तागे वाले को एक पुलिसमैन ने पीट दिया। इस पर वहा की जनता ने पहली सितम्बर 1927 को विशाल प्रदर्शन किया तथा 5 दिन तक हड़ताल रखी। जनता पर लाठियों की वर्षा की गई लेकिन जनता ने परवाह नहीं की। इस अवसर पर उन्होंने अपराधी पुलिस कर्मचारियों को सजा देने, राज्य की मंत्री परिषद में जनता के दो प्रतिनिधि लेने तथा राज्य की आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित करने की मांग की।<sup>85</sup>



उदयपुर राज्य में नया भूमि बन्दोस्त (1926) हो जाने पर भूमि का **लगाव** बटा दिया गया। पुरानी लाग वागे पहले की तरह ही चलती रही। **उदयपुर राज्य का प्रधानमंत्री अब सुखदेवप्रसाद बन गया था। जोधपुर की तरह ही वह यहाँ भी किसानों को दवाने लगा। विजोलिया में समझौते के अनुसार किसानों की मागे पूरी नहीं की जा रही थी। अतः यहाँ के लगभग 800 किसानों ने भूमि से स्तीफा दे दिया।<sup>86</sup> राज्य ने ये जमीने महाजनो, हरिजनो और जागीरदारों को नीलाम कर दी। ई० सन् 1927 में पथिक छुट गये थे लेकिन उसे उदयपुर राज्य में घुसने की मनाही थी। अतः वह ग्वालियर राज्य से किसान आन्दोलन चलाने लगे। राज्य ने विजोलिया के किसानों का पुनः दमन किया। इस सत्याग्रह में माणकलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा आदि बुरी तरह परेशान व अपमानित किये गये। अतः जमनलाल वजाज ने अजमेर के कांग्रेसी नेता हरिभाऊ उपाध्याय का उदयपुर राज्य व विजोलिया के किसानों के बीच समझौता कराने भेजा। उमने राज्य से मिलकर ई० सन् 1929 में समझौता करा दिया। यह ध्यान देने की बात है कि 1927 में ही रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, विजयसिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा के बीच कुछ निजी कारणों से मतभेद हो गये थे। इस कारण इस समझौते से किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आपसी मतभेद के कारण राजस्थान सेवा सघ जैसी तजस्वी सस्था का विघटन हो गया।<sup>87</sup> इसके बाद ही विजोलिया का खादी उत्पादन केन्द्र जयपुर राज्य में गोविन्दगढ़ ले जाया गया। अब तक चर्खा सघ द्वारा खादी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना राजस्थान के कई गावों में भी हाँ चुकी थी। अतः इसके साथ ही राष्ट्रीय भावना का प्रचार भी बराबर होता रहा।**

ई० सन् 1929 में जयनारायण व्यास तथा उसके साथिया न गावा में राजनतिक चेतना लाने के लिये मारवाड हितकारिणी सभा का एक सम्मेलन बुलाने के लिये व्यावर के आमपास के जागीरी गावों—बलुन्दा, बगडी, रायपुर आदि में प्रचार आरम्भ किया। महाराजा को जब यह पता चला तो उन्होंने 12 सितम्बर का परिपद पर रोक लगा दी। व्यास ने इस कारण 'तरुण राजस्थान' में एक लेख लिखकर जोधपुर के महाराजा उम्मेदसिंह के विरुद्ध काफी लिखा और इस लेख की प्रतिया जोधपुर भेजी जिनको भँवरलाल मर्राफ ने नगर में बाँटा। सितम्बर 10 को जयनारायण व्यास व आनन्दराज गुगणा ने व्यावर में एक सभा बुलाकर महाराजा के विरुद्ध भाषण भी दिये।

तत्र ही एक पुस्तक "पोर्पावाई की पोल" नाम से बटवाई गई जिसमें महाराजा के शासन के विरुद्ध काफी व्यंग्य था। अतः जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराणा व भँवरलाल मर्राफ के विरुद्ध राजद्रोह का अपराध लगाया जाकर उन्हें राज्य की जेल में डाल दिया गया।<sup>88</sup>

### नई राजनैतिक सस्थाएँ

सन् 1927 में विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद' के नाम से एक सस्था स्थापित की। इसका प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसम्बर 1927 को बम्बई में किया गया जिसमें भारतीय प्रान्तों व देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ राज्य की स्थापना कर, संघ परिषद में देशी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि लेने की मांग की गई। इसमें नेनूराम (कोटा), शंकरलाल शर्मा (अजमेर), जयनारायण व्यास व बन्हेयालाल कल्यत्री (जोधपुर), रामदेव पोद्दार व वानकिशन पोद्दार (दीकानेर) और त्रिलोकचन्द माथुर (करोली) कायकारिणी के सदस्य लिये गये। विजयसिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्यभारत के लिये प्रान्तीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना से राज्यों में राजनीतिक चेतना की प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ा।<sup>89</sup>

ई० सन् 1924 में पथिक की गिरफ्तारी के बाद 'राजस्थान सेवा संघ' का कार्य मन्द पड़ गया था। कांग्रेस में अब तक दो दल हो गये थे जिनमें एक दल गांधीवादियों का था जिसका नायक जमनालाल बजाज था। उसका स्थानीय प्रतिनिधि हरिभाऊ उपाध्याय था। कांग्रेस के दूसरे दल का नेतृत्व अर्जुनलाल सेठी कर रहा था। उसकी अजमेर व ब्यावर की शाखा में कुछ काम हो रहा था लेकिन पुष्कर, केकडी, कोटा, करोली, जोधपुर आदि की शाखा नाम-मात्र की थी। इन दोनों दलों में पारस्परिक सहयोग का अभाव था। ई० सन् 1927 में बँद से छूटने पर पथिक को महात्मा गांधी ने सावरमती बुलाया। गांधीजी की इच्छा थी कि पथिक जमनालाल बजाज के पथ-प्रदर्शन में राजस्थान में काम करे लेकिन पथिक नहीं माने। वह केवल सहयोग रखने को तयार थे। अतः दोनों दलों में भीतरी मत-भेद बढ़ता ही गया। सेवा संघ शीघ्र ही समाप्त हो गया। अर्जुनलाल सेठी तथा हरिभाऊ उपाध्याय के बीच में भी दल का चुनाव युद्ध छिड़ गया। दोनों आर से कई प्रकार की अवाछनीय कार्रवाई हुई। अन्त में सेठी को हार खानी पड़ी।<sup>90</sup> उसका राजनैतिक जीवन ही समाप्त हो गया। प्रान्तीय कांग्रेस में गांधीवादी दल की प्रधानता

हो गई लेकिन फिर भी पारस्परिक मतभेद समाप्त नहीं हुए। अतः कांग्रेस मगठन उतना शक्तिशाली न हो सका जितना कि होना चाहिये था।

### नरेन्द्र मण्डल

वायसराय लॉड लीटन का प्रस्ताव था कि सरकार की सहायता के लिये भारत के बड़े-बड़े राज्यों के नरेशों की भारतीय प्रिन्सीपल बनाई जाने लेकिन उसके समय में यह नहीं हो सका। बाद में लॉड बर्जन्स ने यह घोषणा की कि भारतीय साम्राज्य मगठन में देशी नरेशों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः देशी नरेशों की कौंसिल स्थापित की जावे लेकिन वह भी अपने विचार राय-रूप में परिणित नहीं कर सका। इसी प्रकार लॉड मिण्टो ने भी एक शाही मनाहकार परिपद बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ के राजाओं ने इतना दिल खोल कर अंग्रेजों की सहायता की थी कि ब्रिटिश सरकार ने यह उचित समझा कि राजाओं की आवाज बुलन्द करने के लिये कोई मन्था हो। अतः उसके आदेश से वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ई० मार्च 1916 में नरेशों का सम्मेलन बुलाया। युद्ध के बाद साम्राज्य की पहली युद्ध परिपद तथा बाद में वासाई की सन्धि परिपद में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर नरेश गंगासिंह को भेजा गया।<sup>91</sup> उस प्रकार भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में नरेशों का महत्व बढ़ने लगा।

ई० मार्च 1919 में माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में उतलाया गया कि नरेशों की एक परिपद होना आवश्यक है क्योंकि "ऐसे अनेक प्रश्न आ जाते हैं जो या तो सामान्यतः देशी राज्यों से सम्बन्धित होते हैं या सम्बन्ध साम्राज्य और अंग्रेजी भारत एवं देशी राज्यों पर समान असर डालने वाले होते हैं। वायसराय ऐसे मामलों को मामिल के पास भेजे और राजाओं के विचारपूर्ण वाद विचार में सरकार भाग उठावे।" इसी वर्ष देशी नरेशों का एक सम्मेलन जिसमें उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार कर ऐसी कमेटी का नाम 'नरेशों का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अतः 1921 की 8 फरवरी को हुआ।<sup>92</sup>

नरेन्द्र मण्डल में कुल 120 सदस्य—

प्रायः तथा 12 द्वितीय श्रेणी के 127 नरेशों थे। 327 राज्यों का कोई प्रतिनिधि या अंग नहीं। ताड़पुरा, तावा व ...

18 राज्य प्रथम श्रेणी में आ गये थे। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी में दिल्ली में होता था। इसकी अध्यक्षता वायसराय करता था लेकिन उसकी अनुपस्थिति में चांसलर करता था जो प्रतिवर्ष नरेन्द्र मण्डल द्वारा चुना जाता था। मण्डल द्वारा उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता था जिनकी वायसराय स्वीकृति देता था। ई० सन् 1927 तक इसका अधिवेशन बन्द कमरे में होता था लेकिन 1928 से खुला अधिवेशन होने लगा। मण्डल द्वारा एन स्थाई समिति, जिसमें चार सदस्य होते थे, चुनी जाती थी। इनमें राजस्थान, बम्बई, मध्य भारत तथा पंजाब के राज्यों का एक-एक सदस्य होता था। स्थाई समिति की बैठक वर्ष में दो या तीन बार होती थी।<sup>93</sup>

नरेन्द्र मण्डल के वक्तव्य व अधिकार, नरेन्द्र मण्डल की स्थापना के समय सम्राट की ओर से की गई शाही घोषणा में बतला दिये गये थे—

“वायसराय नरेन्द्र मण्डल से उन मामलों पर सलाह लेगे जो सामान्यतः देशी राज्या से सम्बन्धित होंगे और जिनका प्रभाव देशी राज्यों तथा अंग्रेजी भारत या मेरे साम्राज्य के अन्य भागों पर सम्मिलित रूप से पड़ता हो। किसी राज्य विशेष अथवा देशी राज्यों के नरेशों के व्यक्तिगत मामलों या किसी राज्य विशेष और मेरी सरकार के सम्बन्धों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। राज्या के वर्तमान ढंग और उनके कार्य की स्वतन्त्रता में इससे कोई बाधा नहीं पड़ेगी।”<sup>94</sup>

नरेन्द्र मण्डल में कठिनाई से 50 सदस्य ही भाग लेते थे और ये सदस्य भी मन्ना भवन में कम ही बैठते थे। राज्यों की प्रजा का न तो प्रतिनिधित्व था और न उनके हितों के लिये कोई बात ही की जाती थी। कोई भी पारित प्रस्ताव उपस्थित या अनुपस्थित सदस्यों पर बिना उसकी स्वीकृति के लागू नहीं हो सकता था।<sup>95</sup> अतः यह केवल सलाहकार संस्था बन कर रह गया। इस प्रकार नरेन्द्र मण्डल की स्थापना के कारण 562 राज्य आपस में बँट गये। बड़े राज्य छोटे राज्यों से अलग हो गये। अतः नरेन्द्र मण्डल के कारण राजाओं में सगठन होने के बदले विघटन हो गया।<sup>96</sup> भारत के पाँच राज्यों के नरेश ही नरेन्द्र मण्डल में ज्यादा रुचि लेते थे जिनमें बीकानेर व अलवर नरेश मुख्य थे।

इस समय जन आन्दोलन तेजी से चल रहे थे जिनका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। अतः नरेन्द्र मण्डल का इस ओर विशेष ध्यान गया और उसने यह प्रयत्न किया कि देशी राज्यों का भारत सरकार तथा ब्रिटिश

सरकार में सम्मेलन में कमे राजनीति सम्बन्ध है; उम्मा गुनामा हो जाय । यों राजाशा में अपनी वास्तविक स्थिति दिखी नहीं थी, वेरिण उम रक्त के राजनैतिक आन्दोलना का विचार कर य मुद्द मान उठाया जाता थे । अतः तिनने ही नरेणा ने यह माँग की कि सर्वोच्च सत्ता के साथ उनसे सम्बन्ध का गुनामा होना आवश्यक है और उम्मे आगुमार ही अथवा शाता चाण्य । राजाशा की लगी इच्छा का ग्यान कर यायमराय न राजाशा के प्रतिनिधिया की एक बैठक मई 1927 म गुनाई । उम बैठक म यह निणय त्रिया गया कि एग समिति राजाशा के भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार में सम्म या ही जाच के निये नियुक्त की जाय ।<sup>9</sup>

### बटलर जाच समिति

देशी राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच क्या सम्बन्ध थे, उम्मा उन्नेम ह्मे यायमराय लॉर्ड रोडिंग के 27 मार्च 1926 के पत्र में मिलता है जो उम्मा हैदराबाद के निजाम को लिखा था ।<sup>98</sup> उम्म कहा गया है— ' भारत में ब्रिटिश ताज की प्रभुसत्ता सर्वोच्च है और उम कारण कोई भी नरेण ब्रिटिश सरकार में समानता पर बातचीत करने का अधिकार नहीं कर सकता है । उम्की सर्वोच्चता केवल मनद और गंधियों पर ही आधारित नहीं है बल्कि उनसे स्वतंत्र है । विदेश नीति और विदेशी राष्ट्रों के विषय में हस्तक्षेप की बात छोड़कर भी, ब्रिटिश सरकार का यह अधिकार और वक्तव्य है कि वह समस्त भारत में देशी राज्यों से किये गये समझौता और गंधिया का सम्मान करते हुए शांति और सुव्यवस्था बनाये रने । देशी राज्यों की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का ब्रिटिश सरकार का अधिकार ब्रिटिश ताज के सर्वोच्च सत्ता से सम्बन्धित है । जहा साम्राज्य के हितों का प्रश्न हो या किसी राज्य की जनता के सामान्य कल्याण में उसकी सरकार के कार्यों से बाधा पडती हो तो उसके लिये कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सत्ता पर आ पडता है । आन्तरिक व्यवस्था का अधिकार जो देशी राज्यों को प्राप्त है वह सर्वाधिकारी सरकार के इस उत्तरदायित्व की शक्त पर ही निर्भर है । सर्वोच्च सत्ता का यह अधिकार है कि वह दो राज्यों के भगडों का अथवा उसके तथा एक राज्य के बीच विवाद का निणय कर दे । यद्यपि कुछ मामलों में मध्यस्थ अदालत नियुक्त की जाती है पर उसका कार्य स्वतंत्र रूप से भारत सरकार को केवल परामश देना है, जिस पर निणय करने का अन्तिम दायित्व है । मुझे यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि इस अधिकार की देशी

नरेशों ने सम्मिलित रूप से माटग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के पैरा 208 में स्वीकार कर लिया है। यह व्यर्थ है कि जिम विपय में निराय हो चुका है उसको दोनों दलों में वाद-विवाद के रूप में चलाया जाये।''<sup>99</sup>

यह पत्र देशी राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के सम्बन्धों को स्पष्ट करता है। इसी कारण इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस पत्र के कारण राजाओं में काफी असन्तोष फैल गया और वे अपने तथा भारत सरकार के बीच के सम्बन्धों के खुलासे के लिये बराबर माग करने लगे। अतः ब्रिटिश सरकार ने हरकूट बटलर की अध्यक्षता में 'देशी राज्य जाच समिति' की 1927 में नियुक्ति की, ताकि वह भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच के सम्बन्धों की जाच करे तथा उनके सन्तोषजनक सामंजस्य के लिये आवश्यक मलाह दे। यह केवल समिति थी। इसे कोई निर्णय लेने की शक्तिया नहीं दी गयी थी। इस समिति को परमोच्च शक्ति के साथ रियासतों के चालू सम्बन्धों की जाच करना था तथा इसे यह सिफारिश नहीं करनी थी कि भविष्य में कैसे सम्बन्ध हो या कैसे उनका नियमन किया जावे। फिर भी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय भाग में भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच के वित्तीय तथा आर्थिक सम्बन्धों का उल्लेख करते भविष्य में इस क्षेत्र में क्या-क्या काम किया जावे के लिये सुझाव दिये थे। इस समिति ने जाच कर निम्नलिखित सिफारिशें की—

(1) वायसराय, न कि गवर्नर जनरल ताज के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों से सम्बन्ध रखें।

(2) ताज तथा नरेशों के सम्बन्ध बिना राजाओं से सहमति लिये, अंग्रेजी भारत की कोई नई उत्तरदाई सरकार को हस्तांतरित नहीं किये जायें।

(3) राज्यों की परिपक्व बनाने की योजना रद्द कर दी जाये।

(4) किसी राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप वायसराय के निणय के अनुसार ही हो।

(5) राज्यों तथा अंग्रेजी भारत के बीच कोई विवाद उठ खड़े होने पर विशेष समिति नियुक्त कर जाच कराई जाये।

(6) देशी राज्यों तथा अंग्रेजी भारत के बीच आर्थिक सम्बन्धों की जाच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

(7) इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों से निकले छात्रों को अलग से भरती कर व प्रशिक्षण देकर राज्यों में राजनैतिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जावे ।

(8) सर्वोच्च शक्ति रियासता की प्रभुसत्ता में सम्पूर्ण भारत के आर्थिक हित हेतु हस्तक्षेप कर सकती है ।

(9) रियासतों में संवैधानिक परिवर्तना हेतु किये जाने वाले जन आन्दोलनों के मामले में सर्वोच्च शक्ति ऐसी मागों के पूरा करने हेतु कार्यवाही करने के लिये सुझाव दे सकती है ।

इस प्रकार बटलर समिति न केवल राजाओं के विषय में बहुत भी सिफारिशों की लेकिन वहाँ की जनता के विषय में कुछ नहीं कहा । इसकी सिफारिशों ने अंग्रेजी भारत तथा देशी राज्यों के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी कर दी । भारतीय नरेश समिति की इस सिफारिश से अवश्य प्रसन्न हुए कि जब भी भारत सरकार भारतीयों के हाथ में दी जायेगी तब वे उसके नियंत्रण से बाहर रखे जायेंगे । समिति की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार राज्यों में किसी प्रकार के सुधार नहीं चाहती थी । उसने कभी यह नहीं सोचा कि राज्यों में उत्तरदायी या लोकप्रिय शासन हो । राजाओं को अब यह भी ज्ञात हो गया कि उनके साथ की गई सन्धिया, शतनाम आदि रद्दी कागज है और वे पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के अधीन है ।

इस प्रकार इस समिति की रिपोर्टें से न तो वहाँ के नरेश मन्तुष्ट हो सके और न राज्या की जनता ही । इस रिपोर्ट को न केवल राजाओं वरिक्त जनता ने भी अपने लिये हितकर नहीं माना । अतः बटलर समिति की रिपोर्टें का सबत्र बहिष्कार किया गया तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिये बराबर माग की जाती रही ।

#### साईमन कमीशन

जनता में बढ़ते असन्ताप तथा अविश्वास की भावना को कम करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन ई० सन् 1927 में जॉन साईमन की अध्यक्षता में नियुक्त कर भारत भेजा । इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे जबकि भारतीयों की माग थी कि इसके कुछ सदस्य भारतीय भी हों । अतः भारतीयों ने इस कमीशन का आरम्भ से ही बहिष्कार किया ।<sup>100</sup> यह कमीशन फरवरी 3 से 31 मार्च 1928 तक तथा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहा । भारत में जहाँ भी यह कमीशन गया जनता ने हड़तालें कर

डमका विरोध किया। अतः काफी स्थानों पर लाठी के प्रहार भी किये गये तथा गोलियाँ चलीं। दिसम्बर 1928 में कांग्रेस के बलवत्ता अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार एक वर्ष के भीतर उपनिवेशिक स्वराज्य दे देवे अन्यथा कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। ई० सन् 1929 के अन्त तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार ने केवल एक गोन मेज सम्मेलन बुलाकर उपनिवेशिक संविधान का प्रारूप तैयार करवाने का कड़ा लेविन भारतीय नेता इससे सन्तुष्ट नहीं हुए और 31 दिसम्बर 1929 को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का ही है। उसी रात के 12 बजे पूर्ण स्वतन्त्रता का झण्डा फहरा दिया गया। 31 अक्टूबर 1929 को वाइसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार की नीति है कि भारत को डोमिनियम स्टेटस दिया जावे।

कांग्रेस ने तय किया कि धारा सभा के सभी कांग्रेस सदस्य स्तीफा दे देवे तथा सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस (स्वतन्त्रता दिवस) मनाया जावे। उस अवसर पर गांधीजी द्वारा तैयार की गयी घोषणा भारत भर में नगरों व गावों में जनता के समक्ष पढी जावे तथा हाथ उठाकर श्रोताओं की सहमति ली जावे। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय को पूर्ण स्वतन्त्रता की उद्घोषणा करनी थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति निष्ठा तथा भारतीय स्वतन्त्रता के लिये लड़ने का प्रण लेना था। तदनुसार सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतन्त्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया तथा स्वतन्त्रता की घोषणा सभाओं में पढी गई। जनवरी 30 को महात्मा गांधी ने सरकार के सामने 11 मांगें रखीं और सरकार को सूचना दी कि यदि ये मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह नागरिक अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करेंगे। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधीजी 12 मार्च को अपने 78 साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिये डाण्डी से रवाना हुए। इस सत्याग्रह का संदेश तत्काल सम्पूर्ण भारत में फैल गया। गांधीजी ने अप्रैल 6 को समुद्र के किनारे से नमक उठाकर सत्याग्रह आरम्भ किया। अब तो नमक ने जनता में शक्ति भर दी। लगभग 75000 व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। उनको सख्त सजायें दी गईं तथा उनकी सम्पत्ति जप्त कर ली गई। स्त्रियों ने शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देकर तथा चर्खों का प्रचार करके सत्याग्रह में भाग लिया। उनको भी गिरफ्तार किया गया तथा सजायें दी गईं।<sup>101</sup>



राजस्थान में सत्याग्रह का केन्द्र अजमेर रहा। अजु नलाल मेठी, विजयसिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, जीतमल लूणिया, रामनारायण चौधरी, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा आदि कई सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। अय राज्या के व्यक्तियों ने भी अजमेर आकर सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। व्यावर में अजमेर से भी अधिक जोश दिखाई दिया।

ऐसे ही वातावरण में साईमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पश की गई जो 7 जून 1930 को प्रकाशित की गई। इसने देशी राज्यों के लिये लगभग वही बातें कही जो बटलर कमीशन ने बतलाई थी। साईमन कमीशन ने यह सुझाव दिया कि 'भारत को एक सघ राज्य बनाया जाए जिसमें देशी राज्या व अंग्रेजी प्रांतों को सम्मिलित किया जाये। उनको आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दे दी जाये। देशी राज्यों के मामलों की देखरेख वायसराय के रूप में तथा अंग्रेजी प्रांतों का काम गवर्नर जनरल के रूप में एक ही व्यक्ति करता रहे।'<sup>10</sup> इस प्रकार का सघ बनाने से ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को अपने वश में रख सकती थी तथा उनको अंग्रेजी प्रांतों के विरुद्ध एक रोक भी बनाये रख सकती थी। उन्होंने जनता की आवाज तथा समय को नहीं पहचाना। उनके सामने ही रूस के बादशाह जार तथा जर्मनी के बादशाह केसर को जनता द्वारा हटाये जाने का उदाहरण था फिर भी उन्होंने इस पहलू पर कतई ध्यान नहीं दिया। ऐसा कर उन्होंने अनायाम ही जनता को अपना प्रबल विरोधी बना लिया।

### गोल मेज सम्मेलन

ब्रिटिश सरकार ने अब भारतीयों को ललचाने के लिये साईमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत का नया संविधान बनाने के लिये अंग्रेजी लोकसभा के 16 सदस्यों तथा अंग्रेजी प्रांतों व देशी राज्यों के 73 व्यक्तियों को भारत का प्रतिनिधि बनाकर, लन्दन में एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया जो 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लन्दन में चलता रहा। इस सम्मेलन में राजाओं ने बड़ी देशभक्तिपूर्ण बातें की। उन्होंने इस शत पर सघ शासन में आना स्वीकार किया कि उनके सवि अधिकार सुरक्षित रहे जावेग। मुस्लिम लीग ने भी सघ शासन स्वीकार कर लिया। सम्मेलन के अन्तिम दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नये शासन विधान की भावी योजना की रूपरेखा इस प्रकार बतलाई — 'भारत का भावी केन्द्रीय शासन एक सघीय विधान सभा के प्रति जिसमें अंग्रेजी प्रांतों और देशी राज्यों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित होंग,

अशत जिम्मेवार होगा क्योंकि सामरिक, विदेशिक और आर्थिक मामलो मे सघ सभा का नियन्त्रण नही रहेगा । प्रातो को शासन के आतरिक मामलो मे पूण स्वतन्त्रता दी जावेगी ।<sup>103</sup>

इस सम्मेलन की समाप्ति के 6 दिन बाद ही 26 जनवरी 1931 को कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्यो को जेल से छोड दिया गया । महात्मा गाधी ने 17 फरवरी को वायसराय लाड ईरविन से मुलाकात की और उससे समझौता 5 माच को किया । इसके अनुसार भारत को केन्द्रीय शासन मे कुछ सुरक्षित विषया को छोड आशिक उत्तरदायी शासन और प्रातो मे पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन मिलना था । इस समझौते पर 5 माच को हस्ताक्षर हुए और तब ही सत्याग्रह और अग्रेजी माल का वहिष्कार बंद कर दिया गया ।<sup>104</sup> समझौते के अनुसार सभी सत्याग्रही छोड दिये गये लेकिन अग्र्य क्रान्तिकारियो व तोड-फोड करन वाले गिरफ्तार सत्याग्रहियो के लिये कोई समझौता नही किया गया । इसी कारण इस समझौते के बाद ही 23 माच को प्रसिद्ध कातिकारियो— भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु को फासी दे दी गई और उनकी लाशे गुप्त रीति से नष्ट कर दी गई ।<sup>105</sup> जब जनता को इसका पता चला तो उन्हे बहुत दु ख हुआ । राष्ट्रवर्मियो और नवयुवको मे गाधीजी के नेतृत्व के प्रति गहरा असन्तोष फैल गया । फिर भी कांग्रेस के बराची अधिवेशन मे यह तय किया गया कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गोल मेज मे केवल गांधीजी करे जबकि वायसराय ने कांग्रेस के 16 प्रतिनिधि लेने की स्वीकृति दे दी थी । देशी राज्य लोक परिषद ने भी रियासती प्रजा का प्रतिनिधि गाधीजी को ही प्रनाया ।

ई० सन् 1931 की 7 सितम्बर से शुरु होने वाले द्वितीय गोल मेज सम्मेलन मे गाधीजी ने भाग लिया लेकिन मुस्लिम सम्प्रदायिक नेताओ और विशेष हितो के हिमायतियो ने गाधीजी की नही चलने दी । राजाओ के प्रतिनिधियो, जिनमे बीकानेर नरेश गंगासिंह मुग्य थे, ने प्रस्तावित सघ परिषद मे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियो को लिये जाने की माग का बहुत विरोध किया । इस सम्मेलन मे ज्यादा वाद-विवाद विधान सभाओ के निर्माण के सम्बन्ध मे, अर्थात् अल्प सरयको के विषय मे ही हुआ । लगभग चार माह तक सम्मेलन चला । गाधीजी के भारत मे आने के बाद ही सरकार ने नये दमनकारी तानून बनाकर कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया । गाधीजी तथा कई अग्र्य नेता शीघ्र गिरफ्तार कर लिये गये ।<sup>106</sup> राजस्थान मे भी कांग्रेस तथा इससे सम्बद्ध नौजवान भारत सभा, भारतीय सेवा दल आदि

संस्थाओं के कार्यकर्ता एकदम गिरफ्तार कर लिये गये। इन संस्थाओं की सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री मेकडोनल्ड ने शीघ्र ही मुसलमानों, सिक्खों, ईसाईयों, यूरोपियनों, एंग्लोइण्डियनों, अछूतों तथा मराठों के लिये अलग निर्वाचक मण्डल होने की घोषणा की ताकि इन अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। इनको जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा स्थान दिये। गांधीजी ने अछूतों को हिन्दुओं से अलग मानने का विरोध किया और इस कारण जेल में रहते आमरण उपवास किया जिसके कारण एक समझौता किया गया कि उनके अलग मतदाता नहीं होंगे लेकिन उनको काफी ज्यादा सीटें दे दी जावेगी। अछूतों के लिये तब से हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अछूतों के लिये तथा हरिजनों की उन्नति के लिये हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई।<sup>107</sup>

ब्रिटिश सरकार ने दिखावे के लिये गोलमेज सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक किया। यह सम्मेलन सविधान के सिद्धान्तों को निश्चय करने के लिये बराबरी के लोगों का नहीं था। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम नेताओं को नहीं बुलाया गया। रियासतों को इसकी कार्यवाहियों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस कारण किसी नरेश ने इसमें भाग नहीं लिया। उनका प्रतिनिधित्व उनके मंत्रियों व अधिकारियों ने किया। ब्रिटिश मजदूर दल ने भी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद 15 मार्च 1933 के ब्रिटिश सरकार ने श्वेतपत्र प्रकाशित किया जिसमें प्रस्तावित सविधान की पूरी रूपरेखा दी हुई थी। इसमें साइमन आयोग की प्रायः सिफारिशें थी परन्तु इसके दूसरे भाग में केन्द्र की संघीय भारत की योजना थी जो कुछ शर्तों पूरी जाने पर कार्यरूप में आनेवाली थी। शर्त यह थी कि राज्यों की एक निश्चित संख्या इस संघ के पक्ष में हो।<sup>108</sup>

### भारत सरकार अधिनियम 1935

यह अधिनियम पहली अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया। इसका एक भाग केन्द्रीय सरकार के गठन से सम्बन्धित था और उसे लागू करने के लिये यह शर्त थी कि पहले पर्याप्त संख्या में देशी राज्य संघ में सम्मिलित हो जाए लेकिन यह शर्त पूरी नहीं हुई। इस कारण संघीय विधान स्थगित रहा। अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार सारे भारत का एक संघ बनना था जिसमें अप्रैली भारत के प्रान्त और भारत के देशी राज्यों को भी सम्मिलित

होना था। वह शर्त पूर्ण न होने पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम कुछ सशोधनों के साथ लागू रहना था। अधिनियम 1935 के अनुसार सघीय सभा के दो सदन बनाए गए थे। ऊपरी सदन में 260 प्रतिनिधि होने थे जिनमें से 104 राजाओं द्वारा मनोनित होने थे। शेष 156 में से 75 साधारण, 6 अनुसूचित जाति, 4 मिदख, 49 मुसलमान, 6 स्त्रिया व 10 अन्य (6 एंग्लो-इंडियन, यूरोपियन व भारतीय ईसाई) व 6 गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित होने थे। इस प्रकार बहुसंख्यक हिन्दुओं के केवल 31 प्रतिशत सदस्य लिये जाने थे। अधिनियम के निर्माता चाहते थे कि शासन में रियासतों का विशेष हाथ हों ताकि सामाजिक बदलाव और राजनैतिक प्रगति में वे रोड़े अटकते रहे। इसी कारण रियासतों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 24 प्रतिशत होते भी उनको 40 प्रतिशत स्थान दिया गया। या राजस्व में भी खर्च का दसवा भाग देने वाले राज्यों को 4/10 भाग दिया जाना था। सघ की विधान सभा में भी 375 सदस्यों में से 125 सदस्य राज्यों के होते अर्थात् 24 प्रतिशत आवादी एक तिहाई प्रतिनिधित्व करती।<sup>109</sup>

इस प्रकार राजाओं के पक्ष में यह अधिनियम बनाने पर भी राजाओं ने अपनी पूव प्रतिष्ठा व सम्मान का बने रहने का आश्वासन चाहा। वे चाहते थे कि उनके संवैधानिक अधिकार, आंतरिक स्वायत्तता और सावभौमिकता पूर्व जैसी ही बनी रहे। जब उन्हें इसका आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने सघ में मिलने से मना कर दिया। ऐसा कर वे अपनी जनता की दृष्टि से गिर गये और साथ ही भारत के राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में भी। अंग्रेजी सरकार राजाओं से आशा करती थी कि वे सघ में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय तत्वा का विरोध करते रहेगे तथा गतिरोधात्मक भूमिका निभाते रहेगे। सघ में सम्मिलित न होकर वे उनकी दृष्टि में भी महत्वहीन हो गये। वाइसराय लिनलिथगो ने अधिनियम लागू होने के बाद भी राजाओं को सघ में मिलाने के प्रयत्न जारी रखे। मार्च 1939 में नरेन्द्र मडल के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुये वाइसराय ने यहाँ तक कहा कि रियासतों ने जो भी प्रश्न उठाये थे उनका निणय कर दिया गया है और सशोधित अधिमिलन प्रलेख हस्ताक्षर के लिये नरेशों के पास भेज दिया गया है। वाइसराय ने रियासतों को आश्वासन दिया कि राज्यों में संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन करना पूर्ण रूप से नरेशों के ही अधिकार में होगा और सरकार उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगी। इस पर 10 जून 1939 को नरेशों व उनके

मंत्रियों ने पुन विचार किया लेकिन उन्हें नया अधिमिलन प्रलेख और फंडरेशन की शर्तें असतोषप्रद तथा अस्वीकार्य जान पड़ी अतः कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। पुन वार्ता चली लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अंग्रेजों का उनपर विश्वास न रहा। तब ही द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया और सभ योजना गट्टाई में पड़ गई।<sup>110</sup> अब राजाओं व उनकी जनता के बीच कटुता बढ़ती ही गई।

### प्रजा मण्डलों की स्थापना

ई० सन् 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन ने राजस्थान की जनता को नई जागृति दी। ब्रिटिश सरकार ने गोल मेज सम्मेलन में राजाओं को आश्वासन दिया कि उनके साथ की गई संधियों के अनुसार राज्यों में होने वाले आंदोलनों से उनकी रक्षा की जावेगी लेकिन जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ भी नहीं किया। अतः जनता में केवल ब्रिटिश सरकार वल्वि अपने राजाओं के प्रति भी अपनी परम्परागत श्रद्धा भावना को छोड़ने लगी। अब वह उत्तरदाई शासन की बराबर मांग करने लगी।

लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों में जनता के पथ प्रदर्शन तथा राजनैतिक जागृति के लिए वहाँ भी मगठन बने।<sup>111</sup> इसके फलस्वरूप कुछ राज्यों में प्रजामण्डल स्थापित हुए। जयपुर में नवयुवक सभ तथा वाल भारत सभाएँ स्थापित हुईं। नवम्बर 1931 में पुष्कर में चादकरण शारदा के सभापतित्व में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ।<sup>112</sup>

ई० सन् 1930 में जब भारत में नागरिक अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हुआ तब जोधपुर के जयनारायण व्यास, गणेशलाल व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, मानमल जैन, अभयमल मेहता आदि युवक कायकर्ताओं ने अजमेर जाकर सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुए। अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय, स्वामी कुमारानन्द आदि गिरफ्तार कर लिये गये। जनवरी 26 को राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण जोधपुर में छगनलाल चौपासनीवाला पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा गया।<sup>113</sup> सन् 1932 में बीकानेर में सीताराम सराफ, स्वामी गोपालदास आदि आठ कांग्रेसी नेताओं पर राजद्रोह एवं पडयन के मुकद्दमे चलाये गये और सत्यनारायण सराफ को 7 वर्ष, खूबराम सराफ को 5 वर्ष, स्वामी गोपालदास को 4 वर्ष, चंदनमल बहड को 3 वर्ष तथा शेष चार को दो वर्ष से तीन माह

तक की सजाये दी गई ।<sup>114</sup> इस प्रकार की कठोर सजाये देने में राज्य का एक-मात्र उद्देश्य सारे राज्य में आतंक पैदा कर जनता को भयभीत करना था । फिर भी यहाँ के निवासियों ने कलकत्ता में ई० सन् 1935 में प्रजा मण्डल की स्थापना की तथा वहाँ से लोगों में प्रचार किया । अगले वर्ष वीकानेर नगर में भी प्रजा मण्डल की स्थापना की गई । महाराजा ने श्रीधर ही उसके कार्य-कर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया ।<sup>115</sup> यो वीकानेर नरेश गंगासिंह अपने को अत्यन्त प्रगतिशील व सुधारक नरेश बतलाता था । वह साम, दाम दंड व भेद की नीतियाँ में पारंगत था । ई० सन् 1937 में तत्कालीन जोधपुर राज्य के प्रधान मंत्री बनल फिट्ट को जयनारायण व्यास को सहायता देने के विषय में, एक पत्र लिखकर वह अपने को राष्ट्रीय नेताओं का हृदय बन्ने का प्रयत्न भी कर चुका था ।<sup>116</sup> लेकिन अपने राज्य की जनता के राजनैतिक व नागरिक अधिकारों को कुचलने में उसने कोई कसर नहीं रखी ।

जोधपुर में 1934 में भागवाड राज्य प्रजामण्डल स्थापित हुआ । ई० सन् 1934 में रणछोडदास गढ़ाणी की अध्यक्षता में नागरिक स्वतन्त्रता सघ स्थापित हुआ ताकि नागरिक स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन किया जा सके । इन समस्याओं की राजनैतिक गतिविधियों को देखकर राज्य सरकार ने दोनों समस्याओं को ई० सन् 1936 में ही गैरकानूनी घोषित कर दिया । जोधपुर प्रजा मण्डल के कुछ कार्यकर्त्ता नजरबंद कर दिये गये । अगले वर्ष कुछ और गिरफ्तारियाँ राज्य को भारत सघ में मिलने के मामले को लेकर की गई । प्रजामण्डल तथा नागरिक स्वतन्त्रता सघ की समाप्ति पर एक नई समस्या भारवाड लोक परिषद मई 1938 में महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदाई सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई ।<sup>117</sup>

सिरोही राज्य के कुछ लोगों ने बम्बई में ई० सन् 1935 में प्रजा मण्डल की स्थापना कर वहाँ से ही राज्य में चल रही धाधली का विरोध करना तथा उत्तरदाई सरकार की स्थापना करने की माँग करना आरम्भ किया । इनमें गोबुलभाई भट्ट, भीमशंकर शर्मा, टेकचंद सिंधी, वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भवूतमल सिंधी आदि मुख्य थे । ई० सन् 1939 की जनवरी 22 को जब कायकर्त्ताओं ने एक राजनैतिक सभा सिरोही नगर में की तब सात व्यक्तियों—गोबुल भाई भट्ट, पुसराज सिंधी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया । इसका जनता ने बड़ा विरोध किया । पाँच दिन तक विरोध चलता रहा अतः राज्य सरकार को उन्हें रिहा करना छोड़ना पड़ा । उस समय ही यहाँ प्रजा मण्डल की स्थापना हुई ।

इसको गतिविधियों को देखकर राज्य ने इसे नवम्बर 1939 में गैरकानूनी सस्था घोषित कर दिया तथा इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।<sup>118</sup>

भरतपुर राज्य में ई० सन् 1928 में प्रजा मण्डल की स्थापना सच्चिदानन्द व गोपीलाल यादव ने की। उस समय तक यहाँ के प्रगतिशील नरेश कृष्णसिंह को उत्तरदाई सरकार बनाने के प्रयत्न को विफल करने हेतु राजगद्दी से हटाया जाकर प्रशासन अग्रेज अधिकारी मेकेजी के हाथ में आ गया था। प्रजा परिषद इसी के कारण समाप्त हो गई। उसी निरवशता के विरुद्ध देशराज, गोकुल वर्मा, जगन्नाथ कक्कड़, हरिश्चन्द्र शर्मा आदि ने आन्दोलन किया। छात्रों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के कारण यहाँ के अध्यापक आदित्येन्द्र को त्यागपत्र देना पड़ा। ई० सन् 1939 में यहाँ प्रजा परिषद की स्थापना हुई। इसका पंजीयन नहीं किया गया। इसका विरोध करने पर लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, कुजविहारिलाल मोदी, शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, मास्टर भोलानाथ, अब्दुल गफूर, हरिनारायण किवर, सुशीला त्रिपाठी आदि गिरफ्तार कर लिये गये।<sup>119</sup>

जयपुर राज्य के भुभनू क्षेत्र में किसानों ने भी अपनी मांगों के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। ई० सन् 1930 में भुभनू के 2,000 किसान अपने अधिकारों हेतु महाराजा से बातचीत करने के लिये जयपुर भी गये लेकिन कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला। ई० सन् 1934 में सीकर में एक जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया जो दस दिन तक चला। इसमें लगभग 80,000 किसान इकट्ठे हुए। ऐसे वृहत् सम्मेलन को देखकर राज्य सरकार घबरा गई और किसानों का दमन करना आरम्भ किया। सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। नरसिंह, मास्टर रत्नसिंह, किशनलाल जोशी आदि को राज्य से निकल जाने का आदेश दिये गये। नरसिंहदास व किशनलाल जोशी ने राज्य से बाहर जाने से इन्कार कर दिया। अतः उनको गिरफ्तार कर सख्त बंद की सजा दी गई। सीकर ठिकाने के अत्याचार चल रहे थे कि सिहोर के ठाकुर ने कुछ किसान स्त्रियों का अपमान कर दिया—कुछ स्त्रियों को बाल पकड़ कर घसीटा और पीटा। इस पर लगभग 10,000 स्त्रियों ने सम्मिलित होकर मांग रखी कि इस प्रकार अपमान करने के कारण ठाकुर को सजा दी जावे, किसानों की मांगें स्वीकार की जावे तथा बंदोबस्त जयपुर रियासत की देखरेख में कराया जावे। किसानों ने लगान न देने का विचार करते अपनी मांगें जयपुर के दीवान के समक्ष रखी। जयपुर दरवार ने

ऐसी परिस्थितियों में सीकर में कैप्टन वेब को नियुक्त कर दिया ताकि वहाँ किसानों के हित में सुधार कर सके।<sup>120</sup> फिर भी किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ और उनमें असन्तोष व्याप्त रहा।

सन् 1939 में जमनालाल बजाज के प्रयत्नों से जयपुर में प्रजा मण्डल की स्थापना हुई। इसका राज्य ने पजीयन नहीं किया। बजाज द्वारा विरोध करने पर उसे राज्य की सीमा में घुसने से मना कर दिया गया। इसके विरोध स्वरूप जमनालाल बजाज ने फरवरी 1939 में जयपुर राज्य में घुसने का प्रयास तीन बार किया। दो बार वह राज्य की पुलिस द्वारा पकड़ा जाकर जयपुर राज्य की सीमा में ग्राहुर ले जाया जाकर छोड़ा गया। अंत में तीसरी बार 12 फरवरी को उसे नजरबन्द कर दिया गया। इस विरोध में प्रजा मण्डल ने सत्याग्रह चलाया जिसके कारण हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटसी, चिरजीलाल मिश्र, हरिश्चन्द्र शर्मा, हंस डी० राय आदि लगभग 600 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। यह सत्याग्रह 18 मार्च तक चला। अंत में राज्य सरकार का प्रजा मण्डल से समझौता हो गया। अगस्त 7 को जमनालाल बजाज व अन्य सत्याग्रही छोड़ दिये गये।<sup>121</sup>

जैसलमेर राज्य में जन जागृति का आरम्भ रघुनार्थसिंह मेहता ने किया। महाराजा को उसका यह काय खटना और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जीवनलाल कोठारी ने कुछ काम किया लेकिन वह भी जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में प्रवासी जैसलमेरियों ने बड़ा आन्दोलन किया।<sup>122</sup> सागरमल गोपा, जो नागपुर में बैठा जैसलमेर राज्य के जुल्मों के विरुद्ध आवाज बुलन्द करता रहता था, जैसलमेर आया। वह भी 25 मई ई० सन् 1941 में गिरफ्तार कर लिया गया। वह ई० सन् 1946 की 4 अप्रैल को जेल में ही जीवित जला दिया गया।<sup>123</sup> रियासत के अत्याचार की यह पराकाष्ठा थी।

उदयपुर राज्य में कुछ नये करों तथा अधिकारियों के द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण जनता ने राज्य के विरुद्ध एक प्रबल प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा जनता पर लाठी के प्रहार किये गये। अंत में जनता ने नगर में सात दिन तक हड़ताल रखी। अंत में सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा और महाराणा को उनवी शिक्षायतो को दूर करने का आग्रह देना पड़ा। जब कांग्रेस ने रियासती जनता को मलाह दी कि उसे राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये अपने पावों पर खड़ा होना चाहिये तब यहाँ भी अप्रैल 1938 में पलवन्तसिंह मेहता की अध्यक्षता में प्रजा मण्डल की



स्थापना हुई लेकिन वह शीघ्र ही राज्य द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अतः अक्टूबर 1938 में वहाँ सत्याग्रह किया गया गया। भूरेलाल व्यास, रमेशचन्द्र व्यास, बलवन्तसिंह मेहता, दयाशंकर श्रोत्रिय, नरेन्द्रपालसिंह चाधरी आदि लगभग 213 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये जिनमें से 35 को सजा दी गई।<sup>14</sup> सत्याग्रह का जोर उदयपुर के अलावा नाथद्वारा व भीलवाटा में विशेष रहा। इस आन्दोलन के संचालक माणकलाल वर्मा उदयपुर से निर्वासित कर दिये गये। वह प्रजा मण्डल का कार्यालय अजमेर ले आये और वहाँ से कार्य चालू रखा। 2 फरवरी 1939 में उदयपुर राज्य पुलिस ने उन्हें देवली से जबरदस्ती उड़ा लिया और अपने राज्य में ले जाकर जेल में बंद कर दिया। महात्मा गांधी के आदेश से 3 मार्च को सत्याग्रह बंद कर दिया गया। सभी कार्यकर्त्ता 1940 में रिहा किये गये लेकिन प्रजा मण्डल से प्रतिरोध 1941 में हटा।<sup>125</sup>

विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से राजनैतिक चेतना बढ़ती देखकर बम्बई में नवम्बर 1938 में विभिन्न राज्यों के नरेशों व मंत्रियों ने बीकानेर नरेश गार्गसिंह की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि रियासतों में बाहरी आन्दोलनकारियों को घुसने नहीं दिया जावे तथा प्रजा मण्डलों आदि नाम वाली राजनैतिक सस्थाओं को समाप्त कर दिया जावे। यह भी तय किया गया कि स्थानीय आन्दोलनकारियों की शिकायतों को जहाँ तक हो सके जांच कर दूर कर दिया जावे तथा उनका ध्यान कुछ और प्रवृत्तियों—हरिजन सुधार, ग्रामीण विकास आदि की ओर लगा दिया जावे।<sup>116</sup> उसी वर्ष राज्यों में जन सुरक्षा कानून व सावजनिक सस्था कानून लगा कर प्रजा मण्डलों की स्थापना करने में बाधाएँ डाली गईं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से राजाओं व जनता के बीच सम्बन्ध बिगड़ते ही गये। जनता अब राजाओं की निरकुशता सहने को कतई तैयार नहीं थी। विभिन्न रियासतों की जनता को विश्वास हो गया कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

### द्वितीय विश्वयुद्ध

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत अंग्रेजी प्रान्तों में जो चुनाव 1936-37 में हुये उसमें कांग्रेस को अपूर्व सफलता मिली। उन्हें अब विश्वास हो गया कि यदि देशी राज्यों में भी चुनाव होते तो वे अवश्य सफलता प्राप्त

करते । कांग्रेस और देशी राज्यों में उसकी प्रतिरूप सस्थाओं—लोक परिषद व प्रजा मण्डल—ने उत्तरदायी शासन की मांग के लिये आन्दोलन तेजी से आरम्भ कर दिये । तब ही 3 सितम्बर 1939 को यूरोप में अंग्रेजों का जर्मनी से युद्ध शुरू हो गया ।

द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के पहले ही युद्ध की आशंका से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत सरकार (सशोधन) अधिनियम 1939 पारित कर युद्ध की स्थिति में भारत सरकार को प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय विषयों के प्रशासन के लिये ज्यादा अधिकार दे दिये । कांग्रेस ने इस सशोधन को प्रान्तीय स्वशासन को नष्ट करना व तानाशाही स्थापित करना बतलाया । महायुद्ध के आरम्भ होते ही वायसराय ने भी भारत को युद्ध में रत घोषित कर दिया । कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया व मांग की कि ब्रिटिश सरकार भारत के भावी शासन के लिये भी घोषणा करे लेकिन वायसराय ने 17 अक्टूबर 1939 के वक्तव्य में यही बतलाया कि युद्ध के बाद ही सब दलों से राय लेकर भारत सरकार अधिनियम में परिवर्तन करेगी तथा उसका अन्तिम ध्येय डोमिनियन पद देना ही है । कांग्रेस ने इस घोषणा की निंदा की तथा 8 कांग्रेसी मंत्रीमण्डलों ने नवम्बर 1939 में स्तीफा दे दिया ।<sup>12</sup>

कांग्रेस का इस प्रकार विरोध स्वरूप मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था । उसका यह कदम आगे चलकर देश के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ । अब तक कांग्रेस का देश के आधे भाग—आठ प्रांतों पर शासन होने से वह बहुत ही शक्तिशाली बनो हुई थी । इस कारण वह आगे किसी भी समझौते में बहुत ही महत्व रख सकती थी । इस प्रकार अपने आप मंत्रीमण्डल से अलग हो जाने पर वह शक्तिहीन हो गई । तब में अंग्रेज हिन्दू-बहुसंख्यक कांग्रेस को अपना शत्रु तथा मुसलमानों को, जिन्होंने इस समय युद्ध प्रयत्नों में अंग्रेजों को सहायता देना स्वीकार कर लिया था, अपना मित्र समझने लगी । अतः ब्रिटिश सरकार अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग, जो यद्यपि कहीं भी अपना मंत्रीमण्डल नहीं बना सकी थी, के बराबर ही मानने लगी । इसी कारण अंग्रेजों के पक्षपात व कूटनीति के कारण आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ ।

एक ओर जहाँ कांग्रेस ने आरम्भ से ही अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने से इकार किया वहाँ भारतीय नरेशों ने युद्ध आरम्भ होते ही न केवल स्वयं बल्कि अपने राज्यों के पूरे साधनों से युद्ध में सहायता देने के लिये, वायसराय

स्थापना हुई लेकिन वह शीघ्र ही राज्य द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अतः अक्टूबर 1938 में वहाँ सत्याग्रह किया गया। भूरेलाल व्यास, रमेशचन्द्र व्यास, बलवन्तसिंह मेहता, दयाशंकर श्रोत्रिय, नरेन्द्रपालसिंह चौधरी आदि लगभग 213 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये जिनमें से 35 को सजा दी गई।<sup>12</sup> सत्याग्रह का जोर उदयपुर के अलावा नाथद्वारा व भीलवाड़ा में विशेष रहा। इस आंदोलन के संचालक माणकलाल वर्मा उदयपुर से निर्वासित कर दिये गये। वह प्रजा मण्डल का कार्यालय अजमेर ले आये और वहाँ से कार्य चालू रखा। 2 फरवरी 1939 में उदयपुर राज्य पुलिस ने उन्हें देवली से जबरदस्ती उड़ा लिया और अपने राज्य में ले जाकर जेल में बन्द कर दिया। महात्मा गांधी के आदेश से 3 मार्च को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। सभी कार्यकर्त्ता 1940 में रिहा किये गये लेकिन प्रजा मण्डल से प्रतिबंध 1941 में हटा।<sup>13</sup>

विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से राजनैतिक चेतना बढ़ती देखकर दिसम्बर में नवम्बर 1938 में विभिन्न राज्यों के नरेशों व मंत्रियों ने बीकानेर नरेश गंगासिंह की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि रियासतों में बाहरी आन्दोलनकारियों को घुसने नहीं दिया जावे तथा प्रजा मण्डलों आदि नाम वाली राजनैतिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया जावे। यह भी तय किया गया कि स्थानीय आन्दोलनकारियों की शिकायतों को जहाँ तक हो सके जांच कर दूर कर दिया जावे तथा उनका ध्यान कुछ आर प्रवृत्तियों—हरिजन सुधार, ग्रामीण विकास आदि की ओर लगा दिया जावे।<sup>14</sup> उसी वर्ष राज्यों में जन सुरक्षा कानून व सावजनिक संस्था कानून लगा कर प्रजा मण्डलों की स्थापना करने में बाधाये डाली गई। इस प्रकार स्पष्ट रूप से राजाओं व जनता के बीच सम्बन्ध विगड़ते ही गये। जनता अब राजाओं की निरकुशता सहने को तैयार नहीं थी। विभिन्न रियासतों की जनता की विश्वास ही गया कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

### द्वितीय विश्वयुद्ध

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत अंग्रेजी प्रांतों में जो चुनाव 1936-37 में हुये उसमें कांग्रेस को अपूर्व सफलता मिली। उह अब विश्वास हो गया कि यदि देशी राज्यों में भी चुनाव होते तो वे अवश्य सफलता प्राप्त

करते। कांग्रेस और देशी राज्यों में उसकी प्रतिरूप संस्थाओं—लोक परिषद व प्रजा मण्डल—ने उत्तरदायी शासन की मांग के लिये आन्दोलन तेजी से आरम्भ कर दिये। तब ही 3 सितम्बर 1939 को यूरोप में अंग्रेजों का जर्मनी से युद्ध शुरू हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के पहले ही युद्ध की आशंका से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत सरकार (सशोधन) अधिनियम 1939 पारित कर युद्ध की स्थिति में भारत सरकार को प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय विषयों के प्रशासन के लिये ज्यादा अधिकार दे दिये। कांग्रेस ने इस सशोधन को प्रान्तीय स्वशासन को नष्ट करना व तानाशाही स्थापित करना बतलाया। महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही वायसराय ने भी भारत को युद्ध में रत घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया व मांग की कि ब्रिटिश सरकार भारत के भावी शासन के लिये भी घोषणा करे लेकिन वायसराय ने 17 अक्टूबर 1939 के वक्तव्य में यही बतलाया कि युद्ध के बाद ही सब दलों से राय लेकर भारत सरकार अधिनियम में परिवर्तन करेगी तथा उसका अंतिम ध्येय डोमिनियन पद देना ही है। कांग्रेस ने इस घोषणा की निंदा की तथा 8 कांग्रेसी मंत्रीमण्डल ने नवम्बर 1939 में स्तीफा दे दिया।<sup>12</sup>

कांग्रेस का इस प्रकार विरोध स्वरूप मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे देना कोई बुद्धिमानों का काम नहीं था। उसका यह कदम आगे चलकर देश के लिये अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। अब तक कांग्रेस का देश के आधे भाग—आठ प्रांतों पर शासन होने से वह बहुत ही शक्तिशाली बनी हुई थी। इस कारण वह आग किसी भी समझौते में बहुत ही महत्व रख सकती थी। इस प्रकार अपने आप मंत्रीमण्डल से अलग हो जाने पर वह शक्तिहीन हो गई। तब से अंग्रेज हिन्दू-बहुसंख्यक कांग्रेस का अपना शत्रु तथा मुसलमानों को, जिन्होंने इस समय युद्ध प्रयत्नों में अंग्रेजों को सहायता देना स्वीकार कर लिया था, अपना मित्र समझने लगी। अतः ब्रिटिश सरकार अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग, जो यद्यपि कहीं भी अपना मंत्रीमण्डल नहीं बना सकी थी, के बराबर ही मानने लगी। इसी कारण अंग्रेजों के पक्षपात व कूटनीति के कारण आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ।

एक और जहाँ कांग्रेस ने आरम्भ से ही अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने से इकार किया वहाँ भारतीय नरेशों ने युद्ध आरम्भ होने ही न केवल स्वयं बल्कि अपने राज्यों के पूरे माधनों से युद्ध में सहायता देने के लिये, वायसराय



के प्रतिनिधि—वीकानेर, नवानगर व पटियाला नरेश—क्रिप्स से मिले और यह तय किया गया कि अपनी रियासतों की अखण्डता और प्रभुसत्ता के अनुरूप राजा लोग देश के हित में सभी सम्भव सहयोग देने को तैयार हैं। क्रिप्स ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया लेकिन उन्होंने उन प्रस्तावों को अपने-अपने दृष्टिकोण से अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स वापस लौट गया।

जून 1942 में जापान के सहयोग से अंग्रेजी सेना के साथ बन्दी हुए वप्तान मोहनसिंह ने 16,000 भारतीय सैनिकों की आजाद हिन्द सेना, भारत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की प्रेरणा से, गठित की। सुभाषचन्द्र बोस ने जर्मनी से सिंगापुर पहुँच कर वहाँ के भारतीयों का नेतृत्व और आजाद हिन्द सेना की वागडोर 4 जुलाई 1943 को सम्भाल ली। उसके प्रभाव ने पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासियों में नई जान फूँक दी। ई० सन् 1943 की 21 अक्टूबर को एक अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई जिसको जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों ने मान्यता दे दी। अब यह सेना भारत के पूर्वी सीमान्त पर आक्रमण करने लगी।<sup>129</sup>

क्रिप्स के लौट जाने पर भारत में कांग्रेस ने यह तय किया कि देश के लिए तथा महायुद्ध का सक्कट टालने के लिये आवश्यक है कि अंग्रेजों का भारत से साम्राज्य समाप्त हो जावे। अतः गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने “अंग्रेजों भारत छोड़ो” प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित होते ही गांधीजी तथा कांग्रेस के सभी बड़े नेता 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये। जनता पर यह एक बड़ा वज्रपात था। उनमें इतना रोष भर गया कि उन्होंने तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाही बहुत बड़े पैमाने पर की जिसके कारण अंग्रेजी सरकार को शासन चलाना कठिन हो गया। सैकड़ों व्यक्तियों को सेना व पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। हजारों को जेलों में बन्द होना पड़ा।<sup>130</sup> अंग्रेजों ने इस राष्ट्रीय आन्दोलन को इस प्रकार बड़ी क्रूरता से दबाया। अब उन्हें आशावादी हो गई कि इस दश को गुनाम बनाये रखना सम्भव नहीं है।

ई० सन् 1945 की अगस्त तक अमरीकी सहायता से अंग्रेज महायुद्ध में विजय पा गये। ‘आजाद हिन्द सेना’ का काफी बड़ा भाग बन्दी बना लिया गया। अंग्रेजों ने यही ठीक समझा कि वे भारत की जनता का सहयोग लेकर ही यहाँ का शासन चलायें। 14 जनवरी 1945 को कांग्रेस

को लिया। चीकानेर नरेश गगासिंह इनमें सबसे प्राग् रहे। उमने सितम्बर 6 को ही वायसराय को तार भेजकर युद्ध कार्यों में लगाने के लिये सम्राट को उठ लास रुपये और 1000 पाउंड भेंट किये। राज्य की काफी सेना-मुत्तर् सेना (गगा रिसाला), मादूल नाइट इन्फेन्टी, विजय वेदरी आदि को यूरोप में लडने को भेजा। इसके अलावा चीकानेर में एक युद्धबंदी शिविर तथा युद्ध में घायलो और गीमारा के लिये दो मैनिक् अस्पताल खोले गये। छोटे टैंक और वायुयान खरीदने, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को मुनिघा दन, लन्दन की जनता की महायता करने तथा रैडक्रास जैसे अर्य महायता कार्यों के लिये महाराजा ने निजी कोष और रियासत की ओर से 15,19,063 रुपये, छ्द आना दो पाई की आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार एक दूसरी रियासत अलवर की जय पल्टन लगभग 6 वष तक युद्ध में रही। यहा के 14,000 रगम्ट भारतीय सेना में तथा 2,000 रगस्ट राज्य की सेना में भर्ती किये गये। राज्य के लगभग 4500 व्यक्ति विदेशों में युद्ध लडने रहे जिनमें से 400 युद्ध बंदी हुए। राज्य ने 1,42,000 रु० के दो लडाकू हवाई जहाज दिये तथा युद्ध प्रयोजना के लिये 6,68 000 रुपये दिये गये। इसके अलावा 1,25,000 रुपये अर्य कार्यों के लिये दिये गये। लगभग साठ लाख रुपये युद्ध ऋणों में दिये गये। इस प्रकार अर्य राजस्थानी नरेश भी अंग्रेजा को युद्ध सहायता देने में एक दूसरे से होड लगाते रहे। कई नरेश—चीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बून्दी आदि स्वय युद्ध क्षेत्र में भी गये।

महायुद्ध शीघ्र ही यूरोप के अलावा एशिया में भी आरम्भ हो गया। ई० मन् 1941 के अन्त में जापान के युद्ध में प्रवेश करने पर युद्ध भारत की सीमा तक पहुँच गया। अंग्रेजी सेना जापान से बगबर हारती जा रही थी। अत अंग्रेजा ने भारतीय नेताओं से समझौता करना चाहा ताकि वे किसी न किसी प्रकार उनके युद्ध प्रयत्नों में समर्थन देने लग जावें। अत माच 1942 में सर स्टफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार ने इन प्रस्तावों के साथ भारत भेजा कि महायुद्ध के समाप्त होते ही भारत को डोमिनियन पद दे दिया जावेगा तथा भारतीय अघना सविधान बना सकेंगे तथा फिलहाल, सिवाय प्रतिरक्षा विभाग के, समस्त विभाग भारतीयों को सौंप दिये जावेगे और इस प्रकार केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बना दी जावेगी। ये प्रस्ताव भारतीयों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने थे। रियासतों के मामले में इन प्रस्तावों में पहले के समझौतों पर पुनर्विचार करने की बात भी कही गई थी।<sup>128</sup> राजाओं

के प्रतिनिधि—बीकानेर, नवानगर व पटियाला नरेश—क्रिप्स से मिले और यह तय किया गया कि अपनी रियामतो की अखण्डता और प्रभुसत्ता के अनुरूप राजा लोग देश के हित में सभी सम्भव सहयोग देने को तैयार हैं। क्रिप्स ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया लेकिन उन्होंने उन प्रस्तावों को अपने-अपने दृष्टिकोण से अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स वापस लौट गया।

जून 1942 में जापान के सहयोग से अंग्रेजी सेना के साथ बंदी हुए कप्तान मोहनसिंह ने 16,000 भारतीय सैनिकों की आजाद हिन्द सेना, भारत के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस की प्रेरणा से, गठित की। सुभाषचन्द्र बोस ने जर्मनी से सिंगापुर पहुँच कर वहाँ के भारतीयों का नेतृत्व और आजाद हिन्द सेना की बागडोर 4 जुलाई 1943 को सम्भाल ली। उसके प्रभाव ने पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासियों में नई जान फूँक दी। ई० सन् 1943 की 21 अक्टूबर को एक अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई जिसको जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों ने मान्यता दे दी। अब यह सेना भारत के पूर्वी सीमान्त पर आक्रमण करने लगी।<sup>129</sup>

क्रिप्स के लौट जाने पर भारत में कांग्रेस ने यह तय किया कि देश के लिए तथा महायुद्ध का संकट टालने के लिये आवश्यक है कि अंग्रेजों का भारत से साम्राज्य समाप्त हो जावे। अतः गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने “अंग्रेजों भारत छोड़ो” प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित होते ही गांधीजी तथा कांग्रेस के सभी बड़े नेता 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये। जनता पर यह एक बड़ा वज्रपात था। उनमें इतना रोष भर गया कि उन्होंने तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कायदाइया बहुत बड़े पैमाने पर की जिसके कारण अंग्रेजी सरकार को शासन चलाना कठिन हो गया। सैंकड़ों व्यक्तियों को सेना व पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। हजारों को जेलों में बन्द होना पड़ा।<sup>130</sup> अंग्रेजों ने इस राष्ट्रीय आन्दोलन को डम प्रचार बड़ी क्रूरता से दबाया। अब उन्हें आशंका हो गई कि इस देश को गुलाम बनाये रखना सम्भव नहीं है।

ई० सन् 1945 की अगस्त तक अमरीकी सहायता से अंग्रेज महायुद्ध में विजय पा गये। ‘आजाद हिन्द सेना’ का काफी बड़ा भाग बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने यही ठीक समझा कि वे भारत की जनता का सहयोग लेकर ही यहाँ का शासन चलायें। 14 जनवरी 1945 को कांग्रेस



वायकारिणी के सदस्य जेलो से छोड़ दिये गये। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वैवेल ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलवाया ताकि वायसराय की वायकारिणी समिति का पुनर्गठन हिन्दुओं व मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जा सके। कांग्रेस किसी हद तक ममभौता करने को तैयार हो गई लेकिन मुस्लिम लीग ने आड लगा दी अतः कोई ममभौता नहीं हो सका।<sup>131</sup>

### कांग्रेस द्वारा प्रजामण्डलों को सहयोग

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (ई० सन् 1920) में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कांग्रेस सभी नरेशों से अपील करती है कि वे अपने राज्यों में तत्काल उत्तरदायी सरकार स्थापित कर देवे।<sup>132</sup> इस अधिवेशन के बाद राज्यों की प्रजा को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाने लगा और राज्यों को भारत में कांग्रेस के प्रांतीय मण्डलों के साथ जोड़ा गया। कोई भी राज्य निकटवर्ती जिला कांग्रेस मण्डल के साथ जोड़ा जा सकता था और वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बनकर अपना कांग्रेस अधिवेशन में भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे। यह सब कुछ करते हुए भी कांग्रेस राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (ई० सन् 1935) में यह घोषणा की गई कि 'उसकी सम्मति में भारत के प्रत्येक नागरिक को एक ही प्रकार के राजनैतिक, नागरिक व प्रजातन्त्रात्मक अधिकार मिलने चाहिये। जो राज्यों की प्रजा को अपने अधिकारों के लिये स्वयं प्रयास करना चाहिये।'<sup>133</sup> इस प्रकार कांग्रेस राज्यों के मामलों में केवल सहानुभूति रखती रही लेकिन उसने कभी खुले रूप से उनकी सहायता नहीं की। इसी कारण बटलर समिति के सामने तथा गोल मेज सम्मेलन में राज्यों की जनता को अपनी आवाज बुलन्द करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। कांग्रेस के अलावा अन्य राजनैतिक दलों—हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग आदि ने भी राज्यों की प्रजा को कोई सहायता नहीं दी। अतः राज्यों की जनता को बराबर ब्रिटिश भारत के राजनीतियों के प्रति रोष बना रहा।

जब कांग्रेस की, राज्यों की जनता के प्रति भावना की, ज्यादा ही आलोचना होने लगी तब कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 5 मार्च 1938 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 'कांग्रेस गियासतो को भारत का ही एक भाग मानती है जिन्हें उसमें कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अतः शेष भारत में जिस प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता

वह चाहती है वैसी ही रियासतों के लिये भी वह चाहती है, ऐसा उसका मत है। पूण स्वराज्य अर्थात् सम्पूर्ण स्वाधीनता कांग्रेस का ध्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के लिये है। चू कि रियासतों और गेप भारत की स्थिति अलग-अलग है, इसलिए कांग्रेस की नीति रियासतों के लिये सामान्यतः ठीक नहीं जचती है। वह शायद रियासतों की स्वतन्त्रता की हलचल के स्वाभाविक विकास के लिये बाधक भी हो। आज की परिस्थिति में रियासतों में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहाँ की जनता को ही उठाना चाहिये। कांग्रेस की शुभ कामनायें और समर्थन ऐसे शांतिपूर्वक और उचित तरीके पर चलाये जाने वाले सघर्षों को सदा मिलते रहेंगे लेकिन कांग्रेस सगठन की यह सहायता वर्तमान परिस्थितियों में केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप में ही होगी। राज्य की जनता द्वारा कोई भीतरी आन्दोलन कांग्रेस के नाम से नहीं उठाना चाहिये। इसके लिये राज्यों में स्वतन्त्र सगठन स्थापित किये जावे और यदि पहले से ही हो तो उनको जारी रखना चाहिये।”<sup>134</sup>

उपरोक्त प्रस्ताव का रियासतों की जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। इसके कारण राज्यों में जागृति और क्रियाशीलता की अपूर्व लहर आई। राज्यों के आन्दोलनों को और भी ज्यादा बल मिला जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता ई० मन् 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सम्भाली। तब नेहरू ने कहा था— ‘कई लोग कांग्रेस के रियासतों के प्रति रुख की आलोचना करते हैं लेकिन यह कांग्रेस व भारत की जनता को तय करना है कि कब और कैसे वे हस्तक्षेप करेंगे तथा कौनसी नीति अपनायेंगे ताकि हस्तक्षेप प्रभावशाली व सफल हो।’<sup>135</sup> नेहरूजी के नेतृत्व में देशी राज्यों की जनता शायद कोई ज्यादा प्रभावशाली कदम उठाती लेकिन तब ही (ई० मन् 1939 सितम्बर) दूसरा महायुद्ध छिड गया। अतः अभी का ध्यान उस ओर चला गया।

अब तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में प्रजा मण्डल आदि नामों से नये राजनैतिक सगठन स्थापित हो गये थे। इन सगठनों ने वहाँ की जनता में अपूर्व जागृति ला दी थी। यह देखकर वहाँ के शासकों ने इस जागृति को कुचलने के उद्देश्य से जायदा फौजदारी सशोधन कानून तथा जन सुरक्षा कानून जैसे दमनकारी कानून बनाकर समस्त राजनैतिक सस्थाओं को सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए

उन्होंने ऐसी शर्तें रखी कि कोई भी स्वाभिमानी नागरिक उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अतः वहाँ की जनता ने अपने स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध सघर्ष छेड़ दिया। ऐसे सघर्ष ई० सन् 1939 से 1948 तक बराबर चलते ही रहे। इस सघर्षों की मुख्य भागें उपरोक्त दोनों कानूनों को रद्द करने तथा अपने नरेशों की छत्रछाया में उत्तरदाई सरकार स्थापित करने की थी। इन भागों के मन्वाने के लिए जितने सघर्ष किये गये वे अंग्रेजी प्रान्तों में किये गये सघर्षों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। सैकड़ों व्यक्तियों को जेल जाना पड़ा, पुलिस के अत्याचार सहने पड़े, स्त्रियों को वेइज्जत होना पड़ा तथा काफी लोगों को अपनी सम्पत्ति खोनी पड़ी। कुछ व्यक्तियों को अपने प्राण तक देने पड़े। उनमें से जोधपुर के बालमुकन्द विस्सा, जैसलमेर के सागरमल गोपा, भरतपुर के रमेश स्वामी, बीकानेर के बलवीरसिंह, कोटा के नैनूराम शर्मा, शाहपुरा के प्रतापसिंह वारहठ, बून्दी के नानकजी भील, वेणू के रूपाजी धाकड़ व किरपाजी धाकड़, धोलपुर के छत्रसिंह व पचमसिंह, डूंगरपुर के मानाभाई स्वाट व काली वाई, लाडनू के चुन्नीलाल शर्मा व रूधाराम चौधरी, कुचामण के अल्वाराम चौधरी व डाबडा के पन्नाराम चौधरी आदि-आदि के नाम लिये जा सकते हैं।<sup>136</sup>

### जन आन्दोलनों की चरम सीमा

जोधपुर राज्य में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से मई 1938 में की गई लेकिन राज्य सरकार ने इसे समाप्त करने के प्रयत्न तत्काल आरम्भ कर दिये। तब ही राज्य सरकार के ईशारे से स्थापित की गई 'श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा' मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में काफी प्रचार करने लगी। इसी कारण जब विजयलक्ष्मी पण्डित जोधपुर आई तब वह भाषण देने भी जनता के बीच उपस्थित नहीं हो सकी। सुभाषचन्द्र बोस, जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे, ने दिसम्बर 1938 में कहा था कि जोधपुर राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता तथा उत्तरदाई सरकार स्थापित करने के लिये परिस्थितियाँ त्रिगुणित ही जा रही हैं। ई० सन् 1938 में जब जोधपुर राज्य में सत्ताह्वार बौड़ बना तब वह बौड़ पूरणरूप से ढकोसला था। जयनागयण व्याम उससे मदस्त्य बन गये और प्रत्येक मामले में, जो वहाँ लाया गया, प्रशासन को सुधारने के लिये सुभाष दिये तथा राज्य में विरोध की आलोचना की। इसी कारण लोक परिषद को लो

अवसर मिल गया। जब राज्य सरकार से जयनारायण व्यास को सुधारो के लिये कोई आशा नहीं दिखलाई दी तब उसने इस्तीफा दे दिया। लोक परिषद ने ई० सन् 1940 में पुन उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन छेड़ दिया। मार्च 28 को जयनारायण व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, किशोरमल मेहता आदि गिरफ्तार कर लिये गये तथा लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया गया। महाराजा ने इस आन्दोलन को पूर्णतया आधारहीन आन्दोलन तथा लोक परिषद को नादान नवयुवको, जिन्होंने जीवन में कहीं सफलता प्राप्त नहीं की, की जमात बतलाया। अप्रैल में जब देशी राज्य लोक परिषद के प्रतिनिधि द्वारकादास कचरु ने राजनैतिक समझौते के लिये जोधपुर के प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की तब प्रधानमंत्री ने उससे मिलने से इन्कार कर दिया। वाद में जोधपुर सरकार को आन्दोलन के सामने झुक कर, लोक परिषद से समझौता कर, जयनारायण व्यास आदि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को छोड़ना पड़ा। लोक परिषद कितनी लोकप्रिय थी इसका अनुमान राज्य को तब हुआ जब 1941 के नगर पालिका चुनावों में लोक परिषद ने बहुमत प्राप्त किया। व्यास नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।<sup>137</sup>

अब लोक परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने गावों में किसानों को उनके अधिकारों और जागीरदारों के अत्याचार के सम्बन्ध में जानकारी देना आरम्भ कर दिया। इस पर महाराजा और जागीरदारों ने इनके प्रभाव को समाप्त करने हेतु कायवाहिया शुरू कर दी। इस कारण लोक परिषद और सामन्ती तत्वों के बीच सघर्ष की स्थिति आ गई। बढ़ते-बढ़ते ई० सन् 1942 के आरम्भ में किसानों व जागीरदारों के बीच लागवाग, लगान आदि के मामलों को लेकर काफी मनमुटाव हो गया। किसानों में और ज्यादा जागृति लाने के लिए लोक परिषद ने लाडनू, नीमाज, चण्डावल आदि जागीरी गावों में सभायें की जिनके कारण किसानों में काफी जागृति आई। मार्च 28 को जब चण्डावल गाव में उत्तरदायी शासन माग दिवस मनाने की कोशिश की गई तब गावों में जाते समय लोक परिषद के मुख्य कार्यकर्त्ता मीठालाल त्रिवेदी व उनके साथियों को जागीरदार के आदमियों ने बिना किसी कारण वेरहमी से पीटा। राज्य सरकार ने फिर भी जागीरदार व उसके आदमियों के विरुद्ध कोई कायवाई नहीं की। लोक परिषद ने पुन सत्याग्रह आरम्भ कर दिया।<sup>138</sup> जून 9 को जयनारायण व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, बालमुकुन्द विस्सा, मथुरादास माथुर, छगनराज चौपासनीवाला, मीठालाल त्रिवेदी आदि 9

कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये । जेल में कुछ राजनैतिक वद्विया द्वारा भूय-हडताल की गई । कुछ कारणा से बालमुकद विम्मा की 19 जून को मृत्यु हो गई । इससे जनता में काफी रोष फैल गया ।<sup>139</sup> यह रोष बढ़ता ही गया और अगस्त 1942 के आन्दोलन के समय तो कुछ लोग ने मशस्त्र आन्दोलन तक की तैयारी कर ली । ग्यारह नवयुवकों ने विदशी सैनिका की हत्या करने के लिये बमों तक का प्रयोग किया लेकिन यह ज्यादा नहीं चल सका । मई 1944 में जब राजनैतिक वातावरण कुछ शांत हुआ तब राज्य सरकार ने समस्त राजनैतिक कैदियों को, जो भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद थे, छोड़ दिया । बम बाण्ड के कैदियों—जोरावरमल आदि को नहीं छोड़ा गया ।<sup>140</sup> 24 अक्टूबर 1945 को जब देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आये तब यहाँ की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया । राज्य सरकार ने भी पहली बार एक राष्ट्रीय नेता के स्वागत में हार्दिक सहयोग दिया तथा सावजनिक अवकाश घोषित किया ।<sup>141</sup> महाराजा ने भी नेहरू जी से मिलकर जनता की सद्भावना ली । ई० सन् 1947 में जोधपुर राज्य में जागीरदारों व वाशतकारों के बीच विवाद ज्यादा ही बढ़ गये । राज्य सरकार जागीरदारों का ही पक्ष लेती रही । मार्च 13 को जब किसान सभा का एक विशेष सम्मेलन जागीरी गाव डारवाड़ा में हुआ तब जागीरदारों द्वारा बुनाये गये शेखावाटी के 22 ऊट सवारों ने किसान सभा के सम्मेलन को भंग किया तथा ऊट सवारों ने नेताओं पर गोलिया चलाई और तलवारों से वार किये । इस काण्ड में 5 व्यक्ति मारे गये ।<sup>142</sup> नरसिंह कछवाहा, राधाविशन, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला आदि बुरी तरह घायल हुए । जले पर नमक छिड़कने को राज्य ने इन कार्यकर्त्ताओं पर ही अशांति फैलाने का मुकदमा चलाया लेकिन 1948 में यह मुकदमा वापस ले लिया गया ।<sup>143</sup> ई० सन् 1947 में जोधपुर राज्य ने अपने प्रतिनिधि केन्द्रीय सविधान सभा में भी भेजे । जो जोधपुर महाराजा ने मई 1944 में सवैधानिक सुधारों हेतु एक सदस्यी सुधालकर समिति बनाई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट में लोक प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तान्तरित करने की कोई योजना नहीं थी । जो सभा बनने को थी उसमें सभा के सदस्यों को तीन श्रेणियों में बाटा गया था—क्षेत्रीय 37, आरक्षित 15 और मनोनीत 9 तथा राज्य के 8 मंत्री पदेन सदस्य होने थे । स्पष्टतः यह सभा नाम की जन प्रतिनिधि सभा होती तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना न हो पाती । लोक परिषद ने 1946 में नावा अधिवेशन में इसकी आलोचना की । जोधपुर नरेश उम्मेदसिंह शायद कुछ

और प्रगतिशील कदम उठाते लेकिन जून 1947 में उनका देहान्त हो गया।<sup>144</sup> उनके नवयुवक उत्तराधिकारी हनुवन्तसिंह को उनके सलाहकारों ने ऐसा गुमराह किया कि वह जोधपुर राज्य को पाकिस्तान में सम्मिलित करने तक का सोचने लगे। सौभाग्यवश वह ऐसा न कर सके और जोधपुर राज्य को भारत संधि में 11 अगस्त 1947 को सम्मिलित होना पड़ा। महाराजा हनुवन्तसिंह का पाकिस्तान में मिलने के इरादे को बदलवाने में वायसराय माउण्टबेटन का प्रमुख हाथ था। केन्द्रीय राज्य मंत्रालय के सचिव वी० पी० मेनन ने प्रयत्न कर 11 अगस्त 1947 को माउण्टबेटन और हनुवन्तसिंह की भेंट करवा दी थी अन्यथा भोपाल का नवाब महाराजा को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये धरावर उकसा रहा था।<sup>145</sup>

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतन्त्रवाद की एक नई लहर देश में दौड़ गई। राजस्थान की प्रत्येक रियासत में जन आन्दोलनों ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया। अतः यहाँ की कई रियासतों के राजाओं ने अपने राज्यों की लोक परिषदों को सत्ता सौंपनी आरम्भ की। जोधपुर नरेश तब भी प्रतिक्रियावादियों से घिरा हुआ था। अतः उसने अक्टूबर 1947 में अपने मंत्री मण्डल को पूर्णतया सामन्तवादी बना दिया।<sup>146</sup> जनता में असंतोष ज्यादा ही फैल गया। यह देखकर महाराजा ने 5 फरवरी 1948 को घोषणा की कि शीघ्र ही लोकप्रिय मारवाड़ी मंत्रीमण्डल सरकार बनाई जावेगी तथा शीघ्र ही राज्य के लिये नया संविधान बनाने के लिये वालिग मताधिकार से संविधान सभा बनाई जावेगी। इसको मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष जयनारायण व्यास ने एक ढकोसला बतलाया और महाराजा को चेतावनी दी कि वह वर्तमान सामन्ती मंत्री मण्डल को 8 माच तक समाप्त कर देवे अन्यथा लोक परिषद उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिये सधप शुरू कर देगी।<sup>147</sup> तब ही भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और जोधपुर नरेश को कुछ फेरबदल करने को विवश होना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में जोधपुर नरेश ने प्रथम लोकप्रिय मिनोजुली सरकार का निर्माण 3 मार्च 1948 को कर दिया। उसके बाद मंत्री मण्डल का पुनः निर्माण 17 जून की आज्ञा द्वारा किया गया और अतः में महाराजा ने 31 अगस्त 1948 की घोषणा द्वारा राज्य के शासन सम्बन्धी कामों के प्रति जिम्मेवार मंत्री मण्डल की स्थापना कर दी। तब मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को तथा दीवान पी०एस० राव को बनाया गया।'

यह मन्त्रीमण्डल राजस्थान के निर्माण तक (30 मार्च 1949 तक) चला जबकि जोधपुर राज्य वृहत राजस्थान में विलीन हो गया।

बीकानेर राज्य की जनता में राजनैतिक चेतना लाने तथा उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के लिये ई० सन् 1942 में रघुवरदयाल गोयल ने वहा प्रजा परिषद की स्थापना की लेकिन राज्य ने उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया और रघुवरदयाल को राज्य से निर्वासित कर दिया। कुछ माह तक कानपुर में रहने के बाद जब वह बीकानेर लौटा तब वह अपने साथियों—गगादाम कौशिक, दाऊदयाल आचार्य आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अगले वर्ष जनवरी 26, ई० सन् 1943 को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर मधाराम वैद्य, भिखालाल, रामनारायण आदि गिरफ्तार कर लिये गये जो महाराजा गंगासिंह के देहात के बाद ही छोड़े गये।<sup>119</sup>

ई० सन् 1943 की फरवरी 2 को बीकानेर नरेश गंगासिंह का देहान्त हो गया। वह एक महान व्यक्तित्व का नरेश तथा आधुनिक बीकानेर का निर्माता था। उसकी गणना राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रभावशाली शासकों में ही नहीं बल्कि भारत के महान राजनीतिज्ञों में की जा सकती है। उसने न केवल भारत बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त की। वह घोषणाओं, भाषणों व वक्तव्यों देने में बड़े कुशल थे। महाराजा ने अपने शासनकाल में प्रगतिशील राज्यों की भाँति ही अपने राज्य में न केवल धारा सभा बल्कि नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड व पंचायतों भी स्थापित की। निजी खर्च की सीमा बांधी और बजट के रूप में राज्य का आय एवं व्यय का विवरण धारा सभा में पेश करने लगे तथा बीकानेर नगर में प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया था। ये सब कुछ करते भी ये सब ढकोसला बन कर रह गये। राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से बीकानेर अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार से ज्यादा प्रगति नहीं कर सका। उसके शासक के अन्तिम 20 वर्ष, जबकि देश में अपूर्व जन जागृति आई तब बीकानेर में जनता का दमन, उत्पीड़न व शोषण ही किया गया। यदि बीकानेर राज्य ने कुछ समृद्धि प्राप्त की तो वह राज्य के उत्तरी भाग में गंगा नहर लाकर की, जिसके लिये न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान भी उनका चिर ऋणी रहेगा।

गंगासिंह के उत्तराधिकारी सादूलसिंह ने भी अपने पिता की ही दमनात्मक नीति अपनाई। ई० सन् 1945 में जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध दूधवाखारा के किसानों ने सत्याग्रह किया तब उसे कठोरता से दबाया

या । इस समय चौधरी कुम्भाराम आर्य पुलिस सबइस्पेक्टर की नौकरी छोड़ कर प्रजा परिषद में सम्मिलित हो गये । ई० सन् 1946 की मई में तब किसानों ने बीकानेर व राजगढ़ में जुलूस निकाले तब भी किसानों को बुरी तरह से पीटा गया तथा कई कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार होने वाली में रघुवरदयाल गोयल, गणपतिसिंह, कुम्भाराम आर्य, हीरालाल शर्मा आदि मुख्य थे । जून 30 को रायसिंहनगर में बीकानेर राज्य का प्रथम राजनैतिक सम्मेलन किया गया । राज्य ने इस सम्मेलन में लाठी प्रहार कराये । इसमें वीरवल शहीद हुआ । इस सम्मेलन का सयोजक रामचन्द्र जैन तथा स्वागताध्यक्ष चौधरी रयालीसिंह था । इस सम्मेलन में भाग लेने के कारण कई नेता गिरफ्तार किये गये । इस सम्मेलन से राज्य में काफी जागृति आई । यह जागृति देखकर ही महाराजा ने 26 जुलाई को शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की घोषणा की । जुलाई 27 को सभी राजनैतिक वन्दी, सिवाय हीरालाल, जिसे हिंसावादी माना जाता था, के छोड़ दिये गये । सितम्बर 13 को बीकानेर में एक कार्यकर्त्ता सम्मेलन हुआ लेकिन सरकार ने अकारण ही रामचन्द्र जैन, रामलाल, मालचन्द्र त्रिसारिया आदि को सम्मेलन में ही गिरफ्तार कर लिया । कुम्भाराम के नाम भी वारण्ट जारी कर दिया गया । अक्टूबर 29 को प्रजा परिषद ने अपना दूसरा कार्यकर्त्ता सम्मेलन अपनी नीति स्पष्ट करने को बुलाया लेकिन उस समय भी हरदत्तसिंह, जो न्याय विभाग में मु सिफ के पद को छोड़ कर प्रजा परिषद का सदस्य बन गया था, मनोहरसिंह, गुरुदयालसिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया । इसी समय बीकानेर राज्य के जागीरी गाव कागट में जागीरदार द्वारा अनुचित लागू बागे तथा लगान लेने का किसानों ने विरोध किया । इस पर जागीरदार के आदमियों ने गाव में लूटमार की और स्त्रियों को बेइज्जत किया । किसान बीकानेर गये लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई । तब प्रजा परिषद ने सात व्यक्तियों—स्वामी सच्चिदानन्द, केदारनाथ, हसराम, दीपचन्द, माजीराम, रंगा व रूपराम को जांच के लिये भेजा । जागीरदार को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने इन सात व्यक्तियों को गढ़ में बुलवा कर नगा कर इतना पीटा की वे बेहोश हो गये । काफी तंग करने के बाद इनको गाव से बाहर निकाल दिया ।<sup>160</sup> केदारनाथ (उर्फ प्रो० केदार) अब राजस्थान सरकार में मंत्री है । इस प्रकार जागीरदारों का आतंक बढ़ता ही गया । राज्य सरकार चुप ही बैठी रही । ई० सन् 1947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ तब भी यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया ।



पहले लिखा जा चुका है कि वीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा 1913 में स्थापित की गई थी जिसमें 35 सदस्य होते थे। ई० सन् 1917 में यह संख्या 45 कर दी गई—6 कार्य कारिणी परिषद के, 15 चुने हुए तथा 19 मनोनीत। ई० सन् 1917 से यह विधान सभा कहलाने लगी। इस विधान सभा को अब लोकप्रिय बनाने के लिये इसके पुनर्गठन की घोषणा महाराजा ने 1946 में की और 1947 में वीकानेर अधिनियम लागू किया जिसके अनुसार महाराजा के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार बननी थी। व्यवस्थापिका दो सदन वाली होनी थी जो व्यवस्थापिका द्वारा चुनी जानी थी। सम्पूर्ण शासन एक परिषद को सौंपा जाना था जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना था। महाराजा ने घोषणा की कि अप्रैल 1948 में उत्तरदायी सरकार बना दी जावेगी लेकिन यह घोषणा ही रह गई। चुनाव होने तक के लिये एक अंतरिम मंत्री मण्डल 10 मार्च 1948 को बनाया गया। इसमें प्रधान मंत्री के अलावा 9 मंत्री लिये गये जिनमें से 4 प्रजा परिषद के तथा शेष राज्य के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मनोनित किये गये। प्रजा परिषद के हरदत्तसिंह को उपप्रधान मंत्री तथा गौरीशंकर आचार्य, मस्तानसिंह और कुम्भाराम को मंत्री बनाया गया।<sup>151</sup> प्रजा परिषद इस प्रकार के मिले जुले मंत्री मण्डल से सतुष्ट नहीं हो सकी और इस कारण कांग्रेसी मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया। अतः अंतरिम मंत्री मण्डल भंग कर दिया गया। अगले वर्ष वीकानेर राज्य राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गया।

भारतीय संविधान सभा में भाग लेने तथा भारत के साथ मिलकर एक शक्तिशाली केंद्र के निर्माण में वीकानेर नरेश सादुलसिंह का विशेष महयोग रहा। उन्हीं के कारण वीकानेर, जोधपुर, जयपुर आदि के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यो महाराजा वीकानेर ने राज्य के ध्वज के विषय में विवाद उठाया था कि उस ध्वज को वैसा ही सम्मान मिलना चाहिये जैसे राष्ट्रीय ध्वज को लेकिन यह माना नहीं गया।<sup>152</sup> शासक भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी राष्ट्रीय और राजकीय ध्वज में अंतर नहीं समझ पाये थे। यह अन्तर उनको अपनी रियासत के 30 मार्च 1949 को राजस्थान में सम्मिलित होने के बाद समझ में आया।

जयपुर के शेखावाटी क्षेत्र में जागीरदारों व किसानों के बीच संघर्ष द्वितीय महायुद्ध काल में भी चलता रहा। हरलालसिंह, नेतरामसिंह व

नरोत्तमलाल जोशी किमानो मे अच्छा प्रभाव रखते थे तथा उनके नेतृत्व मे ही आन्दोलन चला ग्हे थे । जयपुर राज्य प्रजा मण्डल किसानो की बराबर महायता कर रहा था । जून 1942 मे, मिर्जा इस्माईल ने प्रधान मत्री बनने के बाद इस आन्दोलन के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और किसानो की मागो को स्वीकार कर लिया । अगस्त 1942 के 'भारत छोडो' आन्दोलन के समय यहा का प्रजा मण्डल दो दलो मे बट गया । एक पक्ष—बाबा हरिश्चन्द्र, ओमदत्त वैद्य रामकरण जोशी, दौलतमल भण्डारी, वी एम देश पाण्डे लादूराम शर्मा, रामेश्वरलाल अग्रवाल आदि—आन्दोलन के पक्ष मे रहे लेकिन प्रजा मण्डल के कुछ अन्य सदस्यो ने भाग ही नही लिया । मिर्जा इस्माईल ने प्रजा मण्डल की समस्त कारवाइयो को विफल कर दिया । कुछ नेता गिरफ्तार हुए लेकिन वे शीघ्र ही छोड दिये गये ।<sup>153</sup>

ई० मन् 1944 मे जयपुर मे निर्वाचित नगरपालिका स्थापित हुई । उसी समय जयपुर राज्य मे विधान सभा व प्रतिनिधि सभा के चुनाव हुए । प्रतिनिधि सभा मे 125 सदस्य तथा विधान सभा मे 51 सदस्य निर्वाचित होने थे । इन सभाओ का 5 सितम्बर 1945 को विधिवत अधिवेशन हुआ । रामनिशोर व्याम प्रतिनिधि सभा मे तथा दौलतराम भण्डारी धारा सभा मे प्रजा मण्डल दल के नेता बने । मई 1946 मे प्रजा मण्डल के देवीशंकर त्रिवाडी को मत्री पद दिया गया । अगले वर्ष प्रजा मण्डल के दौलतमल भण्डारी तथा मरदार दल के नेता कुशलसिंह को भी मत्री पद दिये गये । भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 27 मार्च 1948 को अन्तरिम सरकार की स्थापना की गई । दीवान वी टी कृष्णमाचारी को मत्री मण्डल का अध्यक्ष, प्रजा मण्डल दल के नेता हीरालाल शास्त्री को मुख्य मत्री व टीकाराम पालीवाल को राजस्व मत्री बनाया गया । यह मत्री मण्डल मयुक्त दायित्व के आधार पर काम करने लगा । ई० सन् 1949 की 30 मार्च को जब समुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ तब यह मत्री मण्डल समाप्त हो गया तथा जयपुर राज्य का विलयन राजस्थान मे हो गया । इस प्रकार जयपुर राज्य को अन्य राज्यों की तुलना मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये बहुत कम संघर्ष करने पडे ।<sup>154</sup>

उदयपुर राज्य मे प्रजा मण्डल से प्रतिबन्ध 1941 मे हटा । अगले ही वर्ष जय 'भारत छोडो' आन्दोलन आरम्भ हुआ तब प्रजा मण्डल ने एक प्रस्ताव पास कर महाराणा को अंग्रेजी साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद करने को 20 अगस्त को लिखा । पत्र मिलते ही महाराणा ने प्रजा मण्डल के वायवर्तियों को

गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 23 को जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। लगभग 500 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें 7 महिलायें भी थीं। इस आन्दोलन में माणकलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाडिया, नरेन्द्रपालमिह चौधरी, रूपलाल सोमानी, भवानीशकर नन्दवाना, उमरावमिह टावरिया, गणेशीलाल, जयसिंह राणावत आदि का विशेष योगदान रहा। इनको फरवरी 1944 में रिहा किया गया। ई० सन् 1945 के अन्त में उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। देशी रियासत में पहली बार यह अधिवेशन होने के कारण यहाँ के प्रजा मण्डल को बहुत बत मिला।<sup>156</sup>

ई० सन् 1947 में राज्य के कमचारियों ने उचित वेतन दिये जाने की माग मनवाने के लिये यहाँ आन्दोलन किया। राज्य ने आन्दोलन को दवाने की बहुत कोशिश की। एक बार तो कर्मचारियों के जुलूस पर गोली तक चलाई गई लेकिन राज्य को झुकना पड़ा व कमचारियों से समझौता करना पड़ा।

ई० सन् 1947 में राज्य ने वैधानिक सुधारों के लिये एक समिति के एम मुशी की अध्यक्षता में नियुक्त की जिसे प्रजा मण्डल को बहुमत दिया गया। रिपोर्ट तैयार होने पर उस पर राज्य ने अमल नहीं किया और एक नया ही विधान बनवाया जिसके अनुसार प्रजा मण्डल का एक ही प्रतिनिधि मंत्री मण्डल में लिया गया। जागीरदारों को प्रजा मण्डल की अपेक्षा अधिक अधिकार दिये गये। अतः प्रजा मण्डल इस विधान के विरुद्ध था। इस प्रकार यहाँ कोई लोकप्रिय मंत्री मण्डल नहीं बन सका।<sup>156</sup>

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महाराणा ने उदयपुर का भी भारतीय सघ में शामिल करने की घोषणा की। मार्च 1948 में राजपूतान की कुछ रियासतों का एक सघ बना तब 18 अप्रैल 1948 में उदयपुर भी उसमें सम्मिलित हो गया और इस प्रकार 10 रियासतों का राजस्थान सघ स्थापित हुआ। इस सघ का नाम युनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान रखा गया तथा इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई। बाद में यह सघ बृहत् राजस्थान राज्य में मिल गया।<sup>157</sup>

हाडौती क्षेत्र (कोटा, बूंदी व झालावाड़ राज्य) में जन-जागृति लाने वाले में अभिन्न हरि, गोपाललाल कोटिया, नित्यानन्द नागर, ऋषिदत्त मेहता आदि मुख्य थे। बाद के वर्षों में वृजसुंदर शर्मा, इंद्रदत्त स्वाधीन, कवरलात जेलिया, मास्टर रामचंद्र, मागीलाल भव्य आदि न भी राजनैतिक जागृति में काफी योगदान दिया।<sup>158</sup>

वृन्दी राज्य में मन् 1931 में स्थापित प्रजा मण्डल में महाराव ईश्वरसिंह के समय में ज्यादा पतन नहीं सका। ई० सन् 1944 में यहाँ लोक परिषद की स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष हरिमोहन माथुर तथा सचिव वृजसुन्दर शर्मा था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। लोक परिषद आन्दोलनों के द्वारा 1946 की अक्टूबर में महाराव से यह घोषणा करा सकी कि शीघ्र ही कुछ लोकप्रिय नेता मन्त्री मण्डल में लिये जावेंगे। महाराव ने राज्य के लिये एक संविधान बनाने की भी घोषणा की। लोक परिषद पूर्णतया लोकप्रिय मन्त्री मण्डल चाहती थी अतः राज्य से समझौता नहीं हो सका। मार्च 1948 में वृन्दी राज्य राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गया।<sup>159</sup>

भालावाड़ राज्य में गिरधर शर्मा, रामनिवास शर्मा आदि राष्ट्रीय विचारों के व्यक्तियों ने राजनैतिक जागृति फैलाई। यहाँ के अग्र प्रमुख कार्यकर्ताओं में भैरवलाल कालावाड़ल, मागीलाल भव्य, मास्टर रामचन्द्र आदि थे। प्रजा मण्डल के 1947 में स्थापित होने पर यहाँ उसे राजराणा का महयोग व संरक्षण प्राप्त हुआ। ई० मन् 1947 में महाराज राणा स्वयं प्रधानमंत्री तथा कहैयालाल मिश्र और मागीलाल भव्य मन्त्री बने लेकिन शीघ्र ही, 1948 की 18 अप्रैल को यह राज्य राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गया।<sup>160</sup>

कोटा में राजनैतिक जागृति का श्रेय नयनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, उद्दत्त स्वाधीन, नाथूलाल जैन, गजेन्द्रकुमार, विमलकुमार कजोलिया, तनमन्त्राल मिश्र आदि को है। ई० सन् 1938 में यहाँ प्रजा मण्डल की स्थापना हुई तब से यहाँ राजनैतिक जागृति बढ़ी। ई० सन् 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय यहाँ की जनता ने तीन दिन तक सम्पूर्ण शासन अपने हाथों में ले रखा। आन्दोलन के आरम्भ में ही यहाँ के कार्यकर्ता जेल में डाल दिये गये थे। अतः जनता ने कोटा नगर के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। कोतवाली पर भी कब्जा कर लिया और सरकारी भवना पर तिरंगा भण्डा फहरा दिया। पुलिस को बैरकों में बंद कर दिया गया। बाद में कोटा महाराव द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि जनता का कोई दमन नहीं किया जावेगा शासन वापस सौंप दिया गया।<sup>161</sup> ई० सन् 1945 में भी यहाँ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को शांति भंग न करने सम्बन्धी काले कानून का शिकार होना पडा। बाबूलाल 'इन्दु' को यह बतलाने पर कि उसका पेशा कोटा राज्य की

गैर जिम्मेवार सरकार को उखाट फेंकना है, सग्त बँद की सजा दी गई। भारत के स्वतंत्र होने पर यह राज्य संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया।

भरतपुर राज्य में ई० सन् 1938 में प्रजा मण्डल की स्थापना की योजना के बाद ई० सन् 1939 में प्रजा मण्डल और राज्य शासन के बीच संघर्ष चला और 1940 में राज्य से समझौता होकर उमका पजीयन हुआ और इसका नाम भरतपुर राज्य प्रजा परिषद रखा गया। ई० सन् 1942 के आन्दोलन के समय यहाँ के कई कार्यकर्ता—युगलकिशोर चतुर्वेदी, आदित्येन्द्र आदि गिरफ्तार कर लिये गये। उसी वर्ष राज्य में बाढ़ आ जाने के कारण यह आन्दोलन स्थगित हो गया और प्रजा मण्डल का राज्य से समझौता हो गया। ई० सन् 1943 में प्रजा मण्डल ने व्यवस्थापक सभा, व्रजजया प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 37 में से 27 स्थान जीत लिए। विधान सभा में प्रमुख विरोधी दल प्रजा परिषद का बना। इसका नेता युगलकिशोर चतुर्वेदी तथा उपनेता आदित्येन्द्र चुने गये। बाद में इन सदस्यों ने व्यवस्थापक सभा का बहिष्कार कर दिया। ई० सन् 1947 में वेगार के विरोध में जनता ने आन्दोलन किया। इसको बड़ी श्रुता से दबाया गया। एकत्रित भीड़ पर घुड़मवार सैनिक दौड़ाये गये जिसके कारण काफी लोगो को चोटें आईं। कुछ दिन बाद जब महाराजा दौरे से लौटे तब जनता ने फिर सत्याग्रह किया। पुलिस ने एक बस सत्याग्रहियों पर चला दी जिसके कारण कई मृत्युग्रही घायल हुए। रमेश स्वामी की तब ही मृत्यु हो गई। कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये।<sup>162</sup> भारत के स्वतंत्र होने के बाद दिसम्बर 1947 में महाराजा ने अन्तरिम सरकार बना कर चार लोकप्रिय मंत्री लिये लेकिन तब ही यहाँ का शासन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया क्योंकि यहाँ तब साम्प्रदायिक दंग ज्यादा ही हो रहे थे।

अलवर राज्य में ई० सन् 1933 में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। कई लोग कांग्रेस के साधारण सदस्य बने। राज्य ने ऐसे कई सदस्यों को राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर सजाये दे दी। ई० सन् 1938 में कांग्रेस समिति ने अपना नाम बदल कर प्रजा मण्डल रख लिया। प्रजा मण्डल के लिये पहले राज्य सरकार ने यह गैब लगा दी कि न तो प्रजा मण्डल अपना झण्डा लगा सकेगी और न वह अखिल भारतीय कांग्रेस से सम्बद्ध हो सकेगी लेकिन इन शर्तों को प्रजा मण्डल ने बनने के बाद नहीं माना। ई० सन् 1942 के “भारत छोड़ो” आन्दोलन का प्रभाव इस राज्य पर भी पड़ा। उस समय प्रजा मण्डल के शोभाराम, रामचन्द्र उपाध्याय व कृपादयाल ने बकायत छोड़ दी।



करौली राज्य में राजनैतिक जागृति का सूत्रपात कुंवर मदनसिंह श्रीकारसिंह, चिरजीलाल शर्मा आदि ने किया। ई० सन् 1938 में प्रजा मण्डल की स्थापना होने के बाद जनता को संगठित किया गया और मपोटरा आदि स्थानों पर जागीरी जुटमों के विरुद्ध सम्मेलन किये गये। नवम्बर 1946 में पडौसी रियासतों के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने उत्तरदाई सरकार की मांग उठाई। अतः महाराजा ने जुलाई 1947 में सर्वैधानिक सुधारों हेतु एक समिति बनाई। समिति काम करने लगी ही थी कि ई० सन् 1948 में यह राज्य मत्स्य मण्डल में सम्मिलित हो गया।<sup>166</sup>

किशनगढ़ राज्य अजमेर के अत्यन्त निकट होने के कारण वहाँ काफी जागृति आई। यहाँ के प्रजा मण्डल के मुख्य कार्यकर्त्ता कात्तिकर्द्र व पुरपोत्तमलाल शर्मा जमालगाह आदि थे।<sup>167</sup>

टोक मुसलमानी राज्य था। यहाँ ज्यादातर धार्मिक आन्दोलन हुए। टोक में ही लावा ठिकाना था जहाँ के महेन्द्रकुमार जैन ने राष्ट्रीय कायमों में बड़े उत्साह से भाग लिया।<sup>168</sup>

शाहपुरा राज्य में प्रजा मण्डल की स्थापना ई० सन् 1938 में हुई। इसने बेगार बन्द करने, नगरपालिका स्थापित करने आदि के लिये काफी प्रयत्न किये। ई० सन् 1942 के आन्दोलन में यहाँ के कार्यकर्त्ता पकड़े जाकर अजमेर जेल में रये गये। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्त्ता गोकुललाल असावा, लद्दूराम व्यास, रमेशचन्द्र, लक्ष्मीदत्त आदि थे। ई० सन् 1947 में गोकुललाल असावा के प्रधान मन्त्रीत्व में लोकप्रिय सरकार और विधान निर्मात्री परिषद बनी और उसे संविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया गया। उस प्रकार का प्रगतिशील बदन उठाने वाली यही रियासत थी।<sup>169</sup> 1948 में यह रियासत संयुक्त राजस्थान मण्डल में सम्मिलित हो गई।

मिरोही राज्य में प्रजा मण्डल 1939 में स्थापित हुआ लेकिन इसका पजीयन 1940 की मई में हो सका। ई० सन् 1941 में पुनः कुछ गड़बड़ी हुई और सभी मुख्य कार्यकर्त्ता जेल में डाल दिये गये। अगस्त 1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन के समय यहाँ तीव्रता बड़ा आन्दोलन हुआ। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्त्ता गोकुलभाई भट्ट राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस बनेटी के प्रथम सभापति थे। भारत के स्वतंत्र होने पर मिरोही राज्य भारतीय मण्डल में शामिल हो गया तथा वहाँ प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि लेकर मन्त्रीमण्डल भी बन गया जिसके मुख्यमन्त्री गोकुलभाई भट्ट थे। कुछ कारणों से सरदार पटेल ने

सिरोही का प्रशासन 8 नवम्बर 1948 को भारत सरकार के हाथों में लेकर 5 जनवरी 1949 को बम्बई सरकार को सुपुद कर दिया। जिसके विरोध में न केवल सिरोही बल्कि राजस्थान में भी घोर आन्दोलन हुआ। 1956 की नवम्बर 1 से यह क्षेत्र पुनः राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया।<sup>10</sup>

प्रतापगढ़ राज्य के उदयपुर राज्य के निवृत्त होने के कारण वहाँ की हलचलों का काफी प्रभाव पड़ा। यहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने पिछड़ी जातियों व भीला को जागृत करने का काफी प्रयास किया। सन् 1936 में ठक्कर बाप्पा ने हरिजनोत्थान हेतु यहाँ हरिजन पाठशाला स्थापित की। बाद में खादी प्रचार सभा, पाठशाला आदि द्वारा यहाँ जनजागरण हुआ। यहाँ अमृतलाल पायक ने 1946 में प्रजा मण्डल की स्थापना की।<sup>11</sup>

डूंगरपुर राज्य में भीलों की आवादी ज्यादा होने तथा उनके अत्यन्त पिछड़े होने के कारण सबसे बड़ी समस्या उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना था। अतः भोगीलाल पड्या, शोभालाल गुप्ता, मारणकलाल वर्मा आदि ने यहाँ भील सेवा सघ स्थापित किया। उसकी ओर से यहाँ अनेक पाठशालाएँ खोली गईं। इस कारण यहाँ राजनैतिक जागृति हुई तथा राज्य से भी सघप हुआ। यहाँ के मुख्य कार्यकर्त्ताओं में भोगीलाल पड्या, हरदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय थे। ई० सन् 1944 में प्रजा मण्डल स्थापित हुआ। उत्तरदायी सरकार की माग करने के कारण प्रजा मण्डल को राज्य सरकार से सघर्ष करना पड़ा जिसके कारण भोगीलाल पड्या को काफी जुटम सहने पड़े। तब ही एक साथ 35 कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद यहाँ भी लोकप्रिय मन्त्री मण्डल बना। मन्त्री मण्डल में गौरीशंकर उपाध्याय व भीखाभाई प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में थे। ई० सन् 1948 की 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान सघ का निर्माण होने पर यह रियासत उसमें सम्मिलित हो गई।<sup>12</sup>

वासवाडा राज्य में भी भीलों की अधिकता थी। गुजराज व उदयपुर की जन जागृति का यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा। यहाँ 1943 में प्रजा मण्डल की स्थापना हुई। यहाँ के कार्यकर्त्ताओं—पद्मालाल, भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसार, मणीशंकर जानी, ध्यानीलाल चिमनलाल मालोत, नटवरलाल भट्ट, मोहनलाल त्रिवेदी आदि ने भीलों की स्थिति सुधारने के काफी प्रयास किये। भारत के स्वतन्त्र होने पर यहाँ लोकप्रिय मन्त्री मण्डल बना तब



भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी मुख्यमंत्री बने। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण होने पर यह रियासत उसमें मिल गई।<sup>173</sup>

कुशलगढ़ वासवाड़ा राज्य का ही एक अंग माना जाता था लेकिन यह उपरियासत अंग्रेजी शासनकाल में बना दी गई थी। अप्रैल 1942 में भवरलाल निगम की अध्यक्षता में यहाँ प्रजा मण्डल की स्थापना हुई जिसने लागू वागों के विरुद्ध आन्दोलन चलाये। भीलों का भी संगठन किया गया। ई० सन् 1948 में यहाँ गांधी आश्रम की स्थापना की गई।

अजमेर में कांग्रेस संगठन ई० सन् 1938 के भंगटों के कारण काफी कमजोर हो गया था। इसी वर्ष व्यावर में एक राजनैतिक सम्मेलन भूलाभाई देसाई के सभापतित्व में हुआ तब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अजमेर मरवाड़ा को यू०पी० (वर्तमान उत्तरप्रदेश) में मिला दिया जावे ताकि इस जिले को प्रांतीय स्वशासन आदि के लाभों से वंचित न रहना पड़े। सरकार ने इस प्रस्ताव की कतई परवाह नहीं की। द्वितीय महायुद्ध के समय जय गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया तब वहाँ के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं में से कुछ ने इसमें भाग लिया। अगस्त 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय यहाँ भी काफी सरगमियाँ रही। अगस्त 9 को अजमेर, व्यावर, केवडी आदि स्थानों के 37 मुख्य कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये। सभी कांग्रेस कमेटीयों को अवैध घोषित कर दिया गया। आन्दोलनकारी छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया।<sup>174</sup> रमेश व्यास, लेखराज शर्मा, शंकरनाथ वर्मा, मूलचन्द असावा, गोकुललाल असावा, मुकुटबिहारीलाल भागवत, रामनारायण चौधरी, चन्द्रगुप्त वाष्णय, बालकिशन कौल, ब्रजमोहन शर्मा आदि को गिरफ्तार कर उन्हें सजायें दी गईं। ई० सन् 1944 में ज्वालाप्रसाद शर्मा व रघुराजसिंह जेल अधिकारियों की आसों में धूल भौंक कर जेल से भाग गये। बाद में सन् 1945 तक सभी बंदी नेता छोड़ दिये गये। भारत के स्वतन्त्र होने पर राजपूताना एजेंसी समाप्त कर दी गईं। अब अजमेर राजस्थान की राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र नहीं रहा। अजमेर में राजस्थान की रियासतों के नेताओं का आये दिन रहने वाला जमघट समाप्त हो गया। ई० सन् 1951 में 'भी' श्रेणी के राज्य बनाने सम्बन्धी अधिनियम के लागू होने पर अजमेर अलग से एक राज्य बन गया तथा यहाँ विधान सभा भी बना दी गई।

स्वतन्त्रता पश्चात् लोकतांत्रिक सरकार राजस्थान में बन गई। वह तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा

अजमेर को राजस्थान में मिलाने की मांग करने लगी कि 'भौगोलिक, सांस्कृतिक व भाषायी दृष्टि से वह राजस्थान का ही एक भाग है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिये उसे एक अलग उपप्रान्त बना रखा था। यह एक अलग छोटा राज्य—केवल 2417 वर्ग मील व सात लाख आबादी वाला—है जो भारत सरकार की राज्य निर्माण नीति के अनुसार अलग स्वतन्त्र राज्य नहीं बना रह सकता है।' अतः जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब अजमेर राज्य को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की गई।<sup>16</sup> ई० सन् 1956 की पहली नवम्बर को अजमेर राजस्थान का एक भाग बन गया और उसमें पूर्ववर्ती विशनगढ़ रियासत का क्षेत्र मिलाकर एक नया जिला अजमेर बना दिया गया।<sup>16</sup>

इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को आरम्भ हुई थी वह 1 नवम्बर 1956 को पूर्ण हुई। राजस्थान में राजाशाही का अन्तिम चिह्न राजप्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया। अब राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने लगा।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता को स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु काफी संघर्ष करने पड़े। अंग्रेजी प्रान्तों में वहाँ की जनता को केवल अंग्रेजी सरकार से संघर्ष करना पड़ा लेकिन यहाँ अंग्रेजी सरकार के अलावा, निरकुश राजाओं व प्रतिक्रियावादी सामन्तों से भी लोहा लेना पड़ा। इन संघर्षों में पचासो वीरगति को प्राप्त हुए, सैकड़ों को जेल जाना पड़ा और हजारों को पुलिस की लाठियों के प्रहार भेड़ने पड़े। जागीरी गाँवों में हजारों किसानों को अपने मूल अधिकारों के लिए मार खानी पड़ी, सैकड़ों को खेतों से वेदखल होना पड़ा तथा उपज का 90 प्रतिशत तक अनाज लगान व लाग बगो में देकर व वेगारों निकालकर दयनीय अवस्था में रहते बराबर संघर्ष करना पड़ा। अतः में वे सफल हुए व जागीरदारी प्रथा समाप्त होकर रही।

प्रत्येक रियासत में ये संघर्ष अलग-अलग कारणों व अलग-अलग कालों में हुए। प्रत्येक राज्य के अलग-अलग नेता थे। अतः यहाँ कोई एक केन्द्रीय संगठन नहीं बन सका ताकि इन पर नियंत्रण रख सके तथा आवश्यकतानुसार सहायता व सलाह दे सके। इस कारण यहाँ व्यक्तिवाद ज्यादा ही पनपा और नेताओं में भी पारस्परिक संघर्ष हुए। जमनालाल बजाज, त्रिजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व अजु नलाल सेठी के बीच द्वितीय महायुद्ध के पहले तथा उत्तर-स्वतन्त्रता काल में हीरालाल शास्त्री, जयनाथराव व्याम,

माणकलाल वर्मा व गोकुलभाई भट्ट के बीच सघष इसके उदाहरण ह। इन नेताओं के सघषों के कारण प्रान्त का अहित ही हुआ।

राजस्थान के निर्माण के बाद स्वतंत्रता आन्दोलन के नेता राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गये। कई मंत्री पद पा गये तो कई विधायक बन गये। कई बड़े पूजोपति बन गये तो कई उद्योगपति। राजाशाही की समाप्ति के बाद सामन्तशाही का अन्त हो गया लेकिन कई नये बड़े भूमिपति हो गये जो काश्त न करते भी बड़े काश्तकार बन गये और वास्तविक काश्तकारों का शोषण करने लगे। जनता को काफी सीमा तक सामाजिक व आर्थिक मूल अधिकारों की प्राप्ति हुई है लेकिन फिर भी बहुमर्यादक ग्रामीणों का अभी भी सामाजिक व आर्थिक शोषण हो रहा है। अतः सामाजिक व आर्थिक सघष अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

#### टिप्पणियाँ—

- 1 ए वी कीथ, स्पीचज एण्ड डाक्यूमेंटस आन इण्डियन कास्टीट्यूसन (1921 47), भाग 1, पृ 320
- 2 (अ) पी मुखर्जी, इण्डियन कास्टीट्यूसन डाक्यूमेंट्स, 123  
(ब) आर सी मजूमदार, ब्रिटिश परामाउण्टेरी एण्ड इण्डियन रिनासा, भाग 1, 745
- 3 रमेश दत्त, द इकानोमिक हिस्ट्री आफ इण्डिया इन द बिकटोरियन ऐज, 232 35
- 4 (अ) फतहसिंह चापावत, ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ जयपुर, 184  
(ब) एचीसन, टिटोज, एगोजमेंटस एण्ड सनदस, भाग 3 103 4
- 5 थामसन एण्ड सरट राइज एण्ड फुनफिलमेण्ट आफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया 469-70
- 6 पेंड्रल मून, स्ट्रेजर इन इण्डिया, 631
- 7 एलेक्जेंडर केम्पबेल इट इज योर एम्पायर 173
- 8 डोडवत, केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, जिल्द 6, 492
- 9 वाइट पपर आन इण्डियन स्टेटस 22
- 10 के आर शास्त्री, इण्डियन स्टेटस, 81
- 11 ए सी बनर्जी, इण्डियन कास्टीट्यूसनल डाक्यूमेंट्स, जिल्द 2, 37 (भूमिका)
- 12 सरिंग, हिस्ट्री आफ मेया कालेज, जिल्द 1 10 12
- 13 (अ) डिस्पेच स 89 दिनांक 3 जून, 1875  
(ब) आर सी मजूमदार, वही पृ 966
- 14 ए सी बनर्जी, वही पृ 35 (भूमिका)
- 15 (अ) डोडवत वही 498  
(ब) राजपूताना एजेसी रिपोर्ट 1867-68, पृ 98

- 16 फारेन एण्ड पालीटीकल फाइल, दिसम्बर 1870, न 425 6
- 17 आर सी मजूमदार, वही, 964
- 18 वही, 964
- 19 जगदीशसिंह गहलोत, जोधपुर राज्य का इतिहास (हस्तलिखित), पृ 208
- 20 (अ) टी रेले, लाड कजन इन इण्डिया, 236  
(ब) बी बी कुलकर्णी, द पयूब्लिशिंग आफ इण्डियन स्टेट्स, 17
- 21 आर सी मजूमदार, वही, 970
- 22 विजयसिंह पथिक, डायरी (अप्रकाशित)
- 23 एचीसन, वही, पृ 74-78 तथा 147-151
- 24 वही, 4-7
- 25 वही, 108 110
- 26 वही, 7 4
- 27 जगदीशसिंह गहलोत, वही, 209
- 28 एचीसन, वही, 224
- 29 वही, 270-272
- 30 हरविलास शारदा, शंकर एण्ड दयानंद, 122
- 31 ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भाग 2, पृ 455-57
- 32 बी पट्टाभि सीतारमय्या, कांग्रेस का इतिहास, भाग 1, 8
- 33 वेडरबन बायोग्राफीकल स्केच आफ ह्यूम, 53
- 34 आर सी मजूमदार, वही, भाग 2, पृ 538
- 35 पी एन माथुर, प्रासीडिंग्स आफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, 1969, पृ 160
- 36 आर सी मजूमदार, वही, भाग 2 586
- 37 वही 407 8
- 38 बी पट्टाभि सीतारमय्या वही, 68 73
- 39 (अ) लाल बहादुर, मुस्लिम लीग, 43  
(ब) राम गोपाल, इण्डियन मुस्लिम पार्लियामेंट हिस्ट्री, 83-84
- 40 मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज्य, 15-18
- 41 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फार फ्रीडम, 2
- 42 विजयसिंह पथिक की डायरी (अप्रकाशित)
- 43 पाटलीपुत्र दैनिक, दिनांक 4 जुलाई, 1914 पृ 6
- 44 एम के गांधी, एन ग्रॉटोग्राफी, 547
- 45 इण्डियन एयुल रजिस्टर 1919 भाग 2, पृ 14
- 46 बटलर कमेटी रिपोर्ट का सारांश
- 47 बीकानेर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, 1913-14, पृ 34-39
- 48 पृथ्वीसिंह मेहता, हमारा राजस्थान, 323
- 49 वही, 332

- 50 माणकलाल वर्मा मेवाड का वतमान शामन 28
- 51 (अ) नवीन राजस्थान, अजमेर 9 जुलाई 1922  
(ब) पृथ्वीसिंह महता वही 360
- 52 पृथ्वीसिंह महता वही, 344
- 53 वही 341
- 54 राजपूताना मध्यभारत सभा का वार्षिक विवरण, 1924 पृ 1
- 55 पृथ्वीसिंह महता वही 347
- 56 पायानियर दैनिक 30 दिसम्बर 1920
- 57 टाइम्स आफ इण्डिया 30 दिसम्बर 1920
- 58 रामनारायण चौधरी, बीसवा सदी का राजस्थान 42, 67 तथा 86
- 59 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फार फ्रीडम 350 51
- 60 रिपोर्ट आफ द इण्डियन स्टेट्स पीपल्स काफ्रेस, 1927, पृ 1
- 61 मित्रा, द इण्डियन क्वाटरली रजिस्टर, जुलाई स दिसम्बर, 1924, पृ 494 98
- 62 रिपोर्ट आफ द इण्डियन स्टेट्स पीपल्स का फ्रेंस, 8
- 63 इण्डियन रिट्यू, जनवरी, 1921 पृ 59 तथा अप्रैल 1921, पृ 267
- 64 वही
- 65 बाम्ब क्रानिकल 25 मार्च, 1931
- 66 जगदीशसिंह गहलात टाक राज्य का इतिहास (अप्रकाशित) पृ 46
- 67 वी पट्टाभीसीवारमध्या, पृ 222
- 68 सारंगधर दास बीकानेर का राजनतिक इतिहास 113
- 69 पृथ्वीसिंह महता, वही 318
- 70 वही 320
- 71 महात्मा गांधी, द मन एण्ड हिज मिशन, 82 85
- 72 ए काथिल द लास्ट टामीनियन 271 व 276
- 73 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फार फ्रीडम, 413
- 74 रामनारायण चौधरी वही 86
- 75 वही 58
- 76 जयनारायण व्यास मारवाड म जागृति और उस रोकन के उद्योग 5 8
- 77 मोतीलाल तेजावत की आत्म कथा (अप्रकाशित)
- 78 तारण राजस्थान, 16 मई, 1926, पृ 4
- 79 जी आर अभ्यकर प्राबलम्स आफ इण्डियन स्टेट्स, 9-11
- 80 रामनारायण चौधरी वही, 85
- 81 भाभाग भायुर, स्ट्रगल फार रस्पोसिबल गवर्मेंट इन मारवाड 23 24
- 82 रामनारायण चौधरी वही 95 96
- 83 पेमाराज, एग् रेियन मूवमेंट इन राजस्थान पृ 150 51

- 84 (अ) विशनपुरी, मेमायस आफ द मारवाड पुलिस, 125  
(ब) द प्रिन्सी इण्डिया 19 अक्टूबर, 1928
- 85 जगदीशसिंह गहलात कच्छवाहो का इतिहास 173
- 86 रामनारायण चौधरी वही 102
- 87 शंकर सहाय सक्सेना, जा देश के लिए जिए, 53
- 88 (अ) यग राजस्थान, सितम्बर अक्टूबर 1929  
(ब) द हिन्दुस्तान टाइम्स 4 अक्टूबर 1929
- 89 पृथ्वीसिंह मेहता, वही पृ 381
- 90 वही पृ 376 385
- 91 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फार फ्रीडम 804
- 92 वाइट पेपर आन इण्डियन स्टेट्स, 20
- 93 जगदीशसिंह गहलात भारत के देशी राज्य 47
- 94 वही 48
- 95 एस एस अय्यर, इण्डियन नास्टीट्यूशनल रिफॉर्मस 210
- 96 जी आर अय्यर वही, 273
- 97 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फोर फ्रीडम 454
- 98 रिपोर्ट आफ द इण्डियन स्टेट्स कमेटी 1928-29 परिशिष्ट 2
- 99 वही
- 100 इण्डियन एयुअल रजिस्टर 1921, भाग 2 98-102
- 101 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फोर फ्रीडम 472 4
- 102 वही, 477
- 103 वही 481
- 104 वही, 482 4
- 105 वही 488
- 106 वही, 492 3
- 107 बी आर अम्बडकर वाट वाग्रेस एण्ड गांधी हव डन दू द अनटचेबल्स,  
126 30
- 108 ताराचंद, वही, 177 8
- 109 वही, 197
- 110 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फार फ्रीडम 617
- 111 बी पट्टाभिषीतारामय्या वही पृ 364
- 112 हिन्दुस्तान टाइम्स, 14 नवम्बर 1931
- 113 पृथ्वीसिंह मेहता, वही 410
- 114 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, फाइल नं 7/1934 तथा 105/1934
- 115 जहूरगं मेहर, राजस्थान म आजादी रो आन्दोलन, पृ 32

- 116 महाराजा गगामिह का मर डानाल्ड फील्ड का पत्र, प्र भा म 201, प्रा मे 54/37 दि 21 फरवरी 1937
- 117 मोभाग मायुर वही 39 व 59
- 118 पूर्णिमा नवीन लाल, राजस्थान अनुशीलन, 218
- 119 वही 217
- 120 पमाराम वही 162
- 121 जहूरता मेहर वही, 35-36
- 122 पूर्णिमा नवीनलाल, वही 216-217
- 123 वही, 226
- 124 वही
- 125 बी एन पानगडिया, राजस्थान म स्वतंत्रता संग्राम, 47
- 126 जगदीशसिंह भारत के देशी राज्य, 57
- 127 बी पट्टाभि सीतारामय्या, वही, भाग 2 147
- 128 (अ) बी पी मेनन, ट्रांसपर ग्रॉफ पावर, 126  
(ब) ए के मजूमदार, एडवेट ग्रॉफ फ्रीडम, 172
- 129 ए सी चटर्जी, इण्डियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम 38
- 130 बी पट्टाभि सीतारामय्या वही, भाग 2 376
- 131 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फोर फ्रीडम 718
- 132 बी पट्टाभि सीतारामय्या, वही भाग 1
- 133 वही, भाग 2, 80
- 134 वही, पृ 80
- 135 सुखवीरसिंह गहलोत, राजस्थान का सम्मिलित इतिहास, पृ 248
- 136, पूर्णिमा नवीनलाल, वही 147 48
- 137 जहूरता मेहर, वही 43
- 138 वही, 44
- 139 वही
- 140 वही
- 141 (अ) आकारसिंह, महाराजा, 29 30  
(ब) पानगडिया, वही, 77 78
- 142 पूर्णिमा नवीनलाल, वही 225
- 143 वही
- 144 जगदीशसिंह गहलोत, जोधपुर राज्य का इतिहास (अप्रकाशित) 301
- 145 वही, 307
- 146 वही, 309
- 147 वही 309
- 148 वही 309

- 149 पूणिमा नवीनलाल वही, 225  
 150 सुखवीरसिंह गहलाल, वही, 248  
 151 पूणिमा नवीनलाल, वही, 226  
 152 बी एल पागडिया वही पृ 85  
 153 वही 65 66  
 154 वही, 63 66  
 155 वही 61 63  
 156 वही, 74  
 157 वही, 76  
 158 पूणिमा नवीनलाल वही, 220  
 159 वही  
 160 बी एल पागडिया, वही 95  
 161 डी डी गौड कस्टीटयुशन डबलपमण्ट ऑफ ईस्टन राजस्थान 51  
 162 बी एल पानगडिया, वही, 55  
 163 वही, 40 41  
 164 वही 88  
 165 बी एल पानगडिया 67  
 166 बी एल पानगडिया वही, 39 व 55  
 167 वही, 56  
 168 जगदीशसिंह गहलोत, टाक राज् का इतिहास [ 1942 ] 12  
 169 बी एल पानगडिया, वही, 95  
 170 जहूरखा मेहर आजादी रा आन्दोलन 72  
 171 पूणिमा नवीनलाल, राजस्थान इतिहास 228  
 172 जहूरखा मेहर, वही, 67  
 173 वही 67 68  
 174 गाविंद सहाय, 1942 इतिहास, 228  
 175 रिपाट ऑफ द स्टेट ऑफ इतिहास राजस्थान 1955, 75  
 176 अजमेर गजेटियर 2-



## किसान आन्दोलन

राजस्थान में राजनैतिक चेतना एवं स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि का निर्माण रियासतों के किसान वर्ग के आन्दोलनों ने किया। सामन्तवादी व्यवस्था में जागीरदार और किसानों के हितों में अन्तर्विरोध पाया जाता है। इस अन्तर्विरोध की प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति मेवाड़ के विजोलिया किसान आन्दोलन में हुई। अतः विजोलिया आन्दोलन के गम से भावी राजस्थान की राजनैतिक चेतना ने जन्म लिया।<sup>1</sup>

किमान वर्ग के आन्दोलनों को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने सवप्रथम राजस्थान में राजनैतिक-सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया, राष्ट्रीय आन्दोलन के भावी नेतृत्व का निर्माण किया और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सघर्ष करने वाले प्रजामण्डलों के संगठन में मूल प्रेरक तत्व की भूमिका प्रस्तुत की।

सामन्तवादी व्यवस्था के प्रतिमान

स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में निम्नलिखित बड़ी छोटी कुल 22 रियासतें थीं<sup>2</sup> अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वासवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, मेवाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टाक, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, और लावा, कुशलगढ़ नीमराना।

रियासतों एवं उनके अधीनस्थ ठिकानों (जागीर क्षेत्र) में सामन्तवादी व्यवस्था के प्रतिमान प्रचलित थे। इसके अन्तर्गत नरेश रियासत का सम्प्रभु शासक होता था।<sup>3</sup> उसके अधीन अनेक सामन्त जागीरदार होते थे। जागीरदार अपनी जागीर के अर्धस्वतन्त्र शासक होते थे। उन्हें अपने राज्य के स्वामी को रेख (जागीर के कुल राजस्व का वार्षिक कर), चाकरी (घुड़सवार, ऊँट सवार और पैदल सैनिक नरेश की सेवा में प्रस्तुत करना), हुकमनामा अथवा तनवार बधाई (उत्तराधिकार कर), नजरनजराना और छट्टूद

(मेवाड में प्रचलित चाकरी कर) देना पड़ता था, यद्यपि इनकी मात्रा और राशि प्रत्येक रियासत में भिन्न भिन्न थी।<sup>4</sup>

प्रत्येक रियासत में भूमि का वन्दोवस्त दो प्रकार का था। एक खालसा भूमि, जिस पर शासक का प्रत्यक्ष नियन्त्रण होता था और दूसरा जागीर क्षेत्र जिस पर जागीरदार का प्रत्यक्ष प्रशासन होता था। जागीरदार अपने ठिकाने में सर्वोच्च शक्ति होने के कारण कार्यपालिका (प्रशासनिक एवं पुलिस शक्तियाँ) एवं न्यायपालिका की शक्तियों का उपभोग प्रयोग करते थे।

जागीर और रियासत की आय की वृद्धि के लिए भू-राजस्व (भूमि का लगान) के अलावा अनेक प्रकार की लागू बेगार (उपकर एवं वलात् श्रम) किसानों से जबरन वसूल की जाती थी। 1941 में जोधपुर राज्य द्वारा गैर कानूनी लागू-बाग की जाच के लिये गठित जाच ममिति के सामने मारवाड़ किसान सभा ने जोधपुर के प्रधानमंत्री को 136 अवैध लागू बागों की सूची दी थी। जयपुर रियासत में जब शेखावटी के ठाकुर ने मोटरकार खरीदी तो प्रजा पर एक नई मोटर लागू थोप दी गई, जबकि वे पहले से ही 30 से ज्यादा लागू दे रहे थे। 1922 में किसान पंचायत विजोलिया ने ए०जी०जी० हालैंड को 74 लागू बागों की सूची दी थी। वीकानेर राज्य के जागीरदारों ने 1940 में 37 लागू में से 29 को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। जोधपुर रियासत के विलाडा परगना में विभिन्न प्रकार की 142 लागू बागों किसानों से वसूल की जाती थी।<sup>5</sup>

सामतवादी व्यवस्था में खालसा और जागीर दोनों में ही बेगार प्रथा प्रचलित थी। विभिन्न जातियों को बेगार देनी पड़ती थी। जैसे—चमार-भावी (गाव के जागीर कर्मचारियों का अवैतनिक सेवक वन्दुआ मजदूर के समान), कुम्हार (मिट्टी के बरतन, खपरैल और पानी की आपूर्ति करना), नाई (मुफ्त में हजामत बनाना, कपड़े धोना, बतन माजना, भाड़ू देना, स्नान कराना तथा मालिश करना), माली (फल फूल सब्जी आदि मुफ्त में देना), बडई (ठिकाने के फरनीचर की मरम्मत करना), सरगरा (सरकारी घोड़ों की सेवा और आसामियों को बुलाने की बेगार देना), ढोली (जागीरदार की सवारी के पीछे गाते हुए चलना), भील (पत्रवाहक का कार्य करना), महाजन (रियासत अथवा जागीर के कर्मचारियों की यात्रा के समय चारपाई, विस्तर, बर्तन और भोजन सामग्री की व्यवस्था मुफ्त में करना) और साधारण कृषकों को तो सबसे अधिक बेगार देनी पड़ती थी।<sup>6</sup>

किसानों को रियासत और जागीर दोनों के घोड़ों के लिए मुफ्त में हरी घास और जौ की आपूर्ति करनी पड़ती थी। जागीर परिवार में विवाह, मृत्यु-भोज के अवसर पर मुफ्त में घी, दूध, दही देना पड़ता था। शामक या जागीरदार की यात्रा के समय मुफ्त में बैलगाड़ी अथवा ऊँट की व्यवस्था करना और ठाकुर की भूमि पर मुफ्त में खेती करनी पड़ती थी। जब ठिकाने के कर्मचारी गांव में आते तो उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था निःशुल्क करनी पड़ती थी।<sup>7</sup>

लाग-वागों के अतिरिक्त जागीरदार रंग, तलवार-ब्रधाई, छद्म और नजराने की राशि भी किसानों से बलात् वसूल करते थे। किसान लाटा किए बिना फसल में से अनाज की एक सिट्टी (बाली) भी नहीं तोड़ सकता था। इस सन्दर्भ में किसानों के घरों और औरतों की तलाशी लेकर उन्हें अपमानित किया जाता था। अनेक ठिकानों में किसानों की बहू बेटियों का जागीरदार अथवा उनके कर्मचारी शील भग करते थे।<sup>8</sup>

इस प्रकार सामन्तवादी व्यवस्था में अवैध लाग-वागें किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक शोषण के सयन होते थे, जिनके परिणामस्वरूप किसानों के पास दोनों समय पेट भर खाने को भी नहीं बचता था। किसानों के शोषण और उत्पीड़न के चरमोत्कर्ष की अभिव्यक्ति 1942 में राजपूत सभा जोधपुर में पारित उस सकल्प से होती है जिसमें कहा गया कि किसी भी किसान को अथवा जागीर में बसने की स्वीकृत नहीं दी जाएगी।<sup>9</sup>

सामन्तवादी व्यवस्था में किसानों के आर्थिक-सामाजिक शोषण एवं उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में राजस्थान में किसान आन्दोलन एवं राजनीतिक चेतना का सूत्रपात किया और किसान आन्दोलन के जनक विजयसिंह पथिक इतिहास के अमर हस्ताक्षर बन गए।

### मेवाड़ में किसान आन्दोलन

भारत में सबसे प्रथम अहिंसात्मक नीति पर आधारित सामन्तवाद के विरुद्ध किसानों का संगठित आन्दोलन मेवाड़ के विजोलिया ठिकाने में प्रारम्भ होता है। विजोलिया को ऊपरमाल भी कहते हैं। यह मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 19 ठिकानों में से एक था, जिसमें 96 गांव थे। अधिक भूलगान, लागत तथा वेगारों को जबरन लेना और जागीरदार के अत्याचार विजोलिया ठिकाने में किसान आन्दोलन प्रारम्भ होने के प्रमुख कारण थे। ठिकाना छद्म कर के

वार्षिक 4500 रुपये और तलवार-बघाई लाग के प्रजा से 60 हजार रुपये तक वसूल करता था, जबकि महाराणा मेवाड को केवल 40 हजार रुपये देने पड़ते थे। विजोलिया किसानों ने ए० जी० जी० सर राॅवर्ट हालैंड को जून 1922 में 74 लाग बागों की सूची दी थी।<sup>10</sup>

### आन्दोलन का सूत्रपात प्रथम चरण (1897-1916)

सामन्तवादी शोषण के विरुद्ध विजोलिया किसानों के प्रथम विरोध की अभिव्यक्ति 1897 में धाकड़ जाति के एक किसान के मृत्युभोज के अवसर पर हुई।<sup>11</sup> राव कृष्णसिंह ने 1903 में एक नई लाग चवरी कर (पुत्री के विवाह पर 13 रुपये ठिकाने को लागत देना) लगाया। इसके विरोध में किसानों ने दो वर्षों तक अपनी पुत्रियों के विवाह नहीं किए। राव द्वारा चवरी लाग समाप्त नहीं करने पर 1905 में किसानों ने ठिकाने की जमीन पड़त रख दी और विजोलिया छोड़कर ग्वालियर राज्य की सीमा में चले गए।<sup>12</sup>

राव पृथ्वीसिंह ने 1913 में तलवार-बघाई की लागत प्रजा पर थोप दी। किसानों ने साधु सीतारामदास, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की कार्यवाही का विरोध किया। परन्तु सुदृढ सगठन और योग्य नेतृत्व के अभाव में विजोलिया के किसानों का प्रतिरोध असफल रहा।<sup>13</sup>

### आन्दोलन का द्वितीय-चरण (1916-1929) विजयसिंह पथिक युग

इस कालखण्ड में भाग्यवश विजोलिया के किसानों को विजयसिंह पथिक के रूप में एक महान् क्रान्तिकारी, प्रतिभामपन्न, विलक्षण सगठनकर्ता, राजनीति में निपुण नेता मिल गया, जिसकी बाणी और लेखनी में श्रोजस्विता थी। उन्होंने किसानों का एक शक्तिशाली सगठन ही खड़ा नहीं किया, बल्कि लोकनायक माणिक्यलाल वर्मा तथा साधु सीतारामदास जैसे सक्रिय कार्यकर्त्ता और प्रभावशाली सहायक तैयार किए, जो किसानों को स्थानीय नेतृत्व प्रदान कर सके। उनके द्वारा स्थापित किसानों के सगठन "उपरमाल पंच बोर्ड" ने विजोलिया किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया और मार्ग-दर्शन पथिकजी ने दिया।

### असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ

पथिकजी के परामर्श से गावों के किसानों ने प्रथम महायुद्ध का चन्दा, ऋण तथा लाग-बेगार देने से इन्कार कर दिया। विजोलिया किसान आन्दोलन की और देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए 'प्रताप' (कानपुर) के यशस्वी सम्पादक गणेशशंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' के पृष्ठ आन्दोलन के लिए खोल दिये।

लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र 'मराठा' में आन्दोलन के समर्थन में सम्पादकीय लेख लिखे ।<sup>14</sup>

ठिकाने ने अपना दमन-चक्र चलाते हुए लाग-वेगार जवरन लेना शुरू किया और पथिकजी साधु सीतारामदान, माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमचंद भील और गणपतिलाल माधुर पर राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तारी वारंट निकाला । भूमिगत होने के कारण पथिकजी पकड़े न जा सके । लागते तथा वेगार न देने के अपराध में ठिकाने ने 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया ।<sup>15</sup> विजोलिया किसान आन्दोलन की यह प्रथम सामूहिक गिरफ्तारी थी । वर्माजी और साधुजी को बन्दी बनाकर उनके पावों में बेडिया डाल दी गई ।

### जाच आयोग

विजोलिया आन्दोलन को राष्ट्रव्यापी सहानुभूति मिलने और आन्दोलन की व्यापकता के कारण महाराणा मेवाड ने दो जाच आयोग (प्रथम, अप्रैल 1919 में, और द्वितीय, फरवरी 1920) नियुक्त किए, परन्तु रियामत और ठिकाने के असहयोग के कारण किसानों के कष्टों का अन्त नहीं हुआ ।<sup>16</sup>

### पुन आन्दोलन

द्वितीय जाच आयोग का भी कोई परिणाम नहीं निकलने से विजोलिया पंच बोर्ड ने पुन असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया और गाव गाव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की समानान्तर सरकार स्थापित कर दी । उस समय पथिकजी बंधारणा गाव (ग्वालियर राज्य) से आन्दोलन का माग-दशन कर रहे थे । उनके निर्देश से किसान पंचायत ने ऊपरमाल की समस्त भूमि को पडत रख दिया और किसान विजोलिया ठिकाना छोड़कर सीमावर्ती राज्यों में खेती करने चले गये ।<sup>17</sup> पथिकजी ने गांधी माग हिजरत का प्रथम परीक्षण विजोलिया में किया । वस्तुतः इस आन्दोलन ने ठिकाने की सत्ता और प्रतिष्ठान को गम्भीर नुकसान पहुंचाया ।

दिसम्बर 1920 में पथिकजी ने राजस्थान सेवा सघ (वर्धा) के मंत्री रामनारायण चौधरी को किसान आन्दोलन का माग दशन करने के लिए विजोलिया भेजा ।<sup>18</sup> पथिकजी पर मेवाड राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।<sup>19</sup>

### ए०जी०जी० द्वारा मध्यस्थता, 1922

अब विजोलिया आन्दोलन का प्रभाव मेवाड के अन्य ठिकाना पर भी पडने लगा था । भारत सरकार को इसमें अंग्रेज सत्ता विरोधी चिंगारी

दिखाई देने लगी। अतः राजपूताने के ए०जी०जी० सर राबर्ट हालैंड के नेतृत्व में एक उच्च सत्ता सम्पन्न शिष्ट-मंडल भेजा गया। इस बार किसानों का प्रतिनिधित्व राजस्थान सेवा सघ की ओर से रामनारायण चौधरी ने किया और किसान पंचायत की ओर से बर्मजी आदि ने भाग लिया।<sup>20</sup>

ए०जी०जी० हालैंड के प्रयत्नों से ठिकाने और किसानों के बीच सम्मानपूर्वक समझौता हो गया। 35 लागते बेगार समाप्त कर दी गई। किसानों पर चलाए गए मुकदमे उठा लिये गये। तीन साल की अवधि में जागीर का बन्दोबस्त (सेटलमेंट) करने का आश्वासन दे दिया गया।<sup>21</sup> विजोलिया किसान आन्दोलन की यह गौरवशाली विजय थी।

### मालभूमि का समर्पण

भूमि बन्दोबस्त में ऊँची लगान दर रखने के विरोध में पथिकजी के परामर्श से किसानों ने 20 मई, 1927 को ठिकाने को अपनी मालभूमि समर्पित (सरेण्डर) कर दी। यह महान् भूल थी। किसानों द्वारा अपनी जमीनों से इस्तीफे देने के प्रश्न पर पथिकजी और बर्मजी में मतभेद हो गये। अतः पथिकजी ने 1929 में किसान पंचायत के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया।<sup>22</sup>

### आन्दोलन का तृतीय चरण (1929-1941)

#### हरिभाऊ उपाध्याय का नेतृत्व

माणिक्यलाल वर्मा के अनुरोध पर विजोलिया किसान आन्दोलन का नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य समर्पित मालभूमि को पुनः प्राप्त करना था। काफी प्रयत्नों और 1931 के किसान सत्याग्रह के बाद, अतः सेठ जमनालाल बजाज और मेवाड के नये प्रधानमंत्री टी० विजयराघवाचार्य के सहयोग से पुराने खातेदारों को अपनी मालभूमि पुनः प्राप्त हो सकी।<sup>23</sup> इस प्रकार एक दीर्घकालीन सघ (1897-1940) के बाद 1941 में विजोलिया किसान आन्दोलन का पटाक्षेप हुआ।

#### मूल्यांकन

विजोलिया किसान आन्दोलन राजस्थान में किसानों का प्रथम दीघकालीन अहिंसात्मक, अग्रणी असहयोग आन्दोलन था। इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। इसने मेवाड के अग्र ठिकानों में भी किसानों को सामन्तवादी व्यवस्था के शोषण के सयंत्रों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध एवं असहयोग आन्दोलन करने



किसान वर्ग के आन्दोलनों के कारणों तथा घटनाओं का पृथक् पृथक् विवेचन नहीं करके केवल नेतृत्व वर्ग का उल्लेख किया गया है।

### सिरोही राज्य में किसान आन्दोलन

मेवाड़ से मोतीलाल तेजावत जनवरी, 1922 में सिरोही आए। सिरोही राज्य में किसान-आन्दोलन दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में, मोतीलाल तेजावत ने भील और गरासियों में एकी की व्यवस्था (बन्धुत्व एव सगठन की भावना) स्थापित की। उसने भीलों को राज्य को भूलगन लाग बेगार देने से मना कर दिया। 6 मई, 1922 को राज्य ने दमन चक्र चलाया। भीलों के 640 घर जला दिए गए, 29 भील मारे गए और 80 हजार की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई।<sup>26</sup> भीलों गरासियों की अनेक मांगें मान लेने के कारण यह आन्दोलन 1928 में समाप्त हो गया। 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पर तेजावत ने अपने आपको ईंडर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।<sup>27</sup>

दूसरे चरण में, गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल के नेतृत्व में किसान आन्दोलन का संचालन किया। राज्य ने किसान जाच समिति की स्थापना की। उसके सुभावों के अनुसार जुलाई 1941 में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को कुछ रियायतें दी गईं परन्तु जागीर क्षेत्रों में किसानों का शोषण न्यूनतम रूप से होता रहा।<sup>28</sup>

### बूंदी में किसान आन्दोलन

बिजोलिया और वेगू के किसान आन्दोलन से प्रेरित होकर बूंदी के किसानों ने निम्नलिखित कारणों से बूंदी के सामन्तवादी प्रशासन के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया

- (क) बूंदी का प्रशासन भ्रष्ट एवं अकुशल था, जिसके कारण चोर-डाकुओं से किसानों के जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा बना रहता था।
- (ख) भू-राजस्व के अतिरिक्त लगभग 25 प्रकार की लागतें (उपकर) एवं अनेक प्रकार की बेगार किसानों को देनी पड़ती थी।
- (ग) दबाव के कारण राजकीय अधिकारियों को कृषि उत्पादन निःशुल्क देना पड़ता था, और
- (घ) युद्ध कोष के लिए किसानों से जबरन वसूली।<sup>29</sup>

राजस्थान सेवा सघ के मार्गदर्शन में वरड के किसानों ने सबसे प्रथम अप्रैल, 1922 में आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1 मई 1922 को बूंदी नरेश ने



की प्रेरणा और तकनीक प्रदान की। परिणामस्वरूप पहले वेगू, बस्ती, भसरोडगढ, धागडमऊ, नीमली, पारसोली, अमरगढ और भींडर में तथा बाद में सम्पूर्ण मेवाड में किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गए। वेगू में विजयसिंह पथिक को 10 सितम्बर 1923 को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 27 अप्रैल, 1927 को गिरा किया गया।

विजोलिया किसान आन्दोलन और महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन (1920-22) के प्रभाव के कारण राजस्थान की समस्त रियासतों में भी किसान वर्ग के आन्दोलन प्रारम्भ हो गए।

### भील गरासियों में आन्दोलन

डू गरपुर, वासबाडा, दक्षिण मेवाड, सिरोही, ईंडर, गुजरात और मालवा के बीच के तमाम पहाड़ी प्रदेश में मुख्यतः आवादी भील, मीणों और गरासियों की है। भीलों का नेतृत्व गोविन्द गुरु (1858-1920) ने किया। उन्होंने भीलों में संगठन और समाज सुधार के लिए सम्पत्तिका की स्थापना की। गोविन्द गुरु के प्रयत्नों से भीलों ने राज्य को लागू वेगार देना बंद कर दिया। अन्त में मानागढ की पहाड़ी (गुजरात) के वार्षिक मेले पर 7 दिसम्बर 1908 को भीलों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई। इस भीषण नरसंहार में 1500 भील मारे गए तथा गोविन्द गुरु को बंदी बना लिया गया।<sup>24</sup>

गुरु गोविन्द के बाद भीलों को संगठित करने का कार्य मोतीलाल तेजावत (1886-1963) ने किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1921 में भाडोल ठिकाने (मेवाड) की नौबरी छोड़ी। तेजावत ने बैठ वेगार और लागू वाग समाप्त करने सम्बन्धी मागों को लेकर आस पास की रियासतों के भीलों का एक विशाल सम्मेलन नीमडा गांव (विजयनगर राज्य) में आयोजित किया। सम्मेलन के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई। इस नरसंहार में 1200 भील मारे गए। घायल भील नेता तेजावत भूमिगत हो गए और पुलिस उन्हें बंदी नहीं बना सकी।<sup>25</sup>

### अन्य रियासतों में किसान आन्दोलन

राजस्थान की अन्य रियासतों में किसान वर्ग के आन्दोलनों के (क) सामाज्य कारण, (ख) प्रकृति, (ग) सामन्तवाद के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन की तकनीक और (घ) रियासतों तथा ठिकानों के दमन चक्र के प्रतिमान विजोलिया विमान आन्दोलन के समान रहे हैं। अतः रियासतों के

किसान वर्ग के आन्दोलनों के कारणों तथा घटनाओं का पृथक् पृथक् विवेचन नहीं करके केवल नेतृत्व वर्ग का उल्लेख किया गया है।

### सिरोही राज्य में किसान आन्दोलन

मेवाड़ से मोतीलाल तेजावत जनवरी, 1922 में सिरोही आए। सिरोही राज्य में किसान-आन्दोलन दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में, मोतीलाल तेजावत ने भील और गरासियों में एकी की व्यवस्था (वधुत्व एवं सगठन की भावना) स्थापित की। उसने भीलों को राज्य को भू लगान लाग बेगार देने से मना कर दिया। 6 मई, 1922 को राज्य ने दमन चक्र चलाया। भीलों के 640 घर जला दिए गए, 29 भील मारे गए और 80 हजार की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई।<sup>25</sup> भीलों गरासियों की अनेक मांगें मान लेने के कारण यह आन्दोलन 1928 में समाप्त हो गया। 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पर तेजावत ने अपने आपको ईंडर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।<sup>26</sup>

दूसरे चरण में, गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल के नेतृत्व में किसान आन्दोलन का संचालन किया। राज्य ने किसान जाच समिति की स्थापना की। उसके सुझावों के अनुसार जुलाई 1941 में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को कुछ रियायतें दी गईं परन्तु जागीर क्षेत्रों में किसानों का शोषण न्यूनाधिक रूप से होता रहा।<sup>28</sup>

### बूंदी में किसान आन्दोलन

विजोलिया और वेगू के किसान आन्दोलन से प्रेरित होकर बूंदी के किसानों ने निम्नलिखित कारणों से बूंदी के सामंतवादी प्रशासन के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया

- (क) बूंदी का प्रशासन भ्रष्ट एवं अकुशल था, जिसके कारण चोर-डाकूओं से किसानों के जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा बना रहता था।
- (ख) भू-राजस्व के अतिरिक्त लगभग 25 प्रकार की लागतें (उपकर) एवं अनेक प्रकार की बेगार किसानों को देनी पड़ती थी।
- (ग) दबाव के कारण राजकीय अधिकारियों को कृषि उत्पादन निःशुल्क देना पड़ता था, और
- (घ) युद्ध कोष के लिए किसानों से जबरन वसूली।<sup>29</sup>

राजस्थान सेवा सघ के मार्गदर्शन में वरड के किसानों ने सर्वप्रथम अप्रैल, 1922 में आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1 मई, 1922 को बूंदी नरेश ने

सावजनिक सभाओं पर प्रतिवध लगा दिया। परन्तु प्रतिवध-आदेश का उल्लघन करते हुए किसानों ने मोरारी, डावी, गुडा लावासोह और नीमाना में सभाओं का आयोजन किया। नीमाना की सभा (30 मई) में स्त्रियों सहित 4,000-5,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान सेवा सघ के भवरलाल सुनार को बन्दी बना लिया, परन्तु 300 स्त्रियों की भीड़ ने उसे छुड़ा लिया।<sup>30</sup>

किसान आन्दोलन को दवाने के लिए प्रशासन ने दमनचक्र का सहारा लिया। जून, 1922 में अनेक किसानों को बन्दी बनाया गया और उन्हें छुड़ाने के प्रयास में पुलिस ने औरतो पर लाठिया तथा भाँलो से प्रहार किया। पुलिस अत्याचारों की जाच के लिए राजस्थान सेवा सघ ने रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को डावी गाव भेजा तथा 'बू दी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार' शीपक से एक पैम्पलेट 30 जून, 1922 को प्रकाशित किया।<sup>31</sup>

राजस्थान सेवा सघ अजमेर और हाडौती तथा टोक के पोलिटिकल एजेण्ट के हस्तक्षेप के कारण बू दी प्रशासन ने जुलाई 1922 में अनेक बेगारों को समाप्त करने की घोषणा की, परन्तु किसान उनसे सतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आन्दोलन जारी रखा। किसानों ने भूराजस्व देना बन्द कर दिया, अरक्षित चारागाहों पर अतिक्रमण शुरू किया तथा पारस्परिक विवादों को ग्राम पंचायतों में हल करने का निश्चय किया।<sup>32</sup>

आन्दोलन की गति को रोकने लिए प्रशासन ने सितम्बर, 1922 में नवीन राजस्थान (अजमेर) और प्रताप (कानपुर) पर राज्य में प्रतिवध लगा दिया। अक्टूबर, 1922 में किसान आन्दोलन बरड जिले से खेराड जिले में भी फैल गया। 2 अप्रैल, 1923 को डावी गाव में एक सभा हुई जिसमें किसानों ने निश्चय किया कि वे खाद्य सामग्री राज्याधिकारियों को नहीं देंगे। इस सभा को भंग करने के लिए पुलिस ने गोलिया चलाई जिससे नानक भील और देवीलाल भूजर स्थल पर ही मर गए और अनेक किसान घायल हुए। 14 नवम्बर को पुलिस ने किसान आन्दोलन के नेता नेन् राम शर्मा को बन्दी बना लिया और उन्हें चार वर्ष की सजा दे दी गई।<sup>33</sup>

जून 1923 में बू दी प्रशासन ने राजस्थान सेवा सघ के विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिजी ब्रह्मचारी, सत्यभक्त, अजना देवी आदि पर बून्दी प्रवेश पर प्रतिवध लगा दिया। परन्तु इसके साथ-साथ किसानों को कुछ

रियायते देने की घोषणा की और नेनूराम शर्मा को 24 मितम्बर, 1924 को रिहा कर दिया।<sup>14</sup>

1925-26 में नेनूराम शर्मा ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए अनेक आवेदन पत्र बूंदी नरेश को भेजे। अन्ततः राजस्थान सेवा सघ में फूट पड़ने में बूंदी आंदोलन 1927 में मन्द पड़ गया।

दस वर्षों के अंतराल के बाद बूंदी में गूजरो का आंदोलन (1936-1945) प्रारम्भ हुआ। 5 अक्टूबर, 1936 को गूजर एव मीणाओं की एक सभा का आयोजन हिडोली नगर में हुआ। इसमें 90 गावों के 500 व्यक्ति एकत्रित हुए। सभा में मुख्यतः अधिव. भू-राजस्व, गैर वानूनी जाग-जाग तथा अधिन. चराई करके विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया गया। बूंदी में गूजरो का आंदोलन 1945 तक चलता रहा, परन्तु नेतृत्वविहीन होने के कारण इसे सफलता नहीं मिली।<sup>15</sup>

निम्न-देह विमान आंदोलन एव गूजर आन्दोलन दोनों ने ही बूंदी में राजनैतिक चेतना के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया।

#### अलवर राज्य

अलवर राज्य में सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध की प्रथम संगठित अभिव्यक्ति जगली सूअरों के उत्पात के कारण हुई। सूअर किसानों की गन्दी फमला को नष्ट कर देते थे, परन्तु प्रतिपन्ध के कारण वे सूअरों को मार नहीं सकते थे। अतः 1921 में किसानों ने आंदोलन प्रारम्भ किया। अन्ततः महाराजा ने जगली सूअरों को मारने की किसानों की मांग स्वीकार कर ली।<sup>16</sup>

मई 1925 में अलवर राज्य की दो तहसीलों वानसूर और धाना गाजी में सरकार द्वारा लागू की गई भू-राजस्व की ऊँची दरों के विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। 14 मई 1925 को नीमूचाणा (तहसील वानसूर) गाव में एकत्रित किसानों की सभा पर गोलियों की बौछार की गई, जिसके परिणामस्वरूप 353 घर जला दिए गए, 95 व्यक्तियों की गोती काण्ड से मृत्यु हो गई, 250 व्यक्ति घायल हुए और महिलाओं का अपमान किया गया।<sup>17</sup> महात्मा गांधी ने इस दमन चक्र को "यम टण्डिया" में "दोहरी डायरशाही" कहा था।<sup>18</sup>

#### जयपुर राज्य

जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के केन्द्र शेखावाटी, तोरावाटी, साभर तथा सीकर एव खेतड़ी के ठिकाने थे। वस्तुतः सीकर शेखावाटी का कृषक

आन्दोलन "जाट किसान और राजपूत जागीरदारों के संघर्ष की कहानी है। किसानों में बहुसंख्यक लोग जाट थे और जागीरदारों में बहुसंख्यक राजपूत थे।"<sup>39</sup>

जयपुर राज्य में सीकर ठिकाना एक अर्द्ध-स्वतंत्र राज्य था, जिसमें 436 गांव थे। सीकर ठिकाने का आधा भू-भाग खालसा तथा आधा भू-भाग जागीर क्षेत्र, जिसमें छोटे-छोटे जागीरदार यानी भूमिया का शासन था। कृषक आन्दोलन का सम्बन्ध खालसा तथा जागीर दोनों ही क्षेत्रों से था। किसान आन्दोलन के प्रमुख कारण थे— लगान में अत्यधिक वृद्धि, अनुचित टंग से लागतें (उपकर) बढ़ाना, जबरन वेगार लेना और जागीरदारों द्वारा किसानों का सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न करना।

1921 में महात्मा गांधी भिवानी आये थे। उस समय शेखावाटी के अनेक नेता उनसे मिले। युवक हरलालसिंह ने महात्मा गांधी और असहयोग आन्दोलन (1920-22) की प्रेरणा से किसान पंचायतों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करके किसान संगठन और किसान-चेतना का कार्य प्रारम्भ किया।<sup>40</sup>

सीकर में किसान आन्दोलन 1922 में प्रारम्भ हुआ जबकि नये ठाकुर कल्याणसिंह ने 25 से 50 प्रतिशत तक भू-राजस्व इस आधार पर बढ़ा दिया कि पूर्व ठाकुरों के दाह-संस्कार तथा उनके उत्तराधिकार उत्सव पर अधिक खर्च हो गया था। किसानों की शिकायत पर रावराजा कल्याणसिंह ने अगले वर्ष लगान में छूट देने का वचन दिया, परन्तु रावराजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया।

1923-1925 तक सीकर के किसान जयपुर राज्य परिषद् को शिकायत करते रहे, परन्तु रावराजा ने किसानों की शिकायतें दूर करने के बजाय मार्च 1925 में 16 किसान नेताओं को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लिया और राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी पर फरवरी 1926 में सीकर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके अलावा उनके पत्र 'तरुण राजस्थान' को भी सीकर तथा जयपुर में प्रतिबन्धित कर दिया गया।

सीकर आन्दोलन की गूँज भारत की केन्द्रीय असेम्बली एवं ब्रिटेन की लोकसभा तक पहुँचने के परिणामस्वरूप रावराजा ने भू-लगान की दर निर्धारित करने के लिए एक कमिशन नियुक्त किया। मई 1925 में ठिकाने एवं

किसानों में यह समझौता हुआ कि लगान की मात्रा कृषि उत्पादन के अनुसार प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए।

समझौते के बाद रावराजा द्वारा बन्दोवस्त से पूर्व छोटी जमीन के भूमि-सर्वेक्षण कराने पर पुनः कृषक असन्तोष ने उग्र रूप धारण कर लिया। 1931 से भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर शेखावाटी के किसानों का मार्ग-दर्शन करना प्रारम्भ किया। उनके नेतृत्व में जनवरी 1934 में सीकर में 'प्रजापति जाट महायज्ञ' का आयोजन किया गया। यह महायज्ञ जाट किसानों के संगठन एवं जागीरदारों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का प्रतीक था।

18 फरवरी, 1934 को 200 जाट किसानों के शिष्ट-मण्डल ने जयपुर प्रशासन को अपनी शिकायतों का स्मरण पत्र दिया। परिणामस्वरूप सीकर के रावराजा ने दमन-चक्र का सहारा लिया। कई किसानों को बन्दी बनाया गया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सिहोट-ठाकुर ने तो श्रीरतो के दात पकड़कर घसीटने एवं उन्हें बँतों में मारकर अपनी निर्दयता का परिचय दिया। इसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ। जिसमें लगभग दस हजार महिलाओं ने भाग लिया। अब किसानों ने ठिकाने को लगान नहीं देने का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। अन्ततः 23 अगस्त, 1934 को सीकर के वरिष्ठ अधिकारी वेव और किसानों के मध्य समझौता हो गया, जिसके अनुसार कतिपय लागते और वेगार वाद कर दी गई। लगान में रियायत दी गई। यह समझौता सीकरवाटी जाट पंचायत की महान् सफलता थी।

रावराजा सीकर द्वारा समझौते का पालन नहीं करने पर तथा शेखावाटी के पंच पाने ठिकानों द्वारा दिसम्बर 1934 में वर्षा के अभाव में 25 प्रतिशत लगान कम करने पर पुनः जाटों ने मधुर्य प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने ठिकाने को लगान देना वाद कर दिया। ठिकाने ने जाट नेताओं को बन्दी बनाया और स्त्रियों पर अत्याचार किए, फिर भी रावराजा लगान वसूल नहीं कर सका। अन्त में रावराजा ने 4 लाख 16 हजार 300 रुपये की लगान की उकाया राशि माफ करने तथा बन्दोवस्त विभाग स्थापित करने की घोषणा जून 1935 में की। परन्तु कुदान वाण्ड (अप्रैल, 1935) में बन्दी बनाए गए 23 जाटों को मजा देने के कारण आन्दोलन पुनः भड़क उठा।

अन्ततः जयपुर प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण रावराजा सीकर को झुकना पड़ा। खालसा क्षेत्र में भूमि बन्दोवस्त कर दिया गया। अनेक लागतों

और बलात बेगारो को समाप्त कर दिया गया। परन्तु जागीर क्षेत्र में भू-बन्दोवस्त कराने तथा खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने के लिए जनवरी 1939 में पुनः किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। जागीर क्षेत्रों के किसानों ने लगान देना बन्द कर दिया। किसान आन्दोलन के दबाव के कारण सीकर ठिकाने न दिसम्बर 1946 में जागीरी गाँवों में बन्दोवस्त करने की घोषणा की।<sup>41</sup>

अन्त में, सीकर के इस दीर्घकालीन किसान सघष का पटाक्षेप मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय मन्त्रीमण्डल की स्थापना के साथ हुआ। राजस्व मन्त्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्रों में व दबोवस्त करने के तुरन्त आदेश जारी किए। इस आन्दोलन में अनेक व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। उनमें से सरदार हरलाल सिंह, नेतरामसिंह गोरीर, चौबरी घासीराम, लार्दूसिंह, ताडकेश्वर शर्मा, नरोत्तमलाल जोशी, चौधरी ईश्वरसिंह, हरदेवसिंह पृथ्वीसिंह, गणेशराम, पनेसिंह और मास्टर चन्द्रभानसिंह प्रमुख थे। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर के किसानों को संगठित करने में 1931 से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### शेखावाटी क्षेत्र में किसान आन्दोलन

जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के अन्तर्गत चार भू भाग शामिल हैं— उदयपुरवाटी, सिंघानीवाटी, नरहरवाटी और भुभुनुवाटी। सम्पूर्ण क्षेत्र में छोटे-बड़े जागीरदारों का आधिपत्य था। इस क्षेत्र में पांच ठिकाने प्रमुख थे— विसाऊ, डुडलोद, मलमीसर, मण्डावा और नवलगढ। इन्हीं पंचपाना सरदार ठिकाने भी कहा जाता था।

शेखावाटी भू भाग का कृषक आन्दोलन सीकर आन्दोलन का ही विस्तार मात्र था। इस क्षेत्र के अधिकांश कृषक जाट थे। 1924 में उठोने जागीरदारों के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध जयपुर प्रशासन से शिकायत की। पंचपाने के जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध किसानों ने लगान न देने के अभियान से प्रारम्भ किया। यहाँ के जागीरदार सीकर का तुलना में अधिक धूर तथा अमानवीय थे। काफी सघष और कुर्बानियों के बाद 1946 में शेखावाटी क्षेत्र के किसानों को लगान में कुछ रियायतें मिली, परन्तु उनके दुःखा का अन्त जयपुर में मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनने पर ही हुआ।

सीकर और शेखावाटी क्षेत्र के किसान आन्दोलन को जाट नेताओं के अतिरिक्त 1935 से जयपुर प्रजा मण्डल के नेताओं का भी सक्रिय मागदशन प्राप्त हुआ ।

### जोधपुर राज्य

सामन्तवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जोधपुर में जून 1924 में 'भारवाड हितकारिणी सभा' की स्थापना हुई । इस सभा के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित थे—

जयनारायण व्यास (जोधपुर), दुर्गाशंकर श्रीमाली (जोधपुर), मीठालाल पुष्करणा ब्राह्मण (जैसलमेर), जगदम्बा प्रसाद सेवक (सोजत) और जोधपुर के हरिराम जोशी ।

सबप्रथम, भारवाड हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में राज्य से मादा पशुओं गाय, बकरी और भैसों के अजमेर, नसीराबाद, अहमदाबाद और वम्बई के टसाईखानो में भेजे जाने के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया और उन्हें 1 सितम्बर 1924 में मफलता मिल गई, जब राज्य प्रशासन ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया ।<sup>42</sup>

### जागीर क्षेत्रों में आन्दोलन

1929 में भारवाड हितकारिणी सभा ने जोधपुर राज्य की लगभग 1300 जागीरों में रहने वाले किसानों को जागीरदारों के सामन्तवादी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आन्दोलन करने का निश्चय किया । जागीर क्षेत्रों में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति शोचनीय थी । कुल उपज का आधा भाग तो लगान के भुगतान में ही व्यय हो जाता था । इसके अलावा किसानों को 136 प्रकार की लागतें एव बलात बेगार देनी पड़ती थी ।<sup>43</sup>

12 मई 1929 को भारवाड हितकारिणी सभा की मीटिंग जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुई । इसमें निश्चय किया गया कि लगान की उच्च दरें बलात् बेगार एव अनेक लागतों (उपकर) तथा जमींदारों के सामाजिक-आर्थिक शोषण के विरुद्ध किसानों में चेतना उत्पन्न की जाए । इस सन्दर्भ में 9 व्यक्तियों की समिति बनाई गई । जयनारायण व्यास के अलावा प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार थे—अनन्दराज सुराणा, भवरलाल सर्राफ, हेमचन्द्र छगानी । जयनारायण व्यास ने 'तरण राजस्थान' के 25 मार्च तथा 16 सितम्बर, 1929 के अंक में किसानों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला । उन्होंने किसानों से



अपील की कि उन्हें जागीरदारों के सामंतवादी अत्याचारों का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये तथा जागीरदारों को भू राजस्व और लाग-बागों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने किमानों की दुर्दशा का चित्रण दो पम्पलेटों 'मारवाड़ की अवस्था और पोपाजाई की पोल' में किया, जिनका प्रकाशन मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा किया गया था।

अहिंसात्मक किसान आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रायपुर, बगडी और खलूदा के ठिकाने थे। जोधपुर-प्रणामन ने आन्दोलन का दमन करने के लिए 'तरण राजस्थान' पर प्रतिबन्ध लगा दिया और 20 जनवरी, 1930 को जयनारायण व्यास आनन्दराज मुगाणा तथा भवरलाल मर्वाफ को बन्दी बना लिया। जयनारायण व्यास को 5 वर्ष के बठोर कारावास तथा आनन्दराज मुगाणा, भवरलाल मर्वाफ को 4 4 वर्ष के बठोर कारावास की सजा दी गई। उन्हीं अज्ञात तीना नेताओं पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना भी किया गया, जिसका भुगतान नहीं करने की दशा में एक-एक वर्ष की बठोर सजा का प्रावधान किया गया।<sup>44</sup>

अन्य में ब्रिटिश भारत में नवविनय प्रस्ताव आन्दोलन में भाग लेने वाले बंदियों की रिहाई के मादभं में जोधपुर सरकार ने तीना नेताओं का बिना पान 9 मार्च, 1931 का मुक्त कर दिया।

सातमा क्षेत्र में आन्दोलन

1930-31 में मारवाड़ में अज्ञात पठने और विश्वव्यापी अहिंसा मार्गों के कारण सातमा क्षेत्र के सिमांत राज्य की डिगौली (उत्तर उगात) क्षेत्र में अग्रगण्य हो गए। 5 नुवार्ई, 1931 को मारवाड़ के पास एक गाँव में अज्ञात जाति के सिमांतों की एक बड़ा दूई जिनका यह निशान्य किया गया कि 50 प्रतिशत डिगौली (मगान) कम अज्ञात के लिए राज्य प्रशासन का अज्ञात पान प्रस्तुत किया जाये।<sup>45</sup> अज्ञात अज्ञात पान को मुताबत 700 पान पर सिमांत 1 अग्रगण्य 1931 में पाना 700 पान का अज्ञात प्रारम्भ कर दिया।

मारवाड हितकारिणी सभा और मारवाड युवा सघ को 5 मार्च, 1932 को गैर कानूनी घोषित कर दिया।<sup>46</sup>

राज्य प्रशासन की इस दमनात्मक कार्यवाही का किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्त में, राज्य सरकार ने प्रति एक रुपये पर तीन आने की लगान में कटौती करने की घोषणा 16 जून, 1934 में की। इस घोषणा से किसानों का असन्तोष दूर हो गया।<sup>47</sup>

**मारवाड लोक परिषद् तथा मारवाड किसान परिषद्**

1934 में जयनारायण व्यास तथा उनके सहयोगियों ने जोधपुर प्रजामण्डल की स्थापना की थी। जोधपुर प्रशासन द्वारा 20 नवम्बर 1937 को प्रजामण्डल को अवैध घोषित किए जाने पर जयनारायण व्यास ने 26 मई 1938 को मारवाड लोक परिषद् की स्थापना की।

7 सितम्बर, 1939 को लोक परिषद् के नेतृत्व में किसानों ने लाग-वाग के उन्मूलन हेतु जागीरदारों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। इन लाग-वागों में जोधपुर महाराजा द्वारा अवैध घोषित की गई 119 लाग-वागें भी थीं जिनकी जबरन वसूली जागीरदार निरन्तर कर रहे थे।<sup>48</sup>

लोक परिषद् की गतिविधियों को प्रभावहीन करने के लिए जोधपुर प्रशासन ने 28 मार्च, 1940 को उसे अवैध घोषित कर दिया। परन्तु इससे जागीर क्षेत्रों में किसान आन्दोलन का दमन नहीं किया जा सका। जून 1940 में जोधपुर प्रशासन द्वारा लोक परिषद् को मायता देने पर आन्दोलन पूर्ण आत्मविश्वास और तीव्र गति से पुनर्जीवित हो उठा।

मारवाड लोक परिषद् की कार्य समिति ने फरवरी 1941 में जागीर क्षेत्र में लाग वाग एवं थोपे गये अत्यधिक लगान हेतु एक जाच समिति की नियुक्ति की। लोक परिषद् के अनुरोध पर किसानों ने जागीरदारों को अनुचित लाग-वाग देना बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप जागीरदारों ने दमन-चक्र का सहारा लिया। किसानों को निन्दयतापूर्वक मार पीट कर गाव छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, फसल की लटाई बन्द कर दी ताकि किसानों का अनाज खेत में ही नष्ट हो जाए।

मारवाड लोक परिषद् के प्रभाव को कम करने के लिए जोधपुर प्रशासन के आशीर्वाद से बलदेवराम मिर्धा के नेतृत्व में जून 1941 में मारवाड किसान सभा की स्थापना हुई।

मारवाड लोक परिषद् के आन्दोलन का दमन करने के लिए जैतारण, बिनाटा एव सोजत परगने के जागीरदारों ने अपनी बैठक में निश्चय किया कि गाव में आने पर लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं को पीटा जाए, गाव से खदेड़कर उनकी मीटिंग सग बर दी जाए।

मारवाड किसान सभा ने अत्यधिक लगान और लाग-वाग के कारण किसानों की दयनीय दशा पर अनेक बुलेटिन जारी किए। परिणामस्वरूप जोधपुर सरकार ने 16 अक्टूबर, 1941 को 'लगान और लाग-वाग विशेष ममिति' की स्थापना की। उमका मुख्य ताय किसान सभा के बुलेटिनो में उल्लिखित शिकायतों की जाच करना था। परन्तु, लाग-वाग उन्मूलन के सदम में विशेष ममिति कुछ नहीं कर सकी।

मारवाड किसान सभा और जाट सुधारक सभा ने जनवरी 1942 में रामदेवरा तथा नागौर में तो बैठक आयोजित करके किसानों से, जागीरदारों को लाग वाग नहीं देने की अपील की। मारवाड लोक परिषद् ने भी 7-9 फरवरी 1942 को लाडनू में रणछोडदास गट्टानी की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में लाग-वाग उन्मूलन और 28 मार्च को 'उत्तरदायी शासन दिवस' मनाने पर बल दिया गया।

चण्डावल ठाकुर ने लोक परिषद् को 28 मार्च को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी और ठिकाने की पुलिस तथा लठैतों ने 28 मार्च को लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं पर ताठियों तथा भाला से प्राणघातक हमले किए। चण्डावल दु खान्तिका जोधपुर राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन का एक दु खद अध्याय है। इसी प्रकार 29 मार्च 1942 को निमाज ठाकुर के लगभग 200 व्यक्तियों ने लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं को पीटा। जोधपुर राज्य सरकार इन घटनाओं के प्रति तटस्थ रही। इस स्थिति में राजपूत सभा ने लोक परिषद् की सभाओं को भग करने के लिए प्रत्येक जागीरदार से कहा।

जागीर क्षेत्र के किसानों की समस्या को हल करने में जोधपुर राज्य की उदासीन नीति के विरोध में जयनारायण व्यास ने मई 1942 में सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ किया। उन्होंने जोधपुर राज्य की स्थिति पर प्रकाश डालने हेतु दो पत्रक प्रकाशित किये—(क) मारवाड में उत्तरदायी शासन, और (ख) जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। मारवाड किसान सभा ने भी 9 जून, 1942 को एक बुलेटिन प्रकाशित किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए जोधपुर दरवार से कहा गया।

जोधपुर राज्य के किसानों पर जागीरदारों के अत्याचार और आतंक की निन्दा महात्मा गांधी के 'हरिजन' पत्र के 9 अगस्त 1942 के अंक में छपी और अ भा जाट सभा, अलीगढ़ की बैठक में 26 जुलाई, 1942 को राजपूत ठाकुरों के जाटों पर अत्याचारों की निन्दा की गई। अन्ततः दिसम्बर 1943 में मारवाड़ के जागीरदारों ने भूमि बन्दोबस्त का विरोध किया, परन्तु राज्य सरकार की कठोर कार्यवाही के कारण उन्हें झुकना पड़ा।

अब जागीरदार किसानों पर और अधिक अत्याचार करने लगे। परिणामस्वरूप किसानों ने जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए बल देना प्रारम्भ किया। जागीरदारों के पाशविक अत्याचारों की पराकाष्ठा डावरा गांव में हुई। 13 मार्च, 1947 को डावरा गांव में लोक परिषद और किसान सभा के लगभग 800-900 कार्यकर्ताओं के जुलूस पर ठिकाने के लगभग 500-600 लठैतों ने तलवार, लाठियों और बंदूकों से हमला कर दिया। इस जुलूस में लोक परिषद के नेता—मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, सी आर चौपासनीवाला, राधाकिशन वोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कच्छवाहा, वशीधर, हरीन्द्र कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। सभी नेताओं को ठाकुर के लठैतों ने बबरतापूर्वक पीटा। डावरा काण्ड की वट्टु निन्दा बन्दे मातरम् (बम्बई), लोकवाणी (जयपुर), प्रजासेवक (जोधपुर) और हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली) ने की।

स्वतन्त्रता के पश्चात् मार्च, 1948 को जोधपुर महाराजा ने जयनारायण व्यास को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया परन्तु निरकुश राजतन्त्र और सामन्तवाद का अन्त 30 मार्च, 1949 को राजस्थान के निर्माण के बाद ही हुआ। 6 अप्रैल, 1949 को मारवाड़ वास्तविकी अधिनियम पास हो जाने से जागीरक्षेत्रों में किसानों की स्थिति में आधारभूत अन्तर हो गया। अब वे अपनी जमीन के मालिक बन गए, खातेदार काश्तकार बन गए और इसके साथ सामन्तवाद के विरुद्ध उनका दीर्घकालीन संघर्ष समाप्त हो गया। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि जागीरदारों के किसानों पर बर्बर एवं अमानवीय अत्याचारों ने जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन की काफी पृष्ठभूमि निर्मित की।

### बीकानेर राज्य

गगानहर क्षेत्र में सिक्ख किसानों की कतिपय असुविधाओं के कारण बीकानेर राज्य में किसान असन्तोष की प्रथम अभिव्यक्ति 1929 में हुई। सिक्ख

जमीदारों (नहर क्षेत्र में भूमि के खरीददार) ने 20 अप्रैल, 1929 को जमींदार सभा की स्थापना की। जमींदार सभा ने 10 मई, 1929 को अपनी बैठक में निम्न प्रस्ताव पास किए —

- (1) नहर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण लगान की राशि में कटौती होनी चाहिये।
- (2) पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, फिर भी पानी बर (आवियाना) पूरी दरों से लिया जा रहा है। अतः पानी दर में कमी हो।
- (3) जमीन के मूल्य की किश्तों को चुकाने की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए तथा किश्तों पर व्याज की दर कम होनी चाहिए।

महाराजा गंगासिंह गगानहर क्षेत्र के विकास में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अतः किसानों के शांतिपूर्ण सवैधानिक आन्दोलन की समाप्ति 30 सितम्बर, 1941 को हुई जब महाराजा गंगासिंह ने उनकी मांगें स्वीकार कर लीं।

### जागीर क्षेत्रों में आन्दोलन

बीकानेर राज्य में कुल 2917 गाव थे, जिनमें से 1393 गाव खालसा क्षेत्र में थे। सीमावर्ती क्षेत्र सीकर और शेखावाटी के जाट किसान आन्दोलनों का प्रभाव बीकानेर राज्य के बहुसंख्यक जाट किसानों पर भी पड़ा। परिणाम-स्वरूप उनमें सामन्तवाद के विरुद्ध प्रतिरोध करने की राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई।

सबप्रथम 18 दिसम्बर, 1934 को जाट किसानों ने अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक आवेदन पत्र महाराजा गंगासिंह को दिया। किसानों ने कहा कि उनकी शिकायतें दूर नहीं करने की स्थिति में वे लगान तथा लाग ब्राग जागीरदारों को नहीं देंगे। 11 अप्रैल, 1935 को बीकानेर प्रशासन ने घोषणा की कि लगान का भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सर्वप्रथम 1937 में उदरासर गाव में जीवन चौधरी ने प्रजामण्डल नेताओं के सहयोग से अवैध लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई, परन्तु ठिकाने एव राज्य अधिकारियों ने किसान नेताओं को निन्द्यतापूर्वक मार पीटकर उनकी आवाज को कुचल दिया।

## महाजन ठिकाने में आन्दोलन

इसके बाद किसानों ने मई, 1938 में महाजन ठिकाने के विरुद्ध राज्य के राजस्व आयुक्त की शिकायत की। उनकी मुख्य शिकायतें थी कि जागीरदार 1927 से लगातार लगान, चराई कर और अन्य लागनों (उपकर) में वृद्धि कर रहा है। किसानों के निरन्तर प्रयास के बाद उनमें तथा जागीरदार के बीच जून, 1939 में समझौता हो गया। परन्तु बाद में जागीरदार ने समझौते का पालन नहीं किया, फलस्वरूप किसानों ने जागीरदार को भू-राजस्व नहीं देने का आन्दोलन पुनः प्रारम्भ कर दिया। अब ठिकाने के कामदार ने दमनचक्र का सहारा लिया। तीन वर्षों (1938-40) के बकाया लगान नहीं चुकाने पर कामदार जगन्नाथ जोशी ने किसान नेताओं की चल सम्पत्ति जब्त कर ली और राज्य पुलिस की सहायता से किसानों का दमन करने के असफल प्रयत्न किए। अन्ततः मार्च, 1942 में वीकानेर सरकार ने किसानों की पशु चराई कर तथा लगान में कटौती की मांग स्वीकार कर ली।

## दूधवा खारा आन्दोलन

वीकानेर में किसान आन्दोलनों की शृंखला में दूधवा खारा गांव का आन्दोलन किसानों पर पुलिस अत्याचारों की दृष्टि से उल्लेखनीय है।

1944 के अन्त में ठाकुर सूरजमलसिंह ने बकाया लगान को वसूल करने के वहाने से किसानों के खेत जब्त कर लिए और उनके मकान लूट लिए। ठाकुर के अत्याचारों का विरोध किसान नेता हनुमानसिंह आय ने अटूट सकल्प और निष्कंठा के साथ किया। उन्हें राज्य प्रशासन ने जून अगस्त, 1945 तक, 20 मार्च—27 जुलाई 1946 तक और 7 अप्रैल, 1947 से 4 जनवरी 1948 तक जेल में रखा तथा उन पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, परन्तु वे टूटे नहीं। उन्होंने अपने तृतीय कारावास के दौरान 65 दिन तक उपवास किया।<sup>40</sup>

हनुमानसिंह और उनके परिवार के कष्टों ने किसानों में संगठन और राजनैतिक चेतना के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की।

## प्रजामण्डल के नेतृत्व में आन्दोलन

1946 के प्रारम्भ में अनेक जाट नेताओं ने वीकानेर राज्य प्रजा परिषद की सदस्यता ग्रहण कर ली। परिषद ने लागू-बाग के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1 मई, 1946 को कुभाराम आय को बन्दी बना लिया गया। प्रजा परिषद ने 2 जून को ललाना गांव में मीटिंग की जिसमें 5000 किसानों ने भाग लिया।

रायसिंहनगर में एकत्रित किसानों की भीड़ पर 1 जुलाई, 1946 को गोलियाँ चलाई गईं जिसमें अनेक घायल हो गए तथा किसान वीरबलमिह की मृत्यु हो गई ।

### कांगड गाव काण्ड

1946 में अकाल के कारण फसल नष्ट हो जाने की वजहसे किसानों ने लगान और लाग वाग देने में असमर्थता व्यक्त की, परंतु जागीरदार लगान और लागतें वसूल करने पर बल देता रहा । किसानों द्वारा विरोध करने पर ठाकुर ने किसानों, उनके वच्चों और औरतों के साथ मार-पीट की तथा औरतों का अपमान किया ।

इस अत्याचार के बाद किसानों के अनुरोध पर प्रजा परिषद ने जाँच के लिए स्वामी सच्चिदानन्द वेदारनाथ, हुसराज आय, दीपचन्द, मौजीराम, गंगादत्त रंगा और रूपराम को गाव में भेजा । ठाकुर ने उन्हें 1 नवम्बर, 1946 को गाव में निंदयतापूर्वक पीटा । उनमें से 6 व्यक्ति बेहोश हो गये । उनको अपमानित करने के लिए ठाकुर ने उन्हें निर्बन्ध करके गन्ग अवस्था में ही गाव में घुमाया । बीकानेर दरवार ने सभाओं पर तथा भरतपुर से प्रकाशित 'किसान' पत्र पर प्रतिबन्ध लगा दिया ।<sup>50</sup>

इस प्रकार सामन्तवाद के अत्याचारों ने किसानों में प्रतिरोध क्षमता और राजनैतिक चेतना उत्पन्न की । अतः 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल के निर्माण से किसानों के कष्टों का अन्त हुआ ।

### भरतपुर राज्य

स्वतंत्रता से पूर्व भरतपुर रियासत में केवल 17 छोटी-छोटी जागीरें थी, उनमें से 14 गाव वाली बल्लभगढ़ की जागीर सबसे बड़ी थी । जागीर क्षेत्र के किसानों की स्थिति खालसा क्षेत्र के किसानों के समान थी । जागीरदार को प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त न होने के कारण यहाँ की सामन्तवादी व्यवस्था राजस्थान के अन्य राज्यों से सवथा भिन्न थी ।<sup>51</sup>

नवम्बर, 1931 में भरतपुर राज्य में सन् 1900 के पुराने बन्दोबस्त को सशोधित करके नवीन बन्दोबस्त में लगान की मात्रा कुल उपज की 66 प्रतिशत कर दी गई । पानी कर मलवा और पटवार कोष की वसूली अलग से होती थी ।<sup>52</sup>

नये वन्दोवस्त में लगान की उच्च दरों के विरुद्ध गाव के मुखियाओं ने लगान नहीं देने का आन्दोलन प्रारम्भ किया। 23 नवम्बर, 1931 को लगभग 500 किसानों ने भोजी नम्बरदार के नेतृत्व में भरतपुर में प्रदर्शन किया। राज्य प्रशासन ने 24 नवम्बर को भोजी नम्बरदार को वन्दी बना लिया। अन्ततः किसानों में बढ़ते हुए असन्तोष से वाध्य होकर राज्य प्रशासन ने नए वन्दोवस्त को 5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, फलस्वरूप आन्दोलन बन्द हो गया।<sup>63</sup>

भरतपुर राज्य की पहाड़ी और नगर तहसीलों में मेव मुसलमान बहुसंख्यक थे। उन्होंने अगले वर्ष के मेव आन्दोलन की भाँति भरतपुर में भी आन्दोलन प्रारम्भ किया। अप्रैल 1933 में भरतपुर के मेव गावों ने लगान देना बन्द कर दिया क्योंकि रबी फसल का लगान अधिक था। मई 1933 में उन्होंने भारत सरकार को एक आवेदन पत्र राज्य सेवाओं में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में नौकरियाँ देने के सम्बन्ध में लिखा। कुछ दिनों बाद भरतपुर प्रशासन ने रबी फसल का लगान काफी कम कर दिया और एक मुसलमान को भी राज्य कौंसिल में नियुक्त कर दिया। वास्तव में मेव आन्दोलन का मार्गदर्शन राज्य के बाहर से हो रहा था।

### स्वाधीनता संग्राम में योगदान

राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम का विकास चार चरणों में हुआ। प्रथम चरण में, रियासतों के किसान वर्ग द्वारा सामन्तवादी व्यवस्था के शोषण के सद्योक्तों का ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में सामूहिक प्रतिरोध एवं संगठित संघर्ष किया गया।

द्वितीय चरण में, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामण्डलों की स्थापना हुई। इस चरण में किसान पंचायतों एवं प्रजामण्डलों ने सद्युक्त रूप से सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष किया, क्योंकि दोनों का समान लक्ष्य शोषण एवं अन्याय का विरोध करना था।

तृतीय चरण में, रियासतों के भारत संघ में विलय के लिए और चतुर्थ चरण में, सामन्तवाद के अन्तिम अवशेष जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आन्दोलन किए गए।

इस प्रकार राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम के लिए राजनैतिक जन-जागरण का श्रेय सर्वप्रथम विजोलिया किसान आन्दोलन को है और जागीरदारी



प्रथा के उन्सूलन के साथ स्वाधीनता सघर्ष की गौरव गाथा का समापन होता है।

राजस्थान में किसान बग के आन्दोलनों का स्वाधीनता सग्राम में योगदान निम्नलिखित है—

- (1) सबसे प्रथम विजोलिया किसान आन्दोलन ने राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता विरोधी बोज धोए। उदयपुर के ब्रिटिश रेजीडेंट ने ए.जी.जी. राजपूताना को 1923 में पत्र लिखा—‘मेवाड़ अव्यवस्था और कानून विरोधी गतिविधियों का मुख्य स्थल बन गया है। आन्दोलन मुख्यतः महाराणा के विरुद्ध है, परन्तु यह शीघ्र ब्रिटिश क्षेत्रों में फैल सकता है।’ विजोलिया किसान आन्दोलन के परिणाम दूरगामी हुए। धीरे-धीरे इस किसान आन्दोलन की चिंगारी भयंकर दावानल का स्वरूप ग्रहण करके समस्त राजस्थान में फैल गई।
- (2) किसान आन्दोलन के जनक विजयसिंह पथिक थे। उन्होंने राजस्थान सेवा सघ (अजमेर), ‘राजस्थान केसरी’ (वर्धा) और ‘नवीन राजस्थान’ (अजमेर) के माध्यम से राजस्थान में राजनैतिक चेतना का अभियान छेड़ा।
- (3) राजस्थान के किसान आन्दोलन के गम से ही राजस्थान के भावी स्वतन्त्रता सेनानी उत्पन्न हुए। जैसे, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, भील नेता मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट, हसराम आय, कुभाराम आय, जयनारायण व्याम, द्वारकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर, हीरालाल शास्त्री, बलवन्तसिंह मेहता आदि।
- (4) किसान आन्दोलन की प्रारम्भिक सफलताओं से प्रेरित होकर राजस्थान में प्रजामण्डलों की स्थापना की गई, जिनके नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध सघर्ष किया गया।
- (5) किसान आन्दोलनों के कारण ही देशी राज्यों की समस्याओं की ओर अ.भा. राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान आकर्षित हुआ। सर्वप्रथम विजोलिया आन्दोलन की जानकारी लेने हेतु महात्मा गांधी ने फरवरी 1918 में पथिकजी को बम्बई बुलाया और महादेव भाई देसाई को जांच हेतु विजोलिया भेजा। कांग्रेस ने सबसे प्रथम 1938 में रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की।

- (6) किसान आन्दोलन ने पचायत राज की अवधारणा दी। पचायतो ने लोकतन्त्र की प्राथमिक पाठशालाओं की भूमिका प्रस्तुत की।
- (7) विजोलिया के किसान आन्दोलन ने गांधी मार्ग पर आधारित स्वाधीनता सभ्राम के लिए समरनीति विकसित की।
- (8) किसान वर्ग के आन्दोलनों ने राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक-आर्थिक सुधारों पर भी बल दिया।
- सक्षेप में, राजस्थान के स्वाधीनता सभ्राम की कहानी रियासतों के किसान वर्ग के आन्दोलनों की कोख से उत्पन्न हुई है।

#### टिप्पणियाँ—

- 1 शंकरसहाय सबसेना विजोलिया आन्दोलन का इतिहास, (बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, 1972), पृ 202
- 2 बी डी मायुर, स्टेट्स पीपुल्स काफरेंस, (जयपुर, पब्लिकेशन स्कीम, 1984), पृ 183
- 3 ब्रिटिश सरकार की परमाच्च शक्ति के अनुसार रियासतों के शासक सम्प्रभु शासक नहीं होते थे। वे आंतरिक मामलों में भी सीमित सम्प्रभुता का प्रयोग करते थे।
- 4 पैमाराम, एग्नेरियन मूवमेंट इन राजस्थान, (जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1986), पृ 2-3
- 5 उपयुक्त, पृ 10
- 6 शंकरसहाय सबसेना, पूर्ववर्णित, पृ 24 25
- 7 पैमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 10
- 8 उपयुक्त पृ 12
- 9 मारवाड लोक परिषद बुलटिन, जुलाई 1942
- 10 शंकरसहाय सबसेना, पूर्ववर्णित, पृ 10 तथा 28 एवं लाग वेगारों की सूची पृ 36 39 पर देखें।
- 11 उपयुक्त, पृ 41
- 12 उपयुक्त, पृ 46 47
- 13 बी एल पानगडिया राजस्थान में स्वतंत्रता सभ्राम (जयपुर, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1985), पृ 8
- 14 शंकरसहाय सबसेना, पूर्ववर्णित, पृ 82 84
- 15 उपयुक्त, पृ 83-84 एवं 93
- 16 उपयुक्त, पृ 103 107
- 17 उपयुक्त, पृ 109
- 18 रामनारायण चौधरी, बीसवीं सदी का राजस्थान (झजमेर, वृष्णा ब्रदर्स, 1981), पृ 48
- 19 पैमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 26
- 20 शंकरसहाय सबसेना, पूर्ववर्णित पृ 137-39

- 21 पमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 28-32 पर समझौते का विस्तृत विवरण देंगे ।
- 22 उपयुक्त, पृ 36 एवं 38
- 23 शंकरसहाय सक्सेना, पूर्ववर्णित, पृ 269-70
- 24 सुमनेश जाशी, राजस्थान क स्वतन्त्रता सनानी (जयपुर, गगानगर, 1973), पृ 1-7
- 25 वी एल पानगडिया, पूर्ववर्णित, पृ 30
- 26 नवीन राजस्थान, 11 जून, 1922
- 27 सुमनेश जोशी, पूर्ववर्णित, पृ 178
- 28 पेमाराम, पूर्ववर्णित, विस्तृत विवरण पृ 113 18 पर अंकित है ।
- 29 उपयुक्त, पृ 120
- 30 उपयुक्त, पृ 121 122
- 31 उपयुक्त, पृ 123 124
- 32 उपयुक्त, पृ 124-129
- 33 उपयुक्त, पृ 129 132
- 34 उपयुक्त पृ 133
- 35 उपयुक्त, पृ 136 144
- 36 बाबूलाल पानगडिया पूर्ववर्णित, पृ 27
- 37 के एस सक्सेना, द पालिटिकल मूवमेंट एण्ड अवेकनिंग इन राजस्थान (नई दिल्ली, एस चाँद एण्ड कम्पनी, 1971), पृ 188
- 38 रामनारायण चौधरी पूर्ववर्णित, पृ 96
- 39 रतनलाल मिश्र, शेखावाटी का इतिहास, (मडगावा भुक्तू 1984), पृ 240
- 40 राम पाण्डे, एग्जिस्टिंग मूवमेंट इन राजस्थान (दिल्ली यूनीवर्सिटी प्रेस, 1974,) पृ 67
- 41 सीकर ठिकान के किसान आ दालन का विवरण मुख्यतः पेमाराम क शोध ग्रंथ (पूर्ववर्णित) पर आधारित है ।
- 42 दि मारवाड गजट 6 सितम्बर, 1924
- 43 मारवाड किसान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1943 को जायपुर राज्य की लागू बाग जाच समिति को प्रस्तुत की गई सूची में 136 लागू नाम अंकित थी ।
- 44 पमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 210
- 45 उपयुक्त, पृ 211
- 46 उपयुक्त, पृ 212-213
- 47 उपयुक्त, पृ 216-17
- 48 उपयुक्त, पृ 217 18
- 49 उपयुक्त, पृ 298 302
- 50 उपयुक्त, पृ 304 306
- 51 उपयुक्त, पृ 259
- 52 उपयुक्त, पृ 260
- 53 उपयुक्त पृ 260 61

## राजस्थान में भील आन्दोलन

अनादि काल से भील जाति राजस्थान के दक्षिणी तथा उससे जुड़े मालवा तथा गुजरात के क्षेत्र में रह रही है। राजस्थान में स्वतन्त्रता से पूर्व भील मुख्यतः मेवाड़, डूंगरपुर, बासवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ की रियासतों में रहते थे। वर्तमान में वे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बासवाड़ा क्षेत्र में बसे हैं। इससे पूर्व कि राजस्थान में भील आन्दोलन की विवेचना की जाय, उनके बारे में सक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।

### भील—एक परिचय

भील<sup>1</sup> भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक है, अनुमान है कि भारत में उनकी जनसंख्या सन् 1891 में 6,12,459 थी। 1981 की जनगणना के अनुसार 38,38,002 थी। भारत की जनजातियों में भीलों का स्थान दूसरा है।

### उत्पत्ति

भीलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। वारण भट्ट कृत 'कादम्बरी' के अनुसार भील शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में भी मिलता है। 'कथा सरित सागर,' जिसकी रचना ई. सन् 600 में हुई थी, में भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है जिसमें भील मुखिया द्वारा एक दूसरी जाति के राजा की प्रगति का विघ्न पर्वत में विरोध किया गया है।<sup>2</sup> मनु ने निशाद (भील का पर्यायवाची) को ब्राह्मण पिता व शूद्र माता की सत्तान माना है।<sup>3</sup> वेदों में निशाद उन लोगों को कहा गया है, जो मध्य भारत के वनों में रहते थे।<sup>4</sup>

नृवश शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान उह भारत का प्राचीनतम निवासी मानते हैं।<sup>5</sup> जबकि कुछ उन्हें विदेशी स्वीकार करते हैं। बर्नल टॉड, जिसने उन्ह वनपुत्र लिखा है, का विश्वास है कि

- 21 पमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 28 32 पर समझौते का विस्तृत विवरण देखें।
- 22 उपयुक्त पृ 36 एवं 38
- 23 शकरसहाय सक्सेना, पूर्ववर्णित, पृ 269-70
- 24 सुमनश जाशी, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी (जयपुर, गगानगर, 1973), पृ 1-7
- 25 बी एल पानगडिया, पूर्ववर्णित, पृ 30
- 26 नवीन राजस्थान 11 जून, 1922
- 27 सुमनेश जोशी, पूर्ववर्णित, पृ 178
- 28 पेमाराम, पूर्ववर्णित, विस्तृत विवरण पृ 113 18 पर अंकित है।
- 29 उपयुक्त, पृ 120
- 30 उपयुक्त, पृ 121 122
- 31 उपयुक्त, पृ 123 124
- 32 उपयुक्त, पृ 124-129
- 33 उपयुक्त, पृ 129 132
- 34 उपयुक्त पृ 133
- 35 उपयुक्त, पृ 136 144
- 36 बाबूलाल पानगडिया पूर्ववर्णित, पृ 27
- 37 के एस सक्सेना, द पालिटिकल मूवमेंट एण्ड अवेकनिंग इन राजस्थान, (नई दिल्ली, एस चाँद एण्ड कम्पनी, 1971), पृ 188
- 38 रामनारायण चौधरी, पूर्ववर्णित, पृ 96
- 39 रतनलाल मिश्र, शेखावाटी का इतिहास (मडावा, भु भुनू, 1984), पृ 240
- 40 राम पाण्डे, एग्जेरियन मूवमेंट इन राजस्थान, (दिल्ली यूनीवर्सिटी प्रेस, 1974,), पृ 67
- 41 सीकर ठिकान के किसान आ डोलन का विवरण मुख्यतः पेमाराम के शांघ ग्रंथ (पूर्ववर्णित) पर आधारित है।
- 42 दि मारवाड गजट 6 सितम्बर, 1924
- 43 मारवाड किसान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1943 को जाधपुर राज्य की लागू बाग जाच समिति का प्रस्तुत की गई सूची में 136 लागू ग्रामों अंकित थी।
- 44 पमाराम पूर्ववर्णित, पृ 210
- 45 उपयुक्त, पृ 211
- 46 उपयुक्त, पृ 212-213
- 47 उपयुक्त पृ 216-17
- 48 उपयुक्त पृ 217 18
- 49 उपयुक्त पृ 298 302
- 50 उपयुक्त, पृ 304 306
- 51 उपयुक्त पृ 259
- 52 उपयुक्त, पृ 260
- 53 उपयुक्त पृ 260 61

## राजस्थान में भील आन्दोलन

अनादि काल से भील जाति राजस्थान के दक्षिणी तथा उससे जुड़े मालवा तथा गुजरात के क्षेत्र में रह रही है। राजस्थान में स्वतन्त्रता से पूर्व भील मुख्यतः मेवाड़, डूंगरपुर, बासवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ की रियासतों में रहते थे। वर्तमान में वे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बासवाड़ा क्षेत्र में बसे हैं। इससे पूर्व कि राजस्थान में भील आन्दोलन की विवेचना की जाय, उनके बारे में मक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।

### भील—एक परिचय

भील<sup>1</sup> भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक है, अनुमान है कि भारत में उनकी जनसंख्या सन् 1891 में 6,12,459 थी। 1981 की जनगणना के अनुसार 38,38,002 थी। भारत की जनजातियों में भीलों का स्थान दूसरा है।

### उत्पत्ति

भीलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न किवदंतियाँ प्रचलित हैं। वाण भट्ट कृत 'कादम्बरी' के अनुसार भील शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में भी मिलता है। 'कथा सरित् सागर,' जिसकी रचना ई. सन् 600 में हुई थी, में भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है जिसमें भील मुखिया द्वारा एक दूसरी जाति के राजा की प्रगति का विध्य पर्वत में विरोध किया गया है।<sup>2</sup> मनु ने निशाद (भील का पर्यायवाची) को ब्राह्मण पिता व शूद्र माता की सतान माना है।<sup>3</sup> वेदों में निशाद उन लोगों का कहा गया है, जो मध्य भारत के वनों में रहते थे।<sup>4</sup>

नृवश शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान् उन्हें भारत का प्राचीनतम निवासी मानते हैं।<sup>5</sup> जबकि कुछ उन्हें विदेशी स्वीकार करते हैं। कनल टॉड, जिसने उन्हें वनपुत्र लिखा है, का विश्वास है कि



## भीलो का प्रारम्भिक विद्रोह

सन् 1818 में दक्षिणी राजस्थान के पाचो राज्यों (मेवाड, डूंगरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ और कुशलगढ) ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सधि कर ली। सधि से इन राज्यों की विदेश नीति तो अंग्रेजों के हाथ में आ ही गई किन्तु कुछ मामलो में अंग्रेज इनके आंतरिक मामलो में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। इस प्रकार अंग्रेज ही इस क्षेत्र के वास्तविक स्वामी बन गये।

1818 में सर्वप्रथम मेवाड में भीलो ने विद्रोह किया। मेवाड में भीलो के विद्रोह के कई कारण थे। प्रथम, 1818 की सधि के द्वारा स्थानीय सेना भंग कर दी गई। राज्य की व जागीरदारों की सेना में भील भी कार्यरत थे जो सेना के समाप्त होने से बेकार हो गये। दूसरा, सधि के तुरन्त बाद मेवाड का आंतरिक प्रशासन ब्रिटिश रेजीडेंट कनल जेम्स टॉड ने सभाल लिया। उसने भीलो को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। तीसरा, कनल टॉड ने भीलो का बोलाई व रखवाली कर वसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया<sup>10</sup> और यही विद्रोह का तत्कालिक कारण बना।

## 1823 का अभियान

भीलो को दवाने के लिये कनल लूवे के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसने भीलो को समर्पण के लिये विवश कर दिया। अंग्रेजों की मध्यस्थता से भीलो व महाराणा के मध्य एक सधि हो गई, जिसके अनुसार—

- (1) प्रत्येक पाल के गमैती (पाल का मुखिया) ने महाराणा की सर्वोच्चता स्वीकार की।
- (2) महाराणा पहाड़ी क्षेत्र में थाने स्थापित कर सकेंगे।
- (3) भील अपने मस्त हथियार महाराणा को सौंप देंगे और भविष्य में भी किसी प्रकार के हथियार अपने पास नहीं रखेंगे।
- (4) भील अपनी कृषि उपज का एक चौथाई लगान के रूप में देंगे।
- (5) वे भील रखवाली कर वसूल नहीं करेंगे।
- (6) भील राहजनी, चोरी, डकैती, आदि अपराध नहीं करेंगे और यदि कोई करेंगे तो गमैती को उन्हें राज्य को सौंपना होगा।
- (7) सभी मामलो में भील महाराणा और पोलिटिकल एजेंट का निणय स्वीकार करेंगे।
- (8) वे कन्या वध तथा गौ वध नहीं करेंगे।



आर्यों ने उन्हें जंगल में रहने को विवश कर दिया। राजपूत भी उन्हें यही का निवासी मानते हैं। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, भीलो ने मेवाड़ के गुहिल शासकों की अविस्मरणीय सेवाएँ की हैं। यही कारण था कि मेवाड़ के राजविह्वल में राजपूत के साथ एक धनुर्धारी भील का चित्र भी अंकित था। डूंगरपुर, वासवाड़ा, देवलिया आदि शहरों के नाम कुछ भील मुखियाओं के नाम पर रखे गए थे।

प्रकृति से भील एक स्वतंत्र, नियमों में न बधने वाली युद्धप्रिय जाति है। इनके भुरग हथियार तीर व कमान हैं। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही पिछड़ा वर्ग है और इनके आर्थिक साधन भी बहुत कम हैं। प्रारम्भ में ये भोजन की खोज में इधर उधर भटकते थे, किन्तु बाद में वे 'भ्रमते' विधि से (जंगल जला कर खेती करना) खेती करने लगे। खेती के अतिरिक्त वे लकड़ी काटना, घासफूस, फल, जड़ी बूटी, शहद, गोद एकत्रित करना, मछली पकड़ना, जंगली जानवरों का शिकार करना भी उनका पेशा है। वे 'बोलाई' कर यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के बदले में तथा रखवाली कर गाव वालों से गाव की रखवाली के बदले में लेते थे। उन्नीसवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कई अकाल पड़े अतः भूख से बचने के लिये उनमें से कई ने चोरी व डकैती का पेशा भी अपना लिया।

भील बहुत अश्विश्वासी होते हैं और भूतप्रेत से बचने के लिये अपने हाथों पर गोदने गुदवाते हैं तथा गड़े ताबीज बाधते हैं। धार्मिक रूप से वे चुड़ैल या डाकन के जादू टोने में विश्वास करते हैं और भोपो के माध्यम से दूर करते हैं। यदि किसी स्त्री पर चुड़ैल होने का संदेह हो तो उसे अनेक प्रकार की सत्य परीक्षा में गुजरना पड़ता है।<sup>8</sup> यदि बिना किसी नुकसान के वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, अन्यथा उसे अपराध स्वीकार करने के लिये पेड़ की शाखा से लटका दिया जाता है। यदि वह अपराध स्वीकार कर लेती है तो उसे या तो मार दिया जाता है या पाल में बाहर निकाल दिया जाता है। कप्तान ब्राह्म का भीलो के बारे में कथन है—

*'The Bhils are the most uncivilized of all the wild tribes, with intellect barely sufficient to understand and totally unequal to comprehend anything beyond the most simple communication and with forms stunted by hardships, the bad climate and the bitter poverty in which they are steeped'*

## भीलो का प्रारम्भिक विद्रोह

सन् 1818 में दक्षिणी राजस्थान के पाचो राज्यों (मेवाड़, डूंगरपुर, वासवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़) ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संधि कर ली। संधि से इन राज्यों की विदेश नीति तो अंग्रेजों के हाथ में आ ही गई किंतु कुछ मामलों में अंग्रेज इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। इस प्रकार अंग्रेज ही इस क्षेत्र के वास्तविक स्वामी बन गये।

1818 में सर्वप्रथम मेवाड़ में भीलो ने विद्रोह किया। मेवाड़ में भीलो के विद्रोह के कई कारण थे। प्रथम, 1818 की संधि के द्वारा स्थानीय सेना भंग कर दी गई। राज्य की व जागीरदारों की सेना में भील भी कार्यरत थे जो सेना के समाप्त होने से बेकार हो गये। दूसरा, संधि के तुरन्त बाद मेवाड़ का आंतरिक प्रशासन ब्रिटिश रेजीडेंट कर्नल जेम्स टॉड ने सभाल लिया। उसने भीलो को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। तीसरा, कर्नल टॉड ने भीलो का बोलाई व रखवाली कर वसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया<sup>10</sup> और यही विद्रोह का तत्कालिक कारण बना।

## 1823 का अभियान

भीलो को दवाने के लिये कर्नल लूवे के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसने भीलो को समर्पण के लिये विवश कर दिया। अंग्रेजों की मध्यस्थता से भीलो व महाराणा के मध्य एक संधि हो गई, जिसके अनुसार—

- (1) प्रत्येक पाल के गमैती (पाल का मुखिया) ने महाराणा की सर्वोच्चता स्वीकार की।
- (2) महाराणा पहाड़ी क्षेत्र में धाने स्थापित कर सकेंगे।
- (3) भील अपने समस्त हथियार महाराणा को सौंप देगे और भविष्य में भी किसी प्रकार के हथियार अपने पास नहीं रखेंगे।
- (4) भील अपनी वृषि उपज का एक चौथाई लगान के रूप में देंगे।
- (5) वे भील रखवाली कर वसूल नहीं करेंगे।
- (6) भील राहजनी, चोरी, डकैती, आदि अपराध नहीं करेंगे और यदि कोई करेंगे तो गमैती को उन्हें राज्य को सौंपना होगा।
- (7) सभी मामलों में भील महाराणा और पोलिटिकल एजेण्ट का निर्णय स्वीकार करेंगे।
- (8) वे कन्या वध तथा गौ वध नहीं करेंगे।

(9) यदि कोई भील उपरोक्त शर्तों वा उल्लघन करेगा तो वह अपराधी माना जायेगा और राज्य के कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

उपरोक्त शर्तें सभी पाल के गमैतियों द्वारा स्वीकार कर ली गई, किन्तु जैसे ही अंग्रेजी सेना नायक कप्तान कौव ने ऋषभदेव की ओर प्रस्थान किया, आसपास के भील पुन पशुप्रा की चोरी और डकैती के कार्यों में लिप्त हो गए । वस्तुतः भीलों ने उनके क्षेत्रों में थाने की स्थापना, अस्त्र समर्पण, भूराजस्व कर, कन्या वध निषेध आदि नियन्त्रणों को स्वीकार नहीं किया । ये सभी प्रतिवध उनकी परम्परा, सामाजिक रीति-रिवाजों और सभी अथ व्यवस्था पर आघात करने वाले थे । कप्तान कौव ने भी उनकी परम्परा व रीति-रिवाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उनकी अथ-व्यवस्था को सुधारने वा कोई सुझाव दिया था । अतः एक सैनिक टुकड़ी पुन उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई । महाराणा के एक प्रतिनिधि को नियुक्ति भीलों से कर एकत्रित करने और उससे निपटने के लिए कर दी ।<sup>13</sup>

**डू गरपुर और वासवाडा के भीलों के विरुद्ध कारवाही**

1823 के अनियान के पश्चात् भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ । ज्योंही सेना हटाई जाती, भील और गरासिये पुन उस क्षेत्र में उपद्रव प्रारम्भ कर देते । भीलों के नेता दौलतसिंह और गोविन्दा ने भीलों और कुछ भाड़े के सिपाहियों को एक फौज एकत्रित कर ली । उन्हें डू गरपुर और ईडर की स्थानीय जनता का समर्थन भी प्राप्त था । इधर महाराणा अपनी आंतरिक उलझनों में फसे रहने के कारण इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सके ।<sup>14</sup>

स्थिति बिगड़ने पर महारावल की प्रार्थना पर मैकडोनल्ड के नेतृत्व में राज्य के खर्चे पर भीलों के विरुद्ध सेना भेजी गई । 1825 में डू गरपुर और वासवाडा के गावों के अनेक गमैतियों ने हथियारों का समर्पण कर दिया । उन्होंने चोरी व डकैती से जो क्षति पहुंची थी, उसकी भरपाई करने का भी वायदा किया । उन्होंने समस्त राजकीय कर चुकाने व ब्रिटिश जनता को उस क्षेत्र में सुरक्षित गुजरने, शासकों व कुलीनों को आतंकित नहीं करने का भी वायदा किया । कप्तान ने भील प्रमुखों को उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने तथा महाराणा की सर्वोच्चता स्वीकार करने की सलाह दी । भीलों ने उसके परामश

को स्वीकार किया और महाराणा का एक एजेन्ट विभिन्न भील प्रमुखों के क्षेत्र में रखा गया।<sup>16</sup>

### दौलतसिंह द्वारा प्रतिरोध

सन् 1826 में दौलतसिंह व गोविन्दा ने जवास और जूडा (Joorā) के थानों को नष्ट कर दिया। जूडा में उन्होंने 100 सैनिक मार डाले। अगले ही महीने उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लगभग 250 व्यक्तियों को मार दिया। उन्होंने खेरवाडा को घेर लिया। महाराणा ने विद्रोह दवाने में असमर्थता जाहिर की और कप्तान कौब से विद्रोह दवाने की प्रार्थना की। कौब व ग्रायट ने सेना के साथ खेरवाडा प्रस्थान किया।<sup>17</sup> साथ ही उसने भीलों के असन्तोष के कारणों की जांच कराने का प्रस्ताव किया।<sup>18</sup> उसने भीलों को शांत रखने के भी अनेक उपाय सुझाए।<sup>19</sup> उसके विचार में उपद्रव का कारण स्थानीय अधिकारियों का दुर्व्यवहार, थाने में सिपाहियों की अनियमित नियुक्तियाँ आदि थी। ब्रिटिश अधिकारी भी भील आन्दोलन को पूर्णतया दवाने में असमर्थ रहे, क्योंकि एक तो दौलतसिंह व गोविन्दा को स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त था, दूसरे ब्रिटिश सेना को उस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी नहीं थी तथा महाराणा की जो सेना ब्रिटिश अधिकारियों के साथ थी वह भी जानकारी नहीं रखती थी।

### चहुमुखी अव्यवस्था

उपरोक्त अभियान की असफलता के पश्चात् अंग्रेज अधिकारियों ने एक पैदल सेना व कुछ घुड़सवार सैनिक कप्तान ब्लैक के नेतृत्व में मेवाड़ की सहायता के लिए भेजी। ब्लैक को उस क्षेत्र में पूर्ण सैनिक व नागरिक अधिकार दिए गए। उसे विद्रोह और गडबडी के मूल कारणों को भी ज्ञात करने के लिए कहा गया और उस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए भी सुझाव मागे गए।<sup>20</sup> फरवरी 1827 में कप्तान ब्लैक खेरवाडा पहुँचा और वहाँ से जवास। यहाँ दौलतसिंह ने हरनाथ सिंह मोघिया की सहायता से उसे काफी परेशान किया। इसके पश्चात् मेवाड़, डूंगरपुर और वासवाडा के क्षेत्र में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। अब एक सशक्त सेना कर्नल बर्ग के नेतृत्व में नीमच से खेरवाडा भेजी गई। कप्तान ब्लैक भी बर्ग की सहायता हेतु गया, किन्तु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व ब्लैक ने भीलों की बोलाई एकत्रित करने का अधिकार दे दिया था, जिससे इस क्षेत्र में कुछ शांति स्थापित हुई।

### स्पीयस की व्यवस्था

दौलतसिंह ब्रिटिश सेना का मुकाबला न कर सका और उसे वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा। लम्बी वार्ता के पश्चात् दौलतसिंह ने समर्पण कर

दिया, उसे वबूलवाडा नामक गाव अपने गुजारे के लिए दिया गया। स्पीयस ने जयास का गाव उसके मुसिया को वापस देने की भी सिफारिश की, साथ ही उसके द्वारा दिया जाने वाला कर भी निर्धारित किया गया।<sup>12</sup> तत्पश्चात् स्पीयर्स ने पुनर्ना और जूडा के प्रमुखों को भी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मना लिया। इस समझौते के द्वारा उन्होंने उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अवाधित कर एकत्रित न करने, राहजनी और डकैती की क्षतिपूर्ति करने तथा अश्रेजों की आज्ञा मानना स्वीकार किया। उस क्षेत्र के अन्य अनेक मुसियाओं ने भी इस प्रकार के इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् इस क्षेत्र में अनेक याने स्थापित किए गए और 1828 के अन्त तक कनल बग की सेना इस क्षेत्र से हटा ली गई।<sup>13</sup>

“नैव द्वारा ‘बोलाई’ एकत्रित करने का अधिकार,<sup>14</sup> मेवाड के महाराणा जवानसिंह के शासन में भीलों के प्रति मानवीय व्यवहार<sup>15</sup> ने कुछ अज्ञ तब भीलों को प्रभावित किया। ब्रिटिश सेना के हटने के पश्चात् भी महाराणा ने उन्हें ‘बोलाई’ एकत्रित करने का अधिकार दिया, जिससे उन्हें दुर्भिक्ष में विना चोरी, डकैती किए जीवन निर्वाह में सहायता मिली।<sup>16</sup> कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में शांति बनी रही।

**मेवाड भील कोर की स्थापना**

दक्षिणी राजस्थान में निरन्तर भील विद्रोह तथा यहा के भीलों द्वारा निरन्तर महीकाठा क्षेत्र में उत्पात मचाने के कारण आउट्रम ने एक अश्रेज अधिकारी की अधीनता में मेवाड भील कोर की स्थापना का परामर्श दिया।<sup>17</sup> उसका सुझाव था कि विना नियन्त्रण के कोई स्थानीय समाधान नहीं निकलेगा। उसका यह भी मानना था कि ये व्यवस्था मेवाड राज्य के लिए भी लाभदायक रहेगी। उसने ए जी जी (राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेण्ट) से प्रार्थना की कि वह मेवाड महाराणा को मेवाड भील कोर का व्यय वहन करने के लिए मना ले।<sup>18</sup> उसके सुझाव की कनल आल्वर्स ए जी जी ने भी विशेष सिफारिश की। उमने महाराणा से इसका खर्च वहन करने की भी सलाह दी। सन् 1838 में मेवाड महाराणा ने मेवाड भील कोर की स्थापना की प्रयोग की दृष्टि से 10 वर्ष के लिए मजूरी प्रदान की। अन्त में 1841 में गवर्नर जनरल की कायकारिणी ने मेवाड भील कोर की स्थापना की अनुमति दे दी और विलिमय हटर को उसका कमाण्डेंट बनाया गया।<sup>19</sup> गवर्नर जनरल की कायकारिणी ने कप्तान हटर को खेरवाडा से अच्छे चरित्र वाले भीलों की भर्ती के आदेश दिए। मेवाड

भील कोर मे खेरवाडा से 7 गमेतियो और जवास से 12 गमेतियो को लिया गया । इन गमेतियो को अपने कर्तव्य पालन के लिए रेजीमेन्ट मे नही आना था, बल्कि उनका वेतन उन्हे घर बैठे ही दिया जाना था । उनसे उनके गावो मे शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी । इस व्यवस्था को 1861 मे बन्द कर दिया गया ।<sup>30</sup>

ब्रिटिश अधिकारियो की राय मे भील कोर की स्थापना दक्षिणी राजस्थान मे शांति और व्यवस्था बनाए रखने मे बहुत लाभदायक थी । उनके अनुसार 1841 के अन्त तक खेरवाडा के आसपास के क्षेत्र मे काफी अनुशासन आ गया था ।<sup>31</sup> 1843 से सदरलैंड<sup>32</sup> ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि हटर की व्यवस्था ने उस क्षेत्र के भीलो के व्यवहार मे काफी परिवर्तन ला दिया । उसके विचार मे यह व्यवस्था उदयपुर के शासक के लिए भी लाभदायक थी,<sup>33</sup> किन्तु इससे भीलो के चरित्र मे आए परिवर्तन अधिक समय तक नही बने रहे ।

### नवीन सुधार और भील प्रतिरोध

1881 से 1883 के बीच मेवाड के भीलो ने पुन ब्रिटिश व महाराणा की प्रभुसत्ता को चुनौती दी । उनके विद्रोह के कारण निम्न थे—

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सत्ता सभाल ली । उन्होने भारतीय राज्यों मे ब्रिटिश पद्धति के अनुसार अनेक सुधार लागू किए । नवीन सुधारो ने भीलो के अनेक अधिकारो पर रोक लगा दी । वे बिना कर दिए कृषि उपज तथा जंगल से लाई वस्तुओ को नही ले जा सकते थे । नागरिक अधिकारी भीलो से क्रूरतापूर्ण व अमानवीय व्यवहार करने लगे थे और जबरन उनसे धन वसूल करते थे । उनके भ्रष्ट होने की शिकायत भी निरन्तर मिल रही थी ।<sup>34</sup> मेजर मैक्सन<sup>35</sup> ने 1868 मे महाराणा मेवाड की लिखा कि उस क्षेत्र मे शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासन मे सुधार की आवश्यकता है ।<sup>36</sup> हकीम रघुनाथ सिंह व उसके मातहत मोतीमिह भीलो से क्रूरतापूर्ण व अयायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं । ये अधिकारी भीलो से दुगना कर व भारी जुर्माना जबरदस्ती वसूल रहे हैं ।<sup>37</sup> अभी तक भील क्षेत्र मे वनिए व महाजन नही थे, किन्तु नई व्यवस्था द्वारा वे लोग भी आ गए और अशिक्षित व भोले-भाले भीलो का शोषण करने लगे ।<sup>38</sup>

नवीन प्रशासनिक सुधारो ने भीलो पर नए नए कर लगा दिए । भील क्षेत्र मे चुगी चौकीया स्थापित कर दी गई जिससे उपभोक्ता वस्तुओ के मूल्य

बढ़ गए। तम्बाकू, नमक व अफीम पर नए कर लगा दिए गए। भीलो द्वारा शराब बनाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया।<sup>39</sup>

अंग्रेजों द्वारा भीलो के सामाजिक कायकलापो में हस्तक्षेप ने उन्हें उत्तेजित कर दिया। सन् 1840 से 1880 तक भील क्षेत्र में अनेक चुड़ैल वध की घटनाएँ घटित हुई थीं। जिस कारण अनेक भीलो को राज्य ने दंडित किया तथा चुड़ैल वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया। चुड़ैल वध पर प्रतिबन्ध को उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास पर अतिक्रमण माना। इन सुधारों को लागू करने का अर्थ युग-युगांतर से चली आ रही भील परम्पराओं का उल्लंघन करना था। मेवाड़ में 1881 की जनगणना ने भी भीलो में उत्तेजना फैला दी। जनगणना के कारण भील समाज में अनेक प्रकार की अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों का विचार था कि जनगणना के माध्यम से अंग्रेजी सरकार अफगान युद्ध के लिए धन एकत्रित करना चाहती थी, जबकि कुछ भीलो का विचार था कि स्वस्थ व्यक्तियों को लडने के लिए काबुल भेजा जाएगा।<sup>40</sup> कुछ लोगों का अनुमान था कि जनगणना के द्वार मोटी स्त्रियाँ मोटे युवकों तथा पतली स्त्रियाँ पतले युवकों को दे दी जायेगी। यह भी सोचा गया कि जनगणना भील जाति को समाप्त करने का एक प्रयास है।<sup>41</sup>

भीलो पर पुलिस अत्याचार ने भी भील विद्रोह को उभाड़ दिया। 1881 में माच के प्रथम सप्ताह में पदोना गाव (उदयपुर-खेरवाडा मार्ग पर स्थित) की एक घटना भील विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गई।

श्यामलदास के अनुसार बड़े पाल के थानेदार ने इस गाव के गर्मैती (भीलो का मुखिया) को किसी भूमि विवाद सम्बन्धी मामले में गवाही देने के लिए बुलाया। थानेदार ने गर्मैती को बुलाने के लिए सवार भेजा, किन्तु गर्मैती ने जाने से इन्कार कर दिया। जब सवार ने उसे जबरदस्ती ले जाना चाहा तो भीलो ने उसे मार दिया। इस पर थानेदार अपने सिपाहियों के साथ गाव पहुँचा और गर्मैती को गिरफ्तार कर थाने ले गया। थाने में उसे अमानवीय यातना दी गई, जिससे गर्मैती की मृत्यु हो गई।<sup>42</sup> एक अन्य कथन के अनुसार गर्मैती को शराब बनाने से रोकने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इससे शराब के ठेकेदार को नुकसान होता था, जो कि बड़े पाल के थानेदार का मित्र था।<sup>43</sup>

इस घटना से भील उत्तेजित हो उठे। तगभग तीन हजार भीलो ने बड़े पाल के थाने को घेर लिया और थानेदार सहित सोलह व्यक्तियों को मार डाला। उन्होंने बड़े पाल के थाने और समस्त वनियों को दुकानों को जला दिया।<sup>44</sup>

उन्होंने उदयपुर-खेरवाडा माग को भी काट दिया। कोटडा व टिड्डी के भील भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। कुछ ही समय में यह विद्रोह मेवाड भर में फैल गया।

सूचना मिलने पर मेवाड राज्य की और अंग्रेजी सेना को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, किन्तु उह सफलता नहीं मिली, क्योंकि भील वनों में भाग गए, जिससे सेना उनका कुछ भी विगाड नहीं सकी।

### समझौते के लिए वार्ता

अब महाराणा ने भीलों से वार्ता करने का निर्णय लिया। उन्होंने भीलों के प्रतिनिधियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया तथा उन्हें वार्ता के लिए उदयपुर बुलाया, किन्तु भीलों ने ऋषभदेव को वार्ता का स्थल चुना। महाराणा ने श्यामलदास को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसे भीलों के साथ उदार तथा नरम शर्तें लागू करने को कहा। समझौते की वार्ता ऋषभदेव मन्दिर के पुजारी खेमराज भण्डारी की मध्यस्थता में 18 अप्रैल 1882 को प्रारम्भ हुई। करीब 6-7 हजार भील ऋषभदेव में एकत्रित हो गए। ब्रिटिश अधिकारी श्यामलदास का प्रभाव भीलों पर नहीं बढ़ने देना चाहते थे, इसलिए उनके प्रतिनिधि कनल व्लेयर एव विंगेट भी श्यामलदास को परामर्श देने के लिए वहां पहुंच गए। मेवाड पोलिटिकल एजेंट ने महाराणा से आवश्यकता पडने पर श्यामलदास की जगह कनल व्लेयर को अपना प्रतिनिधित्व करने को कहा।<sup>45</sup>

वार्ता मौहादपूण वातावरण में प्रारम्भ हुई किन्तु ज्योंही श्यामलदास ने हाथ उठा कर भीलों की भीड को पीछे हटने को कहा, भीलों ने इसका गलत अर्थ निकाला। एक भील ने अपनी बंदूक दाग दी और भीलों ने इसे युद्ध प्रारम्भ होने का संकेत समझ लिया।<sup>46</sup> किन्तु कनल व्लेयर के वर्णन के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि श्यामलदास ने अचानक भीलों से पूछा—“तुम लोग समझौता क्यों नहीं कर लेते?” और इसके तुरन्त बाद राज्य के सिपाही अपनी बंदूकें भरने लगे। यह देखकर भील भाग छूटे और भागते हुए भीलों पर राज्य के सिपाहियों द्वारा गोलावारी की गई।<sup>47</sup> श्यामलदास भीलों को पुन वार्ता के लिये मुश्किल से ही तैयार कर पाया। इस बार वार्ता के लिये अकेला ही भीलों के पास गया। अतत मेवाड राज्य व भीलों में एक समझौता हो गया। समझौते में 21 धाराएं थी और उसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थी —<sup>48</sup>



- 1 भीलो के गावों में जनगणना का कार्य नहीं किया जायेगा ।
- 2 भील पुरुषों व स्त्रियों का वजन नहीं लिया जायेगा ।
- 3 बड़े पाल व बधुना हत्याकांड के लिये उन्हें क्षमादान दिया जायेगा ।
- 4 भील क्षेत्र में थानों की बढ़ोतरी नहीं की जायेगी ।
- 5 भीलो की भूमि की माप नहीं किया जायेगा ।
- 6 बिना मूल्य दिए उनसे घास और लकड़ी नहीं ली जायेगी ।
- 7 अफीम, नमक व तम्बाकू का ठेका नहीं दिया जायेगा ।
- 8 उन तीर्थयात्रियों से जो ऋषभदेव व श्रीनाथजी के दर्शन के लिये जा रहे हैं, पुरानी प्रथा के अनुसार भीलो को बोलाई कर लेने का अधिकार होगा ।
- 9 राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में घास व लकड़ी ठेके पर नहीं दी जायेगी ।
- 10 उन भीलो को जो पिछले तीन वर्षों से जेलों में बंद हैं, जमाना देने पर छोड़ दिया जायेगा ।
- 11 भीलों के गावों से जोगियों और घोड़ियों से फूटा नहीं लिया जायेगा किंतु वे राज्य के कार्य पुरानी प्रथा के अनुसार करते रहेंगे ।
- 12 भीलो से श्राम व महुआ की पत्तियाँ एकत्रित करने पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जायेगा ।
- 13 उन सबको की चौकियों पर सवार नहीं रखे जायेंगे जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भीलो पर है ।

इस प्रकार भीलो के प्रारम्भिक विद्रोह नवीन पद्धति की प्रतिज्ञा स्वरूप थे । ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में भील विद्रोहों को रोकने के लिये अनेक उपाय किए । एक तरफ उन्होंने भीलो को कुछ रियायतें प्रदान की तथा दूसरी तरफ उन पर प्रभावशाली सैनिक व नागरिक नियंत्रण स्थापित किया । इन उपायों के द्वारा भील क्षेत्र में काफी समय तक शांति बनी रही ।

**गोविन्द गुरु द्वारा भीलो में समाज सुधार का प्रयास व भील आंदोलन**

भीलो में समाज सुधार का कार्य श्री गोविन्द गुरु ने प्रारम्भ किया था । उन्होंने भीलो के नैतिक और भौतिक जीवन को सामाजिक और धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर सुधारने का प्रयास किया । गोविन्द गुरु की शिक्षाओं ने भीलो में नवीन जागृति उत्पन्न की और उनका धर्म व समाज सुधार आंदोलन राजनीतिक व आर्थिक विद्रोह में परिणत हो गया ।

गोविन्द गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बेदसा ग्राम में एक बनजारे के घर में हुआ था उन्होंने गांव के पुजारी की सहायता से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वह स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने धूनी और निशान वासिया ग्राम में स्थापित किया और आसपास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी प्रारम्भ की<sup>49</sup> उनकी मुख्य शिक्षा उनके स्वयं के शब्दों में इस प्रकार थी<sup>50</sup>—

‘मैंने जब भीलों के मध्य रहना प्रारम्भ किया तब उन्हें सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जो भी भील मेरे पास आए, मैंने उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने तथा ईश्वर की आराधना करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि वे नफरत की भावना न रखें किन्तु सभी को एक ही परमात्मा की सतान समझें और दूसरों के साथ शांति से रहने का प्रयास करें। वे भूत, प्रेत चुड़ैल आदि पर विश्वास न करें बल्कि उनको भगाने के लिये धूनी और निशान की पूजा करें’ उन्होंने भीलों से मास व मदिरा सेवन न करने का भी आह्वान किया।<sup>51</sup>

अपनी शिक्षा व कल्याणकारी कार्यों से वे भीलों में लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे उनका प्रभाव भीलों में बढ़ता गया। भीलों को एकत्रित करने के लिये 1905 में उन्होंने सम्प सभा की स्थापना की<sup>52</sup> इस सभा के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों को संगठित किया। उन्होंने एक ओर तो उनमें व्याप्त सामाजिक बुराईयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर उनको अपने मूलभूत अधिकारों का अहसास कराया।

भीलों में बढ़ती जागृति से आसपास की रियासतों के शासक सशक्ति हो उठे। राज्य अधिकारियों ने अपने क्षेत्र से गोविन्द गुरु व उनके पथ को उखाड़ने का प्रयास किया। भीलों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा व उन्हें पथ छोड़ने को विवश किया जाने लगा। कुछ मामलों में उन्हें जबरन मद्यपान के लिये विवश किया गया।<sup>53</sup> जागीरदार और राज्य ने गोविन्द गुरु को डूंगरपुर छोड़ने के लिये विवश किया गया। राज्याधिकारियों के कार्यों ने भीलों के मन में घृणा उत्पन्न कर दी तथा उन्हें राज्याधिकारियों के विरुद्ध राजनैतिक आंदोलन छेड़ने को विवश कर दिया। इस समय भीलों के विद्रोह के कारण जानना अनुचित न होगा। ये कारण थे—

प्राचीन काल में पुराने समय में भील जंगल से एकत्रित वस्तुओं पर निर्वाह करते थे, किन्तु अब उन्हें वृषि काम के लिये विवश कर दिया गया।

प्रकार वे सीधे अंग्रेजों, देशी राज्यों और जागीरदारों के नियन्त्रण में आ गये, क्योंकि वे अब तक स्वच्छन्द थे। उन्होंने नियन्त्रण में रहना पसन्द नहीं किया।

राज्य और जागीरदार उनसे भारी कर लेते थे। बटाई प्रथा के अन्तर्गत वे उनसे भारी लगान वसूलते थे। यदि वे न दे पाते थे तो राज्याधिकारी उनसे दूर व निम्न व्यवहार करते थे। कृषि भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं था। वे सिर्फ खेती करने वाले दास थे,<sup>54</sup> वे अब जगती वस्तुएँ बिना कर दिए नहीं ले जा सकते थे।<sup>55</sup> भील क्षेत्र में बैठ बेगार प्रथा भी सामान्य थी। भील राज्य और जागीरदारों के लिये बेगार करने को विवश थे। वे बिना वेतन के जागीरदार की जमीन में खेती करने, उसके भकान बनाने आदि कार्य करने को विवश थे। राज्याधिकारी उनसे माल ढुलवाने, रखवाली आदि की वेगार कराया करते थे। ये जागीरदार और राज्याधिकारी के घरों में भी काम करते थे। राजपूताना के ए.जी.जी. ने एक पत्र में लिखा, “वर्तमान परिस्थितियों में भीलों पर करों का बोझ बहुत ज्यादा है, उनमें बेगार का आतंक इतना अधिक है कि गाव के गाव खाली हो गए हैं और भूमि पड़त पड़ी है।”<sup>56</sup> भील लम्बे समय से बेगार कर रहे थे, किन्तु गोविन्द गुरु की शिक्षा ने उनमें जागृति उत्पन्न कर दी। अब भील यह महसूस करने लगे कि उनके निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनका शोषण किया जा रहा है। गोविन्द गुरु के सामाजिक, धार्मिक सुधार आन्दोलन ने उनमें सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ने की जागृति उत्पन्न की।

राज्य की दोषपूर्ण आवकारी नीति ने भी भीलों को उद्वेलित कर दिया। वे छोटी छोटी रियासतें (सूथ, ईडर, वासवाडा, डूगरपुर, कुशलगढ) जिसमें भील जनसंख्या अधिक थी, के राजस्व का मुख्य स्रोत शराब की बिक्री थी। राज्य में अवैध शराब बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। भीलों को देशी शराब बनाने का अधिकार लम्बे समय से प्राप्त था। वे महुआ के फूलों से शराब बनाते थे, जिसे अब राज्य ने प्रतिबन्धित कर दिया। भीलों में इसमें बहुत रोप पैदा हुआ, किन्तु सुधार आन्दोलन के प्रभाव से उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। इससे राज्य और ठेकेदारों को भारी नुकसान होने लगा। उदाहरण स्वरूप वासवाडा में अक्टूबर 1913 में शराब की बिक्री 18470 गैलन से 5154 गैलन रह गई। आसपास के राज्यों की स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई।<sup>57</sup> वासवाडा और कुशलगढ का कुल राजस्व क्रमशः दो लाख पचास हजार रुपये तथा 86,000 रु था, जिसमें से 56,000 वासवाडा को शराब से 31,000 कुशलगढ को शराब से प्राप्त होता था,<sup>58</sup> राज्य के ठेकेदारों ने उन्हें जबरदस्ती

शराव पिलाने का प्रयास किया। अतः शराव का प्रश्न भीलो के लिये बड़ा मुद्दा बन गया।

1913 के भील आन्दोलन का तात्कालिक कारण गुरु गोविन्द गुरु के नेतृत्व में धार्मिक आन्दोलन था। उनके प्रयासों से राजपूताना के दक्षिणी भाग के पहाड़ी इलाकों के भील पूरी तरह से सगठित हो गए थे। उनमें जागरण की नई लहर आ गई थी। वे राज्य के दमन, शोषण और अत्याचार का मुकाबला करने को हर प्रकार से तैयार हो रहे थे। सिरोही, वासवाडा, डूंगरपुर, मेवाड के राजा इससे चिंतित हो उठे। उन्होंने भीलो को कुचलने और उनकी शक्ति को छिन्न-भिन्न करने के हर संभव प्रयास किये, किन्तु वे सफल नहीं हो सके।<sup>59</sup> अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके परिवार को भी पुलिस निगरानी में रखा गया। उन्हें तीन दिन वाद छोड़ दिया गया, लेकिन डूंगरपुर राज्य से बाहर चले जाने को कहा गया। वह गुजरात के ईडर राज्य में चले आए,<sup>60</sup> किन्तु वहाँ के शासक ने भी उन्हें वहाँ से भगाने का प्रयास किया।

गोविन्द गुरु और उनके शिष्यों को जिस प्रकार राज्य द्वारा आजात किया गया, उससे उन्हें भील राज्य बनाने तथा सामतवाद के पत्रों से मुक्त होने को विवश कर दिया। ईडर से वह अपने साथियों सहित मानगढ की पहाड़ी (वासवाडा और सूथ राज्य की सीमा पर स्थित) पर चले गये।<sup>61</sup> पहाड़ी घने वन से घिरी हुई थी और इस प्रकार प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। गोविन्द गुरु ने अक्टूबर 1913 को भीलो को मानगढ में एकत्रित होने के लिये चारों ओर सन्देश भेज दिए।<sup>62</sup> भील अपने साथ रसद व हथियार काफी मात्रा में ले आये। यह भी अफवाह फैली कि भील दिवाली से चार दिन पूर्व सूथ राज्य पर आक्रमण करेंगे। वस्तुतः गोविन्द गुरु के वृद्ध अनुयायियों से केवल मानगढ पहुँचने को कहा गया था, ये समथक चलते वक्त भील पालों को अधिवासियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिये तैयार रहने को कह गए।

30 अक्टूबर 1913 को पुलिस थानेदार ने दो सिपाहियों को यह देखने के लिये कि वहाँ क्या हो रहा है, मानगढ भेजा। इन सिपाहियों को भीलो ने पकड़ लिया। इनमें से एक सिपाही को मार डाला गया व दूसरे को बुरी तरह पीटा गया और बंदी बना लिया गया।<sup>63</sup> 1 नवम्बर को कुछ भीलों ने प्रतापगढ के सूथ किले पर भी आक्रमण किया, किन्तु अफल होकर लौट आए।<sup>64</sup> भीलो की इन कार्यवाही ने सूथ, वासवाडा, डूंगरपुर और ईडर राज्य को चौराहा

कर दिया। उन्होंने एजीजी से प्रार्थना की कि गोविन्द गुरु को गिरफ्तार किया जाय और भीलो के इस हिंसक संगठन को समाप्त किया जाय।

6 से 10 नवम्बर 1913 के बीच दो कम्पनी मेवाड भील कोर, एक कम्पनी 104 बैलेजली राइफल्स, एक कम्पनी राजपूत रेजीमेट और एक कम्पनी जाट रेजीमेट मानगढ पहाड़ी पर भीलो को तितर वितर करने के लिये पहुच गईं।<sup>65</sup> 8 नवम्बर को फौजी पलटनो ने मानगढ की पहाडियो पर अन्धाधुंध गोलियो की बौछार शुरु कर दी। सैनिको ने मानगढ की पहाडो को चारो ओर से घेर लिया और चारो ओर से गोलिया बरसाई जाने लगी। करीब 1500 भील मारे गए<sup>66</sup> और उनके नेता गोविन्द गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अहमदाबाद की जेल में भेज दिया गया और इस प्रकार भीलो के आन्दोलन को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया।<sup>67</sup>

गोविन्द गुरु पर मुकदमा चलाया गया और उहे फासी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। गोविन्द गुरु की लोकप्रियता को देखते हुए इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।<sup>68</sup> सन् 1930 में उन्हे इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूथ, डूगरपुर, बासवाडा, कुशलगढ एव ईडर राज्य की सीमाओ में प्रवेश नहीं करेंगे।

भीलो का गोविन्द गुरु के नेतृत्व में आन्दोलन असफल रहा, किंतु इसके महत्व को कम करके नहीं आका जा सकता। इसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। इस आन्दोलन ने भीलो में चेतना जागृत कर दी और उहे अपने अधिकारों के प्रति सजग कर दिया। इस आन्दोलन ने न केवल भीलों में वरन् दक्षिण राजस्थान के दूसरे समाज के लोगों में भी चेतना उत्पन्न कर दी। इससे कृपक आन्दोलन व राजस्थान में स्वतन्त्रता आन्दोलन को काफी प्रोत्साहन मिला।

आन्दोलन के तुरन्त पश्चात् अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के भीलो की दशा के बारे में काफी पूछताछ की। उन्होंने कुछ हद तक उनके जगल के अधिकारों को स्वीकार कर लिया। उनके लिये जाने वाले भू-राजस्व, टाग-बाग तथा वेगार में भी कमी की गई। इस प्रकार यह आन्दोलन भीलो की मुक्ति का प्रतीक बन गया।

## परवर्ती भील आन्दोलन

1917 में मेवाड़ के विजोलिया आन्दोलन से प्रेरित होकर भीलो ने पुनः आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस समय गरासियों ने भी भीलो का साथ दिया। गरासिया एक वनवासी जाति है, जो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरौही राज्यों में बसी है। ये मुख्यतः अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह जाति भीलो के समान है। इनकी ज्यादातर सत्ता सिरौही जिला के आवू रोड व पिण्डवाड़ तहसीलों में है। प्राचीनकाल में यह एक शासकीय जाति थी, जिसे विजेताओं ने उनसे राज्य लेकर उन्हें जीविका के लिये ग्रास के लिये कुछ भूमि दे दी। इसी से ये गिरासिने कहलाने लगे। ये पहले मुख्यतः मेवाड़ में बसे थे। उससे परे सिरौही में, जब सिरौही का यह भाग मेवाड़ में ही था। इनके गौत्र भी राजपूतों की भाँति परमार, चौहान, राठौड़ आदि हैं, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि ये राजपूतों की भील स्त्रियों से उत्पन्न हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हीन हैं। अतः जंगली उत्पादन—गोद, शहद, घास आदि को इकट्ठा कर काम चलाते हैं। ये लकड़ी का कोयला भी बनाते हैं।

इस जाति ने भी भीलो का साथ दिया और दोनों ने जागीरदार द्वारा दमनकारी साधन अपनाने का विरोध किया। उन्होंने जागीरदार द्वारा बेगार अत्याधिक लगान और अवैध लागू लागू लगाने का भी विरोध किया। कृपको ने 1917 में महाराणा से भारी कर व बेगार के विरुद्ध अपील की। महाराणा ने स्थिति की जाँच करके और यह जान कर कि कर वास्तव में ही बहुत अधिक है, 16 नवम्बर 1918 को निम्न निर्णय लिये —<sup>70</sup>

1. कुल उत्पादन का 1/5 भाग कृता के रूप में लिया जायेगा।
2. गृहकर हर दूसरे वर्ष आसामी को देना होगा। कुल राशि गाँव के मुखिया की सलाह से तय की जायेगी। यह जिनस या नकद दोनों में दी जा सकेगी।
3. पेटिया कर भी नकद (रुपया) कृता के समय ही देना होगा।
4. कृता मुखिया की सलाह से तय किया जाएगा और मूकड़ी लागू के समय ही वसूल किया जाएगा।
5. बेगार के विरुद्ध शिकायत पेश होने पर जाँच की जाएगी।

कुछ कारणों से भील और गरासियों, दोनों ने ही महाराणा के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। खेरवाड़ा के पोलिटिकल अधीक्षक एव मेवाड़ के अंग्रेजी रेजीडेंट के प्रयास भी भीलो को समझाने में असफल रहे और पहाड़ी

जागीर के क्षेत्रों में गडबडी और अव्यवस्था बनी ही रही।<sup>71</sup> बाद में ये आन्दोलन मेवाड़ के समस्त भील क्षेत्र में फैल गए। मई 1921 में भील भी मेवाड़ राज्य के अग्र कृषकों के साथ मिल गए और उसे दु स-दर्द लेकर महाराणा के साथ उपस्थित हुए। उनके दु सों के कारण बेगार, अनेक लागों, भारी कर, करों में भेदभाव और जागीरदारों का तानाशाह का खूबिया था। महाराणा से सतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर खानसा भूमि पर रहने वाले भीलों ने झाडोल, कोलियारी, मगरा और मेवाड़ के अग्र भील गावों में सदेश भेजे कि वे तब तक भू राजस्व, लागों व बेगार न दें, जब तक कि उनके बप्टा का निवारण नहीं किया जाता। यह भी चेतावनी दी गई कि जो इन आदेशों की अवहेलना करेगा, उसे 12 बप के लिए जाति बाहर कर दिया जाएगा।<sup>72</sup>

**मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आन्दोलन**

8 जुलाई 1921 को मेवाड़ की खानसा क्षेत्र के भीलों की प्रेरणा से मादडी पट्टा के भीलों ने कर व लाग-वाग देने से इकार कर दिया।<sup>73</sup> इसी समय भीलों की मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व प्राप्त हुआ,<sup>74</sup> जिसने भीलों को किसी भी प्रकार का जागीरदारों को कर न देने का आह्वान किया। उनका यह आन्दोलन एकी आन्दोलन के नाम से विख्यात है, क्योंकि उन्होंने सभी भील व अग्र जातियों को संगठित (एकी) करने का प्रयास किया था। यह प्रथम अवसर था कि समस्त भील मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राज्य और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। भील उसे अपना मसीहा समझने लगे थे, जो उनकी मुक्ति के लिये अवतरित हुआ था।

मोतीलाल तेजावत का जन्म ईस्वी सन् 1887 (विक्रम संवत् 1944 को ज्येष्ठ शुक्ला 1) को कोलियारी नामक गाव, जिला उदयपुर में ओसवाल परिवार में हुआ। विवाह पूर्व वह झाडोल ठिकाने में स्थानीय जागीरदार के यहाँ कामदार का काम करने लगे।

इस नौकरी के दौरान ही उन्हें मेवाड़ महाराणा श्री फतहसिंह जी के दौरे में जहाजपुर, नाहर मगरा, जयसमन्द आदि स्थानों पर जाने का मौका मिला। इस दौरे में उन्होंने देखा कि जहाँ महाराणा का मुकाम होता था, वहाँ कई बौस चलकर उनका सामान घोड़ों, ऊटों, बैलों पर लादकर लोग ले जाते थे, किन्तु मजदूरी में उन्हें चार पैसे भी नहीं चुकाए जाते थे।

इसी प्रकार भील, गरासिए एव अग्र काश्तकार लोगों को कई दिन पहले पकड़ा जाता उनसे बेगार में काम लिया जाता था, किन्तु मजदूरी के नाम पर

एक पाई भी नहीं चुकाई जाती थी। यदि काय मे कुछ कमी रह जाती तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता। इस प्रकार का जुल्म उनसे देखा नहीं गया, अतः झाडोल आकर उन्होंने ठिकाने की नोकरी छोड़ दी और चित्तौड़ जिले मे सर्वप्रथम मेवाड राज्य के जुल्मों के खिलाफ एकी आन्दोलन का श्री गणेश किया।

मोतीलाल की सलाह से भीलो ने कर देने से इन्कार कर दिया। 13 जुलाई 1921 को जवास के कामदार ने गाव के गमैती से कर उगाने के लिये सिपाही भेजे, किन्तु उन्होंने तब तक कर देने से इन्कार कर दिया जब तक कि खालसा भूमि के भीलो के बेटे महाराणा सुन नहीं लेते।<sup>74</sup>

डू गरपुर के महारावल ने यह सोच कर कि कहीं आन्दोलन उनके राज्य मे भी न फैल जाए, जुलाई 1921 को सभी प्रकार की बेगार हटा दी। जुलाई 1921 के प्रथम सप्ताह मे ही मेवाड के महाराणा ने भी भीलो तथा खालसा भूमि के अन्य कृषकों के लिये कुछ रियायतें घोषित की। अतः मेवाड के खालसा गावों मे तो आन्दोलन नहीं फैला, किन्तु जागीरदारों ने किसी भी प्रकार की रियायत कृषकों को नहीं दी थी, इसलिये यह आन्दोलन कोलियारी, झाडोल मादडी आदि जागीरों मे फैल गया।<sup>75</sup>

19 अगस्त 1921 के झाडोल के ठाकुर ने मोतीलाल को भीलो को भडकाने तथा उन्हें कर व बेगार न करने देने के आरोप मे गिरफ्तार कर लिया। किन्तु शीघ्र ही पट्टा, जवास, पहाडा मादडी आदि 65 गावों से करीब 7 हजार भील एकत्रित हो गए और उन्होंने मोतीलाल को छुड़वा लिया।<sup>76</sup> इससे प्रोत्साहित होकर मोतीलाल ने भीलो को संगठित किया और उन्हें जागीरदारों को अन्न और अधिक राजस्व व लाग न देने के लिये ममभाया।<sup>77</sup> इस प्रकार सितम्बर 1921 तक उनका प्रभाव समस्त भूमट क्षेत्र मे फैल गया।

मोतीलाल तेजावत ने भील प्रतिनिधियों के साथ उदयपुर महकमा खाम को उनके मुख्य बेटे वताए। ये राजकीय कमचारियों के भ्रष्टाचार, वर्तमान राजस्व नीति, बेगार, सुधरा के खेत चर जाने आदि के बारे मे थे। महकमा खास ने राजस्व के बारे मे शीघ्र समझौता कराने तथा सुधरा को नष्ट करने के बारे मे आश्वासन दिया।<sup>78</sup> नवम्बर 1921 मे जूडा जागीर के किसानों ने भी राजस्व कर देने से इन्कार कर दिया। भील किसानों ने बिना आगा के सुधरा को मार दिया तथा आरक्षित वन मे अपने पशु चराने लगे।<sup>79</sup> मादडी जागीर के भील किसानों ने अपने बेटों का विधरण लिगवर मादडी के रावत को 1921 मे दिया, किन्तु अधिकारियों ने उनके बेटों पर कोई ध्यान नहीं दिया,



अतः आन्दोलन चलता रहा। दिसम्बर 1921 तक भील आन्दोलन मेवाड़ की सीमाओं से ईडर राज्य तक फैल गया।<sup>80</sup> मेवाड़ राज्य के भीलों ने जागीरदार को किसी भी प्रकार की वेगार, वरार तथा भू-राजस्व नहीं दिया। दिसम्बर 1921 में पुनर्वा के राणा, जूडा तथा ओघना के राव ने मेवाड़ के रेजीडेंट से मोतीलाल को तुरन्त ही गिरफ्तार करने की प्रार्थना की।<sup>81</sup> मोतीलाल का भील क्षेत्र में प्रभाव उल्लेखनीय था। भीलों का यह विश्वास था कि मोतीलाल गांधी बाबा का पवित्र दूत है। दिसम्बर 1921 में मोतीलाल की सलाह से भील मुखियों ने कोटडा के सहायक पोलिटिकल अधीक्षक को निम्न अर्जी दी।<sup>82</sup>

“हम पंचों ने सर्व सम्मति से निणय लिया है कि रबी फसल पर कर एक रुपये में चार आने और खरीफ पर 15 सेर मक्का देंगे और किसी भी प्रकार की वेगार नहीं करेंगे।” जब झाड़ोल जागीर के अधिकारी लगान एकत्रित कर रहे थे, मोतीलाल 200 भीलों के साथ वहाँ पहुँच गए। उन्होंने तीन अधिकारियों को पीटा और जो राजस्व उन्होंने एकत्रित किया था, उसे छीन लिया।

मोतीलाल तेजावत के बढ़ते प्रभाव को देख कर मेवाड़ महाराणा ने कोटडा तथा खेरवाड़ा भूमट में 50 से अधिक भीलों के एकत्रित होने पर प्रतिवध लगा दिया, साथ ही मोतीलाल की गिरफ्तारी पर 500/- का इनाम घोषित कर दिया।<sup>83</sup>

जनवरी 1922 को मोतीलाल तेजावत सिरोही राज्य चले गए। उनकी अनुपस्थिति में नए वेगार व सरबराह नियम जबास, थाना पहाड़ा, मादडी आदि जागीर में लागू किए गए। कुछ लोगों में भी कमी की गई और साथ ही वेगार में भी ढील दी गई। मेवाड़ में खालसा भूमि पर 20 से 25 प्रतिशत रियायत की घोषणा की गई और वहाँ भी वेगार में ढील दी गई।<sup>84</sup>

धीरे धीरे सिरोही के भीलों व गरासियों में भी असंतोष फैल गया। मोतीलाल तेजावत 1 जनवरी 1922 में सिरोही जिले में आए। वे 12 से 20 जनवरी तक वहाँ ठहरे और उन्होंने भीलों और गरासियों की अनेक सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भीलों और गरासियों को कोई भी कर या वेगार राज्य को तब तक न देने को कहा जब तक कि उन पर से करो व वेगार का भारी बोझ कम न किया जाय। मोतीलाल ने उनसे देवी भवानी की शपथ लेकर एकी बनाए रखने को कहा। भीलों ने यह भी शपथ ली कि यदि राज्य उनकी मांगे स्वीकार नहीं करता तो वे सघप जारी रखेंगे। 24 जनवरी 1922 को भीलों और गरासियों ने तिल की सारी फसल बिना लगान दिए हटा ली।

उन्होंने आबू से अबाजी जाने वाली सड़क की रखवाली करना भी बंद कर दिया जिसकी पूर्व में वे यात्रियों की सुरक्षा के लिये करते थे। गरासियो ने मुगथला के थाने को तोड़ दिया और राजस्व अधिकारी के घर को भी लूट लिया। उन्होंने उन मालियों की फसल को भी नुकसान पहुँचाया जिन्होंने राज्य को लगान दिया था। उन्होंने उन लोगों को भी डराया व धमकाया जो राज्य की सेना के लिये ईंधन लाते थे तथा वेगार करते थे।<sup>85</sup>

परिस्थितियों को देखते हुए सिरोही राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्दर सार्वजनिक सभाएं करना निषिद्ध कर दिया<sup>86</sup> किन्तु भील और गरासियो ने इसकी उपेक्षा की। और दूसरे राज्य (मारवाड़) के भील और गरासियो को भी सगठित करने की शपथ ली। उन्होंने हासील न देने तथा वेगार न करने का भी निणय लिया।<sup>87</sup>

फरवरी माह के प्रारम्भ में मोतीलाल पुन सिरोही आये। इस समय तक वे काफी प्रसिद्धि पा चुके थे और मेवाड़ के गाधी नाम से लोकप्रिय हो गए। वे करीब चार हजार भीलों के साथ सिरोही आये और राज्य के अनेक भील मुखियाओं से मिले उन्होंने भीलों व गरासियो से पुन एक रुपये में चार आना तथा 5 मन अनाज प्रति बुवाई से अधिक राज्य को देने से मना किया।<sup>88</sup>

स्थिति को विगडते देख सिरोही के मुख्यमंत्री ने विजयसिंह पथिक, अध्यक्ष, राजस्थान सेवा सघ, अजमेर की सहायता मागी। 12 फरवरी 1922 को करीब 15 हजार वृषक, गोपेश्वर में एकत्रित हुए। विजयसिंह पथिक व मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। साथ ही उनके कष्ट का निवारण करने का भी आश्वासन दिया किन्तु समस्या सुलभी नहीं और भील व गरासियो निरन्तर राज्य के आदेशों का उल्लंघन करते रहे। 23 मार्च 1922 को रोहीडा के तहसीलदार ने सूचना भेजी कि भील अपने खेतों से बिना राज्य की हासील दिए सारी फसल ले गए हैं।<sup>89</sup> अगले ही दिन आवूरोड के मजिस्ट्रेट ने सूचना दी कि चंदेला, गिरवर और आमपाम के गाव के गरासियो सरसों और चने की फसल बिना हासील दिए ले गये हैं<sup>90</sup> ऐसी स्थिति में सिरोही के मुख्यमंत्री ने राज्य की सेना को भीलों के गाव भेजने का निर्णय किया किन्तु इसमें पूर्व सिरोही राज्य की सरकार ने सियावा के मुखिया व अन्य गरासियो के गाव के मुखिया से बातचीत करने का प्रयास किया किन्तु उनका प्रयास विफल रहा। 12 अप्रैल 1922 को सियावा पर सिरोही राज्य की सेना व मेवाड़ भील बोर ने

आक्रमण किया जिसमें तीन गरासियो मारे गए व एक बुरी तरह घायल हुआ । 40 गरासियो के घर व बड़ी मात्रा में एकत्रित किए गए चने जला दिए गए ।

इस कार्यवाही के पश्चात् सातपुर तहसील में कुछ शांति स्थापित हो गई किन्तु पिण्डवाडा, भाकर, रोहिडा के परगने में स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी । यह प्रतीत होने लगा कि रोहिडा तहसील के वालोरिया, भूला, नया वास आदि गाव भी विद्रोह की मुद्रा अपना चुके हैं । उन्होंने रवी और खरीफ फसल में से राज्य का भाग देने से इन्कार कर दिया । सिरोही के मुख्यमंत्री ने तहसीलदार से भीला व गरासिया को समझाने का कहा किन्तु वह असफल रहा । तब सिरोही राज्य की सेना व मेवाड भील कोर ने वालोरिया गाव में सैनिक कार्रवाई की । गाव का अधिकांश भाग जला दिया गया व 11 भील और गरासिए मार डाले गए<sup>91</sup> राज्य में भूला और नयावास के मुखिया तथा गाववासियों को यह चेतावनी दी कि यदि वे एकी खत्म नहीं करते हैं तथा राजस्व सदा की तरह नहीं देते हैं तो उनके गाव को जला दिया जायेगा किन्तु गाव के लोगो ने उत्तर दिया कि न तो वे एकी तोड़ेंगे और नहीं जितना राजस्व उन्होंने तय किया है, उससे एक पाई भी अधिक राजस्व देंगे । उनके इस जवाब पर राज्य ने उनके विरुद्ध 13 मई 1922 को सैनिक कार्यवाही की तथा गाव के अधिकांश भोपडे जला दिए गए ।<sup>92</sup>

राजस्थान सेवा सघ ने इसे गम्भीर घटना माना और उसमें रामनारायण चौधरी तथा सत्यभक्त को घटना की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने को कहा । उन्होंने अपनी रिपोर्ट 'सिरोही राज्य में दूसरी भील दुष्घटना' के नाम से प्रकाशित की जिसमें उन्होंने भूला और वालोरिया गाव के नुकसान का आकलन किया । राजस्थान सेवा सघ की रिपोर्ट के अनुसार 640 भीलों के घर राख कर दिए गए । 29 भील मारे गए व अनेक घायल हुए । लगभग 90 हजार की सम्पत्ति या तो लूट ली गई या जला दी गई । रामनारायण चौधरी ने लिखा कि भील और गरासियो का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकारी लगान तब तक न देने को कहा जब तक उन पर से गैर कानूनी बेगार व अय कर न हटा लिए जाय ।

सघ की सूचना को सही माना जाय तो 325 परिवार के 1800 स्त्री पुरुष मारे गये थे, 640 घर या तो जला दिए गए थे या भूमिसात कर दिए गए थे, सैंकड़ों मन घनाज नष्ट कर दिया गया था, 600 गाड़ियां नष्ट कर दी गईं 100 पशु या तो मार दिए गए थे अथवा साथ में ले जाये गए थे और करीब

96 हजार रुपये की सम्पति नष्ट कर दी गई थी<sup>93</sup> भील-दुर्घटना ने लोगों को जागरूक बना दिया और उन्हें अनेक राजनीतिक अधिकारों के बारे में जगा दिया।

राज्य की इस कार्यवाही से डर कर भूला, नयावास, वालोरिया और आस-पास के गांवों के मुखिया राज्य के मुख्यमंत्री से मिले और उनकी उपस्थिति में एकी तोड़ने की प्रार्थना की। एकी सरकार को आश्वस्त करने के लिये तोड़ी गई कि वे भविष्य में राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। सिरौही के महाराज स्वयं रोहिडा गए और भूला, वालोरिया, नयावास के कृपकों में स्वयं मिले, उनके कष्ट सुने तथा उन्हें कुछ रियायतें प्रदान की जिसमें मुख्य इस प्रकार है।<sup>94</sup>

- 1 सभी विद्रोहियों को आम माफी प्रदान की गई।
- 2 उन कृपकों को लगान चुकाने से मुक्त कर दिया गया जिनके घर जल गये थे।
- 3 खरीफ फसल का लगान उन नावालिग पुत्रों से नहीं वसूल किया जायेगा जिनके पिता मारे गए थे।
- 4 खरीफ फसल पर अलग से सूकड़ी लागू वसूल नहीं की जायेगी।
- 5 स्वयं की भौपडिया बनाने के लिये भीलो और गरासियों को जंगल से लकड़ी व घास लाने की अनुमति दी गई।
- 6 चार व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई जिसमें एक भील, एक गरासिया एक महाजन व एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया जो कि चोरी गए पशुओं के बारे में विचार करते थे।

इस प्रकार भीलो और गरासियों द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कुछ समय के लिये दब गया। मोतीलाल तेजावत ने यह जानकर कि भील और गरासियों की एकता कमजोर पड़ गई है, 1923 में पोसीना और सिरौही के भीलो व गरासियों में नया एकी आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व देलवाडा के निकट छोद्धर से किया<sup>95</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि पोसीना के मुखिया ने ईंडर राज्य के प्रजामंडल से सम्पर्क किया। ईंडर प्रजामंडल भी भील आंदोलन में रुचि रखने लगा और इसने भीलो को प्रजामंडल का सदस्य बनने के लिये समझाया। इस विषय में वे मोतीलाल की सेवाएँ भी लेना चाहते थे।<sup>96</sup> उनकी इस कार्यवाही ने देशी रियासतों व ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया। महीकाठा के पोलिटिकल एजेंट, मेवाड महाराणा तथा बंबई राज्य की पुलिस

उन्हे गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी, जबकि मोतीलाल का यह कहना था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह तो केवल भीलो के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिये काय कर रहा है। राज्य कमचारी स्वयं भ्रष्ट है, इसलिये वे उन्हे गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने ए जी जी से प्रार्थना की कि उन्हे सत्याग्रह आश्रम जाने दिया जाय। किन्तु बवई और ईडर सरकार ने इस बात का बडा विरोध किया कि तेजावत को स्वतन्त्रता पूर्वक घूमने दिया जाय<sup>87</sup>। अतः उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए और ईडर के खेडब्रह्मा ब्रह्माजी के मंदिर से उन्हे गिरफ्तार कर लिया जहा वह भीलो की एक सभा को संबोधित कर रहे थे<sup>88</sup>। उसे मेवाड राज्य के सुपर्द कर दिया गया। (जुलाई 1929) मेवाड राज्य ने उसे केन्द्रीय कारागार मे 9 वष तक बिना किसी न्यायिक जाच व बिना किसी अभियोग के गिरफ्तार रखा<sup>89</sup>। उन्हे छुडाने के कई प्रयास किए गए किन्तु कोई फल नहीं निकला।

3 नवम्बर 1935 को मोतीलाल तेजावत को छुडाने के पुनः प्रयास शुरू किए गए। मणीलाल कोठारी, महाराणा मेवाड व रेजीडेंट कनल बंथम से मिले व मोतीलाल को छुडाने की प्रार्थना की<sup>90</sup> किन्तु मेवाड राज्य उन्हे बिना शर्त रिहा करने को तैयार नहीं था। राज्य चाहता था कि मोतीलाल वचन दे कि वे किसी भी राज्य विरोधी गतिविधियों मे भाग नहीं लेंगे, महाराणा की अनुमति के बिना मेवाड राज्य नहीं छोडेंगे।

- 4 यदि राज्य उन्हें कोई नौकरी प्रदान करता है तो वे उसे स्वीकार करेंगे ।  
 5 उन्हें उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाय जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं ।

25 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को केन्द्रीय कारागार से गिरा कर दिया गया । जेल अधीक्षक ने उन्हें ये प्रमाण पत्र प्रदान किया कि वे 6 अगस्त 1929 से 23 अप्रैल 1936 तक राजनीतिक बंदी थे तथा जेल में उनका व्यवहार एवं चरित्र सतोपजनक था ।<sup>103</sup>

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें पुन गिरफ्तार कर लिया गया । करीब डेढ़ वर्ष तक उन्हें जेल में बंद रखा गया । 1946 में मोतीलाल ने महानिरीक्षक को सूचित किया कि भीलों में गोवध और चोरी की घटनाएँ बहुत बढ़ गई हैं इसलिये वे उनके मध्य रहना चाहते हैं और उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं किंतु मेगाड पुलिस ने उन्हें उदयपुर छोड़ने की अनुमति नहीं दी तथा बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया<sup>104</sup> । 3 फरवरी 1947 को उन्हें पुन रिहा किया गया । उदयपुर की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया ।<sup>105</sup>

### वनवासी सेवा सघ

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ ही ईसाई सगठन के पादरी भी आ गए थे । उन्होंने वासवाडा, डूंगरपुर, सिरोही आदि राज्यों में जहाँ भीलों की संख्या अधिक थी, गिरजाघर स्थापित किए तथा उन लोगों के मध्य काय करना प्रारम्भ किया जो बहुत गरीब व पिछड़े हुए थे । उन्होंने भीलों की अकाल व प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय नकद व जिम में सहायता करनी प्रारम्भ की और सरलता से उनका धर्म परिवर्तन करना प्रारम्भ किया । धर्म प्रसार के लिये जगह-जगह गिरजाघर व स्कूल खोले गए । उनकी इन कायवाहियों से जनता में असतोप पैदा होने लगा । परिणाम स्वरूप ए.जी.जी. ने धर्म परिवर्तन की पादरियों की कार्यवाही को बंद कर दिया ।<sup>106</sup>

दूसरा मुख्य सगठन वनवासी सेवा सघ था । इसकी स्थापना मुख्यतः भीलों के कल्याण के लिये की गई थी ताकि उनमें सामाजिक और राजनीति चेतना जागृत हो । सघ अपने उद्देश्य और कार्यकलापों में सफल रहा । बड़ी संख्या में भीलों ने मदिरापान और अफीम न खाने की सौगंध खाई<sup>107</sup> । 1940 में सघ के वनवासी सेवा सघ ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें अनेक भील

उन्हे गिरपतार करने का प्रयास करने लगी, जबकि मोतीलाल का यह कहना था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह तो केवल भीलो के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिये काय कर रहा है। राज्य बर्मचारी स्वयं भ्रष्ट है, इसलिये वे उन्हें गिरपतार करना चाहते हैं। उन्होंने ए जी जी से प्रार्थना की कि उन्हें सत्याग्रह आश्रम जाने दिया जाय। किंतु बर्बई और ईडर सरकार ने इस बात का कड़ा विरोध किया कि तेजावत को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने दिया जाय<sup>97</sup>। अतः उनकी गिरपतारी के वारंट जारी कर दिए गए और ईडर के छेडब्रह्मा ब्रह्माजी के मंदिर से उन्हें गिरपतार कर लिया जहां वह भीलो की एक सभा को संबोधित कर रहे थे<sup>98</sup>। उसे मेवाड राज्य के सुपद कर दिया गया। (जुलाई 1929) मेवाड राज्य ने उसे केन्द्रीय कारागार में 9 वर्ष तक बिना किसी याचिक जाच व बिना किसी अभियोग के गिरपतार रखा<sup>99</sup>। उन्हें छुड़ाने के कई प्रयास किए गए किंतु कोई फल नहीं निकला।

3 नवम्बर 1935 को मोतीलाल तेजावत को छुड़ाने के पुनः प्रयास शुरू किए गए। मणिलाल कोठारी, महाराणा मेवाड व रेजीडेंट कनल वैंथम से मिले व मोतीलाल को छुड़ाने की प्रार्थना की<sup>100</sup> किंतु मेवाड राज्य उन्हें बिना शर्त रिहा करने को तैयार नहीं था। राज्य चाहता था कि मोतीलाल वचन दे कि वे किसी भी राज्य विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, महाराणा की अनुमति के बिना मेवाड राज्य नहीं छोड़ेंगे।

मणिलाल कोठारी मोतीलाल से मिले व उन्हें महाराणा की शर्तों के बारे में बताया। मोतीलाल ने सशर्त रिहा होने से इकार कर दिया। मेवाड राज्य सरकार ने पुनः उन्हें सशर्त रिहा करने की ही शर्त रखी, तब मोतीलाल ने भी अपनी दो शर्तें राज्य के सामने रखी —

- 1 यह प्रमाणित किया जाय कि वो किसी अपराध के लिये दोषी नहीं है।
- 2 उन्हें उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होगा जिन्होंने उनके विरुद्ध पडयन्न रचा और उन्हें बदनाम करने की साजिश की<sup>101</sup>। राज्य सरकार ने उनकी यह मांगें स्वीकार कर ली और मोतीलाल ने भी यह लिख कर दिया कि<sup>102</sup>—

- 1 वो राज्य की अनुमति के बिना मेवाड नहीं छोड़ेंगे।
- 2 उन्होंने राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं किया है और नहीं वे आगे ऐसा करेंगे।
- 3 उन्हें यह प्रमाण पत्र दिया जाय कि वे निर्दोष थे और जेल में उनका चरित्र अच्छा रहा।

- 4 यदि राज्य उन्हें कोई नौकरी प्रदान करता है तो वे उसे स्वीकार करेंगे ।  
 5 उन्हें उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाय जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं ।

25 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को केन्द्रीय कारागार से गिरा कर दिया गया । जेल अधीक्षक ने उन्हें ये प्रमाण पत्र प्रदान किया कि वे 6 अगस्त 1929 से 23 अप्रैल 1936 तक राजनीतिक बंदी थे तथा जेल में उनका व्यवहार एवं चरित्र सतोपजनक था ।<sup>103</sup>

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया । करीब डेढ़ वर्ष तक उन्हें जेल में बंद रखा गया । 1946 में मोतीलाल ने महानिरीक्षण को सूचित किया कि भीलो में गौवध और चोरी की घटनाएँ बहुत बढ़ गई हैं इसलिये वे उनके मध्य रहना चाहते हैं और उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं किन्तु मेवाड़ पुलिस ने उन्हें उदयपुर छोड़ने की अनुमति नहीं दी तथा बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया<sup>104</sup> । 3 फरवरी 1947 को उन्हें पुनः रिहा किया गया । उदयपुर की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया ।<sup>105</sup>

### वनवासी सेवा सघ

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ ही ईसाई सगठन के पादरी भी आ गए थे । उन्होंने वासवाडा, डूंगरपुर, सिरौही आदि राज्यों में जहाँ भीलो की संख्या अधिक थी, गिरजाघर स्थापित किए तथा उन लोगों के मध्य कार्य करना प्रारम्भ किया जो बहुत गरीब व पिछड़े हुए थे । उन्होंने भीलो की अकाल व प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय नकद व जिन्स में सहायता करनी प्रारम्भ की और सरलता से उनका धर्म परिवर्तन करना प्रारम्भ किया । धर्म प्रसार के लिये जगह-जगह गिरजाघर व स्कूल खोले गए । उनकी इन कायवाहियों से जनता में असतोप पैदा होने लगा । परिणाम स्वरूप ए.जी.जी. ने धर्म परिवर्तन की पादरियों की कायवाही को बंद कर दिया ।<sup>106</sup>

दूसरा मुख्य सगठन वनवासी सेवा सघ था । इसकी स्थापना मुख्यतः भीलो के कल्याण के लिये की गई थी ताकि उनमें सामाजिक और राजनीति चेतना जागृत हो । सघ अपने उद्देश्य और कायकलाओं में सफल रहा । बड़ी संख्या में भीलो ने मदिरापान और अफीम न खाने की सौगंध खाई<sup>107</sup> । 1940 में डूंगरपुर के वनवासी सेवा सघ ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें अनेक भील



लडके और लडकियों ने देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की भाविया प्रस्तुत की ।

### भील आदोलन—एक नजर

भीलो मे जो चेतना गुरु गोविन्द व मोतीलाल तेजावत ने जगाई, उससे वे अपने अधिकारो के लिए बराबर सघर्ष करते रहे । भीलो की सम्पति लूटी व नष्ट की गई । उनकी, निमम हत्यायों की गई व उन्हें अनेको बन्धु दिये गये । फिर भी वे घबराए नहीं । भारत के स्वतंत्र होने तक उनमे नाममान की शिक्षा का प्रचार हुआ व उनको नाम मात्र के भूमि अधिकार मिले । इसी के फलस्वरूप उन्हें अभी तक वनवासी अनुसूचित जनजाति का माना जा रहा है । पिछले चालीस वर्षों मे भी उनका कोई विशेष विकास नहीं हुआ है । यह देश का दुर्भाग्य ही है ।

### टिप्पणियाँ—

- 1 कुछ इतिहासकारा के अनुसार भीला की उत्पत्ति द्रविड शब्द वीन विल्लु या भील से हुई है जिसका अर्थ घनुप है और घनुप भीला का प्रमुख हथियार है । कुछ विद्वाना का अनुमान है कि यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वेधना या मारना । इसकिन राजपूताना गजेटियर, मेवाड रेजीडेंसी 1908 जिल्द द्वितीय ए पृ 227
- 2 एथावन ट्राइव्स एंड कास्ट ऑफ बोम्ब, वोल्यूम I
- 3 मनु-संस्कृत टैक्सट, वोल्यूम प्रथम, पृ 481 ।
- 4 बर्दिक इडव्स II निशाद
- 5 राजपूताना गजेटियर, पेज 227
- 6 इस सदन मे कनल टाड लिखते हैं कि किस प्रकार गुहा (सिसादिया राजपूता का आदि पुरुष) न गुजरात स्थित ईडर का राज्य भीलो मे ले लिया था । टाड एनाल्स एण्ड एटीबवीटीन आफ राजस्थान जिल्द I पेज 184 ।
- 7 प्रतापगढ़ की पुरानी राजधानी ।
- 8 मेवाड क बालियाबास भील पाल म बुडल वध की घटना राजनतिक एव बदेशिक विभाग, जनवरी 1883 पृ 51-58 अ भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।
- 9 चार्ल्स एचोशन-ट्रीट्रीज एमेजमेंट्स एण्ड सनद भाग III पृष्ठ 2 ।
- 10 वही, भाग II पृष्ठ 6 ।
- 11 चार्ल्स एचोशन, ट्रीट्रीज, एमेजमेंट एण्ड सनद भाग II, पृष्ठ 9 ।
- 12 वही भाग III, पृष्ठ 2 ।
- 13 चार्ल्स मैटकाफ का पोलिटिकल एजेंट मेवाड के नाम पत्र 13 मई 1827 ।
- 14 फीरन पोलिटिकल 8 जून 1827, 40
- 15 वही ।

- 16 डू गरपुर राज्य का सक्षिप्त इतिहास, पृ 108 ।
- 17 फौरन, 5 मई, 1826, पृ 1-4 ।
- 18 वही ।
- 19 वही ।
- 20 फौरन, 19 फरवरी 1827, पेज 17-18 ।
- 21 ब्लैक का उत्तराधिकारी ।
- 22 जे कोलब्रुक का पत्र, 5 जून 1828 ।
- 23 सचिव, भारत सरकार का जे कोलब्रुक को पत्र 8 अगस्त 1828 ।
- 24 मेवाड रजिडेंसी उदयपुर फाइल 1, 1827, जे ब्रुक सहायक पोलिटिकल एजेंट मेवाड का एस पी लोरेस, पोलिटिकल एजेंट मेवाड को पत्र, 6 दिसम्बर 1856, 56 ।
- 25 ब्रुकस मेवाड का इतिहास, पृष्ठ 78 ।
- 26 मेवाड प्रेसीज प्रथम भाग 10 परा 10 ।
- 27 फौरन कन्सलटेशन, 7 अगस्त 1837, 70 71 ।
- 28 वही, 8 अगस्त 1838, 63
- 29 वही, 28 मई 1841, 44 45 ।
- 30 फौरन इटरनल ए, फरवरी 1904, 51-56 ।
- 31 वही, 23 नवम्बर 1842, 17-19 ।
- 32 राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट ।
- 33 सदरलैंड का सचिव विदेश विभाग, भारत सरकार को पत्र, 12 नवम्बर 1843 (मुख्य आयुक्त, अजमेर मेवाड रिकाड)
- 34 श्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठ 2192 ।
- 35 मेवाड भीलवार के अधीक्षक एव वायवाहक पोलिटिकल अधीक्षक ।
- 36 मेजर मैक्सन का मेवाड महाराणा शभूसिंह को 20 अप्रैल 1868 का पत्र बरशीखाना, उदयपुर ।
- 37 वही ।
- 38 श्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठ 2192 ।
- 39 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, विदेश विभाग, पोलिटिकल अ प्रोसीडिंग्स, 1881, ब्रमाक 25-37 ।
- 40 फौरन एण्ड पोलिटिकन ए अप्रैल 1881, नम्बर 25 39, एन ए आई ।
- 41 वही, 1881, 313-34 ।
- 42 श्यामलदास वीर विनोद, पृष्ठ 2220 27 ।
- 43 फौरन एण्ड पोलिटिकन ए, अगस्त 1881, पृष्ठ 313 34 ।
- 44 वही ।
- 45 फौरन पोलिटिकल अ अप्रैल 1881, 137 79 ।
- 46 श्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठ स 2220 27 ।

- 47 भारत रियर का 18 अप्रैल 1881 का नं. 31 का पत्र, पौरुष पारितोषिक  
 का अप्रैल 1881, क्रमांक 137-79, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ।
- 48 पौरुष, पारितोषिक का, अगस्त 1881, 313-34
- 49 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बर्गिक राजनितिक विभाग, प्रागोष्ठित अप्रैल  
 1916, क्रमांक 38-47, पृष्ठ 11 ।
- 50 वही ।
- 51 (घ) वही, प्रागोष्ठित, अगस्त 1914 क्रमांक 18-22 ।  
 (घा) जहूरला मेहर, राजस्थान म राजाजी रो घादोलन, पृ. 81 ।
- 52 (घ) शोध पत्रिका, भाग 9, अंक 2, मसं 2014 (1957) पृष्ठ 67 ।  
 (घा) जहूरला मेहर, अजुन घाठी घात, पृ. 120 ।
- 53 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली बर्गिक एवं राजनितिक विभाग,  
 प्रागोष्ठित माघ 1914, क्रमांक 8, पृष्ठ 29-67 ।
- 54 वही, इटरनल का प्रागोष्ठित अप्रैल 1916, क्रमांक 38-47 ।
- 55 वही ।
- 56 वही पत्र नम्बर 3342, घातू, नितम्बर 17 अक्टूबर 1914 ।
- 57 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बर्गिक एवं राजनितिक विभाग, इटरनल प्रागोष्ठित  
 माघ 1914 क्रमांक 8-67 ।
- 58 वही पृष्ठ 33-34 ।
- 59 सुमनेश जाशी, राजस्थान म स्वतंत्रता संग्राम के सानो पृष्ठ 6 ।
- 60 भारत का अभि य रा वि इटरनल का प्रागोष्ठित अगस्त 1914, क्रमांक  
 18-22, पृष्ठ 3-4 ।
- 61 वही प्रागोष्ठित, माघ 1914, क्रमांक 8-67, पृष्ठ 29 ।
- 62 वही, अगस्त 1914, क्रमांक 18-522, पृष्ठ 4 ।
- 63 इटरनल प्रागोष्ठित, बर्गिक एवं राजनितिक विभाग, माघ 1914, क्रमांक 8-67 ।
- 64 वही, अगस्त 1914, क्रमांक 18-82 ।
- 65 भारत का अभि इटरनल प्रागोष्ठित माघ 1914 क्रमांक 8-67 ।
- 66 सुमनेश जाशी, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम पृष्ठ 7 ।
- 67 (अ) नवीनतम शोध स यह प्रकट होता है कि करीब 3000 भील मार गए थे  
 और यह हत्याकांड जलियावाला बाग से किसी भी प्रकार कम नहीं था ।  
 (घा) जहूरला मेहर, राजस्थान म राजाजी रो घादोलन, पृ. 83 ।
- 68 (घ) भारत का अभि का प्रागोष्ठित अगस्त 1914 क्रमांक 8-22 ।  
 (घा) जहूरला मेहर, अजुन घाठी घात, पृ. 124 ।
- 69 उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिवाइ फाइल नं. 19 व नं. 60 1917, ए डी  
 आर एस ए बी, ।
- 70 वही ।
- 71 वही, बर्गिक एवं राजनितिक विभाग फाइल नं. 1276 प्रथम ।
- 72 26 जून 1921 का खेरवाडा के पोलिटिकल सुप्रीटेण्डेंट का मवाड रेजीडेंट को पत्र,  
 उदयपुर रेजीडेंट जागीर रिवाइ फाइल नम्बर 91 बस्ता नम्बर 65, 192 ।
- 73 मादही के राजत की दिनांक 6 जुलाई 1921 की पोलिटिकल सुप्रीटेण्डेंट खेरवाडा  
 को रिपोर्ट, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिवाइ फाइल नम्बर 91 बस्ता नं. 65,  
 1921 ।

- 74 (अ) कामदार जवाब की दिनांक 13 जुलाई 1921 की पोलिटिकल सुप्रीटेंडेंट खेरवाडा को रिपोर्ट उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकार्ड, फाइल नम्बर 91 बस्ता न 65, 1921 एच डी आर एस ए बी ।  
(आ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी न आजादी रो आदालत, पृ 84 ।
- 75 राजनतिक एव वैदेशिक विभाग, फाइल नम्बर 428 पी (गोपीनाथ) 1923 भा रा अभि ।
- 76 मेवाड वकील की दिनांक 25 अगस्त एव 27 अगस्त 1921 की पोलिटिकल सुप्रीटेंडेंट, खेरवाडा को रिपोर्ट, उदयपुर जागीर रिकार्ड, फाइल न 91, बस्ता न 65, 1921 ।
- 77 मादडी के रावत रणजीत सिंह का दिनांक 8 सितम्बर 1921 का पोलिटिकल सुप्रीटेंडेंट खेरवाडा का पत्र, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकार्ड फाइल नम्बर 91 बस्ता नम्बर 65, 1921 ।
- 78 31 अक्टूबर 1921 तक का पाक्षिक स्मरण पत्र क्रमांक 55, व रा विभाग फाइल न 428, (गोपनीय) 1921, भा रा अभि ।
- 79 15 नवम्बर 1921 तक का पाक्षिक स्मरण पत्र न 56, व रा विभाग, फाइल न 428, (गोपनीय) 191, भा रा अभि ।
- 80 ईंडर राज्य मे महाराज कुमार का पोलिटिकल एजेंट, महाकाठा का गोपनीय पत्र न 263 दिनांक 20 दिसम्बर 1921, उदयपुर रेजीडेंसी रिकार्ड, फाइल न 87, 1921-22 आर एस ए बी ।
- 81 22 दिसम्बर 1921 का पानडवा के राणा जूडा तथा ओघना के राव का मेवाड रेजीडेंट का पत्र उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकार्ड फाइल न 87, बस्ता न 65 1921-22 ।
- 82 सहायक पोलिटिकल अधीक्षक कोटडा का दिनांक 23 दिसम्बर 1921 का पोलिटिकल अधीक्षक खेरवाडा का पत्र, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकार्ड फाइल न 87, बस्ता न 65 1921 ।
- 83 दिनांक 31 दिसम्बर 1921 अ मेवाड रेजीडेंट का पोलिटिकल सुप्रीटेंडेंट खेरवाडा को पत्र, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकार्ड, फाइल न 87, बस्ता न 65, 1921 22 ।
- 84 एजेंट गवर्नर जनरल राजपूताना का दिनांक 7 मार्च 1922 का मणिलाल काठारी को 1922 का पत्र गोपनीय रिकार्ड, फाइल नम्बर 125, क्रमांक 13, 1922 ।
- 85 दिनांक 31 जनवरी 1922 का पाक्षिक भमोरडम प 61, युद्ध होम पौष्टिक डिपार्टमेंट, फाइल न 18, 1922 भा रा अभि सिरोही सदर आफिस रिकार्ड, फाइल न 367 1921-22 ।
- 86 इशितहार न 250 दिनांक 28 जनवरी 1922 सिरोही सदर कार्यालय रिकार्ड, फाइल न 367, 1921-22 ।
- 87 सिरोही सदर कार्यालय रिकार्ड, फाइल न 367, 1921 22 ।
- 88 पुलिस महानिरीक्षक श्री एम आर कोटावाला का दिनांक 5 फरवरी 1922 को पोलिटिकल मेम्बर जोधपुर राज्य परिषद का गोपनीय पत्र, गोपनीय रिकार्ड फाइल न 106, 1922 ।

- 89 23 मार्च 1922 का रोहीडा के तहसीलदार का मुख्यमंत्री सिरोही को दिया गया तार, सिरोही सदर कार्यालय रिवाड फाइल न 367, 1921-22 ।
- 90 मजिस्ट्रेट ब्रावूरोड का दिनांक 24 मार्च, 1922 का मुख्यमंत्री सिरोही को पत्र सिरोही सदर कार्यालय रिवाड फाइल न 367 ए 1921-22 ।
- 91 प्रेस विनक्ति शिमला, दिनांक 7 मई 1922 भारत सरकार, वैदेशिक एवं राजनतिक विभाग, फाइल न 428 (गोपनीय) 1923 भा रा अभि ।
- 92 भारत सरकार की 7 मई 1922 की प्रेस विनक्ति, वैदेशिक एवं राजनतिक विभाग, फाइल न 428, (गोपनीय) 1923, भा रा अभि ।
- 93 लोका की मृत्यु के बारे में भिन्न-भिन्न विचार हैं । प्रिचड के अनुसार 50 व्यक्ति मारे गए तथा 50 घायल हुए । दुभाग्यवश राजस्थान सेवा सभ की रिपोर्ट खो गई ।
- 94 सिरोही के मुख्यमंत्री का 25 मई 1922 का पत्र (पत्र न 9840) का गवर्नर जनरल एजेंट राजपूताना का पत्र वैदेशिक एवं राजनतिक विभाग फाइल न 428 पी (गोपनीय) 1923, भा रा अभि ।
- 95 खान बहादुर फ़ैमरोज एस मास्टर अध्यक्ष ईंडर राज्य परिषद का 10 जून 1929 (पत्र न 821 का 1928 29 गोपनीय पत्र) महीकाठा के पोलिटिकल एजेंट को, भा रा अभि ।
- 96 मोतीलाल तेजावत के पास से गिरफ्तारी के समय मिला पत्र जिसमें दिनांक नहीं है फाइल न 276, 1929, वैदेशिक एवं राजनतिक विभाग, भा रा अभि ।
- 97 बम्बई सरकार का भारत सरकार को 7 जून 1925 का पत्र (पत्र न 29 बी) वैदेशिक एवं राजनतिक विभाग, फाइल न 185 पी 1925 ।
- 98 ईंडर राज्य परिषद के अध्यक्ष का 1928 29 का पत्र न 821 (गोपनीय) महीकाठा के पोलिटिकल एजेंट को पत्र भा रा अभि ।
- 99 राजस्थान दिनांक 18 नवम्बर 1955 ।
- 100 राजस्थान दिनांक 18 नवम्बर 1955 ।
- 101 राजस्थान दिनांक 4 मई 1936 ।
- 102 वही दिनांक 12 मई 1936 ।
- 103 राजस्थान दिनांक 4 मई 1936 मोतीलाल की रिहाई में डा सगनानी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई ।
- 104 नव जीवन, दिनांक 18 फरवरी 1946 ।
- 105 वही, 3 फरवरी 1948 ।
- 106 वैदेशिक एवं राजनतिक, एजेंट गज के नोट फाइल नम्बर 233 पी (5) 1956 भा रा अभि ।
- 107 केला, भगवानदास देशी राज्यों में शासन, अध्याय 47, पृष्ठ 382 83 ।





## जहूरखा मेहर

जन्म 20 जनवरी 1941, सिवाची गेट, जोधपुर  
प्रकाशित पुस्तकें

राजस्थानी सस्कृति का चितराम (1981)

घर मजला घर कोसां (1984)

राजस्थान में आजादी की आन्दोलन (1986)

टाळवा निबन्ध (1986)

ऊजळ पत्र (1990)

अजुंन आळी आल (1990)

राजस्थान में स्वतंत्रता सघष (1991)

राजस्थान के इतिहास, साहित्य एवं सस्कृति में सम्बन्धित दो सौ से अधिक निबन्ध प्रकाशित। एक दर्जन से अधिक आघ जनलों, स्मारिकाओं तथा अभिनन्दन आघों का सम्पादन। एक सौ से अधिक वार्ताएँ विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित।

### सम्मान-पुरस्कार

- \* महेंद्र जाजोदिया पुरस्कार, 1981  
राजस्थान रत्नाकर, नई दिल्ली
- \* अकादमी पुरस्कार, 1981-82  
राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
- \* राजस्थानी ग्रेजुएट्स नेशनल सर्विस एसो-  
शियेशन, बम्बई के रजत जयन्ती समारोह  
(30 नवम्बर, 1982) के अवसर पर  
भाव, भाषा व कव्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ  
लेखन पुरस्कार
- \* पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार 1982-83  
राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
- \* रामेश्वर टॉटिया पुरस्कार, 1986  
भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता
- \* जिला प्रशासन, लायंस क्लब, राठौरी क्लब,  
युवा साहित्यकार परिषद आदि द्वारा  
सम्मानित-पुरस्कृत

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, राजस्थानी भाषा,  
साहित्य एवं सस्कृति अकादमी, बीकानेर (दो सत्र  
तक सदस्य), जगदीशसिंह गहलोत शोध सम्मान,  
अमृतम भारतीय विद्या शोध संस्थान व अनेक  
ऐतिहासिक साहित्यिक संस्थानों की सदस्यता।

सम्प्रति रीडर, इतिहास विभाग  
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर